# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

**SUMMARISED TRANSLATED VERSION**

**OF**

**4th**

# LOK SABHA DEBATES

[ दसवां सत्र / **Tenth Session** ]

Preservation Unit
Fumigated On 8-2-84
Parliament Library

[ खंड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं / **Vol. XXXVI contains Nos. 1 to 10** ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
**LOK SABHA SECRETARIAT**
**NEW DELHI**

मूल्य : एक रुपया

*Price : One Rupee*

लोक-सभा वादविवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

2 मार्च, 1970 । 11 फाल्गुन, 1891 (शक) का शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ संख्या | शुद्धि |
| --- | --- |
| 174 | पंक्ति 20 और 21 के बीच में यह भी पढ़ा जाये :<br>'श्री के.एन.तिवारी पीठासीन हुए ।'<br>' Shri K.N. Tiwary in the Chair ' |

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—9, सोमवार, 2 मार्च, 1970/11 फाल्गुन, 1891 (शक)
No.—9, Monday March 2, 1970/11 Phalguna, 1891 (Saka)

| विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|
| निधन सम्बन्धी उल्लेख | Obituary Reference | 1 |
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| **ता० प्र० संख्या** | | |
| **S. Q. Nos.** | | |
| 151. खाद्य वस्तुओं तथा खाने के तेलों में कैंसर पैदा करने वाली चीजें मिलाना | Adultration in Food Articles and Edible Oils Causing Cancer | 2—6 |
| 152. भारत में विदेशी बैंक | Foreign Banks in India | 6—12 |
| 153. महानगरी क्षेत्र के विकास के लिये मद्रास को विश्व बैंक से सहायता | World Bank's Assistance to Madras for Development of Metropolitan Area | 12—15 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | **WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| 154. दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन औषधालयों में आयात मामलों में भी दवायें प्राप्त करने के लिये लम्बी प्रतीक्षा | Long Wait for Medicines in Emergency Cases Delhi Under CGHS | 16 |
| 155. चीन और पाकिस्तान द्वारा भारी राशियों में भारतीय मुद्रा का परिचालन | Release of Large Number of Indian Currency by China and Pakistan | 16—17 |
| 156. भारत में निगमित कर | Corporate Tax in India | 17—18 |

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 157. | औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कम विकसित राज्यों को सहायता | Assistance to Less Developed States by IFC | 18—19 |
| 158. | मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ भावी कारोबार के बारे में भारतीय तेल निगम को सचेत करना | Caution to IOC in Further Dealing with M/s Hind Galvanising and Engineering Co. | 19—20 |
| 159. | हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री, नई दिल्ली | Hindustan Housing Factory, New Delhi | 20—21 |
| 160. | बरौनी तेल शोधक कारखाना | Barauni Refinery | 21 |
| 161. | भारतीय तेल निगम द्वारा किया गया अतिरिक्त व्यय हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी से वसूल करना | Realisation of Extra Expenditure Incurred by IOC from Hind Galvanising and Engineering Co. | 21—22 |
| 162. | औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋणों के वितरण में विलम्ब | Delay in Disbursement of Loans by IFC | 22—23 |
| 163. | सरकारी क्षेत्र द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सस्ते मकानों के निर्माण के लिए विधि | Funds for Cheap Houses in Urban Areas by Public Sector | 23 |
| 164. | केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन | Amendment to Central Sales Tax Act | 23—24 |
| 165. | शहरी सम्पत्ति पर कर लगाना | Imposition of Tax on Urban Property | 24 |
| 166. | यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के यूनिटों के विक्रय तथा पुनर्क्रय मूल्यों का बढ़ाया जाना | Raising of Sale and Repurchase Prices of Units of Unit Trust of India | 24—25 |
| 167. | आंध्र प्रदेश को भारी तूफान संबंधी राहत कार्यों के लिये सहायता | Assistance to Andhra Pradesh for Cyclone Relief Measures | 25 |

| तां० प्र० संख्या<br>S. Q. Nos. | विषय<br>Subject | पृष्ठ<br>Pages |
|---|---|---|
| 168. तमिलनाडु सरकार को केन्दीय सहायता | Central Assistance to Tamil Nadu Government | 25—26 |
| 169. चल चित्र कलाकारों की ओर बकाया आयकर | Income Tax due from Film Artists | 26 |
| 170. बिड़ला ग्रुप की फर्मों के विरुद्ध जांच | Enquiry Against Birla Group of Companies | 26—28 |
| 171. उड़ीसा में तलचर नामक स्थान पर तथा देश के अन्य भागों में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना | Setting up of Coal Based Fertilizer Plants at Talchar in Orissa and other Parts of the Country | 23—29 |
| 172. चौथी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिये धन का नियतन | Alloeation of Funds for Health Programme during Fourth Plan | 29 |
| 173. औद्योगिक वित्त निगम की सूची में दोषी फार्म | Defaulting Concerns in the List of IFC | 29—31 |
| 174. आसाम में पैट्रोल के स्थान पर गाढ़े कच्चे टेल से तरल अमोनिया का निकाला जाना | Extraction of Liquid Ammonia from Thick Crude Oil of Assam Instead of Petrol | 31 |
| 175. उच्च तथा कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में विषमता | Disparity in Pay of Highly and Low Paid Government Employees | 31 |
| 176. एकाधिकार वाले समवाय समूहों को प्रसार योजनाओं के लिये अग्रेतर ऋण देने पर रोक | Ban on Further Loans to Monopoly Houses for Expansion Schemes | 31—32 |
| 177. बैंकों द्वारा ऋण देने संबंधी नियमों में ढील | Relaxation of Rules for Advance of Loans by Banks | 32 |
| 178. पूरे मंहगाई भत्ते का वेतन के साथ मिलाया जाना | Full Merger of Dearness Allowance with Pay | 32—33 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 179. | ईराक में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये भारत तथा ईराक के बीच बातचीत | Negotiations between India and Iraq for Setting up Fertilizer Plant in Iraq | 33 |
| 180. | जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें | Demands of the LIC Employees | 33—34 |

## अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1001. | इंदौर (मध्य प्रदेश) में साम्प्रदायिकता से प्रभावित हुए व्यक्तियों को नकद सहायता | Cash Assistance to People Affected by Communal Disturbances in Indore | 34 |
| 1002. | मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के लिये कच्चे तेल की ढुलाई में विदेशी मुद्रा की हानि | Loss of Foreign Exchange in Transportation of Crude for Madras Refinery | 34—35 |
| 1003. | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | Primary Health Centres | 35 |
| 1004. | आसाम के तेल के कुओं के कच्चे तेल के लिये अतिरिक्त शोधन क्षमता | Establishment of Additional Refining Capacity for Crude from Assam Oil Wells | 36 |
| 1005. | सुरमा का प्रयोग और उसका प्रभाव | Use of Surma and its Effect | 36—37 |
| 1006. | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इन्जीनियरी संवर्गों के अस्थायी पदों का स्थायी पदों में परिवर्तन | Conversion of Temporary Posts in the Engineering Cadres in CPWD into Permanent Posts | 37—39 |
| 1007. | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सैक्शनल अफसरों के कर्तव्य | Duties of Sectional Officers of CPWD | 39 |
| 1008. | पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों पर शांतिलाल शाह समिति का प्रतिवेदन | Shantilal Shah Committee Report on Pricing of Petroleum Products | 39—40 |

| अता० प्र० संख्या | विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|---|
| U. S. Q. Nos. | | Subject | Pages |
| 1009. | नार्थ तथा साउथ एवेन्यु, नई दिल्ली में नौकरी के क्वार्टरों में बिजली पाइंटों की व्यवस्था | Provision of Light Points in Servant Quarters Blocks in North and South Avenue, New Delhi | 40 |
| 1010. | कोरबा में एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना | Setting up of Aluminium Plant at Korba | 40—41 |
| 1011. | केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालय पहाड़गंज, नई दिल्ली | C. G. H. S. Dispensary Paharganj, New Delhi | 41—42 |
| 1012. | भारत के रिजर्व बैंक से रूसी दूतावास द्वारा धन निकालना | Withdrawal of Amount by Russian Embassy from the Reserve Bank of India | 43 |
| 1013. | उद्योगों की बैंक ऋणों पर निर्भरता | Dependence of Industries on Bank Credit | 43—44 |
| 1014. | बिहार में शीत लहर के कारण मौतें | Deaths Due to Cold Wave in Bihar | 44 |
| 1015. | अगस्त, 1969 में जापानी कपड़े का पकड़ा जाना | Seizure of Japanese Cloth in August, 1969 | 44—45 |
| 1016. | बरेली में कृत्रिम रबड़ बनाने के कारखाने में बेकार पड़ी भूमि का निबटान | Disposal of Land Lying Idle with Synthetic Rubber Factory, Bareilly | 45 |
| 1017. | औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी गई परन्तु वसूल न की जा सकने वाली ऋण राशि | Non Recoverable Amount of Loans given by Industrial Finance Corporation | 45 |
| 1018. | औद्योगिक वित्त निगम के पूंजी के साधन | Sources of Capital of IFC | 46 |
| 1019. | मध्य प्रदेश में जल की सुविधायें | Drinking Water Facilities in Madhya Pradesh | 47 |
| 1020. | भारत को अमरीकी सहायता | US Aid to India | 47—48 |
| 1022. | जापानी सर्वेक्षण शिष्टमंडल की यात्रा | Visit by Japanese Survey Mission | 48 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 1023. | 1969 में व्यापार और भुगतान सन्तुलन | Balance of Trade and Payment During 1969 | 48—49 |
| 1024. | आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न भंडार बनाना | Steps to Create Food Surplus | 49 |
| 1025. | सरकारी उप क्रमों द्वारा निर्यात में वृद्धि | Boosting of Exports by Public Undertakings | 50 |
| 1026. | कटक के शिशु भवन बाल रोग प्रशिक्षण केन्द्र का दर्जा बढ़ाया जाना | Upgrading of Sisubhaban Paediaries Training Centre, Cuttack | 50—51 |
| 1027. | कटरों के सुधार के लिये धन का नियतन | Allocation for Improvement of Katras in Delhi | 51 |
| 1028. | आयकर करदाताओं के मामले | Cases of Income Tax Assessees | 52 |
| 1029. | हृदय प्रतिरोपण के मामले में वृद्धि | Progress made in Heart Transplantation | 53 |
| 1030. | दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा मकान बनाने की अवधि का बढ़ाया जाना | Extension of Time Limit for House Building by DDA | 53 |
| 1031. | पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के अन्तर्गत परियोजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों में संगठनगत प्रतिद्वन्दता | Inter Union Rivalries Among Labour Force Working in Projects Under the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals | 54 |
| 1032. | विश्व बैंक द्वारा राज्यों को सीधी सहायता | Direct Assistance to States by the World Bank | 54 |
| 1033. | देश में ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों का विकास | Development of Rural Hospitals in the Country | 54—55 |
| 1034. | केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु सरकारों को दिये गये अनुदान तथा ऋण | Grants and Loans Advanced to Government of UP and Tamilnadu by Central Government | 55 |
| 1035. | सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया की शाखायें | Branches of Central Bank of India | 56 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 1036. | मैसर्स आकूजी जावत एण्ड कम्पनी की ओर बकाया आयकर | Income Tax due from M/s Akuji Jayat and Company | 56—57 |
| 1037. | तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पूर्वी क्षेत्र के मुख्यालय से चोरी की गई जीपें | Jeeps Stolen from Eastern Region Headquarters of ONGC | 57 |
| 1038. | जीवन बीमा निगम के पूर्वी जोन के कर्मचारी संघ द्वारा भेजा गया ज्ञापन | Memorandum by Employee's Association of LIC Eastern Zone | 57—58 |
| 1039. | कर अपवंजन के दण्ड स्वरूप सम्पत्ति जब्त करना | Forefeiture of Property as Penalty for Tax Evasion | 58--59 |
| 1040. | बांदरा समुद्र तट पर सोने का पकड़ा जाना | Seizure of Gold at Bandra Sea Coast | 59 |
| 1041. | आयकर के मामलों की विचाराधीन अपीलें | Pending Appeals of Income Tax Cases | 59 |
| 1042. | आयकर निर्धारण के विचाराधीन मामले | Pending Cases of Income Tax Assessments | 60—61 |
| 1043. | कर निर्धारण पर व्यय | Cost of Assessment | 61—62 |
| 1044. | आयकर की बकाया राशि | Arrears of Income Tax | 62--64 |
| 1045. | सेफ डिपाजिट व्यवस्था | Safe Deposit Arrangements | 64 |
| 1046. | निर्माताओं द्वारा ढोल बनाते समय उनका निरीक्षण न करने के कारण भारतीय तेल निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही | Action against Officers of IOC for Failure to Inspect Barrels during Manuafacture with Fabricators | 64—65 |
| 1047. | संसद सदस्यों द्वारा आयकर विवरणों का भरा जाना | Filing of Income Tax Returns by Members of Parliament | 65 |
| 1048. | राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली में प्रसूती गृह तथा चिकित्सालय के लिये नियत प्लाट पर झुग्गियां डालना | Encroachment by Jhuggi Squatters on a Plot Earmarked for Moternity Home and Hospital in Rajindranagar, New Delhi | 66 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय Subject | | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 1049. | रामकृष्णपुरम के सैक्टर 2 में रहने वाले केन्द्रीय रक्षित पुलिस के जवान | Central Reserve Police Personnel Residing in Sector II of R. K. Puram | 66—67 |
| 1050. | एन्टी बायोटिक्स फैक्ट्री, ऋषिकेश के लिये रूस द्वारा की जाने वाली मशीनरी की सप्लाई में कथित विलम्ब | Alleged Delay in Supply of Machinery by USSR for Anti Biotics Factory Rishikesh | 67 |
| 1051. | निरोध फैक्टरी, त्रिवेन्द्रम के विरुद्ध शिकायतें | Complaints against Nirodh Factory Trivandrum | 67-68 |
| 1052. | राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में क्लर्कों और आशु-लिपिकों की नैमेत्तिक श्रमिकों के रूप में कथित भर्ती | Alleged Recruitment of Clerks and Stenographers as Casual Labourers in NCDC | 68 |
| 1053. | महाराष्ट्र आवास बोर्ड की सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत किरायेदारों की ओर से अभ्यावेदन | Representation from Tenants of the Subsidised Industrial Housing Scheme of Maharashtra Housing Board | 68—69 |
| 1054. | मैसर्स महाराजा फाइनैन्स द्वारा आयकर तथा धनकर का भुगतान | Payment of Income and Wealth Tax by Messrs Maharaja Finances | 69 |
| 1055. | राष्ट्रीय कोयला विकस निगम की सम्पत्ति का दुर्विनियोजन | Misappropriation of NCDC Property | 69—70 |
| 1056. | राष्ट्रीय बचत अभियान पुनर्गठन समिति का प्रति-वेदन | Report of National Savings Movement Reorganisation Committee | 70 |
| 1057. | राज्य सरकारों के कर्म-चारियों को अधिक वेतन और मंहगाई भत्ता देने के लिये राज्यों द्वारा वित्तीय सहायता का मांगा जाना | Demand of Financial Assistance by States to Pay Higher Salaries and DA to State Government Employees | 70—71 |

| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ<br>Pages |
|---|---|---|---|
| 1058. | कर अपवंचन को रोकने के नये उपाय | New Measure to Check Tax Evasion | 71 |
| 1059. | सो तथा दस रुपये के नोटों के मुद्रण में प्रयुक्त स्याही | Ink used for Printing of Hundred—Rupee and Ten Rupee Notes | 71 |
| 1060. | सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा का खोला जाना | Opening of Branch in Rural Areas by the Central Bank of India | 71–72 |
| 1061. | दिल्ली में आठ आने और चार आने के सिक्कों का प्रचलन | Circulation of Eight and Four Anna Coins | 72 |
| 1062. | आयात निषिद्ध विदेशी माल की खुले बाजार में बिक्री | Sale of Banned Foreign Goods in Open Market | 72—73 |
| 1063. | पंजाब से हिमाचल प्रदेश को चिकित्सा अधिकारियों का नियतन | Allocation of Medical Officers from Punjab to Himachal Pradesh | 73 |
| 1064. | बैंकों में जमा राशि का बढ़ाना | Deposit Mobilisation | 73–74 |
| 1065. | भारत सहायता राष्ट्र संघ द्वारा व परियोजना से भिन्न सहायता | Project and Non-project Aid from AID India Consortium | 74—75 |
| 1066. | रिजर्व बैंक से राज्यों को जमा राशि से अधिक दिया जाना | Overdrafts to States from the Reserve Bank | 75 |
| 1067. | ईसाई धर्म प्रचारक संगठन, बंगलौर द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम सम्बन्धी अधिनियम का उल्लंघन | Violation of Foreign Exchanges Regulations Act by Christian Missionary Organisation, Banglore | 75—76 |
| 1068. | राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ करने की योजना | Scheme to Start Training Centres by Nationalised Banks | 76 |
| 1069. | श्रीलंका द्वारा आंख की पुतलियों का दान | Corneas Donated by Ceylon | 76—77 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 1070. | चौथी योजना में नाइट्रोजन उर्वरक का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये उपाय | Steps to Achieve Fourth Plan Targets of Nitrogenous Fertilizers | 77 |
| 1072. | भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा का निर्गमन | Out Flow of Foreign Exchange by the Foreign Companies Operating in India | 77—79 |
| 1073. | कच्चे तेल तथा गन्धक की खोज के क्षेत्र में भारत और ईराक के बीच संयुक्त उपक्रम | Joint Ventures between India and Iraq in the Field of Exploration of Crude Oil and Sulphur | 79 |
| 1074. | दिसम्बर, 1969 में आवास सम्मेलन | Housing Convetion in December, 1969 | 79—80 |
| 1075. | राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि दर | Growth Rate in the National Economy | 80 |
| 1076. | मनीपुर में बिना डाक्टरों के काम कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | Primary Health Centres Running without Doctors in Manipur | 81 |
| 1077. | दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों की पदोन्नति | Promotion to Nurses in Delhi Hospitals | 81 |
| 1079. | परिवार नियोजन के लिये प्रयोग की जाने वाली गोलियों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध | Ban on use of Pills for Family Planning | 82 |
| 1080. | सर्वोच्च निर्धारितियों की ओर आयकर की बकाया राशि | Arrears of Income Tax of Top Assessees | 82—83 |
| 1081. | फिल्म उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा आयकर का अपवंचन | Income Tax Evasion by the persons in Film Industry | 83—84 |
| 1082. | चल-चित्र कलाकारों की ओर आयकर की बकाया राशि | Income Tax due from Film Artists | 84—85 |

| अता० प्र० संख्या | विषय | Subject | पृष्ठ |
|---|---|---|---|
| U. S. Q. Nos. | | | Pages |
| 1083. | भारतीय तेल निगम कर्मचारी संघ, कलकत्ता के पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप | Charges against Office Bearers of Indian Oil Workers Union, Calcutta | 85 |
| 1084. | कर अपवंचन समिति का प्रतिवेदन | Report of Committee on Tax Evasion | 85—86 |
| 1085. | भारत में चोरी छिपे लाया गया सोना और चांदी | Extent of Gold and Silver Smuggled into India | 86—87 |
| 1086. | खनिज सलाहकार बोर्ड तथा कोयला सलाहकार परिषद् के कृत्य | Function of Mineral Advisory Board and Coal Advisory Council | 87 |
| 1087. | रूरकेला में जीवन बीमा निगम कर्मचारियों को परेशान किया जाना | Harassment to LIC Employees in Rourkela | 88 |
| 1088. | परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता | Achievement of Family Planning Programmes | 88 |
| 1090. | नई दिल्ली में सरकारी इमारतों को सजाना | Decoration of Government Buildings in New Delhi with Murals | 89—89 |
| 1091. | नंगल उर्वरक कारखाने का विस्तार | Expansion of Nangal Fertilizer Factory | 89 |
| 1092. | चौथी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक होम्योपैथिक औषधालय तथा एलोपैथिक अस्पताल | Ayurvedic Homoeopathic Dispensaries and Allopathic Hospitals in Rural Areas during the Fourth Plan | 89—90 |
| 1093. | पंडारा रोड के 'ई' टाइप फ्लैटों के आबंटियों को विशेष सुविधायें | Special Facilities to the Allottees of Pandara Road 'E' Type Flats | 90 |
| 1094. | पंडारा रोड पर स्थित 'ई' क्वार्टरों के बरांडों में शीशे लगाने की मंजूरी | Sanction for Glazing of Verandahs in 'E' Type Flats at Pandara Road, New Delhi | 90—91 |
| 1095. | पंडारा रोड पर स्थित 'ई' टाइप क्वार्टरों के बरांडों में शीशे लगाने का आधार | Criteria for Glazing the Verandahs of 'E' Type Pandara Road Flats | 91 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 1096. | पंडारा रोड, नई दिल्ली स्थित 'ई' टाइप फ्लैटों के बरामदों में शीशे लगाने में भेदभाव | Discrimination in Glazing of Verandah of 'E' Type Flats at Pandara Road, New Delhi | 92 |
| 1097. | आसाम के लिये दूसरा तेल शोधक कारखाना | Second Oil Refinery in Assam | 93 |
| 1098. | पैंशनभोगियों के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा | C. G. H. S. Scheme for Pensioners | 93 |
| 1099. | नगर प्रतिकर भत्ते के लिये नगरों का दर्जा बढ़ाना | Upgrading of Cities for City Compensatory Allowance | 93—94 |
| 1100. | हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा अन्य तेल कम्पनियों तथा ग्राहकों को ढोलों की सप्लाई | Supply of Barrels to other Oil Companies and Customers by Hind Galvanising Engineering Co. | 94 |
| 1101. | खनन बस्तियों में क्षय रोग से मृत्यु | T. B. Deaths in Minning Colonies | 94—95 |
| 1103. | आर० ओ० सी० फार्मास्युटिकल्स की ओर से अपने उत्पादों के बिक्री मूल्यों की स्वीकृति प्राप्त करने में देरी होने के बारे में शिकायत | Complaint by R. O. C. Pharmaceuticals Regarding delay in Getting Approval of Prices for Sale of their Products | 95—96 |
| 1104. | गुजरात राज्य वित्त निगम द्वारा छोटे कारखानों को सहायता | Help to Small Units by Gujarat State Financial Corporation | 96—98 |
| 1105. | राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण नीति | Credit Policy of Nationalised Banks | 98 |
| 1106. | विदेशी मुद्रा का रक्षित भंडार | Buffer Stock of Foreign Exchange | 99 |
| 1108. | राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, रिक्शा खींचने वालों तथा अन्य व्यक्तियों को ऋण | Loans given to Small Traders, Shopkeepers Rickshaw Pullers, and others by Nationalised Banks | 99—100 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 1109. | अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से ऋण प्राप्त करना | Loans from International Development Association | 100 |
| 1110. | अभरक का उत्पादन तथा निर्यात | Production and Export of MICA | 100—101 |
| 1111. | साउथ एवेन्यू पूछताछ कार्यालय, नई दिल्ली, के विरुद्ध शिकायतें | Complaints against the South Avenue Enquiry Office, New Delhi | 101—102 |
| 1112. | विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों का मजूरी ढांचा | Wage Structure of Employees in Different Nationalised Banks | 102 |
| 1113. | राष्ट्रीयकृत बैंकों की निर्णय लेने की शक्तियां | Decision making Powers of Nationalised Banks | 103—104 |
| 1114. | केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री का नगर पालिका के आयुक्त, दिल्ली को पत्र | Union Health Minister's Note to Municipal Commissioner, Delhi | 104—105 |
| 1115. | ब्रिटेन के सहयोग से नेफ्था फोड़ने के कारखाने की की स्थापना | Setting up of Naptha Cracker Plant with British Collaboration | 105 |
| 1116. | केन्द्रीय आवास बोर्ड/आवास निगम की स्थापना | Setting up of the Central Housing Board/ Housing Corporation | 105—106 |
| 1117. | विदेशी में सम्मेलनों/बैठकों में शामिल होने के लिये 'पी' फार्म | 'P' Form for Conferences/Meetings Abroad | 106 |
| 1118. | भारतीय खान विशेषज्ञों की इथोपिया की यात्रा | Visit by Indian Mining Experts to Ethiopia | 107 |
| 1120. | आयकर अधिकारियों द्वारा अहमदाबाद में छापे | Raids Conducted by Income Tax Officers in Ahmedabad | 107—108 |
| 1124. | डुबाई के मार्ग से तस्करी | Smuggling through Dubai | 108 |
| 1125. | इन्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा कच्चे तेल का आयात | Import of Crude Oil by Indian Oil Corporation | 109 |
| 1126. | भारतीय चलचित्रों की तस्करी | Smuggling of Indian Films | 109—110 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 1127. | मैसर्स युनाइटेड इन्डिया पब्लिकेशन्स तथा रायसीना पब्लिकेशन्स की ओर आय कर की बकाया राशि | Income Tax due from M/s United India Publications and Raisina Publications | 110—111 |
| 1128. | लेखावाह्य धन का पता लगाना | Unearthing af Unaccounted Money | 111—112 |
| 1130. | जी० डी० ओ० की पदोन्नति | Promotion of G. D. Os. | 112 |
| 1131. | डाक्टरों के सेवा निवृत्ति होने की आयु | Retirement Age of Doctors | 113 |
| 1132. | तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता | Interim Relief to Class III and IV Employees | 113 |
| 1133. | राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न समवायों के शेयरों तथा ऋण-पत्रों पर अग्रिम धन दिया जाना | Amount Advanced by Nationalised Banks on Shares and Debentures of Different Companies | 113—114 |
| 1134. | अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के दस सूत्रीय कार्य-क्रम की सरकार द्वारा क्रियान्विति | Implementation by Government 10 point AICC Programme | 114—115 |
| 1136. | बड़े शहरों में किराये की इमारतों में केन्द्रीय कार्यालय गृह | Central Government Officers Housed in Rented Buildings in Big Cities | 115 |
| 1137. | बाढ़ से पीड़ित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को एक महीने का वेतन पेशगी देना | Payment of One Month's Pay in Advance to Central Government Servants affected by Flood | 115—116 |
| 1138. | दिल्ली में राजनीतिक दलों से बकाया राशि | Arrears of Rent due from Political Parties in Delhi | 116 |
| 1139. | दिल्ली में स्कूटरों तथा टैक्सियां खरीदने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन पत्र | Applications Received by Nationalised Banks for Purchase of Scooters and Taxis in Delhi | 116 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 1140. | स्टेट बैंक आफ इण्डिया की कलकत्ता शाखा पर एक सशस्त्र गिरोह द्वारा हमला | Raid by Armed Gang on State Bank of India Calcutta | 117 |
| 1141. | आंतरिक व्यापार तथा वाणिज्य में विदेशी कम्पनियों के प्रवेश को रोकने के लिये उपाय | Measures to Prevent Foreign Companies from Entering into Internal Trade and Commerce | 117—118 |
| 1142. | देश में अपर्याप्त चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा सेवायें | Inadequate Medical Education and Services in the Country | 118 |
| 1143. | विभिन्न समुदायों में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेश | Capital Invested by LIC in Various Companies | 118 |
| 1144. | बड़ी रकम वाले नोट | High Denomination Currency Notes | 119 |
| 1145. | आय कर के वकीलों द्वारा भ्रष्टाचार | Corruption Among Income Tax Practitioners | 119—120 |
| 1146. | भारत स्थित विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अपने-अपने देशों को धन का भेजा जाना | Remission of Money by Foreign Oil Companies in India to their respective Countaries | 120 |
| 1147. | बैंकों के राष्ट्रीयकरण की नई व्यवस्था में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण | Reservation of Seats for S. C. and S. T. in New Set up of Bank Nationalisation | 120—121 |
| 1148. | दिल्ली निगम के अस्पतालों में प्रयोगावधि समाप्त हुई औषधियों का प्रयोग | Use of Time Barred Medicines in Hospitals of Delhi Corporation | 121 |
| 1149. | छुट्टी के बदले में वेतन | Conversion of Leave into Salary | 121—122 |
| 1150. | वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों द्वारा हिन्दी में पत्रों के उत्तर दिये जाना | Replying of Letters in Hindi by various Autonomous Bodies under Ministry of Finance | 122 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 1151. | विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मांगे गये अतिरिक्त हिन्दी अनुवादक, हिन्दी टाइपिस्ट हिन्दी टाइपराइटर | Additional Hindi Translators, Hindi Typists and Hindi Typewriters asked for by different Ministries | 122—123 |
| 1152. | विभिन्न मंत्रालयों में वित्तीय सलाहाकार तथा उप-वित्तीय सलाहकार | Financial Advisers in various Ministries | 123—124 |
| 1153. | कर अपवंचन की सजा को माफ करना | Remission of Penalities for Tax Evasion | 124 |
| 1154. | हल्दिया तेल शोधक कार-खाने के कार्य में प्रगति | Progress at Haldia Refinery | 124—125 |
| 1155. | पश्चिम बंगाल में बैंकों के पास अतिरिक्त धन | Surplus Funds of Banks in West Bengal | 125 |
| 1156. | दिल्ली कोतवाली की भूमि के लिये लिये गये धन की गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति को वापसी | Refund of Money in Lieu of the Land of Delhi Kotwali to the Gurudwara Prabandhak Committee | 125 |
| 1157. | सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी सूचना पुस्तिका | Hand Book of Information on Public Enterprises | 125—126 |
| 1158. | भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में विश्व बैंक के पूर्व मूल्यांकन दल का अध्ययन प्रतिवेदन | World Bank Pre appraisal Team's Study Report on Fertilizer Industry in India | 126 |
| 1159. | तीन वर्षों से लगातार एक ही पदों पर काम कर रहे वित्त मंत्रालय के अधिकारी | Officers in Ministry of Finance Working against their Posts Continuously for Three Years | 126—127 |
| 1160. | अधिकारियों का स्थानान्तरण | Transfer of Officers | 127 |
| 1161. | उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा आय कर का भुगतान | Payment of Income Tax by the Ex-chief Minister of U. P. | 127 |
| 1162. | रूस के तेल विशेषज्ञ दल द्वारा भारत यात्रा | Visit of Soviet Team of Oil Experts to India | 127—128 |
| 1163. | सरकारी औषधालयों में दवाइयों की खरीद के लिये धन की कमी | Shortage of Funds for the Purchase of Medicines in Government Dispensaries | 128 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 1164. | हिन्दी प्रकाशनों के लिये सरकारी मुद्रणालयों की मुद्रण क्षमता | Printing Capacity of Government Presses for Hindi Publications | 128—129 |
| 1166. | सरकारी क्षेत्र के उपक्रम | Public Sector Undertakings | 129 |
| 1167. | रासायनिक उत्पादों के मूल्य में कमी | Reduction in Prices of Chemical Products | 129—131 |
| 1168. | रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिये गये निदेश | Directives Issued by Reserve Bank to Scheduled Commercial Banks | 131 |
| 1170. | गांधी सिक्कों को विदेश ले जाने की अनुमति | Gandhi Coins allowed to be taken Abroad | 131—132 |
| 1171. | चर्म कैंसर के इलाज के लिये भारतीय जड़ी बूटी से मरहम तैयार करना | Ointment from Indian Herb for Skin Cancer | 132—133 |
| 1172. | जड़ी बूटी से गर्भ निरोधक गोली तैयार करना | Development of Anti Child Birth Pill from Herb | 133 |
| 1173. | कोयले पर स्वामित्व | Royalty on Coal | 133—134 |
| 1174. | उर्वरकों और तेल शोधन-शालाओं के लिये मशीनों और उपकरणों के लिये चैकोस्लोवाकिया की पेशकश | Czechoslovakia's Offer of Machinery and Equipment for Fertilizers and Oil Refineries | 134 |
| 1175. | स्थानीय बैंकों के प्रमुखों को नीति निर्णय लेने की शक्ति से वंचित करना | Shifting of Policy Decisions from Local Bank Heads | 134—135 |
| 1176. | राज्यों को अतिरिक्त राशियां स्थानान्तरित करना | Transferring of Additional Funds to States | 135 |
| 1177. | केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाना | Merge of D. A. with Basic Pay of Central Government Employees | 135—136 |
| 1178. | डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में समाज जीवन | Community Life in Defence Colony, New Delhi | 136 |
| 1179. | केन्द्रीय सरकार की राजधानी का विकास | Development of the Union Capital | 136—137 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|---|
| 1180. | रक्त दान | Blood Donations | 137 |
| 1181. | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की वर्गोन्नति | Upgradition of Primary Health Centres | 137—138 |
| 1182. | दिल्ली वृहद् योजना में संशोधन | Amendments of Delhi Master Plan | 138 |
| 1183. | राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिकों के पदों के लिये चयन | Selection for Clerical Posts in Nationalised Banks | 138—139 |
| 1184. | देश में जन्म दर में वृद्धि | Increase in the Birth Rate in the Country | 139—140 |
| 1185. | धार्मिक भावना और परिवार नियोजन कार्यक्रम | Family Planning Programmes as Religious Taboo | 140—141 |
| 1186. | विदेश जाने वाले डाक्टर | Doctors going Abroad | 141—142 |
| 1187. | एक ही स्थान पर बिक्री कर का लगाना | Imposition of Sales Tax at Single Point | 142 |
| 1189. | मैसर्स सिंथैटिक एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, बरेली को विदेशी मुद्रा का नियतन | Allocation of Foreign Exchange to M/s. Synthetic and Chemicals Ltd. Bareilly | 142—143 |
| 1190. | बम्बई की कुछ फर्मों की ओर बकाया आयकर की राशि | Income Tax due from Certain Firms of Bombay | 143—144 |
| 1191. | थोक मूल्य सचकांक में वृद्धि | Rise in Wholesale Price Index | 144—145 |
| 1192. | जीवन बीमा निगम द्वारा खरीदे गये अंशों का बाजार मूल्य | Market Value of Shares Held by LIC | 145 |
| 1193. | पंजाब नैशनल बैंक के निदेशकों के विरुद्ध आरोप | Charges against the Directors of the Punjab National Bank | 146 |
| 1194. | आसाम उर्वरक कम्पनी | Assam Fertilizer Company | 146—147 |
| 1195. | संसद् सदस्यों की कोठियों को जाने का मार्ग | Approach Roads to Bungalows of MPs. | 147 |
| 1196. | राष्ट्रीयकृत बैंकों की भारत नेपाल सीमा पर नई शाखायें खोलना | Opening of New Branches of Nationolised Banks on Indo-Nepal Border | 148 |
| 1197. | उत्तर भारत में नये तेल शोधक कारखाने की स्थापना | Setting up of New Oil Refinery in North India | 148 |

| अता० प्र० संख्या / U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ / Pages |
|---|---|---|---|
| 1198. | कोहाट रिफ्यूजी कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली | Kohat Refugee Cooperative House Building Society, Delhi | 149 |
| 1199. | जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण देश में आवास समस्या | Housing Problem in Country due to Rise in Population | 150—151 |
| 1200. | अंशों में वायदे के सौदों को फिर से चालू करना | Resumption of Forward Trading in Shares | 151 |
| | अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में (प्रश्न) | Re. Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance (Query) | 151—153 |
| | अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance | 153 |
| | मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद | Mysore-Maharashtra Border Dispute | 153 |
| | श्री एस० एम० जोशी | Shri S. M. Josh | 153—154 |
| | श्री विद्याचरण शुक्ल | Shri Vidya Charan Shukla | 154—158 |
| | हरियाणा विधान-सभा के स्थगन के बारे में | Re. Adjournment of Haryana Assembly | 158—165 |
| | सभा-पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table | 165—167 |
| | सदस्य की गिरफ्तारी तथा रिहाई | Arrest and Release of Member | 167 |
| | अध्यापकों की मांगों के बारे में याचिका | Petition Re. Demands of Teachers | 167—168 |
| | जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण कारोबार में की गई प्रगति के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 573 के उत्तर में शुद्धि | Correction of Answer to SQ. No. 573 Re. Progress made by LIC in Rural Business | 168 |
| | केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य | Statement Re. Central Government Employees Strike | 168 |
| | श्री विद्याचरण शुक्ल | Shri Vidya Charan Shukla | 168—169 |
| | राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव | Motion of Thanks on the President's Address | 169 |

| विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|
| श्री शिव कुमार शास्त्री | Shri Shiv Kumar Shastri | 169—170 |
| श्री जे० के० चौधरी | Shri J. K. Choudhury | 170—171 |
| श्री गुरचरण सिंह | Shri Gurcharan Singh | 171—172 |
| श्री रा० डो० भण्डारे | Shri R. D. Bhandare | 172—173 |
| श्री उमानाथ | Shri Umanath | 173—176 |
| श्री साधू राम | Shri Sadhu Ram | 176—177 |
| श्री प्र० के० देव | Shri P. K. Deo | 177—179 |
| श्री शशि रंजन | Shri Shashi Ranjan | 179—180 |
| श्री कृष्ण कुमार चटर्जी | Shri Krishna Kumar Chatterjee | 180 |
| आधे घंटे की चर्चा | Half an Hour Discussion | 180 |
| कर वसूली सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति | Experts Committee on Tax Collection | 180 |
| श्री मयावन | Shri Mayavan | 180—183 |
| श्री प्र० चं० सेठी | Shri P. C. Sethi | 183—186 |

# लोक-सभा

# LOK SABHA

सोमवार, 2 मार्च, 1970/11 फाल्गुन, 1891 (शक)
*Monday, March 2, 1970/Phalguna 11, 1891 (Saka)*

---

*लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
**The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
**Mr. Speaker** *in the Chair*]

## निधन सम्बन्धी उल्लेख

## Obituary References

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री राधावल्लभ विजयवर्गीय के निधन के सम्बन्ध में सदन को सूचित करना है। 23 फरवरी, 1970 को इन्दौर में उनका देहावसान हो गया था। श्री विजयवर्गीय 1948-50 में भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। वह 1952-57 की अवधि में मध्य भारत सरकार के मंत्री भी रहे थे।

हम उनकी मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते समय यह सभा मेरे साथ है।

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** अध्यक्ष महोदय, आपने जो विचार व्यक्त किये हैं, हम पूरी तरह उनसे सहमत हैं। हम चाहते हैं कि शोक संतप्त परिवार को हमारी संवेदना तथा गहरी सहानुभूति पहुंचा दी जाये।

**डा० रामसुभग सिंह** : श्री राधावल्लभ विजयवर्गीय के दुःखद निधन पर आपने जो विचार व्यक्त किए हैं, हम भी उनमें साझीदार हैं। वह एक ईमानदार तथा धर्मशील सदस्य थे और मध्य प्रदेश के सामाजिक आन्दोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। प्रतिपक्ष की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी गहरी शोक भावनाओं को आप शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

**अध्यक्ष महोदय :** शोक व्यक्त करने के लिए सभा थोड़ी देर के लिये मौन खड़ी हो जाये।

सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।
*The Members stood in silence for a short while.*

**Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) :** Mr. Speaker, Sir, I have to make a sub-

mission. Coustituent Assembly of India is written on the Order Paper, it is not correct. It would be enough to write Samvidhan Sabha.

# प्रश्नों के मोखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### खाद्य वस्तुओं तथा खाने के तेलों में कैंसर पैदा करने वाली चीजें मिलाना

+

*151. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में तथा सम्पूर्ण देश में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की प्रतिशतता गम्भीर स्थिति में पहुंच गई है।

(ख) क्या यह भी सच है कि जलेबी, पापड, मटर आदि में कुछ भोज्य रंगों का इस प्रकार अपमिश्रण किया जाता हैं कि स्वास्थ्य प्राधिकारियों के अनुसार इससे कैंसर हो सकता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भोज्य तेलों को मोबिल आयल तथा अन्य अभोज्य तेल के साथ मिलाया जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिये अत्याधिक हानिकर है ; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त बात को ध्यान में रखते हुये, क्या सरकार इस बुराई को रोकने के लिये विधान में परिवर्तन करना वांछनीय समझती है और यदि नहीं, तो स्थिति का सामना करने के लिये किये गये उपायों का ब्योरा क्या है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री व० सु० मूर्ति) :** (क) जी नही।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन कुछ खाद्यान्नों में कतिपय रंगों के उपयोग करने की अनुमति दी गई है। तथापि, कुछ बेईमान व्यापारी ऐसे रंगों का उपयोग करते हैं जिनकी अनुमति नहीं दी गई है। उनमें से यमाबुर्द-जन प्रकृति वाले हैं जैसे को जलेबी, पापड़ आदि में समनील-पीत रंग।

(ग) खाद्य तेलों में से सरसों के तेल में मूंगफली और अलसी के तेल की मिलावट की जाती है जो कि सरसों के तेल से सस्ते होते हैं किन्तु विषाक्त नहीं होते हैं। छुट-पुट मामलों में खनिज तेलों और शृगाल कण्ट-तेलों की (अर्जमोन आइल) जो कि विषमय प्रकृति के हैं, मिलावट पाई गई।

(घ) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के उपबन्धों को पहले ही और अधिक कठोर बना दिया गया है तथा राज्यों से इसको भली प्रकार लागू करने के लिये कह दिया गया हैं। खाद्य अपमिश्रण के खतरे को रोकने के लिये सम्बन्धित राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक केन्द्रीय एकक स्थापित किया जा रहा है, इस एकक का सम्बन्ध मुख्यत अन्तर्राज्य अपराधों के बारे में खाद्य

अपमिश्रण निवारण नियम के नियम 9 में विहित कार्यों से होगा और यह एकक राज्य सरकारों को तकनीकी मार्गदर्शन देने में सहायता करेगा।

**Snri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) :** Sir, in first part of my question, I had asked whether the percentage of adulteration in food articles had reached an explosive situation and the hon. Minister has replied in the negative. He has stated that the provisions of the Prevention of Food Adulteration Act are being made more stringent. This Act was enacted in 1965 and according to the Survey of the Government of India, since that time this adulteration has increased by three hundred per cent. In certain items like pulses, it is from 5 per cent to 100 per cent, in Ghee from 12 to 50 per cent and in tea from 23 to 36 per cent. May I know how in such conditions the Minister has denied the fact that the percentage of adulteration has reached an explosive situation ?

At the same time I want to know about the effective steps taken by the Government to check this malpractice since the enactment of this Act ? To-day local bodies are considered to be synonyms of corruption which means any work handed over to these bodies should be thought to have been handed over to the corruption bodies. I wanted to know as to what steps are being taken to eheck the situation ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह)** : महोदय, 1965 में खाद्य सामग्री के कुल 1,66,992 नमूनों की जांच की गयी थी और उनमें से 51,957 नमूने अपमिश्रित पाये गये थे। इस प्रकार यह अपमिश्रण 31.1 प्रतिशत था। 1966 में कुछ अधिक अर्थात् 1,74,000 नमूनों की जांच की गयी उसमें से 44,508 नमूनों में अपमिश्रण पाए गए। और इस प्रकार यह प्रतिशत 25.5 प्रतिशत रह गया। 1967 में 1,56,666 नमूनों की जांच की गयी तथा 39,363 नमूनों में अपमिश्रण पाया गया—25·1 प्रतिशत। 1965 में 35000 मामलों में दोषी व्यक्तियों को सजा दी गयी। यह संख्या 1966 में 23,000 तथा 1967 में 19,000 थी। यद्यपि नमूनों की संख्या कम थी तथापि दोषी व्यक्तियों की संख्या अधिक थी। 1965 में 1610, 1966 में 4716 तथा 1967 में 4383 व्यक्तियों को कारावास का दण्ड दिया गया 1966 में 37,33,404 और 1967 में 35,40,469 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किये गये।

इसलिए मेरे माननीय मित्र इस बात से संतुष्ट होंगे कि यद्यपि अधिक नमूनों की जांच की गयी है तथापि अपमिश्रित वस्तुओं के प्रतिशत में कमी हुई है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अब संतुष्ट होकर बैठ गये हैं। भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं और निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

1. गाजियाबाद में खाद्य अनुसन्धान मानकीकरण केन्द्र की स्थापना
2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम के सम्बन्ध में प्रचार कार्य
3. खाद्य अपमिश्रण निवारण के लिए क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना
4. अब यह व्यवस्था भी की गई है कि नमूना लेते समय 2 व्यक्तियों के स्थान पर 1 व्यक्ति का गवाह होना ही काफी होगा
5. यदि खाद्य निरीक्षक द्वारा जब्त वस्तुयें विक्रेता के अधिकार में ही रखी जायें तो उन वस्तुओं के बराबर मूल्य के क्षतिपूर्ति बाँड की भी व्यवस्था की गयी है।

**Shri Rahguvir Singh Shastri :** Sir, the Minister has stated that steps have been taken to check it. He has suyported his statement by saying that an amount of 35 lakhs of rupees has been realised as penalty. But may I know the amount which might have gone into pockets of the inspectors ? The Committee suggested that there should be one inspector after every 25,000 people, but still there is one inspector for every 1,30,00,000 people in India. Instead of 500 laboratories as suggested by the said Committee there only 63 laboratories. May I know the steps Government propose to take in this respect ?

**श्री के० के० शाह :** वस्तुस्थिति तो यह है कि स्थानीय निकायों ने सफाई निरिक्षकों के सुपुर्द के सभी कार्य भी कर रखे हैं जो खाद्य-निरीक्षकों को करने होते हैं। अतः अब हम स्थानीय प्रशासनों तथा निगमों को इस बात के लिये राजी कर रहे हैं कि वे अपने खर्चे से निरीक्षक नियुक्त करें। हमने खाद्य निरीक्षक नियुक्त करने के समवर्ती अधिकार ले लिये हैं। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार प्रभावपूर्ण तथा अच्छा प्रशासन करने में समर्थ हो सकेगी।

**श्री नन्द कुमार सोमानी :** बम्बई स्थित कैंसर अनुसन्धान संस्थान की श्रीमती कमला जे० एन० रानाडिव द्वारा खड़गपुर स्थित भारतीय विज्ञान कांग्रेस की हुई बैठक में अपने अध्ययन और अनुसन्धान के परिणाम स्वरूप प्राप्त जो आंकड़े दिये गये थे क्या सरकार का ध्यान उनकी ओर दिलाया गया है जिसमें श्रीमती कमला ने यह निष्कर्ष निकाला था कि अखाद्य विलायकों का खाद्य तेलो में मिलाया जाना मानवीय स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि उससे कैंसर होता है। यदि उपरोक्त निषकर्ष ठीक है तो सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है जिससे ऐसे विलायक निर्माताओं पर, जो इन तेलो को वनस्पति निर्माताओं को देते हैं, निरीक्षण रखा जा सके, ताकि कैंसर के खतरे को नियंत्रित किया जा सके ? दूसरी बात यह है कि हलवाई प्रायः मिठाई बनाने में 'मिटेनिल' पीला रंग प्रयोग में लाते हैं और इससे भी कैंसर फैलता है। सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है जिससे रंग के प्रत्येक डिब्बे आदि पर चेतावनी की यह मोहर लगने लगे कि उक्त रंग का प्रयोग किसी भी खाद्य पदार्थ के तैयार करने में न किया जाये।

**श्री के० के० शाह :** यह सच है कि कुछ व्यापारी ऐसे रंगो का प्रयोग कर रहे हैं जिन्हें प्रयोग में लाने की अनुमति नहीं है और ऐसे रंगो से कैंसर होता है। इसी कारण खाद्य तेलों के अधिक नमूने लेने और दोषी लोगो को कड़ा दण्ड देने के आदेश दिये गये हैं।

**श्री नन्द कुमार सोमानी :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैंने यह पूछा था कि जो लोग अखाद्य तेल वनस्पति निर्माताओं को सप्लाई करते हैं उन पर नियंत्रण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है। मेरा दूसरा प्रश्न 'मिटेनल' पीले रंग के बारे में था।

**श्री के० के० शाह :** मैंने अभी बताया है कि हम खाद्य तेलो के अधिक नमूने लेते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि खाद्य तेलों में अखाद्य विलायक मिलाये जाते हैं या नहीं।

**श्री बालगोविन्द वर्मा :** इस बात से तो इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत में मिलावट बहुत बड़े पैमाने पर होती है और कोई वस्तु शुद्ध नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में क्या सरकार वर्तमान कानून को और अधिक कठोर बनायेगी ? दूसरे क्या सरकार भारतीय उपभोक्ता परिषद् जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता प्रदान करेगी, जिससे उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा होगी ?

**श्री के० के० शाह :** इसी वजह से दण्ड कम से कम 6 महीने का कारावास तथा कम से कम 1000 रुपए जुर्माने की व्यवस्था है। जहां तक गैर सरकारी संस्थाओं का सम्बन्ध है वे बड़ा अच्छा काम कर रही है। वे जो जानकारी देती हैं, उस पर तत्काल ध्यान दिया जाता है और उनसे यथास्थान सहायता भी ली जाती है।

**श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या सरकार को पता है कि तकनीकी कठिनाइयों के कारण कई अपराधी अपराध-मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए साक्ष्य के लिए खाद्य निरीक्षक या उसका सहायक या चपरासी हो जाता है जिसे अदालत स्वतंत्र सम्मानित व्यक्ति के रूप में नहीं मानती। इस दृष्टि से क्या वर्तमान नियमों में कोई परिवर्तन किया जायेगा ? दूसरी बात यह है कि एक खाद्य निरीक्षक पांच-छः हजार रुपये प्रतिमास खर्च करता है और भारत सरकार के मंत्रियों और सचिवों से भी अच्छा जीवन स्तर रखता है। क्या सरकार ने कभी इस बात की जांच की है कि वे इतना अधिक खर्च कैसे कर पाते हैं ?

**श्री के० के० शाह :** यह सच है कि पहले दो गवाह नमूने लेते समय प्रस्तुत होते थे और ऐसी स्थिति यदि दोनों गवाहों की गवाहियां परस्पर विरोधी होती तो अपराधी मुक्त हो जाता था। अतः अब केवल एक गवाह ही प्रस्तुत होता है। दूसरी कठिनाई वस्तुतः जटिल है। हमारे विश्लेषक के विरोध में स्वतंत्र विश्लेषक उपस्थित किये जाते हैं और उन्हें संदेह-लाभ मिल जाता है। अतः प्रत्येक राज्य में विशेषज्ञ विश्लेषक नियुक्त किये जा रहे हैं।

**Shri Devan Sen :** May I know whether anybody has been arrested on charge of adulteration in edible goods in Delhi during last month and whether Government propose to make the existing law more stringent or to make the law such as may provide for punishment of public whip to culprits ?

**श्री के० के० शाह :** गत माह दिल्ली में कुल कितने व्यक्ति इस सम्बन्ध में पकड़े गये, यह जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है। जहां तक विद्यमान कानून का सम्बन्ध हैं वह काफ़ी कड़ा है और यदि वह ठीक रूप से कार्यान्वित हो जाये, तो कोई कठिनाई सामने नहीं आयेगी।

**श्री देवव्रत बरुआ :** स्थानीय निकाय जब नमूने परीक्षण के लिए भेजता है तो वे नमूने वास्तव में अपमिश्रित वस्तुओं के ही होते हैं। किन्तु परीक्षक नमूनों की परीक्षा किस प्रकार से करता है कि उनमें से केवल 30 नमूनों पर दोष होता हैं शेष दोषमुक्त हो जाते हैं। सरकार का ऐसी क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे नमूने की परीक्षा बजाय एक परीक्षक के दो परीक्षक करें ताकि घूस देने वाले व्यापारियों को दो परीक्षकों के पास पहुंचना मुश्किल हो जाए ?

**श्री के० के० शाह :** नमूना लेने के बाद उसे तीन भागों में विभक्त कर दिया जाता है। उसमें से एक भाग विश्लेषक को दूसरा सरकार के पास और तीसरा उस व्यक्ति को दिया जाता है जिस व्यक्ति का नमूना लिया जाता है। अतः नमूने के साथ किसी प्रकार की गड़बड़ी करने का भय ठीक नहीं है।

**डा० सुशीला नैयर :** क्या यह सच नहीं है कि भारत तथा विदेशों में कई रंग तथा साइक्लेमेट जैसे रासायनिक पदार्थों को स्वास्थ्य के लिए हानिकर घोषित किया जा चुका है किन्तु भारत में उनका प्रयोग खाद्य पदार्थों में अभी तक किया जा रहा है। इसी प्रकार भारत में तेल

के रासायनिक निस्सारण में रासायनिक विलायकों के प्रयोग का वैज्ञानिक विरोध कर रहे हैं किन्तु सरकार ने उनके प्रयोग की अनुमति दे रखी है। उक्त पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**श्री के० के० शाह :** उसका प्रयोग निषिद्ध है। यहाँ तक कि दो खाद्य तेलों के मिश्रण पर भी प्रतिबन्ध है। राज्य सरकारों को अधिक नमूने लेने के आदेश दिये गये हैं ताकि खाद्य तेलों में मिलाये जाने वाले विनाशक पदार्थों का पता लग जाये। इसके लिए अन्य कोई उपाय नहीं है।

**डा० सुशीला नैयर :** बात यह है। रासायनिक निस्सारण की तुलना में यांत्रिक निस्सारण अधिक सुरक्षित है। तो यांत्रिक निस्सारण की प्रक्रिया पुनः अपनाने में आपको क्या दिक्कत है ?

**श्री जगन्नाथ राव जोशी :** 'कलाइमेट' के प्रयोग के बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया।

**श्री के० के० शाह :** मैंने अभी बताया है कि भारत में क्लाइमेट का प्रयोग निषिद्ध है।

**डा० सुशीला नैयर :** परन्तु सेक्रीन जैसे पदार्थों के प्रयोग की अनुमति प्राप्त है।

**श्री के० के० शाह :** मैं इस बारे में छानबीन करूंगा।

**Shri Molahu Prasad :** May I know the measures being taken by the Government to make the application of Food Adulteration Act compulsory, so that the dealers may not play with the health of the public.

**श्री के० के० शाह** चूंकि यह एक अपराध है इसलिए यह भी स्पष्ट है कि यह अनिवार्य है।

## Foreign Banks in India

*152. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total number of Foreign Banks in the country at present ; and

(b) the total deposits in them at present ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :** (a) and (b). There are 13 foreign banks actually functioning at present. The total deposits in these banks in the country as at the end of January, 1970 amounted to about Rs. 483 crores.

**Shri Hukam Chand Kachwai :** May I know whether the attention of the Government has been drawn to the news item published in the Washington Post regarding the assurance given by the Prime Minister that the foreign banks would not be nationalised ? If such an assurance was given may I know the conditions under which it was given and what is the basis of that ? What is yovr opinion about this news ?

**Shri P. C. Sethi :** Neither any assurance was sought nor any assurance was given.

**Shri Sheo Narain :** The hon. Prime Minister may be asked to reply.

**प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** मेरे विचार से मेरे साथी का उत्तर स्पष्ट है कि न कोई ऐसा आश्वासन मांगा गया था और नहीं दिया गया था ।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** During the last President election an amount of Rs. 90 lakh was withdrawn in lump sum from a bank in Calcutta by Russian Embassy and that money was utilised on the President election. A sum of Rs. 80 lakh was again withdrawn after the election, According to existing rules the approval of the Revenue Bank is necessary when a sum of over Rs. 10 lakh is withdrawn from the Indian banks. May I know whether the same rule is also applicable to the foreign banks, and if so, whether it has been adhered to ?

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** महोदय ! क्या इसकी मूल प्रश्न से संगति है ?

**अध्यक्ष महोदय :** मूल प्रश्न देश में विदेशी बैंकों की संख्या तथा उनमें जमा कुल धन-राशि से सम्बन्धित है तथा मंत्री महोदय ने इसका उत्तर दे दिया है ।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** Sir, my question should be answered. My question was that during the President election a sum of Rs. 90 lakh was withdrawn by the Russian Embassy. After election again a sum of Rs. 80 lakh was withdrawn. In case of withdrawing a sum of over Rs. 10 lakhs of rupees at a time from Indian banks it is necessary to seek the approval of the Reserve Bank. I want to know whether this particular rule is also applicable to the foreign banks or not.

**Mr. Speakes :** How does it arise from the main question ?

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** यह प्रश्न महत्वपूर्ण अवश्य है किन्तु इसकी मूल प्रश्न से संगति नहीं है । महोदय ! क्या आप इस प्रश्न को पूछने की अनुमति देंगे ? प्रश्न के महत्वपूर्ण होने पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । एक व्यवस्था के प्रश्न पर...(व्यवधान)...मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है ।

**एक माननीय सदस्य :** इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण बताया है तथा कहा है कि सरकार को इसका उत्तर देना ही चाहिये । इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रश्न महत्वपूर्ण है किन्तु उस पर पूछे जाने वाले आवश्यक प्रश्न का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

**श्री शिव नारायण :** मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस प्रश्न का सम्बन्ध विदेशी बैंकों तथा उनमें जमा धन-राशि से था । अतः बैंकों से धन निकालने का प्रश्न भी संगत है तथा इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछने का अधिकार प्रत्येक माननीय सदस्य को है ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न विदेशी बैंकों की संख्या और उनमें जमा धन राशि से सम्बन्धित है तथा बहुत ही सरल और स्पष्ट है । किन्तु चूंकि विदेशी बैंकों की संख्या दी गई है अतः इससे सभी प्रभार के प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिल जाता । मुझे इस बारे में बहुत खेद है । फिर भी यदि मंत्री महोदय इस विषय में कुछ जानते हैं तो इसे मैं उन पर छोड़ता हूं ।

**श्री हेम बरुआ :** महोदय ! यह प्रश्न इतना सरल नहीं है। यदि माननीय सदस्य केवल देश में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों की संख्या तथा उनमें जमा धन राशि जानने के ही इच्छुक होते तो यह प्रश्न लिखित उत्तरों की सूची में होता। किन्तु जब आपने इस प्रश्न को मौखिक उत्तरों की सूची में रखा है तो मेरा निवेदन है कि अनुपूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति मिलनी चाहिए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** जब आपने इस प्रश्न को रखने की अनुमति दी है तो कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूँ कि यदि मैं इसकी स्वीकृति नहीं देता तो यही बातें चलती रहेंगी।

**प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** महोदय ! आपके आदेशानुसार हमने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है यद्यपि उनका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं था। किन्तु सभा में जैसे निराधार आरोप लगाये गये हैं ऐसे आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए। रूसी दूतावास ने कितना धन निकाला है इस सम्बन्ध में मेरे विचार से किसी पहले प्रश्न के उत्तर में बता दिया गया है। मुझे वास्तविक राशि का तो पता नहीं है। वास्तव में दूतावासों के लिए पृथक नियम लागू होते है तथा वे नियम सभी विभिन्न दूतावासों पर लागू होते हैं। किन्तु दूसरा आरोप कि वह धन राष्ट्रपति के चुनाव पर खर्च किया गया था नितान्त निराधार है तथा इस मामले को बार बार नहीं उठाना चाहिए ;

**Shri Hukam Chand Kachwai :** Sir. the other part of may question has not been replied to.

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** श्री हुकम चन्द कछवाय द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में प्रधान मंत्री ने कहा था कि कोई आश्वासन नहीं मांगा गया था। उन्होंने पूछा था कि क्या किसी राष्ट्र ने कोई आश्वासन मांगा था। मैं जानना चाहता हूँ कि जब नीति के रूप में बैंकों का राष्ट्रीकरण करना स्वीकार कर लिया गया है तो क्या सरकार ने किसी स्थिति में किसी समय इस देश मे विद्यमान विदेशी बैंकों से बैंकों के राष्ट्रीकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** किसी अन्य स्तर पर इस सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ है या नहीं इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है किन्तु मेरे साथ इस मामले पर विचार विमर्श नहीं किया गया।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस मामले पर सरकार ने कोई विचार विमर्श नहीं किया। क्या इसका यही अर्थ समझा जाये ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** जहां तक मैं समझती हूँ मैं यह स्पष्ट नहीं कह सकती कि अन्य किसी स्तर पर विचार इस बारे में विमर्श नहीं किया गया।

**श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** गत पांच वर्षों में इन 13 बैंकों को कितना लाभ हुआ है तथा इन

बैंकों ने कितना धन देश से बाहर दिया है तथा इन बैंकों की आस्तियों तथा जमा राशि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ? लाभ की राशि 567 करोड़ रुपये से भी अधिक है तथा अकेले ग्रिंडले बैंक को इसकी आधी राशि का लाभ हुआ है । मैं जानना चाहता हूँ कि इन बैंकों की आस्तियों तथा जमा धनराशि और लाभ का अनुपात क्या है ? सरकार ने किन कारणों से यह निर्णय किया है कि इन बैंकों का राष्ट्रीकरण नहीं किया जायेगा ?

**अध्यक्ष महोदय :** आप का प्रश्न मूल प्रश्न से नितांत भिन्न है ।

**श्री इन्द्र जीत गुप्ता :** मेरा प्रश्न इससे पहले पूछे गये प्रश्न से कम असंगत है ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप एक नितांत भिन्न प्रश्न पूछ रहे हैं । मूल प्रश्न में केवल जमा धन राशि के बारे में पूछा गया था । जहां तक अन्य प्रश्नों का सम्बन्ध है चाहे वे संगत हैं अथवा असंगत मेरा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** हम अनुपात जाना चाहते है... **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** इस बारे में प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है ।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** प्रश्न की असंगतता की श्रेणी के सम्बन्ध में आपको अपना फैसला देना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय :** आपको बार बार उठकर मुझे सलाह देने की आवश्यकता नहीं है । इसे आप मुझ पर छोड़ दीजिये ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** मेरा प्रश्न पहले पूछे गये अनुपूरक प्रश्न से कम असंगत है ।

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है कि वह अधिक संगत है ।

**श्री शिव नारायण :** वह आपके विनिर्णय का उल्लघंन कर रहे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न मेरे विनिर्णय को स्वीकार करने का है । यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । किन्तु प्रश्न पूछने वाले व्यक्तियों में अन्तर है ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** सभी सदस्य समान है । आप सदस्य-सदस्य के बीच भेद नहीं कर सकते ।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं । माननीय सदस्य के नाम में प्रश्न था और उन्होंने कहा कि वह अमुक प्रश्न पूछना चाहते हैं और उनके दल के नेता ने भी कहा कि वह अमुक प्रश्न पूछना चाहते थे । और तब मैं ने कहा कि हो सकता है माननीय सदस्य वह प्रश्न पूछना चाहते हों और इसलिये उसका उत्तर दिया गया । किन्तु यदि प्रश्न को लम्बा करके उसमें व्याज की दर और अन्य व्यौरा भी शामिल किया जाये तो माननीय सदस्य उससे सम्बन्धित एक अलग प्रश्न की सूचना दे सकते हैं और मैं उनको अनुमति दे दूंगा ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** आप इस सम्बन्ध में किस सिद्धान्त का अनुसरण करना चाहते हैं । इस प्रकार का सिद्धान्त आपने पहले कभी लागू नहीं किया ।

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे खेद है। माननीय सदस्य का प्रश्न बैंकों के निक्षेपों आदि के संबंध में था। किन्तु माननीय सदस्य ने उसको लम्बा करके इसमें ब्याज की दर ब्याज तथा अन्य ब्यौरा शामिल कर लिया है। ये बातें एक अलग प्रश्न करके पूछी जा सकती है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मैंने अपने प्रश्न में जिन बातों की जानकारी मांगी है उनको प्राप्त किये बिना माननीय सदस्य मुख्य प्रश्न का उत्तर देने के लिए संभवतया सदन में नहीं आ सकते थे।

**अध्यक्ष महोदय :** वह चाहे कोई जानकारी ले कर आयें, किन्तु मुझे यह देखना है कि प्रश्न संगत है या नहीं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य का प्रश्न यहां संगत नहीं है।

**श्री रंगा :** फिर आप इसकी अनुमति क्यों देते हैं ?

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या आप भिन्न-भिन्न मापदण्ड अपनाना चाहते हैं ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** इन 13 बैंकों का शुद्ध अतिरिक्त लाभ इस प्रकार है : 1965 में 2,67,27,000, 1967 में 2,33,61,000 और 1968 में 2,27,06,000। जहां तक मुख्यालय को धन भेजने का सम्बन्ध है। यह राशि 1966 में 2.21 करोड़, 1967 में 1.95 करोड़ और 1968 में 1.74 करोड़ थी।

**श्री कार्तिक ओरांव :** क्या हमारे देश में काम कर रहे 13 विदेशी बैंकों के लिये राशि निकालते समय सरकार को इसकी सूचना देना अनिवार्य नहीं है कि वे किस प्रयोजन के लिए राशियां वापस ले रहे हैं ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** विदेशी बैंकों द्वारा राशियाँ निकालने का प्रश्न मुख्य प्रश्न से नहीं उठता। प्रश्न राजदूतावासों द्वारा राशि निकालने के बारे में था। जहां तक लाभों के भेजने का सम्बन्ध है, उनको इसकी अनुमति है।

**Shri Shinkre :** May I know the total amount of deposits of the people of Goa with the "Banko National Bank" operating in Goa since the Portugese regime before the attainment of Freedom, the business of which was taken over by the State Bank as custodian and which has also been included in your data and the amount returned by the Custodian of the said Bank ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** मेरे पास भारत में काम कर रहे 129 बैंकों की सूची है किन्तु उनमें से एक भी गोआ में नहीं है।

**श्री क० गो० सेन :** उनके द्वारा यहां पर विदेशियों के साथ प्रति वर्ष औसतन कितने सौदे किये जाते हैं ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** विदेशियों के सम्बन्ध में मेरे पास अलग से ब्यौरा नहीं है। इसके लिए मुझे अलग से सूचना चाहिये।

**श्री वी० कृष्णमूर्ति :** प्रधान मन्त्री ने श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि प्रधान मन्त्री स्तर पर विदेशी बैंकों के साथ कोई बैठक नहीं हुई।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** मैं ऐसा नहीं कहती।...

**श्री वी० कृष्णमूर्ति :** किन्तु सभा को यह जानने का अधिकार है कि बैठक किस स्तर पर हुई क्या राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर रिजर्व बैंक के गवर्नर की बैठक विदेशी बैंकों के साथ हुई थी ? उच्चतम न्यायालय ने विदेशी बैंकों को अलग रख कर 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के तरीके की आलोचना की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में विदेशी बैंकों के पास 4.83 करोड़ रु० के निक्षेप हैं, और यह भी कि वे कभी-कभी देश के हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं। क्या प्रधान मंत्री उनसे उनके राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर बातचीत करेंगी ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** प्रधान मंत्री ने कहा था कि कोई बैठक नहीं हुई...

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** नहीं, मैंने यह नहीं कहा कि कोई बैठक नहीं हुई। एक विशेष प्रश्न पूछा गया था कि क्या इस विषय पर चर्चा हुई थी...

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** प्रधान मंत्री ने कहा था कि बैठक हुई थी।

**श्री वी० कृष्णमूर्ति :** संभवतया किसी स्तर पर बैठकें हुई थीं।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** प्रश्न किसी बैठक के बारे में नहीं था, अपितु यह कि क्या एक विशेष विषय पर चर्चा हुई थी। मेरी बात सर पाल गोर-बूथ के साथ हुई थी और यह एक साधारण सी बातचीत थी।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या बैठक के बिना चर्चा हो सकती है ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** किन्तु इस चर्चा के बिना तो बैठक होना संभव है। रिजर्व बैंक के गवर्नर की कितनी बैठकें हुई यह मैं नहीं जानती। किन्तु यह संभव है कि उनकी कई साधारण बैठकें हुई हों। ये लोग जब भी आते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलते हैं और उनमें से कुछ मुझ से भी मिले, जब मैं शहर में थी और मेरे पास समय था। किन्तु जहां तक इस विषय का सम्बंध है इस पर मुझ से कोई चर्चा नहीं हुई।

**श्री वी० कृष्णमूर्ति :** उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दृष्टि में रखते हुए विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का क्या हुआ ? क्या माननीया प्रधान मंत्री उनसे बातचीत करने जा रही हैं ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** हमने विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया, इस संबंध में पिछली बार बहुत विस्तार में विचार हुआ था। मैं समझती हूँ कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से इस स्थिति में कोई अन्तर नहीं पाया है।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** पहली बार बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण से तुरन्त पूर्व विदेशी बैंकों में कुल कितना धन जमा था और क्या राष्ट्रीयकरण के पश्चात् धन विदेशी बैंकों में जमा होने लगा ? यदि हां, तो कुल कितनी राशि जमा की गई ? और क्या राष्ट्रीयकरण के पश्चात् पी० एल० 480 का धन विदेशी बैंकों में जमा किया जा रहा है ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** 18-7-69 को इन बैंकों में जमा की हुई कुल राशि 485.23 करोड़

रुपये और 30-1-70 को 482.69 करोड़ रुपये थी। जहां तक प्रश्न का दूसरा भाग है धन विदेशी बैंकों में जमा नहीं किया जा रहा है।

**महानगरी क्षेत्र के विकास के लिए मद्रास को विश्व बैंक से सहायता**

+

*153. **श्री के० रमानी :** **श्री नम्बियार :**
**श्री उमानाथ :** **श्री राम मूर्ति :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास महानगर क्षेत्र के विकास के लिए तमिलनाडु सरकार ने विश्व बैंक से सहायता मांगी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्व बैंक के एक दल ने दिसम्बर, 1969 में महानगरों को अपने क्षेत्रों के विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए भारत का दौरा किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उस दल ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पूर्ति मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) विश्व बैंक में हाल में जो नागरीकरण प्रभाग स्थापित किया गया है, उसके एक अधिकारी ने नवम्बर, 1969 में भारत का दौरा किया था, ताकि वे भारत के मुख्य नगरों के अर्थिक तथा वास्तविक आयोजना की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। दिल्ली में वे स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्री से मिले और उन्होंने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का भी दौरा किया तथा इन नगरों के सम्बद्ध प्राधिकारियों से भी मुलाकात की।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

**श्री के० रमानी :** क्या तमिल नाडू सरकार ने मद्रास के लगभग 450 वर्ग मील के महानगर क्षेत्र का विकास करने के लिये कोई परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया था और क्या उसे भारत सरकार से अथवा भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक के परियोजना विभाग से सहायता प्राप्त करने के लिये उसके पास भेजा था ?

**श्री र० के० खाडिलकर :** तमिल नाडु सरकार ने मद्रास के महानगर क्षेत्र के विकास करने हेतु न तो हमें कोई प्रतिवेदन सीधे भेजा है और न ही विश्व बैंक से अनुरोध किया है। बजट पर बोलते हुए तमिल नाडु के वित्त मन्त्री ने कहा है कि महानगर क्षेत्र की समस्याओं पर एक परियोजना प्रतिवेदन को अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए इस समय अन्तिम रूप दिया जा रहा है। परियोजना तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। यह प्रतिवेदन अभी तैयार किया जा रहा है।

**श्री के० रमानी :** प्रश्न के (ख) भाग को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार ने न केवल मद्रास बल्कि भारत के महानगरों के लिए विश्व बैंक से सहायता का अनुरोध किया है ? यदि हां, तो उन नगरों के नाम क्या हैं, उनकी क्या क्या परियोजनाएं हैं और उनके लिए सरकार ने विश्व बैंक से कितने धन की सहायता मांगी है ?

**श्री र० के० खाडिलकर :** अब तक भारत सरकार ने विश्व बैंक से अनुरोध नहीं किया है। परन्तु महानगरों के विकास के लिए विश्व बैंक के दल कुछ रूचि दिखा रहे हैं और फोर्ड फाउण्डेशन भी। माननीय सदस्य के मद्रास नगर के विकास के अधिक इच्छुक हैं। 21.21 करोड़ रुपये की लागत की कावेरी वीरनाम ताल योजना में, जिसे योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिया है, कुछ रूचि दिखाई गई है। इस बारे में इससे अधिक और आगे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है।

**श्री सेझियान :** न केवल मद्रास बल्कि कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में भीड़भाड़ बहुत बढ़ती जा रही है और स्थानीय तथा राज्य सरकारों के लिए नगर संबंधी समस्याएं गम्भीर होती जा रही हैं। मैं मंत्री महोदय को इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कलकत्ते के लिए महानगर आयोजन संगठन, बम्बई के लिए बृहद् बम्बई योजना और दिल्ली के लिए बृहद दिल्ली योजना तो है परन्तु मद्रास के महानगर विकास के लिए सरकार ने ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने, मद्रास के बारे में न केवल योजना तैयार करने में बल्कि आवश्यक धन की व्यवस्था करने में भी समान रूचि क्यों नहीं दिखाई। क्या इस कार्य में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी अथवा आन्तरिक संसाधनों से काम चल जायेगा ?

**श्री र० के० खाडिलकर :** जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि कलकत्ता, मद्रास, बम्बई तथा दिल्ली जैसे महानगरों की समस्याओं पर विचार किया जा रहा है। जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है वहां जल सप्लाई योजना के लिए कुछ सहायता मांगी जा रही है। वास्तव में विश्व बैंक ने इस परियोजना की सहायता करने में कुछ रूचि दिखाई थी। जहां तक कलकत्ता का सम्बन्ध है, वह एक बड़ी योजना है जिसपर 42 करोड़ रुपया खर्च होगा। कलकत्ता महानगर आयोजन संगठन को फोर्ड फाउण्डेशन से 44.5 लाख डालर और बृहद कलकत्ता क्षेत्र में जल प्रदाय योजना का सर्वेक्षण करने के लिए 6 लाख डालर की सहायता मिल गई है। मद्रास के बारे में जैसा मैंने बताया है कि वहां जल प्रदाय की योजना है और इस समस्त परियोजना पर कुल 21.3 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। हमें इन सब परियोजनाओं का ध्यान है और महानगरों की विशेष समस्याओं के लिए मांगी गई सहायता के दस प्रतिशत की सामान्य आयोजना योजना में व्यवस्था कर ली गई है।

**श्री हेम बरुआ :** केवल बम्बई नगर में 12 लाख व्यक्ति गन्दी बस्तियों में रहते हैं। क्या इन गन्दी बस्तियों को नष्ट करने और वहां बसने वाले व्यक्तियों को नये मकानों में बसाने के लिए सरकार ने राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने के बारे में कोई प्रस्ताव किया है।

**श्री र० के खाडिलकर :** आवास सम्बन्धी प्रश्न आवास मंत्री से पूछा जाए।

**श्री नाथपाई :** वह धन की व्यवस्था के बारे में प्रश्न कर रहे हैं जिस के लिए आप उत्तरदायी हैं। आवास मन्त्री अपना कार्य तभी करेंगे जब आप धन देंगे।

**श्री र० के खाडिलकर :** एक निगम स्थापित करने के लिए बजट में 10 करोड़ रुपये की तथा नगरीय आवास तथा गन्दी बस्तियों को साफ करने के लिये 2 करोड़ रुपये की आवर्तक-निधि की व्यवस्था की गई है।

**श्री हेम बरुआ :** मैं बम्बई के बारे में पूछ रहा था कि क्या वहां 12 लाख व्यक्ति गन्दी बस्तियों में रहते हैं और क्या आपने राज्य सरकार को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता दी है अथवा नहीं।

**श्री र० के० खाडिलकर :** जहां तक बम्बई का मामला है मुझे विश्वास है कि वह उसी योजना के अन्तर्गत आ जायेगा।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** Sometime back the Prime Minister had visited Calcutta, where she called the Industrialists and asked them to give some assistance, she also said, that apart from this internal help foreign assistance should also be sought. The Prime Minister and all other Minister live in Delhi and I want to know from the Prime Minister whether Central Government has taken any steps for the development of Delhi as Delhi is also facing many big problems and what steps have been taken to seek assistance from foreign countries ?

Will she also discharge her duty by solving the problem of Delhi ?

**Shrimati Indira Gandhi :** We are definitely discharging our duties. The problems of Delhi are being looked into of which the hon. Member is well aware. But Calcutta has some special problems which are being looked into since long. Previously some investigations were made by Ford Foundation and they had submitted a scheme about which I had mentioned there .....

**Shri Kanwar Lal Gupta :** She has mentioned Calcutta, but reply has not been given about Delhi.

**Shrimati Indira Gandhi :** Housing Scheme or Slum clearance is also applicable here.

**श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या आवर्तक निधि का लाभ, जैसा कि वित्त मन्त्री महोदय ने बताया है, केवल महानगरों तक ही सीमित होगा अथवा यह लाभ कानपुर तथा अन्य नगरों को भी प्राप्त होगा जहां गन्दी बस्तियों में बहुत लोग रहते हैं ?

**श्री र० के खाडिलकर :** इससे कानपुर तथा अन्य नगरों को भी अवश्य लाभ होगा।

**श्री जी० विश्वनाथन :** श्री के० के० शाह ने मद्रास के अपने दौरे के समय वहां लोगों ने आश्वासन दिया था कि विश्व बैंक से मिलने वाली प्रत्येक सहायता का अंश उन्हें भी मिलेगा। हमें उनसे बहुत आशा है। मैं स्पष्ट से यह जानना चाहता हूँ कि महानगर परिषद के विकास के लिए कितनी सहायता दी जायेगी।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** मंत्री महोदय ने यह तो कहा था कि मद्रास तथा दिल्ली की कुछ

परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है और उन्हें विश्व बैंक के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा ।

**श्री र० के० खाडिलकर** : इस बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मद्रास के बारे में एक योजना प्राप्त हुई है जो विचाराधीन है ।

**श्री समर गुह** : कलकत्ता में स्थिति बहुत दयनीय है । प्रधान मंत्री के इस कथन से कि कलकत्ता की एक विशेष राष्ट्रीय समस्या है आशा की एक किरण दिखाई देती है । विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अपनी कलकत्ता यात्रा के दौरान स्पष्टतः कहा था कि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि जैसी अन्य सम्बद्ध संस्थाओं से कलकत्ता के विकास के लिए उचित संसाधनों की व्यवस्था की जा सकती है । परन्तु दिल्ली से, वित्त मंत्रालय के किसी अधिकारी ने इस कथन का विरोध में वक्तव्य जारी किया और कहा कि इस प्रकार की विदेशी सहायता स्वीकार करने से मुद्रास्फीति हो जायेगी । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार का विचार है ? क्या सरकार विश्व बैंक के द्वारा दी जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सहायता स्वीकार करेगी, और यदि हां तो कितनी ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : मैं नहीं जानती किसने यह वक्तव्य दिया है, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं ।

**श्री समर गुह** : मैंने यह मामला आधे घण्टे की चर्चा के दौरान उठाया था और श्री सेठी जी ने स्वयं उत्तर देते हुए कहा कि इससे मुद्रास्फीति हो जायेगी ।

**श्री प्र० चं सेठी** : यहां जो बाद विवाद हुआ उसका मुझे ठीक ठीक याद नहीं है ।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : जहां तक मैं समझती हूँ, हो सकता है उन्होंने पी० एल० 480 की निधि के बारे में उल्लेख किया हो ।

**श्री समर गुह** : पी० एल०-480 की निधियों के बारे में मेरा आशय नहीं है । यह तो विश्व बैंक तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं से सहायता के बारे में था ।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : मैं किसी सम्बद्ध संस्थान के विषय में नहीं जानती । हम विश्व बैंक से सहायता के बारे में बातचीत कर रहे हैं ।

**Shri K. N. Tiwary** : World Bank has taken interest in the development of places like Delhi, Calcutta, Bombay, etc., but I want to know from the hon. Minister whether Government is going to do anything for the development of rural areas so that some funds could be provided for rural development ?

**श्री र० के० खाडिलकर** : माननीय सदस्य को याद होगा वित्त मंत्रियों के अन्तिम सम्मेलन में ग्रामीण आवास सम्बन्धी प्रश्न पर विचार हुआ था, और यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

———

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन औषधालयों में आपात मामलों में भी दवायें प्राप्त करने के लिए लम्बी प्रतीक्षा

*154. श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री बी० ना० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री पीलू मोदी :
श्री चं० बु० देसाई :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जनवरी, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि आपात मामलों में भी सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालयों से दवाई प्राप्त करने के लिए लोगों को 10 दिन से भी अधिक समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) जी हां।

(ख) यह सच नहीं है कि रोगियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों में दवाएं लेने में 10 दिन से भी अधिक प्रतीक्षा करना पड़ती है। साधारणतः केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को विस्तृत सूची में दर्ज सभी दवाइयाँ इस योजना को डिस्पेंसरियों में उपलब्ध रहती हैं। यदि किसी दवाई का भण्डार समाप्त हो जाता है तो केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डिपो से उसका भण्डार मंगवाने की व्यवस्था शीघ्र ही की जाती है। यदि कोई औषधि डिपो में उपलब्ध नहीं होती हैं अथवा केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना को औषधियों की सूची में दर्ज नहीं होती है तो औषधालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत स्थानीय औषध विक्रेता से खरीद कर रोगी को दी जाती है। सामान्यतः इस काम में एक दिन लगता है। अनिवार्य प्राण रक्षक औषधों के मामलों में चिकित्सा अधिकारी सीधे प्राधिकृत औषधि-विक्रेता का नाम लिख देता है रोगी अथवा उसका प्रतिनिधि उस चिट को औषधि-विक्रेता के पास ले जाता है और दवाइयां ले लेता है। इस प्रक्रिया में कुछ घन्टों से अधिक समय नहीं लगता।

### Release of large number of Indian Currency by China and Pakistan

*155. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China and Pakistan have released large number of Indian Currency notes ;

(b) whether it is also a fact that the aforesaid two countries have promised to give substantial financial assistance to Pakistani and Chinese spies in India ; and

(c) if so, the reaction of Government of India in this regard ?

**The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi)** ; (a) to (c). There has so far been no evidence to support the allegation that the Governments of these countries have released any Indian currency notes in India.

## भारत में निगमित कर

* 56. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के सभी देशों की तुलना में भारत में निगमित कर की दरें सब से अधिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो किसी देश में निगमित करों की न्यूनतम दर क्या है और भारत में अधिकतम दर क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न प्रकार की छूट तथा रियायतों के समायोजन के बाद वास्तविक कर का बोझ काफी कम हो जाता है : और

(घ) यदि हां, तो वह अनुमानित प्रतिशत दर क्या है जो निगमित कराधान विधियों के अन्तर्गत कारगर रूप से लागू हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, हां।

(घ) देशी कम्पनी की सामान्य आय पर लगने वाले कर की दरें कम्पनी की श्रेणी और आय की प्रकृति पर निर्भर करते हुए 4 प्रतिशत से 65 प्रतिशत के बीच हैं। ये दरें आगे बताई जा रही हैं :

(क) व्यापक कम्पनी (अर्थात देशी कम्पनी जिसमें जनता के पास काफी शेयर हों) के मामले में लागू होने वाली दरें इस प्रकार हैं :

| | | |
|---|---|---|
| (i) | जिस कम्पनी की कुल आय 50,000 रु० से अधिक न हो उस पर | 45 प्रतिशत की दर लागू होती है ; |
| (ii) | जिस कम्पनी की कुल आय 50,000 रु० से अधिक हो उस पर | 65 प्रतिशत की दर लागू होती है ; |

ख. जो अधिनियंत्रित 'औद्योगिक कम्पनी' (अर्थात वह कम्पनी जो बिजली अथवा किसी अन्य प्रकार की शक्ति पैदा करने अथवा उसके वितरण में, अथवा जहाज निर्माण अथवा खनन अथवा माल को बनाने अथवा माल को तैयार करने में लगी हो), उसके मामले में लागू होने वाली दरें इस प्रकार हैं :

| | | |
|---|---|---|
| (i) | कुल आय के प्रथम दस लाख (10,00,000) रु० पर | 55 प्रतिशत |
| (ii) | कुल आय के कोई भाग शेष हो तो, उस पर | 60 प्रतिशत |

ग. अधिनियंत्रित गैर औद्योगिक कम्पनी पर — 65 प्रतिशत

कम्पनियों को, जिनके कर लगने योग्य लाभ की रकम उनकी आधार पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक अथवा 2,00,0 0 रुपये, दोनों में जो भी अधिक हो तो उससे जितनी रकम अधिक होती है, उस पर 25 प्रतिशत की दर से अतिकर भी देना होता है। (इस संदर्भ में कर लगने योग्य लाभ का अर्थ मोटे तौर पर आयकर की अदायगी के बाद बचे वे लाभ हैं, जो आय की उन मदों को घटा कर बचे हैं, जिन्हें अतिकर से छूट मिली हुई है।) आधार पूंजी में कंपनी को चुकता पूंजी के अतिरिक्त आरक्षित पूंजी, ऋण पत्र तथा दीर्घ कालीन ऋण भी शामिल हैं।

जिस कंपनी को आय 'प्राथमिकता प्राप्त उद्योग' से होती है उसके मामले में ऐसे उद्योग से होने वाले लाभ के 8 प्रतिशत को घटाने के बाद, जो कुल आय शेष रहती है, उस पर उपर्युक्त दरें लागू होती हैं, परन्तु जिस व्यापक देशी कंपनी की कुल आय, इस कटौती से पहले, 50,000 रु० अथवा उससे कम है उसके मामले में यह नियम लागू नहीं होता। इसके अलावा, कंपनियों को उनकी कर लगने योग्य आय की संगणना में नई मशीनों और संयंत्र पर विकास छूट पाने का और किसी औद्योगिक उपक्रम, जहाज अथवा मान्यता प्राप्त होटल से होने वाली आय को पांच वर्ष की अवधि के लिए कर से छुट्टी पाने का हक है। देशी कंपनी द्वारा अन्य देशी कंपनी के शेयरों में किये गये निवेश से प्राप्त होने वाले लाभांश पर रियायती दर से कर लगाया जाता है। यही स्थिति दीर्घावधि पूंजी संबंधी लाभ के बारे में है। जो भारतीय कंपनियों को तकनीकी जानकारी देती हैं अथवा उनको तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करती हैं, उन्हें कुछ अन्य कटौतियां भी प्राप्त हैं। इन सब कटौतियों के कारण निगमित आय पर कर की प्रभावी दर, पहले बनायी गयी दरों से न्यूनाधिक मात्रा में कम हो जाती है, जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर है।

**औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कम विकसित राज्यों को सहायता**

*157. **श्री गणेश घोष :**

**श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम विकसित राज्यों को दी गयी सहायता की राशि के सम्बन्ध में सरकार ने औद्योगिक वित्त निगम को जो आदेश दिये थे उन्हें अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अपने निर्देश का अनुसरण नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ख). सरकार ने 1948 में औद्योगिक वित्त निगम को एक निदेश जारी किया था कि उसे, अपने क्रियाकलापों के अन्तर्गत जहां तक व्यवहार्य हो, पिछड़े प्रान्तों/क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में सहायता देनी चाहिए ताकि वे क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक सन्तुलित रूप से अपना विकास कर सकें। निगम ने आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और जम्मू और काश्मीर के औद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों के 134 एककों को 105 करोड़ रुपये की सहायता दी

है । यह राशि निगम द्वारा .0 जून, 1969 तक दी गयी कुल सहायता के लगभग 0 प्रतिशत के बराबर है । औद्योगिक वित्त निगम ने किसी कम विकसित राज्य में कोई उपयुक्त प्रायोजना शुरू होने का कोई आवेदनपत्र नामंज़ूर नहीं किया ।

(ग) और (घ). विभिन्न प्रदेशों के बीच विद्यमान असमानताओं को कम करने का प्रश्न इससे बहुत अधिक व्यापक प्रश्न है, और विभिन्न संस्थाओं द्वारा इसके लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था किया जाना, उसका केवल एक भाग है । यह महसूस किया जाएगा कि पिछड़े क्षेत्रों में प्रायोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने में, औद्योगिक वित्त निगम को, सामान्य रूप से, ऐसे इलाकों में उपलब्ध में सक्षम प्रायोजनाएं स्थापित करने के लिए उद्यमकर्त्ताओं से सहायता के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है । और प्रायोजनाएं शुरू करने का काम, सम्बद्ध इलाकों में उपलब्ध बुनियादी और अन्य प्रकार की सुविधाओं पर निर्भर होता है । इन सुविधाओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी, मुख्यतः सम्बद्ध राज्य सरकारों की होती है । लेकिन पिछड़े इलाकों में अधिक प्रायोजनायें स्थापित करने को प्रोत्साहन देने के लिए, निगम ने ऐसे इलाकों में स्थापित की जाने वाली, छोटे और दरमियान पैमाने की प्रस्तावित प्रायोजनाओं के सम्बद्ध में, हाल में कुछ रियायतें देने की घोषणा की है ।

इन प्रस्तावों की मुख्य विशेषताएं ये हैं :

(i) व्याज की प्रभावी दर में कमी (मौजूदा सामान्य प्रभावी दर 8 प्रतिशत है) ;

(ii) जमानत के मार्जिन को कम करना (निगम का उद्देश्य सामान्यतः 50 प्रतिशत का मार्जिन रखने का होता है) ;

(iii) ऋण चुकाये जाने की प्रारम्भिक स्थान-अवधि में वृद्धि ;

(iv) ऋण-परिशोधन की अवधि में वृद्धि ;

(v) प्रायोजना की लागत में निगम द्वारा अपेक्षाकृत अधिक अंशदान, जिसमें शेयरों आदि की बिक्री का जिम्मा लेने के रूप में सामान्य शेयरों और तरजीही शेयरों की खरीद करना भी शामिल है ; और

(vi) सहायता के आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने अथवा उनकी जांच करने के खर्च में, और प्रदान न किये गये ऋणों के वचनबद्धता-प्रभार में कमी; कानूनी प्रभारों में और अन्य प्रासंगिक खर्चों की वसूली में राहत आदि ।

**मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ भावी कारोबार के बारे में भारतीय तेल निगम को सचेत करना**

*158. **श्री समर गुह** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राक्कलन समिति द्वारा अपने 86वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हिन्द गैलवेनाइजिंग एन्ड इंजीनिरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा भारतीय तेल निगम को ढोलों की सप्लाई बन्द कर देने और इस प्रकार उसे बहुत अधिक मूल्य

पर मैसर्स सप्लायर्स कारपोरेशन से, जो पूर्ण रूप से उनके स्वामित्व वाली उनकी सहायक तथा बनामी फर्म है, ढोल खरीदने के लिए बाध्य करने के कारण निगम को हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ अपने कारोबार में बहुत सावधान रहने के लिए कहा है ;

(ख) क्या टेंडर संख्या ओ०पी०/टैंन (7)65 के विरुद्ध क्रयादेशों में व्यवस्था के अनुसार बीजकों की जांच किये बिना बम्बई और कलकत्ता दोनों स्थानों में ढोलों के सप्लायरों को भुगतान किये जाने के लिए लेखा तथा वित्त विभागों और इनकी सम्बन्धित प्रशासन शाखाओं के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) प्राक्कलन समिति की 86 वीं प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों (क्रमसंख्या 13) को, सरकार तथा भारतीय तेल निगम, दोनों ने, देख लिया है। किन्तु, भारतीय तेल निगम ने हिन्द गैलवेनाइजिंग एन्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ कारोबार बन्द करना उचित नहीं समझा क्योंकि कलकत्ते के सभी निर्माताओं जैसे मैसर्स (1) इण्डस्ट्रीयल कन्टेनर्स लिमिटेड (2) मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड और (3) मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, ने निगम को ढोल सप्लाई करने के लिए समान मूल्य तथा शर्तें लिखी हैं। इसलिये एक पार्टी को निकाल देने से अन्य दो पार्टियों को, निर्माताओं को प्रतियोगात्मक कोटेशन्स देने के लिए अनुरोध करने के, भारतीय तेल निगम के प्रयत्न विफल करने में प्रोत्साहन मिलेगा।

(ख) और (ग). मामला प्राक्कलन समिति के विचाराधीन है।

## हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री, नई दिल्ली

*159. **श्री बलराज मधोक** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री के कर्मचारियों में बहुत असन्तोष व्याप्त है क्यों कि केन्द्रीय सरकार की दरों पर उनको मंहगाई भत्ता देने के मामले को सुलझाने में बहुत अधिक विलम्ब हो रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि फैक्ट्री के व्यवस्थापक इस मामले में, जो कि एक न्यायिक अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है, और विलम्ब करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों का धैर्य समाप्त हो जाये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस आवास फैक्ट्री के कर्मचारियों को आवास की सुविधायें उपलब्ध करने के लिये अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले को हल करने में और इस सरकारी फैक्ट्री को देश में एक आदर्श नियोजक बनाने में कितना समय लगेगा ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) :** (क) इस मामले पर कर्मचारियों में अवश्य ही एक शीघ्र निर्णय को सामान्य इच्छा पाई जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। इसके विपरीत, प्रबन्धकों ने 274 स्टाफ क्वार्टर बनाए हैं और (उनकी) व्यवस्था की है, परन्तु कर्मचारियों की ओर से मांग कम है।

(घ) यह बता सकना संभव नहीं है कि मंहगाई भत्ते के प्रश्न पर अदालती कार्यवाही कितना समय ले। सरकार शीघ्र निर्णय का स्वागत करेगी।

## बरौनी तेल शोधक कारखाना

*16 **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
**श्री शिवचन्द्र झा :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के सरकार के निर्णय से बरौनी तेल शोधक कारखाने का तीसरा एकक बेकार हो गया है क्योंकि आसाम के दस लाख टन फालतू अशोधित तेल को शोधित करने के लिये हाल में यह एकक आरम्भ किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस तीसरे एकक के लिये उसी मात्रा में अशोधित तेल आयात करने अथवा दूसरे तेल शोधक कारखाने के लिये अपेक्षित अतिरिक्त अशोधित तेल आयात करने का सरकार का विचार है ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :** (क) और (ख) आसाम क्षेत्रों से कच्चे तेल के परिवहन के लिये कच्चे तेल की पाइपलाइन की मौजूदा क्षमता 2 मिलियन मीटरी टन है और क्योंकि इसमें इससे अधिक कच्चा तेल परिवहन करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है इसलिये बरौनी शोधनशाला का तीसरा एकक कुछ समय से बेकार पड़ा रहा है। अब सरकार ने बरौनी तेल शोधक कारखाने के तीसरे 10 लाख वाले एकक के लिये, दूसरे किसी तरीके से (जिसमें आयात भी शामिल है) अतिरिक्त कच्चा तेल प्राप्त करने का निर्णय किया है।

## भारतीय तेल निगम द्वारा किया गया अतिरिक्त व्यय हिन्द गैलवेनाईजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी से वसूल करना

*161. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** 21 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने हिन्द गैलवेनाईजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी

(प्राइवेट) लिमिटेड की बेनामी फर्म मैसर्स सप्लायर्स कारपोरेशन से उसके द्वारा २1,000 ढोलों की आपातकालीन खरीद पर उसके द्वारा किया गया 1,34,400 रुपये का अतिरिक्त व्यय हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड से इस बीच वसूल कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** (क) और (ख) . भारतीय तेल निगम अपने विधि सलाहकारों के परामर्श से इस मामले पर विचार कर रही है ।

**औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋणों के विवरण में विलम्ब**

*162. **श्री ई० के० नायनार :** **श्री आ० कु० गोपालन :**
**श्री सी० के० चक्रपाणि**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आम शिकायत का पता है कि औद्योगिक वित्त निगम आवेदनपत्रों की जांच आदि करने तथा ऋण देने में बहुत ज्यादा समय लेता है ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब न होने देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) और (ख) . औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण मंजूर करने के सम्बन्ध में जो समय लगता है, वह लगभग बहुत से मामलों में उन कारणों से लगता है जिन पर निगम का कोई नियंत्रण नहीं होता । किसी आवेदनकर्ता संस्थान को निगम की शर्तें पूरा करने में और आवश्यक जानकारी तथा आंकड़े उपलब्ध करने में जितना समय लगता है, उसके अनुसार निगम की किसी आवेदन पत्र के सम्बन्ध में कार्रवाई करने पर प्रायः 3 से 6 महीने तक का समय लग जाता है और लम्बे अर्से के लिए ऋण देने वाली किसी वित्तीय संस्था के मामले में यह अवधि अनुचित रूप से अधिक नहीं है । बड़ी-बड़ी प्रायोजनाओं के मामले में, जिनमें दूसरी अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा धन लगाने की बात भी होती है, संयुक्त रूप से निर्णय करने से पूर्व निगम को अन्य सभी संस्थाओं के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना पड़ता है ।

जहां तक ऋण की रकम के वितरण का सम्बन्ध है, निगम किसी ऋण के मंजूर हो जाने के बाद वितरण के लिए उतना ही समय लेता है जितना लम्बे अर्से के ऋण देने वाली अन्य संस्थाएं लेती हैं । चूंकि निगम, ऋण की रकम को जल्दी देने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है, इसलिए ऐसे मामले में जहां सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान की आवश्यकताएं अत्यावश्यक हों, निगम कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने तक अन्तिम ऋण दे देता है । निगम द्वारा दी गयी प्रभावी स्वीकृतियों के सम्बन्ध में 30 जून 1969 तक वितरित की गयी रकम में रुपया ऋणों का अंश 88 प्रतिशत बैठता है जो सन्तोषजनक माना जाना चाहिए ।

फिर भी, किसी आवेदनपत्र की प्राप्ति और उसकी स्वीकृति तथा स्वीकृति और ऋण

की रकम के वितरण के बीच जो समय लगता है, निगम उसे कम करने का हर सम्भव प्रयत्न कर रहा है। निगम ने समय के इस अन्तर को कम करने के लिए कई उपाय किये हैं जिनमें निगम के मुख्यालय और उसकी शाखाओं के तकनीकी, वित्तीय और कानूनी विभागों को सुदृढ़ बनाना और निगम की क्रियाविधियों और विभिन्न प्रकार के फार्मों का मानकीकरण करना, करना, जिनमें से फार्म छप भी चुके हैं, शामिल है।

**सरकारी क्षेत्र द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सस्ते मकानों के निर्माण के लिए निधि**

*163. **श्री क० मि० मधुकर :** **श्री इसहाक सम्भली :**
**श्री धीरेन्द्र कलिता :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार सरकारी क्षेत्रों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सस्ते मकानों के निर्माण-कार्य को बढ़ाने का है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने जीवन बीमा निगम तथा बैंकों को अपनी धनराशि का कुछ भाग इस प्रयोजन के लिए नियत करने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को कार्यरूप देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क), (ख) और (ग). गन्दी बस्तियों को हटाने, मकान बनाने और शहरी भूमि का विकास करने जैसे कार्यों की वित-व्यवस्था करने के लिये एक आवर्तक निधि (रिवाल्विंग फण्ड) का संचालन करने के लिये, 10 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर-पूंजी से आवासन और नगर विकास वित्त निगम (हाउसिंग एन्ड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन) की स्थापना की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं इस निगम को ऋण दे कर सहायता दे सकेंगी। आशा है कि जीवन बीमा निगम भी चौथी आयोजना की अवधि में निम्न और मध्यम आय वाले लोगों के लिये मकान बनाने और जीवन प्राप्त करने के लिये धन की व्यवस्था करेगा। लेकिन, जहां तक मौजूदा सरकारी उद्यमों का संबंध है, उनमें, अपने इलाकों में अथवा अपनी बस्तियों में और मकानों का निर्माण करने का अनुरोध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम में संशोधन**

*164. **श्री लखन लाल कपूर :** **श्री मंगलाथुमाडम :**
**श्री मोहन स्वरूप :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम में संशोधन करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; यदि हां, तो उनके सुझाव क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उनके सुझावों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इन सुझावों को शामिल करने के लिये केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम में संशोधन करने का ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ग). केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 को कार्यान्वित करने में अनुभव की गयी कुछ कठिनाइयों को हल करने की दृष्टि से अधिनियम के कुछ उपबन्धों का संशोधन करने के सुझाव राज्य सरकारों से मिले हैं। एक संशोधन विधेयक यथासंभव शीघ्र ही लाने का प्रस्ताव है।

### शहरी सम्पत्ति पर कर लगाना

*165. **श्री बदरूद्दुजा** : **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
**श्री मुहम्मद इस्माइल** : **श्री ईश्वर रेड्डी** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल सरकार के शहरी सम्पत्ति पर कर लगाने हाल ही के निर्णय की ओर दिलाया गया है ?

(ख) क्या किन्हीं अन्य राज्यों ने भी ऐसे निर्णय किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और किये गये निर्णय क्या हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2653/70]

### यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के यूनिटों के क्रय तथा पुनर्विक्रय मूल्यों का बढ़ाया जाना

*166. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया ने जनवरी, 1970 में अपने यूनिटों के क्रय तथा पुनर्विक्रय मूल्यों में वृद्धि की है तथा यह वृद्धि किस सीमा तक गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है तथा इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). जी, हां। जनवरी, 1970 में, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया ने अपने यूनिटों का विक्रय और पुनर्क्रय मूल्य, पांच पैसे बढ़ाकर, क्रमशः 10.80 रुपये और 10 40 रुपया कर दिया है।

यूनिटों का क्रय मूल्य कई बातों को ध्यान में रखकर समय-समय पर निर्धारित किया जाता है। ऐसा करते समय, यूनिट ट्रस्ट के पास रखी हुई प्रतिभूतियों के शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य में होने वाली वृद्धि और इनसे पहले यूनिट का क्रय मूल्य निर्धारित किये जाने के समय से लेकर इन प्रतिभूतियों से हुई आय और दलाली कमीशन, स्टाम्प शुल्क आदि के खर्च को हिसाब में लिया जाता है। यूनिट का पुनर्क्रय मूल्य यूनिट के शुद्ध परिसम्पति मूल्य से दलाली, कमीशन,

स्टाम्प शुल्क आदि के खर्च की रकम घटाने के बाद निकाला जाता है। इस प्रकार लगाये हिसाब को पांच पैसों द्वारा विभाज्य राशि में बदल दिया जाता है।

### आन्ध्र प्रदेश को भारी तूफान सम्बन्धी राहत कार्यों के लिये सहायता

*167. श्री सामिनाथन् : श्री दण्डपाणि :
श्री नि० रं० लास्कर : श्री नारायणन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार गत वर्ष दो बार भारी तूफान (साइक्लोन) से पीड़ित आन्ध्र प्रदेश के क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये आन्ध्र प्रदेश को सहायता देने के लिये सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यों के लिये कुल कितनी राशि दी जायेगी ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता से अधिक सहायता की मांग की थी ?

**पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क)** जी, हां।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने शुरू में, विभिन्न राहत-कार्यों और क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत के लिये चालू वित्त वर्ष में 57.81 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। इस आवश्यकता के बारे में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और केन्द्रीय सरकार के बीच बातचीत हुई थी, जिन्होंने जून और नवम्बर, 1969 में स्थिति का जायजा लेने के लिये राज्य का दौरा किया था केन्द्रीय दलों द्वारा की गयी सिफारिशों को देखते हुए 1969-70 में केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिये 27.72 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा स्वीकार की गयी है।

### तामिलनाडु सरकार को केन्द्रीय सहायता

*168. श्री मयावन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तामिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य की चोथी पंचवर्षीय योजना के लिये 250 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता सहित 575 करोड़ रुपये के परिव्यय की राज्य सरकार की प्रार्थना को स्वीकार करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवे वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य के लिये निराशाजनक रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को कुल 250 करोड़ रुपये की सहायता देने का भी अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो राज्य की इस प्रार्थना के बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) :** (क) जी हाँ।

(ख) राज्य सरकार का यह दृष्टिकोण है कि पांचवे वित्त आयोग की सिफारिशें उनकी आशाओं के अनुरूप नहीं है।

(ग) जी हाँ।

(घ) तामिलनाडु की चौथी पंचवर्षीय आयोजना के आकार को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। लेकिन राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा केन्द्रीय सहायता के वितरण के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये सिद्धान्तों के अनुसार, जो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होते हैं, राज्य की आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के हिस्से की रकम 202 करोड़ रुपया होगी। इस समय राज्य के लिये सहायता की अधिक रकम निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

**चल-चित्र कलाकारों की ओर बकाया आयकर**

*169. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या वित्त मंत्री 15 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3844 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय चलचित्र कलाकारों श्री विश्वजीत चटर्जी, श्री उत्तम कुमार चटर्जी, श्री एम० जी० रामचन्द्रन, श्रीमती एस० पद्मिनी, श्रीमती वैजयंती माला, श्री आर० गणेश, श्री एस० वी० रंगा राव, श्रीमती बी० सरोज देवी, की ओर आयकर की भारी राशि बकाया है।

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में आयकर की कितनी राशि बकाया है और कब से बकाया है ;

(ग) इसे वसूल करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) क्या आय छिपाने के किसी मामले का सरकार को पता लगा है और यदि हां, तो छिपाई गई आय की राशि कितनी है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) से (घ). माँगी गयी सूचना विवरण-पत्र में दी गयी है, जो सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—2654/70**]

**बिड़ला ग्रुप की फर्मों के विरुद्ध जांच**

*170. **श्री वि० कु० मोडक :**
**श्री भगवान दास :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला ग्रुप की जिन कम्पनियों पर पिछले तीन वर्षों में पुलिस तथा वित्त मंत्रालय

के अधिकारियों द्वारा कर-अपवंचन, अधिक तथा कम बीजक बनाने तथा अन्य भ्रष्ट तरीकों के आरोप के कारण छापे मारे गये हैं, उनके नाम क्या हैं ;

(ख) इन छापों में जब्त किये गये दस्तावेज आदि किस प्रकार के हैं ।

(ग) उपरोक्त आरोपों के कारण बिड़ला ग्रुप की किन कम्पनियों की केन्द्रीय जांच ब्यौरो द्वारा जांच की जा रही है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में मारे गये छापों के दौरान कितनी राशि के कर अप-वंचन, अधिक तथा कम बीजक बनाने का पता लगा है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरों के अधिकारियों अथवा वित्त मंत्रालय की एजेन्सियों द्वारा बिड़ला समूह की जिन कार्यालयों की तलाशी पिछले तीन वर्षों में अर्थात 1967, 1968 और 1969 में ली गई थी, उनके नाम ये है :

(1) मिल्स आफ दि टेकनौलोजिकल इंस्टीट्यूट आफ़ टेकस्टाइल्स, भिवानी ।

(2) मैसर्स भिवानी टेक्सटाइल मिल्स, भिवानी ।

(3) मैसर्स बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीव्हिगं मिल्स, दिल्ली ।

(4) मैसर्स सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ।

(5) मैसर्स जियाजी राव काटन मिल्स, ग्वालियर ।

(6) मैसर्स न्यू स्वदेशी मिलस, अहमदाबाद ।

(7) मैसर्स मंजुश्री टेक्सटाइल्स, अहमदाबाद ।

(8) मैसर्स केशोराम काटन एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता ।

(9) मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड उत्तरपाड़ा, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर और नई दिल्ली ।

(10) मैसर्स बिड़ला ब्रादर्स (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता और बम्बई ।

(11) मैसर्स ओरियेन्ट जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता ।

(12) मैसर्स भारत ट्रेडिंग (इन्टरनेशनल) लिमिटेड, बम्बई ।

(13) मैसर्स जुरई एग्रो केमिकल्स लिमिटेड, बम्बई ।

(14) मैसर्स इडियन रेयन कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई ।

(15) मैसर्स इस्टर्न इक्विपमेंटस, एण्ड सेल्स लिमिटेड, बम्बई ।

(16) मैसर्स हिन्दुस्तान एलूमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई

(17) दि ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (वीव्हिगं) कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ।

(18) दि उद्योग सर्विसेज लिमिटेड, बम्बई ।

(19) मैसर्स ओरियेन्टल आर्टस लिमिटेड, कलकत्ता ।

(ख) और (घ). उपर्युक्त तलाशियों के दौरान विभिन्न स्थानों से पकड़े गये दस्तावेज बहुत सारे हैं और बड़े बड़े हैं और फिलहाल उनकी छानबीन की जा रही है और जांच भी चल रही है। इसलिये, इस स्थिति में, यह बताना सफल जांच के हित में नहीं होगा कि पकड़े गये दस्तावेज किस प्रकार के हैं। इसके अलावा, जब तक जांच का कार्य पूरा नहीं हो जाय तब तक यह बताना भी सम्भव नहीं है कि इन तलाशियों के कारण कितने अपवंचन का पता चला है, अथवा जितने अधि-बीजकांकन अथवा निम्न-बीजकांकन का पता चला है।

(ग) बिड़ला समूह की जिन कम्पनियों के मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी भी जांच की जा रही है उनके नाम ये हैं :

(1) मैसर्स न्यू स्वदेशी मिल्स, अहमदाबाद।

(2) मैसर्स मंजुश्री टेक्सटाइल्स, अहमदाबाद।

(3) मैसर्स केशोराम इंडस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स, कलकत्ता।

(4) मैसर्स हिन्द साइकिल्स, बम्बई।

(5) मैसर्स सौराष्ट्र केमिकल्स, पोरबन्दर।

### उड़ीसा में तलचर नामक स्थान पर तथा देश के अन्य भागों में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

*172. श्री रवि राय :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
डा० सुशीला नैयर :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने उड़ीसा में तलचर नामक स्थान पर कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाने का 3 फरवरी, 1970 को शिलान्यास किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में उर्वरक का अनुमानित उत्पादन कितना होगा और उसमें उर्वरक का उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा ;

(ग) इस कारखाने के लगाने पर कितनी राशि खर्च होगी और तत्सम्बधी अन्य ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या अगले तीन वर्षों में सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसी ही अन्य कारखाने लगाने का विचार है ;

(ङ) यदि हां, तो वे कहां-कहां लगाये जायेंगे और उन पर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कारखाने की स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 495,000 मीटर टन यूरिया होगी। लगभग चार वर्षों में इस में उत्पादन शुरू हो जाने की सम्भावना हैं। परियोजना पर

70.5 करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय का अनुमान है जिस में 20 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा होगी।

(घ) जी हां ;

(ङ) सरकारी क्षेत्र में कोयले पर आधारित दो और उर्वरक कारखाने, एक मध्य प्रदेश के कोरवा नामक स्थान पर और एक आन्ध्र प्रदेश के रामगुण्डम नामक स्थान पर, स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस के अतिरिक्त, महाराष्ट्र के काम्पटी नामक स्थान पर गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये आशय पत्र दे दिया गया है। इन परियोजनाओं पर इस समय निम्नलिखित पूंजीगत लागत का अनुमान है :

| | |
|---|---|
| (1) कोरवा | 72.2 करोड़ रुपये |
| (2) रामगुण्डम | 72.2 करोड़ रुपये |
| (3) काम्पटी | 55 करोड़ रुपये |

**Allocation of Funds for Health Programmes during Fourth Plan**

*172. **Shri Jageshwar Yadav** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) The total amount of funds proposed to be spent on health programmes during the Fourth Five year Plan and various items thereof on which thay would be spent ;

(b) The percentage of progress likely to be achieved during the above period on the basis of population ;

(c) The details of important items of health to be undertaken during the said period in addition to the left overs from earlier three plans ; and

(d) Whether it is proposed to spend more funds on health programmes in backward and rural areas on the basis of population and if so, the broad details thereeof ?

**The Minister of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah)** : (a), (b), (c) and (d). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library*. *See* No. LT—2655/70]

**औद्योगिक वित्त निगम की सूची में दोषी फर्म**

*173. **श्री विश्वनाथ मेनन :**

**श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम की सूची में दोषी फर्मों के बहुत अधिक नाम है और गत तीन वर्षों में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा बकाया राशि वसूल करने की कार्यवाही आरम्भ करने में काफी विलम्ब किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी फर्में बन्द अथवा दिवालिया हो गयी है ;

(घ) क्या इन बन्द अथवा दिवालिया फर्मों से औद्योगिक वित्त निगम के कोई निदेशक सम्बद्ध है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन निदेशकों तथा फर्मों के नाम क्या है और उन्हें कितना ऋण दिया गया है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी)** : (क). 30 जून, 1969 को समाप्त निगम के पिछले तीन लेखा वर्षों में मुख्यत: अर्थ-व्यवस्था में शिथलता की प्रवृतियों के कारण समय पर वापस अदा न की गयी रकम में वृद्धि हुई थी। नीचे दी गयी सारणी में दोषी कम्पनियों की संख्या और पिछले तीन लेखा वर्षों में समय पर वापस न की गयी रकमों का ब्योरा दिया गया है :

| 30 जून को | दोषी कम्पनियों की संख्या | वापस न किये गये मूल धन की रकम | वापस न किये गये ब्याज की रकम | पूरी की गयी गारंटियां और उन पर ब्याज आदि की रकम | वापस न की गयी कुल रकम (3+4+5) | वर्ष के अन्त में बकाया ऋणों की कुल रकम | उन कम्पनियों की कुल संख्या जिन्होंने कालम 7 के बकाया ऋण देने हैं | कालम (7) से (8) का प्रति अनुपात |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1967 | 37 | 80.02 | 116.82 | 335.[illegible]1 | 531.95 | 12455.48 | 2[illegible]2 | 4[illegible]27 |
| 1968 | 50 | 149.32 | 202.81 | 415.05 | 767.[illegible]8 | 13[illegible]68.09 | 2[illegible]1 | 5.49 |
| 1969 | 48 | 256.51 | 311.67 | 527.4[illegible] | 1095.61 | 14754.98 | [illegible]73 | 7.42 |

(ख) और (ग). निगम दोषी कम्पनियों से अपनी बकाया रकमों की वसूली करने के लिए, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तत्काल और समय पर कारवाई करने की वांछनीयता के बारे में पूरी तरह सजग है। 30 जून, 1969 को जो 48 औद्योगिक कम्पनियां दोषी थी उनमें से 10 औद्योगिक कम्पनियों ने, खराब प्रबन्ध या निगम के नियंत्रण से बाहर के अन्य कारणों से, अपने कारखाने बन्द कर दिये थे या उनका परिसमापन हो गया था। इन सभी मामलों में अपनी रकमें प्राप्त करये के लिए औद्योगिक वित्त निगम ने तत्काल कारवाई की और एक कम्पनी को छोड़ कर, जिस के सम्बन्ध में 9.37 लाख रुपये को रकम को वट्टे खाते डालना पड़ सकता हैं, बाकी 9 मामलों में निगम की रकमें पूरी तरह वसूल हो गयी हैं और। या उनके सम्बन्ध में गारण्टियां प्राप्त हैं।

(घ) और (ङ). एक कम्पनी के सम्बन्ध में, जिसे दिसम्बर, 1959 और अप्रैल, 1960 में निगम द्वारा सहायता की मंजूरी दी गयी थी। वर्तमान निदेशकों में से एक निदेशक जिसके पास उस कम्पनी के 6000/- रुपये के अन्तिम मूल्य के थोड़े से शेयर हैं, उस कम्पनी में सामान्य शेयरधारी के रूप में हितबद्ध है। यह निदेशक उद्योगपति नहीं है। उसे, औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सहायता की मंजूरी दिये जाने के काफी बाद मई, 1966 में भारतीय औद्योगिक विकास

बैंक द्वारा बोर्ड में नामित किया गया था। निगम का कोई अन्य निदेशक उन नो अन्य कम्पनियों में से किसी के साथ भी सम्बन्धित नहीं है जिन्होंने अपने कारखाने बन्द कर दिये हैं।

**Extraction of Liquid Ammonia from Thick Crude oil of Assam Instead of Petrol**

*174. **Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that a Technical Committee has given its opinion that it is better if liquid ammonia is extracted from the thick crude oil of Assam instead of peterol ; and

(b) If so, the reasons for which Government do not want to set up a liquid ammonia factory in Assam keeping in view the scarcity of ammonia in the country ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan)** : (a) No ; The Negi Committee has suggested further studies on various alternative means of processing the crude oil of Assam.

(b) The studies are in progress.

**Disparity in Pay of Highly and Low-Paid Government Employees**

175. **Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the measures adopted by the Central Government to reduce the wide disparity of pay between highly and low-paid Government employees ; and

(b) in case no such measures have been adopted, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi)** : (a) and (b). The ratio between the salary of the highly paid Government employee and low paid staff is progressively being narrowed. The grant of increased rates of dearness allowance from time to time only to employees in the lower pay ranges serves to an extent to reduce the ratio of disparities. Progressive taxation of incomes has also the effect of mitigating the disparties to some extent. The ratio between the maximum remuneration inclusive of dearness allowance at the lowest level and the post-tax remuneration in the highest grade which was about 1 : 33 in 1949-50 now stands at about 1 : 15.

**एकाधिकार वाले समवाय समूहों को प्रसार याजनाओं के लिये अग्रेतर ऋण देने पर रोक**

*176. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ऐसा प्रतिबन्ध लगाने जा रही है जिसके परिणामस्वरूप सरकार वित्तपोषक संस्थाएं एकाधिकार वाले गृहों को विस्तार योजनाओं के लिए अग्रेतर ऋण नहीं दे सकेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). यह आशा की जाती है कि किसी बड़े औद्योगिक समूह की किसी कम्पनी की विस्तार-योजना के लिए सहायता की मंजूरी देने से पहले, वित्तीय संस्थाएं यह बात सुनिश्चित कर लेंगी कि सम्बद्ध कम्पनी अपने

व्यापार-कार्य में, आंतरिक रूप से निर्मित सारी रकमों का उपयोग कर चुकी है और वित्तीय संस्थाओं को शेयर आदि का जिम्मा दिये बिना, जनता के नाम नये शेयर और ऋणपत्र जारी करने के तरीकों आदि से धन जुटाने के सभी सामान्य तरीके अपना चुकी है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा जिन मामलों में सहायता दी जायगी, उनमें इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जायगी कि दी गयी सहायता का उपयोग, अन्तर्निगम निवेश के जरिये अन्य कम्पनियों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए, निकट रूप से संबंधित किसी अन्य प्रतिष्ठान (कन्सर्न) को देने के लिए नहीं किया जायगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा उत्पादन के वास्तविक प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रतिष्ठान को, इन आवश्यक एहतियातों के साथ, वित्तीय सहायता दी जाती रहेगी।

**बैंकों द्वारा ऋण देने सम्बन्धी नियमों में ढील**

*177. **श्री कं० हाल्दर :**
**श्री सं० चं० सामन्त :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किसानों, सहकारी समितियों, लघु उद्योगों तथा छोटे व्यापारियों को ऋण देने सम्बन्धी नियमों तथा विनियमों में ढील दी है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में दी गयी ढील का स्वरूप क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी):** (क) और (ख). 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद, उसकी ऋण सम्बन्धी नीतियों को नया रूप दिया गया है और दिया जा रहा है। उस कार्य से, जिसका वित्त प्रबन्ध किया जाता है, होने वाली आमदनी और ऋण लेने वाले की ऋण चुकाने की क्षमता पर जोर दिया जाता है, न कि गोचर प्रतिभूतियों पर। रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह कहा है कि वे किसानों को खासकर छोटे किसानों को, उनकी उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकता के आधार पर ऋण दें। किसानों, लघु उद्योगों, छोटे व्यापारियों और आर्थिक दृष्टि से अपेक्षित अन्य क्षेत्रों को ऋण देने के लिए नयी योजनाएं चलायी जा रही हैं। एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें इन योजनाओं का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है।

**पूरे महंगाई भत्ते का वेतन के साथ मिलाया जाना**

*178. श्री **क० अनिरुद्धन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के पूरे महंगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाने के लिये कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस विषय पर तीन महीने में निर्णय करेगी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (घ). संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् की 27 दिसम्बर, 1968 को हुई बैठक में कर्मचारी पक्ष और सरकारी पक्ष के बीच हुई सहमति के अनुसार, महंगाई भत्ते के कुछ अंश का पेंशन, भविष्य निधि, प्रतिपूर्ति भत्ते जैसे कुछ प्रयोजनों के लिए वेतन में पहले ही विलय किया जा चुका है।

नया वेतन आयोग नियुक्त करने का निर्णय सरकार कर चुकी है और केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के ढांचे की जांच प्रस्तावित आयोग द्वारा की जायेगी, इसलिये सरकार द्वारा कोई निर्णय करने का अब प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

## ईराक में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये भारत तथा ईराक के बीच बातचीत

*179. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या पेंट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने ईराक में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये ईराक सरकार से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कैसी सहायता किये जाने की सम्भवना है ?

**पेंट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी नहीं।

(ख) आर (ग). प्रश्न नहीं उठता।

## जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें

*180. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों में उनकी मांगे जिनमें अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की मान्यता भी सम्मिलित है, पूरी न होने से भारी असंतोष है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं जिन के लिये उन्होंने उनसे अनुरोध किया था ; और

(ग) उनसे मैत्रीपूर्ण समझौते करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**पूर्ति मंत्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर)** : (क) और (ख). अखिल भारतीय बीमा-कर्मचारी संस्था की कार्यकारिणी द्वारा एक संकल्प स्वीकृत किये जाने के बाद इस संस्था से सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रीय, प्रभागीय और शाखा एककों ने संकल्प पास किये हैं ; जिनमें मांग की गयी है कि :

(i) जीवन बीमा निगम को फरवरी 1967 में पेश किये गये मांग पत्र का फैसला किया जाय ;

(ii) 3 महीने के पूरे वेतन आदि बोनस के रूप में दिये जांय ;

(iii) सभी विचाराधीन शिकायतों का फैसला किया जाय ;

(iv) विभिन्न कार्यालयों में की गयी ज्यादतियों और दाण्डिक कार्यवाहियों को रद्द किया जाय ;

(v) अखिल भरतीय बीमा-कर्मचारी संस्था तथा उसके क्षेत्रीय, प्रभागीय और शाखा एककों को मान्यता दी जाय ;

(vi) अस्थायी मंहगाई-भत्ते की नवम्बर, 1968 से की गयी कटौती को बहाल किया जाय ;

(vii) यंत्रीकरण को बन्द किया जाय।

ये संकल्प भारत सरकार को भी भेजे गये हैं।

(ग) सरकार यह बात ज्यादा पसंद करेगी कि कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच के झगड़े, यथासंभव, आपस में सीधी वार्ता से तय किये जायें।

**Cash Assistance to People Affected by Communal Disturbances in Indore (M.P.)**

*1001. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government has decided to give cash assistance to the people affected by the communal disturbances at Indore during the last year ;

(b) whether the State Government has asked the Centre to give loan or assistance with a view to meet this expenditure ;

(c) if so, the reaction of State Government thereto ; and

(d) the total amount which is to be given to the State ?

**The Minister of Supply and Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) :** (a) The State Government have reported that they have not taken any general decision to provide cash relief to the people affected by the communal disturbances in the State. They are, however, providing gratuitous relief to individuals on the merits of each case.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

**मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के लिये कच्चे तेल की ढुलाई में विदेशी मुद्रा की हानि**

100 **श्री बाबू राव पटेल :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों से, जब से मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड ने मध्य पूर्व देशों से कच्चे तेल की ढुलाई के लिए छोटे जहाजों का किराये पर लेना आरम्भ किया है, इस को 90 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है और भारतीय नौवहन निगम बड़े जहाजों का, जो इसके लिए तैयार है, उपयोग न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तेल शोधित कारखानों ने पतन न्यास अधिकारियों से

शिकायत की है कि अन्य मुख्य पतनों (बम्बई में 3.50 रुपये) की तुलना में 11 रुपये प्रति मीट्रिक टन का घाट भाड़ा बहुत अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या घाट भाड़े में कोई कमी करने की कोई सम्भावना है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी हां, मद्रास पतन में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण, 1969 के दौरान भाड़े की ऊंची दरों के कारण मद्रास शोधनशाला को लगभग 1 करोड़ से अधिक रुपये की रकम देनी पड़ी। सुपर टैंकर रखने के लिये मद्रास पत्तन में विस्तृत सुविधाएं, जो मद्रास शोधनशाला के मुकम्मल होने के साथ ही मुहैया हो जाने चाहियें थी, अभी तक तैयार नहीं हैं, अतः भारतीय नौवहन निगम के बड़े टैंकर मद्रास शोधनशाला के लिये कच्चा तेल लाने के लिये इस्तेमाल नहीं किये जाते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) फरवरी, 1970 से घाट शुल्क घटा कर अब 7.50 रुपये प्रतिटन कर दिया गया है।

## प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1003. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कुल कितने डाक्टर काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या रिक्त स्थान भरने के लिए अधिक डाक्टर नियुक्त किये जा रहे हैं ; यदि हां, तो कितने ; और यदि नहीं ; तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली से उपचार करने का विचार है ; और यदि हां, तो राज्यवार कितने केन्द्रों में ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) 30-6-1969 को स्थिति के अनुसार 5426 डाक्टर कार्य कर रहे थे ;

(ख) 5428 और डाक्टरों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है ताकि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दो डाक्टर हो जायं, एक स्वास्थ्य के लिए तथा एक परिवार नियोजन के लिए।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् से प्रस्ताव किया है कि जहां तक संभव हो राज्य सरकारें उप-केन्द्र स्तर पर होम्योपैथिक उपचार की सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती हैं। इस शिफारिश को कार्यान्वित करना राज्य सरकारों का काम है।

### आसाम के तेल के कुओं के कच्चे तेल के लिए अतिरिक्त शोधन क्षमता

1004. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या पैंट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री बी० एस० नेगी की अध्यक्षता में स्थापित विशेषज्ञ समिति ने सितम्बर, 1969 में प्रतिवेदन दिया था कि आसाम के तेल के कुओं ने इतना कच्चा तेल नहीं मिल सकेगा कि उस स्रोत के तेल के शोधन के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित करनी पड़े ;

(ख) क्या श्री नेगी के निष्कर्षों की उपेक्षा करके अधिकारियों ने इस बारे में राजनीतिक निर्णय ले लिया है और अब वे इस शोधनशाला को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कराने के बारे में 5 दिसम्बर, 1969 को प्रधान मंत्री द्वारा लोक-सभा में दिए गए वक्तव्य में निहित आश्वासन का शीघ्रता से क्रियान्वित करने जा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इन उत्पादों के लिए सीमित बाजार को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष 80 लाख टन से अतिरिक्त पैंट्रोलियम उत्पादों से परिवहन सम्बन्धी नई समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी ; और

(घ) जब इन विशेषज्ञ समितियों की चेतावनियों की ओर ध्यान ही नहीं देना होता है, तो इनको गठित ही क्यों किया जाता है ?

**पैंट्रोलियम तथा रसायन और खान धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :** (क) और (ख). विशेषज्ञ समिति, श्री बी० एस० नेगी जिसके संयोजक थे, की यह धारणा रही है कि आसाम क्षेत्रों से कच्चे तेल के वर्तमान उत्पादन स्तर, अर्थात 4.1 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष है, से आसाम में शोधनशाला क्षमता का विस्तार करने के लिये काफी कच्चा तेल उपलब्ध नहीं होगा यदि बरौनी शोधनशाला की सप्लाई 2.2 मिलियन मीटरी टनों के वर्तमान स्तर से बढ़ा कर 3 मिलियन मीटरी टन की इसकी पूरी क्षमता तक करनी पड़े। सरकार ने बरौनी के तीसरे मिलियन यूनिट के लिये अतिरिक्त कच्चा तेल अन्य साधनों से, आयात को शामिल करते हुए, उपलब्ध करने का निर्णय किया है। अतः आसाम में अतिरिक्त शोधनशाला क्षमता के लिए लगभग 1 मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल ढूंढने का अन्वेषी प्रयत्न किया जा रहा है और यह आशा की जा सकती है कि अन्ततः तेल की नइ मालूमात से अगले कई वर्षों तक सभी शोधनशालाओं की आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा किया जाना संभव हो जायेगा।

(ग) सरकार का निर्णय आसाम में 1 मिलियन टन शोधन क्षमता बढ़ाने का है और अतिरिक्त 8 मिलियन मीटरी टनों के परिवहन के लिये नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

### सुरक्षा का प्रयोग और उसका प्रभाव

1005. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रैडफोर्ड के डा० विलियम टर्नर के इस आशय के प्रतिवेदन की

जानकारी है जिसमें कहा गया है कि भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में, भारतीयों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला महिलाओं का सौंदर्य प्रसाधन 'सुरमा' में 80 प्रतिशत सीसा सल्फाइड होता है और इससे सीसे का गम्भीर रूप से विष फैलने का रोग उत्पन्न हो सकता है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में कार्य कर रहे भारतीय नेत्र-चिकित्सकों के पास पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा सुरमे का दैनिक प्रयोग किये जाने के कारण हुए रक्तक्षीणता के रोगों के मामले आए हैं और यदि हां, तो ऐसे कितने मामले आए हैं ; और

(ग) क्या सरकार जनसाधारण के हित के लिए समस्या का और अधिक अध्ययन करके सुरमे का प्रयोग करने वालों को इसके बारे में जानकारी देगी ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) 'सुरमे' के इस्तेमाल से सीसे का विष फैलने के मामलों के सम्बन्ध में ब्रिटिश मेडिकल पत्रिका में प्रकाशित किये गये कुछ लेखों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है तथापि देश के 'सुरमे' के इस्तेमाल के उपरांत सीसे का विष फैलने के सम्बन्ध में कोई रिकार्ड नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस देश में सुरमे का इस्तेमाल करने की लम्बे अरसे से परम्परा रही है और इस कुप्रभाव के बारे में कोई सूचना ध्यान में नहीं आयी है तथापि इस मामले में जांच पड़ताल की जाएगी ।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरी संवर्गों के अस्थायी पदों का स्थायी पदों में परिवर्तन**

1006. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुभाग अधिकारी संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के बारे में 25 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4824 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीधे भर्ती किये गये प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के ऐसे अधिकारियों को, जिन्होंने 3 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है, रिक्त स्थानों के अभाव में न तो नौकरी से अलग किया जा सकता है और न ही उनकी पदावनति की जा सकती है ;

(ख) यदि हां, तो अभी हाल ही में बड़े पैमाने पर भर्ती करते समय क्या इन बातों को ध्यान में रखा गया था, क्योंकि 3 वर्ष से भी अधिक समय से वर्तमान 80 प्रतिशत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता ;

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य करने वाले ऐसे अधिकारी किस-किस श्रेणी के हैं जिनका नियत कार्यकाल पूरा हो जाने पर अनिवार्य रूप से स्थानान्तरण किया गया ; और

(घ) नियत कार्यकाल का ब्यौरा क्या है और ऐसा स्थानान्तरण करना क्यों आवश्यक है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री व० सू० मूर्ति)** : (क) जी नहीं। जब कभी आवश्यकता पड़े, उन्हें उनके मूल पदों पर परिवर्तित किया जा सकता है। अस्थाई पदों पर भर्ती किए गये (व्यक्तियों) की सेवाएं समाप्त भी की जा सकती है।

(ख) जी, हां।

(ग) सहायक इंजीनियर, सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल तथा बिजली) और कार्यपालक इन्जीनियर (सिविल तथा बिजली) और सैक्शन अफसर (ओवर सीयरों)।

(घ) के लिये

| | |
|---|---|
| (i) कार्यपालक इन्जीनियर (सिविल)<br>सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) सहायक इन्जीनियर (सिविल) | सेवाओं की आवश्यकताओं की अनिवार्यता देखते हुए सामान्य कार्यकाल इस प्रकार होता है :<br>(i) एक स्थान विशेष पर 4 वर्ष।<br>(ii) नेफा, त्रिपुरा, मणिपुर और अण्डमान जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 3 वर्ष। |
| (ii) कार्यपालक इन्जीनियर (बिजली)<br>सहायक कार्यपालक इन्जीनियर (बिजली)<br>सहायक इन्जीनियर (बिजली) | (i) 6 वर्ष दिल्ली में तथा 3 वर्ष दिल्ली से बाहर।<br>(ii) नेफा, त्रिपुरा, मणिपुर, और अण्डमान जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 3 वर्ष। |
| (iii) सैक्शन आफिसर्स | सैक्शन अफसरों के किसी विशेष स्थान पर ठहरने का समय सामान्यतः चार वर्ष है। तथापि उन्हें किसी स्थान पर सामान्य अवधि के पश्चात भी अधिक से अधिक 8 वर्ष तक रहने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु शर्त यह है कि वे किसी खास प्रभाग में, अथवा अनुरक्षण, या निर्माण या आयोजना जैसे ग्रुप 4 वर्षों से अधिक न रहें। दुर्गम क्षेत्रों में लगाए गए सैक्शन अफसरों की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष निश्चित है। |

यह तबादले सरकारी हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं, कि कोई

व्यक्ति केवल दुर्गम क्षेत्रों या केवल सुगम क्षेत्रों में ही लम्बी अवधि तक न रहे।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्शनल अफसरों के कर्त्तव्य**

1007. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 28 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7926 और 7941 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले सैक्शनल अफसरों को अधिकारियों अथवा अधीनस्थ कर्मचारियों का स्तर दिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन सैक्शनल अफसरों को उत्तरदायित्व के निर्धारण में अधिकारी तथा कार्य के अपने सामान्य स्थान से भिन्न स्थानों से डाक प्राप्त करने और डाक पत्रवाह पंजी (पीयून बुक) के द्वारा भेजने आदि के मामले में अधीनस्थ कर्मचारी माना जाता है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सैक्शनल अफसरों को केवल श्रेणी तीन स्तर के संवर्ग में रखा गया है और उक्त अधीनस्थ कर्मचारियों तथा अधिकारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये अनुदेशों को बदलवाने के लिये कार्यवाही किये बिना वर्तमान अनुदेशों के आधार पर उनके परिश्रमपूर्ण क्षेत्रीय कार्य को ध्यान में न रखते हुए उन्हें समयोपरि भत्ते से वंचित रखा जा रहा है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :** (क) सैक्शनल अधिकारी तृतीय श्रेणी की सेवा में हैं और राजपत्रित अधिकारी नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। वे समयोपरि भत्ता (ओवरटाईम एलाऊंस) मांगने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि वे सुपरवाइजरी पदों पर हैं। वे तृतीय श्रेणी के वर्ग में एक-मात्र अधिकारी नहीं हैं, जिन्हें सुपरवाइजरी वर्ग में रखा गया है और जिन्हें समयोपरि भत्ता लेने की अनुमति नहीं है।

**पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों पर शांतिलाल शाह समिति का प्रतिवेदन**

1008. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
**श्री य० अ० प्रसाद :** **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के बारे में शांतिलाल शाह समिति के प्रतिवेदन पर अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) और (ख). समिति का प्रतिवेदन इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

**नार्थ तथा साउथ एवेन्यु, नई दिल्ली में नौकरों के क्वार्टरों में बिजली के पाइंटों की व्यवस्था**

1009. **श्री दीवीकन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ तथा साउथ एवेन्यु नई दिल्ली में नौकरों के क्वार्टरों में बिजली के बहुत से पाइन्टों के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बल्बों की व्यवस्था नहीं की है ।

(ख) क्या बिजली के इन पाइंटों में तालों की व्यवस्था नहीं की गयी है जिससे बल्बों की चोरी को रोका जा सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति)** : (क) नौकरों के क्वार्टरों के इन पाइंटों के ब्लाकों में सीढ़ियों, गलियारों (कोरिडार्स), शौचालयों तथा स्नानगृहों जैसे सांझे स्थानों पर ही केवल बल्बों की व्यवस्था बिजली के पाइन्टों पर की जाती है ।

(ख) तथा (ग). बल्बों की हानि रोकने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तालों की व्यवस्था की गई थी, परन्तु इनकी चोरी हो सकती है ।

**कोरबा में एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना**

1010. **श्री बे० वि० सिंह** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी० ए० एल० कम्पनी द्वारा कोरबा में एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उस पर कितना व्यय किया जा चुका है ; और

(ग) इस कारखाने की स्थापना के लिये जितना समय तथा धन नियत किया गया था, क्या उसके बढ़ जाने की सम्भावना है ; और यदि हां, तो कितना ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) कोरबा एल्यूमिनियम प्रायोजना की पहली अवस्था अर्थात एल्यूमिना संयंत्र के निर्माण की यथेष्ट प्रगति हुई हैं । लगभग 15 करोड़ रुपयों के मूल्य के मुख्य उपकरणों तथा मशीनरी के लिये आदेश दे दिये गये हैं और उपकरणों की संरचना प्रारम्भ हो चुकी है । संयंत्र के स्थापना स्थल पर स्थल की सफाई, सड़कों, पुलों तथा अन्य प्रारम्भिक कार्यों का निर्माण पूरा कर लिया गया है । उपकरण स्थापित करने के लिए नींव बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया

है और यह सन्तोषजनक रूप से बढ़ रहा है। बाक्साइट खानों का विस्तृत समन्वेषण कार्य समयावलि के अनुसार चल रहा है और बाक्साइट का खनन 1971 में प्रारम्भ होगा।

एल्यूमिना प्रायोजना की विस्तृत इन्जीनियरिंग अग्रिम अवस्था पर है तथा इस वर्ष के अन्त तक पूरी की जानी संभावित है।

कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग समूह की दूसरी प्रावस्था अर्थात प्रद्रावक/गढाई एकक के संबंध में कम्पनी ने विशिष्ट भागों की विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये रूसी अभिकरण मैसर्स स्वेतमेटप्रोम एक्सपोर्ट के साथ एक समझौता किया है। प्रायोजना रिपोर्ट का रूसी दल द्वारा तैयार किया जाने वाला भाग प्राप्त हो गया है और भारतीय परामर्शदाता विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे रहे हैं, जिसके अप्रैल 1970 तक प्राप्त हो जाने की संभावना है।

(ख) कोरबा एल्यूमिनियम प्रायोजना पर 31 जनवरी, 1970 तक 571-71 लाख रुपये का खर्चा किया गया है।

(ग) पहिले तैयार की गई समयावलि के अनुसार एल्यूमिना संयंत्र अक्टूबर 1971 में चालू किया जाना नियत था। तथापि, अब कुछ देरी हो गई है और संयंत्र के अब जुलाई 1972 तक चालू किये जाने की संभावना है। यह मुख्य रूप से उत्पादन की स्वदेशी सुविधाओं के अधिकतम उपयोग के विचार से आदेशों को अन्तिम रूप देने में देरी तथा स्वदेशी उत्पादकों द्वारा डिलीवरी के लिये बताई गई लम्बी अवधि के कारण से है। इस्पाम की चद्दरों की कुछ श्रेणियों की कमी के कारण से भी कुछ देरी होती है, जिन्हें आयात करना पड़ सकता है।

इस समय इस लेखे में कोई अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय प्रस्तावित नहीं है।

### केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालय पहाड़गंज, नई दिल्ली

1011. श्री लीलाधर कटकी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालय पहाड़गंज से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों में बहुत असन्तोष व्याप्त है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां डाक्टरों का व्यवहार बहुत खराब है और क्या इस बारे में कोई कड़े नियम हैं कि किसी भी हालत में महिला डाक्टर पुरुष रोगियों को नहीं देखेंगी ;

(ग) क्या रोगियों को अपनी बारी आने के लिये बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है ;

(घ) क्या विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई अधिकांश दवाइयां या तो स्टाक में नहीं मिलती अथवा पूरी नहीं दी जाती और विशेष दवाइयों की नियमित सप्लाई के लिए कोई उचित प्रबन्ध नहीं है ;

(ङ) क्या डाक्टर गम्भीर हालत वाले रोगियों को उनके घर पर जाकर देखने से कतराते हैं और प्राथमिक परीक्षण किये बिना ही उन्हें अस्पतालों को भेज देते हैं ; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी और इस क्षेत्र के निवासियों की वास्तविक कठिनाइयों को समाप्त करके इस स्थिति को सुधारेगी ?

**स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) और (ख). गत वर्ष में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय पहाड़गंज के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। दो महिला डाक्टरों के समेत औषधालय में पांच डाक्टर हैं। एक महिला डाक्टर आमतौर पर महिला रोगियों का ही उपचार करती है किन्तु जब रोगियों की भीड़ हो जाती है अथवा कोई पुरुष डाक्टर किसी रोगी के घर पर गया होता है तो वह पुरुष रोगियों को भी देखती है। दूसरी महिला डाक्टर ज्यादातर किसी दूसरे औषधालय में रिलीविंग ड्यूटी पर रहती है किन्तु जब कभी वह औषधालय में उपस्थित रहती है तो वह पुरुष तथा महिला दोनों रोगियों को देखती है।

(ग) औषधालय की दैनिक उपस्थिति 500 और 650 के बीच है और एक डाक्टर को प्रतिदिन औसतन 125 से 150 तक रोगियों को देखना होता है। पंक्ति का तरीका अपनाया जाता है और रोगियों को बारी बारी से देखा जाता है। भीड़ होने पर खासतौर पर सरकारी छुट्टियों के पहले अथवा बाद के दिनों में अथवा किसी डाक्टर के किसी रोगी के घर गये होने पर रोगियों को अपेक्षाकृत देर तक इन्तजार करना पड़ सकता है। आपाती रोगियों को प्राथमिकता दी जाती है।

(घ) जी नहीं। आमतौर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना भेषज संहिता में सम्मिलित सभी दवाइयां औषधालय में मौजूद रहती हैं। जब किसी दवाई का स्टाक समाप्त हो जाता है तो केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डिपो से तुरन्त ही उसकी पूर्ति की व्यवस्था कर दी जाती है। जब कोई खास दवाई डिपो में उपलब्ध नहीं होती है तो अधिकृत कैमिस्टों से इसकी स्थानीय खरीद कर उसे रोगी को दे दिया जाता है।

(ड) किसी रोगी के घर पर जाने के लिये किसी डाक्टर ने मना किया हो ऐसी कोई शिकायत किसी डाक्टर के विरुद्ध नहीं आई है। गत छः महीनों में डाक्टर कितनी बार रोगियों के घर पर इलाज करने गये उसका ब्यौरा इस प्रकार है : –

| | |
|---|---|
| अगस्त 1969 | 78 |
| सितम्बर 1969 | 79 |
| अक्तूबर 1969 | 77 |
| नवम्बर 1969 | 77 |
| दिसम्बर 1969 | 90 |
| जनवरी 1970 | 67 |

प्राथमिक परीक्षण किये बिना किसी रोगी को सीधे अस्पताल में भेजे जाने का भी कोई दृष्टान्त सामने नहीं आया है।

(च) जब विशेष शिकायतें तथा वास्तविक कठिनाइयां सरकार के ध्यान में लाई जातीं हैं तो उन पर जांच पड़ताल की जाती है।

### भारत के रिजर्व बैंक से रूसी दूतावास द्वारा धन निकालना

1012. श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री प० ला० वारूपाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी दूतावास ने 13 अगस्त, 1969 को भारतीय मुद्रा के अपने लेखे से एक करोड़ रुपये निकालने के लिये भारत के रिजर्व बैंक, नई दिल्ली से अनुमति मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या रूसी दूतावास ने धन निकालने का कारण अथवा जिन मदों पर वह राशि व्यय की जानी थी उसका ब्यौरा प्रस्तुत किया था ;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने उक्त राशि निकालने की स्वीकृति दे दी थी ; और

(ङ) क्या सरकार ने इसके लिये कोई सावधानी बरती है कि इस राशि का भारत की आन्तरिक राजनीति में अशांति पैदा करने में दुरुपयोग न किया जाये ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (घ). राजदूतावासों के खातों से रुपया निकालने के लिए सरकार या रिजर्व बैंक की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। भारत में स्थित विदेशी दूतावासों के भारतीय रिजर्व बैंक में कोई खाते नहीं होते।

(ङ) यह सवाल पैदा नहीं होता।

### उद्योगों की बैंक ऋणों पर निर्भरता

1013. श्री झारखण्डे राय :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के उद्योगों में बैंक ऋणों पर निर्भर रहने की बढ़ती हुई प्रवृति दिखाई दे रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य वित्तीय स्रोतों पर निर्भरता कम होती जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस प्रवृति को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). रिजर्व बैंक ने और राष्ट्रीय ऋण परिषद् द्वारा नियुक्त एक अध्ययन दल ने कम्पनियों की वित्तीय व्यवस्था के संबंध में जो अध्ययन किए हैं उनसे स्पष्ट पता चलता है कि उद्योग अन्य साधनों की अपेक्षा बैंक ऋण पर अधिक निर्भर रहने लगे हैं।

(ग) बैंक ऋणों पर उद्योग की निर्भरता को कम करने के लिये, उपर्युक्त दल ने कई सुझाव दिये हैं। ये सुझाव रिजर्व बैंक तथा सरकार के विचाराधीन है।

(ग) बैंक ऋणों पर उद्योग की निर्भरता को करने के लिये, उपर्युक्त दल ने कई सुझाव दिये हैं। ये सुझाब रिजर्व बैंक तथा सरकार के विचाराधीन है।

### बिहार में शीत लहर के कारण मौतें

1014. श्री हिम्मतसिंहका : श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में इस वर्ष शीत लहर के कारण बहुत-सी जानें गई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ग) इस कारण मौतें न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ;

(घ) क्या यह सच है कि बिहार में शीत लहर के कारण प्रति वर्ष अनेक व्यक्ति मरते हैं ;

(ङ) यदि हां, तो पिछले वर्षों में इस प्रकार कितनी जानें गई ; और

(च) ऐसी मौतों को स्थायी आधार पर रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) (ख) (ग) (घ) और (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

(च पर्याप्त भोजन, वस्त्र एवं रहने की जगह की व्यवस्था करना शीत के कारण होने वाली मौतों की रोक थाम के लिए अपेक्षित स्थायी उपाय हैं।

### अगस्त, 1969 में जापानी कपड़े का पकड़ा जाना

1015. श्री एन० शिवप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में अगस्त, 1969 के अन्तिम सप्ताह में, दो गोदामों में से 9 लाख रुपये का जापानी कपड़ा पकड़ा गया था ;

(ख) क्या इन पकड़ी गई वस्तुओं से पता लगा है कि कई करोड़ रुपयों का बड़े पैमाने पर तस्कर काम करने वाला गिरोह सक्रिय है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इस समय जांच-कार्य किस स्तर पर है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

समाहर्ता-कार्यालय, बम्बई के समुद्री तथा निवारक प्रभाग के अधिकरियों ने 18 अगस्त 1969 को बम्बई में दो गोदामों से 7.2 लाख रुपये मूल्य को जापानी वस्त्र-सामग्री पकड़ी।

(ख) आगे अनुवर्ती कार्यवाही के कारण कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जिनसे तस्कर आयात-निर्यात के एक ऐसे जाल चक्र का पता चलता है जिनमें लगभग दो करोड़ रुपये मूल्य का माल ग्रस्त है।

(ग) अभी तक पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की और आगे जांच पड़ताल की जा रही है।

**Disposal of Land Lying Idle with Synthetic Rubber Factory, Bareilly**

1016. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh had allotted 1381 acres of land to Synthetic Rubber Factory, Bareilly ;

(b) whether it is a fact that only 400 acres of land was made use of and the remaining land is lying idle ; and

(c) if so, whether his Ministry is prepared to forego the above mentioned land so as to distribute the same among the landless persons ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) :** (a) Yes.

(b) From the enquiries made by the Government of U.P. it appears that the Company has so far utilised 666 acres of the said land.

(c) The question does not arise because the Synthetic rubber Factory of M/s. Synthetics and Chemicals Ltd. at Bareilly is a private sector unit and the Central Government is not concerned with the allotment of land to or its utilisation by the Company which is the concern of the Government of U.p.

**Non-Recoverable Amount of Loans Given by Industrial Finance Corporation**

*1017. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans given by the Industrial Finance Corporation which is not likely to be recovered ; and

(b) the names of persons on whose recommendations the said loans had been given and the guarantee obtained therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :** (a) The Corporation has been making certain appropriations every year from its profits towards the reserve for doubtful debts as advised by its statutory auditors. The reserve stood at Rs. 89.45 lakhs as on 30.6.1969. The legal proceedings for recovery of its dues in the case of one industrial concern in default have been concluded since that date. The Corporation apprehends that an amount of the order of Rs. 9.37 lakhs may have to be written off in this case.

(b) Assistance is sanctioned by the Corporation not on the recommendation of any particular person but collectively by the Board of Directors after the projects concerned has been found to be technically and economically viable by the concerned Advisory Committee on the basis of appraisal reports on the projects prepared by the financial and technical officers of the Corporation. Guarantees for the assistance sanctioned are stipulated only by the Board of Directors depending upon the merits of each case.

## Sources of Capital of I.F.C.

*1018. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the sources of capital of the Industrial Finance Corporation ;

(b) whether the Corporation has adopted any method other than obtaining loans from Government for the purpose of raising capital ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi)** : (a) The various sources available to the Industrial Financc Corporation of India for its working capital are indicated below :—

(i) Paid-up capital.

(ii) Reserves and retained earnings.

(iii) Borrowings from the market by issue of bonds under Section 21(1) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948.

(iv) Borrowings from the Central Government/Industrial Development Bank of India under Section 21(4) of the Industrial Finance Corporation Act.

(v) Foreign credits for grant of sub-loans.

(vi) Repayment of rupee loans and sale of investments.

(vii) Acceptance of deposits under Section 23 of the Industrial Finance Corporation Act.

(b) and (c). Apart from its borrowings from the Central Government, the Industrial Finance Corporation of India has tapped sources (i), (ii), (iii), (v) and (vi) mentioned above to finance its assistance to the industry. The relevant figures are given below :

Sources from which Disbursement have been Financed as at 30-6-69 (*vide* page 29 of the 21st Annual Report of the Industrial Finance Corporation laid on the table of the House on the 8th December, 1969).

(crores of rupees)

| Disbursements | | Sources of Finances | |
|---|---|---|---|
| Rupee loans | 181.25 | Paid-up capital | 8.35 |
| | | Reserves | 10.94 |
| Foreign currency loans | 29.95 | Borrowings from market by issue of bonds | 47.24 |
| Underwriting commitments | 19.01 | | |
| Direct Subscription | 1.96 | Borrowing from Central Government | 81.39 |
| | | Foreign credits | 29.95 |
| | | Repayment of rupee loans and sale of investments. | 54.30 |
| | 232.17 | | 232.17 |

**मध्य प्रदेश में पेय जल की सुविधायें**

1019. **श्री दे० वि० सिंह : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्र तथा कितने प्रतिशत जनसंख्या के लिये पेय जल की व्यवस्था नहीं है तथा ये आंकड़े अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के समान आंकड़ों की तुलना में कितने अधिक हैं अथवा कम ;

(ख) 1970-71 तथा चौथी योजना अवधि में मध्य प्रदेश में पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये यदि कोई योजनायें बनाई गई हैं तो उनका ब्यौरा क्या है तथा इसके लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी जाएगी तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसी योजनाओं के लिये दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) मध्य प्रदेश तथा समूचे देश में 1970-71 तथा चौथी योजना में पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था करने के क्या लक्ष्य हैं ?

**स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन, और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार राज्य में 219 म्यूनिसिपलिटियों/नगरों में से 92 में नलों द्वारा जलपूर्ति की व्यवस्था है और 127 में अन्य साधनों से जलपूर्ति की व्यवस्था की गई है तथा 76 प्रतिशत शहरी जनता के लिये नलों द्वारा जलपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है।

ग्राम क्षेत्रों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने बतलाया है कि राज्य में 76,843 ग्रामों में से 64,343 ग्रामों में जिनमें ग्रमीण आबादी का 83.7 प्रतिशत आ जाता है, (कुओं, टैंकों, हैंण्डपम्पों, नल जलपूर्ति योजनाओं आदि के माध्यम से) पानी की व्यवस्था है तथा 12,500 ग्रामों में एक मील के भीतर तक जलपूर्ति के कोई स्रोत नहीं हैं। अन्य राज्यों/संघ क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग). लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का काम है। इसलिए योजनाएं तैयार करना और उनके क्रियान्वित करने के साथ साथ उनकी प्राथमिकता का निश्चय करना तथा राज्य सेक्टर में आवश्यक धन की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का काम है।

चालू वर्ष से राज्यों को केन्द्रीय सहायता किसी खास योजना/कार्यक्रम/विकास शीर्ष का उल्लेख किये बिना सम्पूर्ण प्लान के लिये समेकित ऋण तथा समेकित अनुदान के रूप में दी जाती है।

**U.S. Aid to India**

@1020. **Shri Ram Charan :** **Shri R. R. Singh Deo :**
**Srhi Manibhai J. Patel :** **Shri Deven Sen :**
**Shri Y. A. Prasad :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the President of U.S.A. has declared on the 2nd

February, 1970 to give 492 million dollars aid to India in the form of arms and other economic assistance ; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :** (a) The question presumably refers to the figure of $ 492 million for aid to countries in the Near East and South Asia region included in the U.S. President's budget message to the U.S. Congress for their fiscal year July 1. 1970 June 30, 1971. This request is for the U.S. aid programme not only for India but also for other countries in the region such as Turkey and Pakistan. India does not receive any arms aid from the U.S.

(b) The Government of India have no reaction at this stage since the actual amount of U.S. aid to India next year will depend on appropriations to be finally voted by the U.S. Congress and its allocation to different countries.

## जापानी सर्वेक्षण शिष्टमण्डल की यात्रा

1022. **श्री न० कु० सांघी :**
**श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय आर्थिक विकास के लिये जापानी सहायता के प्रभाव की जांच करने के लिये गत मास इस देश में एक जापानी सर्वेक्षण शिष्टमण्डल आया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस शिष्टमंडल ने क्या अनुमान लगाया है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** आठ सदस्यों के एक जापानी सर्वेक्षण शिष्टमंडल ने ४ जनवरी से 28 जनवरी, 1970 तक भारत का दौरा किया था। जापानी आर्थिक सहायता के उपयोग तथा भारत के विकास कार्यक्रम पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना, इस शिष्टमंडल का उद्देश्य था।

(ख) शिष्टमंडल, जापान में सम्बद्ध प्राधिकारियों को अपनी जांच-परिणामों की रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत करने वाला है।

## 1969 में व्यापार और भुगतान सन्तुलन

1023. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में भारत के व्यापार सन्तुलन तथा भुगतान सन्तुलन की स्थिति क्या थी ;

(ख) क्या पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष स्थिति अनुकूल रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं सेठी) :** (क) और (ख). भारत ने, 1969 के दौरान 1593 करोड़ रुपये के सामान का आयात और 137 करोड़ रुपये के सामान का निर्यात

@Original notice of the question received in Hindi.

किया है । इस वर्ष का 217 करोड़ रुपये का व्यापारिक घाटा पिछले वर्ष के मुकाबले कम था, क्योंकि इस वर्ष आयात में कमी हुई जबकि निर्यात में वृद्धि हुई । जहां तक भुगतान सन्तुलन का सम्बन्ध है, ऋण परिशोधन अदायगियां पिछले वर्ष की ऋण परिशोधन अदायगियों के मुकाबले में अधिक हुई । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को 1969 में 111 करोड़ रुपये की शुद्ध वापसी-अदायगियां की गई जो 1968 की 73 करोड़ रुपये की शुद्ध वापसी-अदायगियों और 1967 की 61.9 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासियों के मुकाबले में अधिक थी । हमारी विदेशी मुद्रा की रकम में लगभग 1,836 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि यह वृद्धि 1968 में 15 करोड़ रुपये और 1967 में 4.2 करोड़ रुपये की हुई थी ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

**आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न भंडार बनाना**

1024. **श्री बेनी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा मत व्यक्त किया गया है कि खाद्यान्न अधिक्य भण्डारल प्रगति की कुंजी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिये क्या उपाय सोचे गये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या परिणाम निकले हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) माननीय सदस्य के मन में, अक्सर व्यक्त किया गया यह विचार है कि भारतीय परिस्थितियों में, पर्याप्त कृषि विकास, और विशेष रूप से अनाज का उत्पादन अबाध आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है । सरकार का भी यही मत है और उसने सभी आयोजनाओं में कृषि के विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी है । हाल के वर्षों में, इस सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रयत्नों को तेज कर दिया गया है ।

(ख) अनाज के उत्पादन में लगातार वृद्धि को बनाये रखने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किये गये हैं । ये उपाय इस प्रकार हैं :—

> बीजों की नयी और अधिक उत्पादन करने वाली किस्मों का विकास और प्रयोग, बड़ी और छोटी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, हानिकर कीड़े-मकोड़े मारने वाली दवाओं, उर्वरकों तथा खेती की मशीनों जैसी कृषि के काम आने वाली मुख्य-मुख्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता की स्थापना, भू-संरक्षण और भूमि सुधार के लिए प्रबन्ध, खेती करने के तरीकों के प्रचार और सुधार के लिए व्यापक विस्तार संगठन की स्थापना और सहकारी तथा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि-ऋण सुविधाओं की व्यवस्था ।

(ग) अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने के जोरदार प्रयत्नों से हाल के वर्षों में अच्छी सफलता मिली है । 1967-68 में अनाज का 9.51 करोड़ मैट्रिक टन का सर्वाधिक (रिकार्ड) उत्पादन हुआ था । इस वर्ष उससे काफी अधिक उत्पादन होने की सम्भावना है ।

## सरकारी उपक्रमों द्वारा निर्यात में वृद्धि

1025. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय निर्यात अभियान में सरकारी उपक्रमों के निर्यात सम्बन्धी निष्पादित कार्य पर विचार विमर्श करने के लिये इस वर्ष जनवरी में इन उपक्रमों का एक सम्मेलन बुलाया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन उपक्रमों के लिए कोई विशेष निर्यात नीति निर्धारित की जा रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ उपक्रमों में काफी कार्य-क्षमता अप्रयुक्त पड़ी हुई है, जिसका निर्यात बाजार की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये उपयोग किया जा सकता है और यदि हां, तो उन उपक्रमों के नाम क्या हैं; और

(घ) निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकारी उपक्रमों द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) जी हां, सरकारी उपक्रमों द्वारा जोरदार निर्यात कार्यक्रम अपनाने से सम्बन्धित विषयों पर विचार करने के लिए 8 जनवरी, 1970 को वैदेशिक व्यापार मन्त्री की अध्यक्षता में कुछ सरकारी उपक्रमों के मुख्य प्रबन्धकों की एक बैठक हुई थी।

(ख) से (ग). इंजीनियरी के क्षेत्र में अधिकतर सरकारी उपक्रमों के सामने यह समस्या है कि उनकी अधिष्ठापित क्षमता से कम क्षमता का उपयोग हो रहा है। निर्यात द्वारा बिक्री बढ़ाना इन उपक्रमों की क्षमता का अधिक उपयोग करने का एक महत्वपूर्ण तरीका माना गया है। निर्यात बढ़ाने के लिए जो उपाय करने का प्रस्ताव है उसमें निर्यात विपणन योजना तैयार करना, सबके उपयोग के लिये विदेशों के लिये साहित्य आदि सामग्री तैयार करना, 1970 में ओसाका में फिल्मों स्लाइडों का उपयुक्त प्रदर्शन, निर्यात उद्देश्यों के लिये विदेशी मुद्रा वितरण का एक सुव्यवस्थित प्रबन्ध, चुने गये मामलों में नकद सहायता आवश्यकता पड़ने पर सलाहकारों की सेवाओं का उपयोग आदि शामिल हैं।

## कटक के शिशु भवन बाल रोग प्रशिक्षण केन्द्र का दर्जा बढ़ाया जाना

1026. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नागरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटक के शिशुभवन बाल-रोग प्रशिक्षण केन्द्र का दर्जा बढ़ाने और तीसरी योजना में 90 प्रतिशत व्यय वहन करने तथा चौथी योजना में सारे के सारे व्यय को वहन करने के लिए सरकार ने 1967 में अनुमति दी थी;

(ख) क्या यह सच है कि अभी तक उक्त संस्था का दर्जा नहीं बढ़ाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस संस्था को नई दिल्ली

अथवा चंडीगढ़ की भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था की भांति एक राष्ट्रीय ट्रापिकल बाल रोग, प्रशिक्षण संस्था बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नागरीय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) यह संस्थान उड़ीसा राज्य सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में है। इस संस्थान को अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं अनुसन्धान संस्थान, चंडीगढ़ की भांति एक राष्ट्रीय ट्रापिकल बाल रोग प्रशिक्षण केन्द्र घोषित करने का इस समय केन्द्रीय सरकार का कोई विचार नहीं है।

### कटरों के सुधार के लिए धन का नियतन

1027. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री चन्द्र गोयल :**
**श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली के कटरों के विकास के लिये 25 लाख रुपये का नियतन करना स्वीकृत किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने अब इस नियतन को घटाकर 8 लाख रुपया कर दिया है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने कटरों के विकास करने के लिए और धन की मांग की है;

(घ) यदि हां तो दिल्ली प्रशासन की मांगों को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में कटरों के विकास के लिये कितना धन व्यय किया गया है?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नागरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी हां, रकम स्वीकृत की जा चुकी है।

(ख) गन्दी बस्ती सफाई/सुधार योजना के अन्तर्गत 8 लाख रुपये, एक अतिरिक्त नियतन है।

(ग) जी, हां।

(घ) भाग (क) के उत्तर और तत्पश्चात हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, यह मालूम करने का निर्णय किया गया है कि क्या 1969-70 के दौरान बचत उपलब्ध है।

| | | |
|---|---|---|
| (ङ) | 1966-67 | 9.31 लाख रुपये |
| | 1967-68 | 7.31 लाख रुपये |
| | 1968-69 | 11.99 लाख रुपये। |

### आयकर करदाताओं के मामले

1028. **श्री हेम राज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1969 तक कुल कितने आयकर करदाता 5000 रुपये से अथवा उससे कम 5000 से 10,000 रुपये 10,000 से 15,000 रुपये 15,000 से 20,000 रुपये और 20,000 से 25,000 रुपये आय सीमा के अन्तर्गत आते हैं ; और

(ख) कुल कितने करदाता दिसम्बर 1969 को 25,000 से 100,000 रुपये एक लाख से दो लाख रुपये दो लाख से तीन लाख रुपये तीन लाख से चार लाख रुपये चार लाख से पांच लाख रुपये और पांच लाख से अधिक आय सीमा के अन्तर्गत आते हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) तथा (ख). आय-कर निर्धारित संख्या के सम्बन्ध में सूचना वर्ग-वार रखी जाती है तथा 31-3-69 को जो स्थिति थी उसकी सूचना नीचे दी गई है :

| वर्ग | निर्धारितियों की संख्या |
|---|---|
| **वर्ग i** | |
| 25,000 रुपये से ऊपर की आय के व्यापार सम्बन्धी मामले | 1,37,324 |
| **वर्ग ii** | |
| 15,000 रुपये से ऊपर किन्तु 25,000 रुपये से अनाधिक आय के व्यापार सम्बन्धी मामले | 1,37,265 |
| **वर्ग iii** | |
| 7500 रुपये से ऊपर किन्तु 15,000 रुपये से अनधिक आय के व्यापार सम्बन्धी मामले । | 3,25,392 |
| **वर्ग iv तथा v** | |
| 1. 7,500 रुपये से कम आय के व्यापार सम्बन्धी मामले । | |
| 2. सरकारी-वेतन के मामले । | 20,73,480 |
| 3. गैर-सरकारी वेतन के मामले । | |
| 4. अधिनियम की धारा 237 के अन्तर्गत वापसी के सभी मामले | |

## हृदय प्रतिरोपण के मामले में वृद्धि

1029. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में हृदय प्रतिरोपण के मामले में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) हृदय प्रतिरोपण के कितने रोगी जीवित हैं और कितने मामलों में मृत्यु हो गई है ; और

(ग) क्या सरकार विधि अथवा किसी अन्य संहिता द्वारा डाक्टरों को रोगियों में नए हृदयों के प्रतिरोपण करने का परामर्श देने की स्थिति में है ?

**स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार बम्बई के के०ई०एम० अस्पताल के केवल दो हृदय प्रतिरोपण किए गए थे। दोनों रोगियों की शल्य क्रिया के तुरन्त पश्चात् मृत्यु हो गई।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

## दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा मकान बनाने की अवधि का बढ़ाया जाना

1030. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नागरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा मकान बनाने की अवधि को बढ़ाया गया था और यदि हां तो उसे कितना बढ़ाया गया था ;

(ख) यदि नहीं तो इस बारे में कितने बाद चलाए गए और कुल कितना जुर्माना वसूल किया गया ; और

(ग) प्लाटों के मालिकों के प्रति कार्यवाही करने के लिए सरकार का विचार और क्या कदम उठाने का है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) दिसम्बर, 1969 तक निर्माण पूरा करने के लिए बिना किसी दंड लगाये सभी विकास योजनाओं के लिए, जहां पानी और बिजली की व्यवस्था कर दी गई है, सामान्य रूप से अवधि बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई थी।

(ख) उन व्यक्तियों से अभी कोई दण्ड वसूल नहीं किया गया है जिन्होंने कार्य आरम्भ कर दिया था किन्तु वे उसे बढ़ाई गई अवधि तक पूरी नहीं कर सके।

(ग) उन प्लाटों के पट्टों को रद्द करने, जिनमें दिसम्बर, 1969 से पहले निर्माण-कार्य आरम्भ नहीं किया गया तथा जिन्होंने निर्धारित तिथि से पहले आरम्भ कर दिया किन्तु उसे अन्तिम तारीख तक समाप्त नहीं किया उनसे दण्ड वसूल करने का प्रस्ताव है।

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय के अन्तर्गत परियोजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों में संगठनगत प्रतिद्वन्द्वता**

1031. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत सरकारी परियोजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों में संगठनगत प्रतिद्विन्दता बढ़ गई है और इससे इन परियोजनाओं के उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था करने की वांछनीयता पर विचार किया है जिसके द्वारा उक्त परियोजनाओं में श्रमिकों में लगातार होने वाले झगड़ों को कम किया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क), (ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**विश्व बैंक द्वारा राज्यों को सीधी सहायता**

1032. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि विश्व बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राज्यों को स्वीकृत परियोजनाओं के लिए सीधी सहायता दी जानी चाहिए ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रकाश चं० सेठी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

**देश में ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों का विकास**

1033. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य परिषद ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों के विकास के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ये अस्पताल राज्यवार किन-किन राज्यों में तथा किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क), (ख) और (ग). स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और प्रसूति तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं को एक स्थान से उपलब्ध करने के उद्देश्य से केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की एक विशेष समिति ने ऐसा सुझाव दिया है कि देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ बनाया जाय। शुरू-शुरू में यह प्रस्ताव रखा गया है कि कुछ दूरस्थ अथवा क्षेत्रों में जहां से जिला या तालुका अस्पतालों में आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 25 पलंगों वाले लघु अस्पतालों में परिवर्तित कर दिया जाय। इस प्रस्ताव का पूरा ब्योरा अभी तैयार किया जाना है।

### Grants and Loans Advanced to Governments of Uttar Pradesh and Tamilnadu by Central Government

*1034. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of grants and loans advanced by the Central Government to Uttar Pradesh and Tamilnadu separately for the relief of famine affected and scarcity-hit areas in the States during the financial year 1969-70; and

(b) the extent of inhabited area declared as scarcity hit area by each State and the number of persons affected as a result thereof in each State as per the information collected by Central Government ?

**The Minister of Supply and the Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) :** (a) Assistance in the form of grants and loans is given by the Central Government on the basis of the recommendations of Central teams that are deputed to visit affected areas on the request of the State Governments concerned. The Central Teams, while making their recommendations, take into consideration *inter-alia*, the estimated expenditure on the relief programmes proposed by the State Governments, the extent of the distress resulting from the drought, the population affected, the extent of loss to crops, the type of programmes that should be undertaken for relief purposes, the financial position of the State Government, etc. In the case of Uttar Pradesh and Tamil Nadu, for the current financial year, in the light of the recommendations of the respective Central teams, the ceilings accepted for purposes of Central assistance are Rs. 2.67 crores and Rs 14.50 crores respectively. On the basis of the progress of expenditure reported by the State Governments, the following amounts have been released so far :

(Rs. in Crores)

| | Uttar Pradesh | Tamil Nadu |
|---|---|---|
| Loans | 1.00 | 10.00 |
| Grants : | 0.50 | 3.00 |
| | 1.50 | 13.00 |

(b) The Government of Uttar Pradesh have reported that 26400 villages covering a population of 105 lakhs in eight districts were affected by drought. However, none of these affected districts was declared as scarcity hit areas. In Tamil Nadu, the State Government declared 80 taluks in eleven districts covering a population 32.45 lakhs as drought affected.

## Branches of Central Bank of India

1035. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased state :

(a) the number of branches of the Central Bank of India one of the nationalised Banks, at present ;

(b) the number of branches in the urban area and the rural area separately ;

(c) the names of the States and the number of branches of the Banks in each State; the details there of Statewise ; and

(d) the total number of new branches of the Bank likely to be opened in the year 1970 in the Urban and Rural areas separately, Statewise ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b).** As on 31st January, 1970 the number of branches in India of the Central Bank of India stood at 669, of which 130 were in rural areas (*i.e.* places with population of not more than 10,000), 252 in semi-urban areas (places with population between 10,000 and one lakh) and 287 in urban areas (places with population of more than 1 lakh).

(c) A Statement is laid on the Table of the House.

(d) The Central Bank holds licence for opening 166 branches during the year 1970 of which 132 will be in the rural areas, 23 in semi-urban areas and 11 in urban areas. The Statewise distribution of these branches in indicated in a statement which is laid on the Table of the House. [*Placed in Liberary, See* No. LT—2657/70]

## Income Tax due from M/S Akuji Javat and Company

1036. **Shri Hukam Chand Kachwi** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large amount of Income-tax arrears is outstanding against M/s Akuji Javat and Company ;

(b) whether it is also a fact that this Company of Andaman and Nicobar Islands has not deposited the arrears for the last so many years ;

(c) if so, the total amount of Income-tax assessed on the laid Company during the last three years and the amount realised ; and

(d) the total amount of Income-tax yet to be realized and the action taken by Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b).** There is no assessee by the name of M/s Akuji Javat and Company doing business in Andaman and Nicobar Islands. However, there are two concerns by the name of (1) M/s R. Akuji Jadwet and Co. (P) Ltd. ; and (2) M/s R. Akuji Jadwet and Co. of which the former alone is a Company. It is presumed that the Hon'ble Member refers to the company by the name of M/s R. Akuji Jadwet and Co. (P) Ltd. A sum of Rs. 20,000 is only outstanding against this company and its collection has been stayed till disposal of appeal.

(c) Information regarding total amount of Income-tax assessed on the above company during the last three years and the amount realised is given as under :—

| Financial year | Income-tax assessed Rs. | Amount realised Rs. |
|---|---|---|
| 1966-67 | 56,000 | 36,000 |
| 1967-68 | Nil | Nil |
| 1968-69 | Nil | Nil |

(d) A sm of Rs. 20,000/-has yet to be realised. This amount has been kept in abeyance till disposal of appeal.

**तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोजन के पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय से चोरी की गई जीपें**

1037. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पूर्वी क्षेत्र के मुख्यालय से आयोग की उस क्षेत्र की दो जीपें चोरी हो गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो जीपें किन परिस्थितियों में चोरी हुई ;

(ग) क्या पहरे और निगरानी के बारे में उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया गया है ; और

(घ) प्रत्येक जीप के कारण कितनी हानि हुई ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :** (क) जी हां ।

(ख) एक जीप 9-10-66 को ट्रांसपोर्ट यार्ड, शिवसागर से चोरी हुई थी जब उसे सफाई के लिए भेजा गया था । दूसरी जीप उस समय चोरी हुई जब उसे 20-1-69 को केन्द्रीय वर्क-शाप शिवसागर से बाहर ले जाया गया ।

(ग) अभी नहीं । इन दोनों मामलों में पूछ-ताछ अभी जारी है ।

(घ) जो जीप ट्रांसपोर्ट यार्ड, शिवसागर से चोरी हुई उसका वही-मूल्य 15,979.70 रुपये था तथा जो केन्द्रीय वर्कशाप, शिवसागर से चोरी हुई उसका वही-मूल्य 12,914.67 रु० था ।

**जीवन बीमा निगम के पूर्वी जोन के कर्मचारी संघ द्वारा भेजा गया ज्ञापन**

1038. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जीवन बीमा निगम के पूर्वी जोन के कर्मचारी संघ ने जीवन बीमा निगम को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें कुछ मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या जीवन बीमा निगम ने उक्त मांगों पर विचार किया है और अपेक्षित कार्यवाही की है ।

(ग) क्या यह भी सच है कि जीवन बीमा निगम के गोहाटी डिवीजन के कर्मचारियों ने गत दिसम्बर में प्रबन्धकों के सामने प्रदर्शन किया था ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**पूर्ति मन्त्री और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) :** (क) जी, हाँ । कलकत्ता प्रभागीय जीवन बीमा कर्मचारी संघ ने क्षेत्रीय प्रबन्धक, कलकत्ता को 12 फरवरी

1970 को एक पत्र लिख कर उससे अनुरोध किया है वह जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगों का अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के साथ तुरन्त निपटारा करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से प्रार्थना करे। उनकी मांगें इस प्रकार हैं :

(i) अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ द्वारा फरवरी 1967 में जीवन बीमा निगम को प्रस्तुत किये गये मांग-पत्र का फैसला किया जाय।

(ii) तीन महीने के पूरे वेतन, बोनस के रूप में दिये जाँय ;

(iii) सभी विचाराधीन शिकायतों का फैसला किया जाय ;

(iv) विभिन्न कार्यालयों में की गई ज्यादतियों और दाण्डिक कार्यवाहियों को रद्द किया जाय ;

(v) अखिल भारतीत बीमा कर्मचारी संघ, तथा उसके क्षेत्री, प्रभागीय और शाखा यूनिटों को मान्यता दी जाय ;

(vi) अस्थाई मंहगाई भत्ते में नवम्बर 1968 में की गई कटौती को बहाल किया जाय ;

(vii) जीवन बीमा निगम में यंत्रीकरण योजना को बन्द किया जाय ;

(ख) जीवन बीमा निगम ने अभी तक इन मांगों की जांच नहीं की है क्योंकि पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय का इन मांगों से सम्बन्धित पत्र जीवन-बीमा निगम के केन्द्रीय कार्यालय में केवल 18 फरवरी 1970 को ही प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, हां, 31 दिसम्बर 1969 को प्रदर्शन किया गया था।

(घ) ये प्रदर्शन मध्यावकाश में किये गये थे और यह मांग की गई थी कि राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष चल रही कार्यवाही को जल्दी ही अन्तिम रूप दे दिया जाय, तीन महीने का वेतन लाभांश के रूप में दिया जाय और यन्त्रीकरण को समाप्त किया जाय।

### कर अपवंचन के दण्ड स्वरूप सम्पत्ति जब्त करना

10ऽ9. श्री उमानाथ : श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष : श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री प० गोपालन

क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भूतपूर्व उप प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि कर अपवंचन के दण्ड के रूप में सम्पत्ति जब्त की जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) तथा (ख). वित्त अधिनियम 1968 के द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम 1961 में यह उपबन्ध है कि जिस आय पर कर-

अपवंचन किया गया है, उस आय पर न केवल कर लगाया जाय बल्कि दण्ड भी लगाया जाय। दण्ड की कम से कम छिपायी गयी आय की रकम के बराबर और अधिक से अधिक उसकी दुगुनी होगी।

**Seizure of Gold at Bandra Sea-Coast**

1040. **Shri Om Prakash Tyagi :**
**Shri P. L. Barupal :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is fact that contraband gold worth Rs. 40 lakhs approximately has been seized at Bandra sea coast ;

(b) if so, the name of the party to whom the said gold belonged ; and

(c) the action taken by Government against the party concerned ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :** (a) On 22nd December, 1969 officers of Marine and Preventive Division of Central Excise Collectorate, Bombay seized ten gunny bundles containing 20 jackets unloaded by a boat near the sea-shre at Bandra, Bombay. The jackets contained 231 kilograms of gold valued approximately Rs. 19.5 lakhs at the international monetary rate and Rs. 40 lakhs at the market rate.

(b) The name of the party to whom the gold belongs is not known.

(c) Does not arise in view of reply to part (b) above.

**आयकर के मामलों की विचाराधीन अपीलें**

1041. **श्री एम० आर० दामानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1969 तक आयकर विभाग तथा न्यायालयों में विभिन्न स्तरों पर आयकर की कितनी अपीलें विचाराधीन थीं ;

(ख) इस वर्ष कितनी अपीलों का निपटारा किया गया तथा उनसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ ;

(ग) यह अपीलें कब से विचाराधीन थीं ; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में आयकर अधिकारियों द्वारा किये गये कर निर्धारण के विरुद्ध कितनी नई अपीलें दायर की गई तथा क्या इससे पहले वर्ष की तुलना में इनमें वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) से (घ). अपीलीय सहायक आयकर आयुक्तों, उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और इकट्ठी करके सदन की मेज पर रख दी जायेंगी। लेकिन अपीलों में ग्रस्त राजस्व सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है और उसे इकट्ठा करने में जो समय और श्रम लगेगा वह उसके परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

## आयकर निर्धारण के विचाराधीन मामले

1142. श्री एस० आर० दामानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1969 को आयकर निर्धारण के कितने मामले विचाराधीन थे ;

(ख) उनमें से (एक) 5000 रुपये अथवा उससे कम आय वर्ग और (दो) 5000 रुपये से 10,000 रुपये तक आय वर्ग के क्रमशः कितने मामले थे ; और

(ग) इन निर्धारणों से कितना राजस्व प्राप्त हुआ तथा 1968-69 में निर्धारित कुल कर का यह कितना प्रतिशत था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 15,77,955

(ख) सूचना केवल वर्गों के अनुसार उपलब्ध है और वह नीचे दी गई हैं :

| वर्ग | मार्च 1969 के अन्त में कर-निर्धारण के अनिर्णीत पड़े मामले |
|---|---|
| वर्ग i | |
| 25,000 रु० से ऊपर की आय के व्यापार सम्बन्धी मामले | 1,62,539 |
| वर्ग ii | |
| 15,000 रुपये से ऊपर किन्तु 25,000 रु० से अनधिक आय के व्यापार सम्बन्धी मामले | 1,49,026 |
| वर्ग iii | |
| 7,500 रुपये से ऊपर किन्तु 15,000 रु० से अनधिक आय के व्यापार सम्बन्धी मामले | 3,10,386 |
| वर्ग iv तथा v | |
| 1. 7,500 रु० से कम आय के व्यापार सम्बन्धी मामले<br>2. सरकारी वेतन के मामले<br>3. गैर-सरकारी वेतन के मामले<br>4. अधिनियम की धारा 237 के अन्तर्गत वापसी के सभी मामले | 9,56,004 |

(ग) इन कर-निर्धारणों से राजस्व प्राप्ति का कोई सही-सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं

है। इसलिए, वर्ष 1968-69 के लिये निर्धारित कुल कर के सम्बन्ध में प्रतिशत-अनुपात निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**कर निर्धारण पर व्यय**

1043. **श्री एस० आर० दामानी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के वर्षों में आयकर के मामले में कर निर्धारण पर औसतन कितना व्यय हुआ है ;

(ख) क्या इसमें अपीलों पर किया गया व्यय भी शामिल है और यदि नहीं, तो अपीलों पर कितना व्यय किया गया है और कितनी अपीलें की गई ; और

(ग) इस औसत को निकालने में 5000 रुपये तक के तथा 5000 रुपये से 10,000 रु० तक के कितने मामलों को ध्यान में रखा गया है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क)

| वर्ष | कर-निर्धारण के एक मामले की औसत लागत (लगभग) |
|---|---|
| 1966-67 | 42 रुपये |
| 1967-68 | 44 रुपये |
| 1968-69 | 38 रुपये |

आयकर, धनकर, सम्पदाशुल्क तथा दानकर के पूरे किये गये निर्धारणों की संख्या से कुल लागत को भाग कर के उपर्युक्त आंकड़ों का हिसाब लगाया गया है।

(ख) उपर्युक्त आंकड़ों में अपीलों पर खर्च शामिल है।

(ग) यह सूचना विभाग द्वारा निर्धारित वर्गों के अनुसार उपलब्ध है, जो नीचे दिये अनुसार है :—

| वर्ग | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 |
|---|---|---|---|
| वर्ग iii | | | |
| व्यापार सम्बन्धी वे मामले जिनकी आय 7,500 रुपये से अधिक है परन्तु 15,000 रुपये से अधिक नहीं है। | 2,87,992 | 3,02,403 | 4,33,313 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| वर्ग iv तथा v | | | |
| 1. व्यापार सम्बन्धी वे मामले जिनकी आय 7,500 रुपये से कम है। 2. सरकारी वेतन सम्बन्धी मामलें। 3. गैर-सरकारी वेतन सम्बन्धी मामले। 4. अधिनियम की धारा 237 के अन्तर्गत वापसी के सभी मामले। | 18,77,353 | 19,71,631 | 26,17,459 |

## आयकर की बकाया राशि

1044. श्री एस० आर० दामानी : श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री हेम राज : श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री क० मि० मधुकर : श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1969 तक आयकर की कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) क्या चालू वर्ष में कर की वसूली में वृद्धि हुई है अथवा कमी और पिछले तीन वर्षों की तुलना में यह कितनी है ;

(ग) बकाया राशि को शीघ्र वसूल करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या सरकार ने समस्त बकाया राशि की वसूली तथा शेष को बट्टे खाते में डालने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की है ताकि स्थिति का स्पष्ट रूप से पता लग सके ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) आयकर की बकाया के नवीनतम आंकड़े 30 सितम्बर 1969 को उपलब्ध आंकड़े हैं जिस तारीख को बकाया की रकम 555.99 करोड़ रुपये थी।

(ख) बकाया की मांग में से कर की वसूली में पिछले तीन वर्षों की अपेक्षा चालू वर्ष में सुधार हुआ है, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से जाहिर है :—

| | |
|---|---|
| 1966-67 | 62,76 करोड़ रुपये |
| 1968-69 | 100.52 करोड़ रुपये |
| 1967-69 | 110.55 करोड़ रुपये |
| दिसम्बर 1969 तक | 9[illegible].74 करोड़ रुपये |

(ग) कर की बकाया रकमों की जल्दी जल्दी वसूली करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए गए हैं :

(i) वसूली के कार्य को अपने हाथ में लेना जो अब तक राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा किया जाता था।

दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में वसूली कार्य को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया गया है।

पश्चिम बंगाल, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा पूना के आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्र में वसूली-कार्य को आंशिक रूप से हाथ में लिया गया।

बाकी के अधिकार-क्षेत्रों में भी वसूली-कार्य को यथा सम्भव शीघ्र ही अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है।

(ii) कर्त्तव्य के अनुसार कार्य-विभाजन की योजना लागू करना, जिसके अन्तर्गत कर संग्रह का कार्य रेन्ज के एक अथवा एक से अधिक आयकर अधिकारियों का विशेष कार्य बना दिया गया है।

(iii) कर की बकाया के कारणों का पता लगाने तथा शीघ्र-वसूली के उपाय करने के उद्देश्य से 5 लाख रुपये से ऊपर की बकाया की मांग का विस्तृत विश्लेषण, किया गया है। इस विश्लेषण को अब 1 लाख रुपये से ऊपर की बकाया की मांगों के मामलों पर लागू कर दिया गया है।

(iv) जिन मामलों में आयकर की बकाया रकमें वसूल होनी बाकी हैं, उनमें उचित कार्यवाही करने की जिम्मेदारी विशिष्ट अधिकारियों पर, इस प्रकार रखी गई है :—

| | | |
|---|---|---|
| निरीक्षी सहायक आयकर आयुत | ...... | 1 लाख रुपये से कम की बकाया के मामले |
| आयकर-आयुक्त | ...... | 1 लाख रुपये तथा 5 लाख रुपये के बीच की बकाया के मामले। |
| निरीक्षण निदेशक (अनुसंधान सांख्यिकी तथा प्रकाशन) | ...... ...... | 5 लाख रुपये तथा 25 लाख रुपये के बीच की बकाया के मामले। |
| बोर्ड | ...... | 25 लाख रुपये से ऊपर की बकाया के मामले। |

(v) कम्पनी सम्बन्धी सभी मामलों के सम्बन्ध में बकाया-विवरण-पत्र रखना और गैर-कम्पनी सम्बन्धी मामलों में निर्धारित आय 20,000 रुपया से ऊपर होने पर बकाया विवरण पत्र रखना।

(vi) आयकर-आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों में आयकर की बकाया रकमों की वसूली का कार्य शीघ्रता से करने के लिये विशेष वसूली एककों का निर्माण।

(vii) विलम्ब से की जाने वाली अदायगियों के मामले में ब्याज की दर को 1 अक्तूबर 1967 से, 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है।

(viii) विभाग द्वारा रेखांकित चैकों का स्वीकार किया जाना तथा इस निमित्त आयकर 'कार्यालयों में अदायगी लेने के लिये विशेष काउन्टरों का खोला जाना।

(ix) उन निर्धारितियों के नामों को प्रकाशित करना जिन्होंने किन्हीं निर्धारित सीमाओं से ऊपर करों की अदायगी नहीं की है।

(x) पूरे देश भर में "बकाया की वसूली करने के पखवाड़े" मनाये जा रहे हैं। इस अवधि में, विचाराधीन समायोजनों/संशोधनों को पूरा करने अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करने तथा निर्धारितियों से बकाया मांगों की शुद्ध रकमों की वसूली करने पर विशेष जोर दिया जायेगा।

(xi) करों की बकाया के इकट्ठा होने से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति।

(घ) बकाया की शीघ्र वसूली के सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं। किन्तु वसूली होने योग्य बकाया को वसूल करने तथा शेष की वसूली नहीं होने योग्य बकाया के रूप में बट्टे खाते डालने के लिए कोई निर्धारित तिथि नियत नहीं की गई है।

## सेफ डिपाजिट व्यवस्था

1045. **श्री गणेश घोष :**
**श्री कं० हालदर :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी संख्या में 'सेफ डिपोजिट' की व्यवस्था है ;

(ख) कितनों पर बैंकों का नियंत्रण है ; और

(ग) कितनों पर वाणिज्य मण्डलों का नियंत्रण है ?

**वित्तमन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ग) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

## निर्माताओं द्वारा ढोल बनाते समय उनका निरीक्षण न करने के कारण भारतीय तेल निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

'046. **श्री समर गुह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति (चौथी लोक सभा) के 86वें प्रतिवेदन में दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय तेल निगम लिमिटेड के उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई

कार्यवाही की है जिन्होंने निर्माणाधीन ढोलों और निर्माताओं के पास पड़ी इस्पाती चादरों का निरीक्षण नहीं किया, हालांकि टेन्डर ओ० पी० टेन-7/65 से सम्बन्धित क्रमादेश में इस आशय की शर्त रखी गई थी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) और (ख). प्राक्कलन समिति मामले पर ध्यान दे रही है।

**संसद सदस्यों द्वारा आयकर विवरणों का भरा जाना**

1047. **श्री समर गुह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 दिसम्बर, 1969 को सभा में इस आशय का वक्तव्य देने से पूर्व कि 350 संसद सदस्यों ने अपने आयकर विवरण नहीं दिये हैं सभा तथा संसद सदस्यों को उनसे आयकर वसूली की प्रक्रिया में हुए परिवर्तन के बारे में सूचित किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो कब और कैसे ;

(ग) क्या उनको कोई औपचारिक अनुस्मारक भेजा गया था ;

(घ) यदि नहीं तो क्या संसद सदस्यों द्वारा अपने आयकर विवरण न दिये जाने की बात को अचानक सभा में कहना उनके रुतबे को देखते हुए उचित नहीं है तथा संसद की प्रतिष्ठा को कम करना है ; और

(ङ) क्या संसद सदस्यों के वेतनों से आयकर वसूली की कानूनी जटिलताओं के प्रश्न की जांच करने हेतु संसद सदस्यों की एक समिति बनाई जायेगी यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ग). पहले संसद सदस्यों के वेतन पर कर-निर्धारण, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15 के अन्तर्गत 'वेतन' के रूप में किया जा रहा था। किन्तु आगे विचार करने पर तथा प्राप्त कानूनी सलाह के आधार पर, 1967-68 में यह निर्णय किया गया कि संसद सदस्यों का वेतन उचित रूप से आयकर अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में कर-निर्धारण योग्य है। इस राय को संसदीय-कार्य विभाग के जरिये संसद के वेतन तथा लेखा प्राधिकारियों को सूचित किया गया था और एतदनुसार 1 अप्रैल, 1968 से, संसद सदस्यों के वेतन से आय-कर की स्रोत पर कटौती नहीं की जाती है। संसद सदस्यों के वेतन के वितरण से सम्बन्धित वेतन तथा लेखा अधिकारी ने संशोधित आधार का अनुसरण किया और अप्रैल 1968 से संसद सदस्यों को कर की स्रोत पर कटौती किये बिना वेतन मिलना शुरू हो गया। आयकर विभाग द्वारा संसद सदस्यों को सीधे कोई सूचना नहीं भेजी गई, क्योंकि स्रोत पर कर की कटौती के बारे में सूचनायें आम तौर पर वितरण अधिकारियों को भेजी जाती हैं।

(घ) लोक सभा में 24 दिसम्बर 1969 को दिये गये वक्तव्य में जो संगत सूचना थी वह केवल एक वस्तु पर व्याख्या थी और उसमें सदस्यों के रुतबे के प्रतिकूल अथवा सदन की प्रतिष्ठा को कम करने का किसी भी प्रकार का कोई इरादा नहीं था।

**राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली में प्रसूति गृह तथा चिकित्सालय के लिये नियत प्लाट पर झुग्गियां डालना**

1048. **श्री बलराज मधोक : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली के ब्लाक 651 में प्रसूतिगृह तथा चिकित्सालय के लिए नियत किये गये खुले भूखन्ड पर झुग्गी निवासियों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस अनधिकृत कब्जे के कारण अपेक्षित प्रसूतिगृह तथा चिकित्सालय के निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इन झुग्गी निवासियों को झुग्गी-झोपड़ी वालों की कालोनी के लिए निर्धारित किसी अन्य स्थान पर शीघ्र भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि उस भूखन्ड पर प्रसूतिगृह का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सके ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर)** : (क), (ख) और (ग). सरकार इस मामले पर ध्यान दे रही है । सभा पटल पर विवरण दिया जायेगा ।

**रामकृष्णपुरम के सैक्टर 2 में रहने वाले केन्द्रीय रक्षित पुलिस के जवान**

1049. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम के सैक्टर 2 में कुछ क्वार्टरों पर केन्द्रीय रक्षित पुलिस का कब्जा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की इस रिहायशी कालोनी में पुलिस बल का रखा जाना वहाँ पर रहने वाले कर्मचारियों के परिवारों की निजी स्वतन्त्रता में घोर हस्तक्षेप है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में रहने वाले चतुर्थ श्रणी के कर्मचारी इस रिहायशी क्षेत्र से केन्द्रीय रक्षित पुलिस को हटवाने के लिये अभ्यावेदन करते आ रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो रामकृष्णपुरम के सैक्टर 2 के सरकारी कर्मचारियों की इस उचित मांग को पूरा करने तथा केन्द्रीय रक्षित पुलिस बल को रिहायशी क्षेत्र से दूर स्थान देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास संत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** . (क) रामकृष्णपुरम के सैक्टर II में टाईप I के 8 क्वार्टरों के एक ब्लाक को सेन्ट्रल रिज़र्व पुलिस को दे दिया है ।

(ख) तथा (ग). सम्पदा निदेशालय में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**एन्टी-बायोटिक्स फैक्ट्री, ऋषिकेश के लिए रूस द्वारा की जाने वाली मशीनरी की सप्लाई में कथित विलम्ब**

1050. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋषिकेश के समीप स्थित एन्टी-बायोटिक्स फैक्ट्री के लिए अपेक्षित मशीनें अभी तक नहीं भेजी हैं जिनके अभाव में कुछ महत्वपूर्ण दवाइयों का उत्पादन असम्भव है ;

(ख) क्या उक्त कारखाने के पास सहायक उद्योगों के न होने के कारण पैकिंग का सामान न्यूयार्क आदि से मंगाना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :** (क) रूस ने चार उत्पादों, अर्थात् पेनिसिलिन, स्ट्रैपटोमाइसिन, टैट्रासाइकलिन तथा आक्सी-टैट्रासाइकलिन के निर्माण, बनाने और कार्यानवन के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनों की सप्लाई की है। इन उत्पादों को पहले ही चालू कर दिया गया है और ऋषिकेश स्थित एण्टी-बायोटिक्स कारखाने में इन का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन को कारखाने में इन उत्पादों के लिये आयोजित क्षमता के स्तर तक ले जाने के लिये अपेक्षित कुछ सीमान्त उपकरण के रूस से 1971 में प्राप्त हो जाने का कार्यक्रम है। निस्टेटिन, जिसका 1971 के प्रथम चतुर्थांश में चालू किये जाने का कार्यक्रम है, का निर्माण मुकम्मल करने के लिए कुछ उपकरणों के 1970 के अन्त तक प्राप्त हो जाने की आशा है। सप्लाई समय-समय पर रूसी सहयोगियों के साथ हुये निर्माण तथा कार्यानवन के कार्यक्रमों के अनुसार है।

(ख) जी नहीं। केवल एक पैकिंग का सामान जो अमेरिका से आयात किया जाता है, खाली गेलाटीन कैपसूल हैं जो देशीय निर्माताओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता। गेलाटीन कैपसूल के उत्पादन के लिये कोई सहायक एकक स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) सरकार ने कम्पनी को रूस तथा दूसरे तरीकों से महत्वपूर्ण सप्लाई के विषय में प्रबल प्रयत्न किये जाने की अपनी इच्छा से अवगत करा दिया है जिससे की कार्यक्रम के अनुसार इनकी उपलब्धि सुनिश्चित हो सके।

**निरोध फैक्टरी, त्रिवेन्द्रम के विरुद्ध शिकायतें**

1051. **श्री पी० विश्वम्भरन् :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें निरोध फैक्टरी, त्रिवेन्द्रम के महा प्रबन्धक के विरुद्ध संसद् सदस्यों से शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर)** : (क) जी हाँ। यह शिकायत परियोजना अधिकारी के विरुद्ध थी।

(ख) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के प्रधान ने इस शिकायत की जाँच की और उन्हें इससे सम्बन्धित अथवा अन्य कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे पता चले कि त्रिवेन्द्रम स्थित निरोध कारखाने के पदों की नियुक्तियों में कोई अनियमितता की गई है। संसद सदस्यों को उत्तर भेजा जा रहा है।

## राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में क्लर्कों और आशुलिपिकों की नैमेत्तिक श्रमिकों के रूप में कथित भर्ती

1052. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड में क्लर्कों और आशुलिपिकों की भर्ती नैमेत्तिक श्रमिकों के रूप में की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से कितने लोग भर्ती किये गये हैं ;

(ग) ऐसी प्रक्रिया को अपनाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार कर्मचारियों के इस शोषण को रोकने के लिये तत्काल कोई कार्यवाही करेगा ?

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) से (घ). जहां तक कोरबा में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खान प्रायोजनाओं का सम्बन्ध है, ऐसे कोई मामले नहीं हैं। कोरबा की सेन्ट्रल इलैक्ट्रीकल तथा मेकेनिकल वर्कशाप से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

## महाराष्ट्र आवास बोर्ड की सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत किरायेदारों की ओर से अभ्यावेदन

1053. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र आवास बोर्ड की सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत किरायेदारों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में क्या मांगें की गई हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). वांछित सूचना का एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—2658/70]

**मैसर्स महाराजा फाईनेन्सेज द्वारा आयकर तथा धनकर का भुगतान**

1054. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास से प्रकाशित होने वाले 11 जनवरी, 1970 के 'हिन्द' में मेसर्स महाराजा फाइनेन्सेस द्वारा दिये गये विज्ञापन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस फर्म का प्रबन्ध करने वाले व्यक्तियों के नामों की सूची प्राप्त की है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इन व्यक्तियों द्वारा कितना आयकर तथा धनकर दिया गया है ;

(घ) क्या सरकार ने इस कम्पनी की गतिविधियों के बारे में जांच करना आवश्यक समझा है ;

(ङ) क्या इस कम्पनी को अपनी गतिविधियां करने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लाइसेंस प्राप्त है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) तथा (ख). जी हां।

(ग) 93,813/- रुपये।

(घ) फर्म सितम्बर, 1969 में ही गठित की गई थी। इसका पहला कर-निर्धारण, कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिये होगा। बड़े कर-निर्धारितियों द्वारा विवरणी में दिखाई गई सही आय और धन को निश्चित करने के लिए सदैव जांच-पड़ताल की जाती है और इस मामले में कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही के दौरान वैसा ही किया जायेगा।

(ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और इसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

**राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की सम्पत्ति का दुर्विनियोजन**

1055. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायत मिली है कि कोरबा वर्कशाप के स्थानापन्न जनरल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस शिकायत की जांच की गई है ; और

(ग) क्या इस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) जांच करने पर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को शिकायत की पुष्टि के लिये कोई आधार नहीं मिला । अतः अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

### राष्ट्रीय बचत अभियान पुनर्गठन समिति का प्रतिवेदन

1056. **श्रीमती सावित्री श्याम :** **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**
**डा० सुशीला नैयर :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बचत अभियान पुनर्गठन समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है तथा समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

**पूर्ति मंत्री और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) :** (क) जी नहीं । रिपोर्ट, राष्ट्रीय बचतों सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को दी जानी है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) देर मुख्यतः इस कारण हुई कि समिति ने, छोटी बचतों के अभियान को जोरदार ढंग से चलाने की बात के साथ-साथ, विचारणीय विषयों के अन्तर्गत आने वाली अन्य सभी समस्याओं के बारे में, मौके पर पहुंचकर, अध्ययन और बात चीत करने के लिये, राज्यों का दौरा करना जरूरी समझा ; पता चला है कि समिति संभवतः अगले दो महीनों में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे देगी ।

### राज्य सरकारों के कर्मचारियों को अधिक वेतन और महंगाई भत्ता देने के लिए राज्यों द्वारा वित्तीय सहायता का मांगा जाना

1057. **श्री ई० के० नायनार :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
**श्री पी० पी० एस्थोस :** **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के कर्मचारियों को अधिक वेतन तथा मंहगाई भत्ता देने के लिये उन राज्य सरकारों ने वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले पर विचार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस मामले पर कब तक विचार किये जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) इस मामले पर निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री** (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). जी, हाँ ।

(ग) से (ङ). केन्द्रीय सरकार के लिये, राज्य कर्मचारियों को, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मानों तथा मंहगाई-भत्ते के संशोधन की लागत का खर्च बर्दाश्त करने के लिए सहायता का कोई आश्वासन देना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि इस प्रकार के संशोधन की लागत का खर्च राज्य सरकारों को, जिन्हें अपने स्वयं का प्रशासन तथा संस्थापन चलाना होता है, अपने स्वयं के साधन-स्रोतों से आवश्यक रूप से स्वमं बर्दाश्त करना होता है ।

### New Measure to Check Tax Evasion

1058. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
**Shri Atam Das :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have thought over certain new measures for checking tax evasion and having the unaccounted money declared ; and

(b) if so, the details thereof and the time by wh/ch they are proposed to be implemented ?

**Ehe Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C Sethi)** : (a) and (b). The problem of tax evasion and measures to combat it are constantly engaging the attention of the Government. Recently, the Government have appointed an Experts Committee to go into this problem. The question of implementing the recommendations would arise after the Committee has submitted its report.

### Ink Used for Printing of Hundred Rupee and Ten-Rupee Notes

1059. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it has been brought to the notice of Government that the ink with which figures are printed on the Hundred-Rupee note is indelible, while the ink used on Ten-Rupee note is delible ?

(b) whether an improvement has since been made in this regard ; and

(c) if not, the reasons for delay and the time by which this improvement is likely to be brought about ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi)** : (a) There have been a few complaints about obliteration of the number on hundred rupee notes of the reduced size on therir getting drenched in water. No complaint has been received in respect of ten-rupee notes.

(b) and (c). The quality of the ink used has since been improved to the extent possible.

### Opening of Branch in Rural Areas by the Central Bank of India

1060. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
**Shri Atam Das :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Bank of India proposes to open its one branch in rural areas everyday in this year ;

(b) whether it is also a fact that the branches have been opened in most of the rural areas ; and

(c) if so, the number of branches opened so far in the rural areas, thc amount paid to the farmers as loan from them and the complete details of the increase or decrease in the capital deposited in the banks after nationalization ?

**The Minister of State in the Miaistry of Finance (Shri P. C. Sethi)** : (a) No Sir. Government is not aware of any such proposal.

(b) and (c). As on 31st January, 1970 the Central Bank of India had 669 branches in the country. of which 130 were in rural arcas (*i. e.* places with a population of not more than 10,000) and 252 were in semi-urban areas (places with a population between 10,000 and one lakh). The bank has been given permission to open 166 branches during the year 1970 so far of which 132 will be in the rural areas.

Details of the loans given to farmers by the branches of the Central Bank opened so far in the rural areas and figures of deposits in those branches since nationalisation are not readily available. However, for the Central Bank of India as a whole, loans to farmers outstanding at the end of Nowember, 1969, amounted to Rs. 9.74 crores as against Rs. 3.3 crores outstanding at the end of June, 1969. The number of farmers' borrowal accounts with Central Bank in all its branches went up from 4,817 to 17,956 during the same period, Since nationalisation deposits of the Central Bank went up from Rs. 441.6 crores on July 18, 1969 to Rs. 466.1 crores on January 30, 1970.

### दिल्ली में आठ आने और चार आने के सिक्कों का प्रचलन

1061. **श्री हेमराज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठ आने और चार आने के ऐसे सिक्के जिनके ऊपरी भाग में तीन शेरों का चिन्ह है और जिनके दूसरी ओर रुपये का आधा भाग तथा चौथाई भाग के चिन्ह हैं, वे सिक्के दिल्ली में प्रचलित हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में व्यापार और अन्य विभाग तथा निगम उन्हें लेने से इन्कार करते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उनका प्रचलन बन्द कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त राज्यों में मुद्रा सम्बन्धी दैनिक लेन-देन में इन सिक्कों को न लेने के क्या कारण हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ). वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा रहा है और सम्बद्ध सूचना यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायगी।

### आयात-निषिद्ध विदेशी माल की खुले बाजार में बिक्री

1062. **श्री हेम राज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के बाज़ारों में विदेशी विलास सामग्री खुले आम बिकती है, यद्यपि उसके आयात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जनवरी में राज्य मन्त्री ने बम्बई के बाजारों को गुप्त रूप से देखा था ; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे सौदों के बारे में उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) छोटे दुकानदारों और फेरीवालों द्वारा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में विदेशी विलास-सामग्री बेची जाती है। इन वस्तुओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि यात्रियों और कर्मी-दल द्वारा असबाब के रूप में अथवा डाक द्वारा उपहार के रूप में इन वस्तुओं के आयात की अनुमति होती है।

(ख) जी, हां।

(ग) यात्रियों तथा कर्मी-दल के कुछ वर्गों द्वारा असबाब सम्बन्धी रियायतों का बहुत दुरुपयोग किया जाता है और इस लिये असबाब सम्बंधी रियायतों के पुनरीक्षण पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। डाक द्वारा भेजे जाने वाले उपहारों से संबंधित रियायतों में परिवर्तन करने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रवर्त्तन कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं ताकि निरन्तर छापे मारने का काम जारी रहे और अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही की जा सके।

## पंजाब से हिमाचल प्रदेश को चिकित्सा अधिकारियों का नियतन

1063. **श्री हेम राज :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री 28 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 177 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो चिकित्सा अधिकारी पंजाब से हिमाचल प्रदेश के लिये नियत किये गये हैं, उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिये क्या कोई अंतिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनकी सूची सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मामले पर इस मन्त्रालय, संघ लोक सेवा आयोग तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य-पत्र व्यवहार चल रहा है।

## बैंकों में जमा राशि का बढ़ाना

1064. **श्री क० मि० मधुकर :**
**श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
**श्री भोगेन्द्र झा :**
**श्री बी० मो० बिस्वास :**
**श्री सरजू पाण्डे :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किये गए बैंकिंग व्यवस्था

के अध्ययन से पता चलता है कि अधिकांश जिलों में बैंकों में बहुत कम धन राशि जमा कराई जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन में इसके क्या कारण बताये गये हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थ-विभाग ने कुछ समय पहले देहाती इलाकों में कृषि-विकास और बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से जिलों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, वाणिज्यिक बैंकों को पृष्ठ-भूमि सम्बन्धी उपयोगी सूचना सामग्री उपलब्ध करना था ताकि वे नई शाखाएं खोलने के लिए इलाकों/केन्द्रों का चुनाव कर सकें। इस सिलसिले में, जिलों की, जमा कराई गई रकमों के परिणाम के अनुसार, क्रमबद्ध सूची बनाई गई जिसका उद्देश्य इस बात का पता लगाना था कि क्या बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार से अधिक रकमें जमा होती हैं। इस संबन्ध में मुख्य रूप से इस बात का पता चला कि 300 जिलों में केवल 21 जिले ऐसे हैं, जहां जमा कराई गई रकमों का स्तर, जहां प्रति हजार हेक्टेयर खेती शुदा क्षेत्र के पीछे 5 लाख रुपया अथवा उससे अधिक है।

इस अध्ययन का उद्देश्य उन तत्वों का पता लगाना नहीं था, जो विभिन्न जिलों में बैंक-जमा के स्तर को प्रभावित करते हैं और इस लिए कुछ जिलों में कम रकमें जमा होने की ओर ध्यान दिलाये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

**भारत सहायता राष्ट्र-संघ द्वारा परियोजना तथा परियोजना से भिन्न सहायता**

1065. **श्री क० मि० मधुकर** : **श्री योगेन्द्र शर्मा** :
**श्री धीरेश्वर कलिता** : **श्री इंद्रजीत गुप्त** :
**श्री जनार्दनन** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सहायता राष्ट्र संघ द्वारा दिये गये वचन के अनुसार परियोजना से भिन्न सहायता में 12 करोड़ 50 लाख डालर और परियोजना-सहायता में 20 करोड़ डालर की कमी की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) इसका हमारी योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) भारत सहायता संघ ने, मई 1969 में, प्रायोजना-भिन्न सहायता के लिए आवश्यक रकमों के सम्बन्ध में 70 करोड़ डालर (525 करोड़ रुपये) तथा प्रायोजनागत सहायता के लिए आवश्यक रकमों के सम्बन्ध में 40 करोड़ डालर (300 करोड़ रुपये) का अनुमान लगाया था। वर्तमान संकेतों के आधार पर, प्रायोजना भिन्न सहायता के रूप में मिलने वाली राशि में लगभग 15 करोड़ डालर (113 करोड़

रुपये) थी तथा प्रायोजनागत सहायता के रूप मिलने वाली राशि में लगभग 10 करोड़ डालर (75 करोड़ रुपये) की कमी होने की सम्भावना है ।

(ख) से (घ). इस समय, विदेशों से कम मात्रा में सामान मंगाये जाने तथा जिन ऋणों के लिए पहले वचन दिये गये थे उनमें से बराबर रकमें उपलब्ध होते रहने के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था पर, अब उपर्युक्त कमी का गम्भीर रूप से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता । जहां तक चौथी आयोजना का सम्बन्ध है, इस आयोजना में, इसकी पूरी अवधि के लिए आवश्यक सहायता के सम्बन्ध में जितनी रकम तथा जिस किस्म की सहायता प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है, उसके साथ आयोजना के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है । सरकार आयोजना-बद्ध विकास करने के लिए, निर्यात बढ़ाने, आयात प्रतिस्थापन करने तथा विदेशी साधनों में होने वाली कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में जोर देती रहेगी तथा विदेशी सहायता के रूप में साधन जुटाने के लिए प्रयत्नशील होगी ।

**रिजर्व बैंक से राज्यों को जमा राशि से अधिक राशि का दिया जाना**

1066. **श्री क० मि० मधुकर** : **श्री जनार्दन** :
**श्री धीरेश्वर कलिता** : **डा० रानेन सेन** :
**श्री भोगेन्द्र झा** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से जमा राशि से अधिक राशि निकलवाने की समस्या पर विचार करेगी ; और

(ख) क्या राज्यों को जमा राशि से अधिक राशि देने सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन किया गया है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से, अपने खाते में जमा रकम से, अनधिकृत रूप से अधिक रकम निकाले जाने की समस्या पांचवें वित्त आयोग के विचारणीय विषयों में से एक थी और इस सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशें 15 नवम्बर, 1968 को सभा की मेज पर रख दी गई थीं । वित्त आयोग का विचार है, और भारत सरकार की भी हमेशा यही राय रही है कि राज्य सरकारें अपने खर्च को उपलब्ध साधनों तक सीमित रखकर अनधिकृत रूप से जमा से अधिक रकम न निकालें । फिर भी, यदि राज्यों को अपनी अनुमोदित आयोजनाओं को क्रियान्वित करने में सचमुच किसी कठिनाई का अनुभव हो, तो भारत सरकार स्थिति को देखते हुए विशेष सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

**ईसाई धर्म प्रचारक संगठन, बंगलौर द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम सम्बन्धी अधिनियम का उल्लंघन**

1067. **श्री लखनलाल कपूर** : **श्री एस० एम० कृष्ण** :
**श्री मंगलाथुमाडम** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईसाई धर्म प्रचारक संगठन, बंगलौर ने विदेशी मुद्रा विनियम सम्बन्धी अधिनियम का उल्लंघन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इससे कोष को कितनी हानि हुई है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ग). सैवन्थ डे एडविन्टस्ट मिशन के दक्षिणी एशियाई प्रभाग द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1947 की धारा 5(1) (क) का उल्लंघन किये जाने के मामले का प्रवंतन निदेशक द्वारा न्याय निर्णय किया गया था। इस मिशन द्वारा बंगलौर में अभिग्रहण की गई भू-सम्पत्ति के मूल्य के एक भाग के रूप में 20,000 अमरीकी डालर की रकम भूमि के स्वामी को अदा की गई थी, जोकि भारत से बाहर का निवासी था। यह अदायगी भारत के रिजर्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना अमरीका में भूमि के मालिक के खाते में जमा करके अदा की गई। उक्त उल्लंघन के सम्बन्ध में निदेशक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम विनियमन अधिनियम की धारा 23(1) (क) के अधीन इस मिशन पर 3 लाख रुपये का दण्ड लगाया था।

### राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ करने की योजना

1068. **श्री गार्डलिंगन गौड** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा देश में प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ करने की कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० च० सेठी)** : (क) और (ख). राष्ट्रीयकरण से पहले 14 बैंकों द्वारा अलग-अलग या संयुक्त रूप से स्थापित किये गये, कर्मचारी-प्रशिक्षण कालेज पहले से चल रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समन्वय समिति संभवतः प्रशिक्षण, सुविधाओं के लिये सामान्य व्यवस्था करने के प्रश्न पर भी विचार करेगी।

### श्रीलंका द्वारा आंख की पुतलियों का दान

1069. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने हाल ही में कुछ आंख की पुतलियां दान के रूप में भारत को भेजी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी हां।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र के बारे में सूचना उपलब्ध है जिसे तीन खेप प्राप्त हुई हैं। विवरण इस प्रकार है :

| प्राप्ति तिथि | प्राप्त नेत्रों की संख्या |
|---|---|
| 11-1-70 | 3 आंखें |
| 12-1-70 | 2 आंखें |
| 21-1-70 | 2 आंखें |

**चौथी योजना में नाइट्रोजन उर्वरक का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये उपाय**

1070. **श्री गाडिलिंगन गौड़ : श्री देवेन सेन :**
**श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक नाइट्रोजन के रूप में 50 लाख मीटरी टन उर्वरक का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये किन्हीं उपयों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) और (ख). चौथी योजना में 3.7 मिलियर मीटरी टन नाइट्रोजन की क्षमता का लक्ष्य नियत किया गया है जिसे 1973.74 तक प्राप्त किया जाना है। वर्तमान स्थापित क्षमता 1.344 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन है। निर्माणाधीन परियोजनाओं या निर्माण के लिये शीघ्र ही हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं की स्थापित क्षमता 1.210 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन होगी। 2.146 मिलियन मीटरों टनों की स्थापित क्षमता के लिए अतिरिक्त उर्वरक कारखाने स्थापित करने और मौजूदा कारखानों में विस्तार करने के लिये सिद्धान्त रुप में अनुमति दे दी गई है।

**भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा का निर्गमन**

1072. **श्री सामिनाथन् : श्री नारायणन् :**
**श्री मयावन : श्री आर० आर० सिंह देव :**
**श्री नि० रं० लास्कर : श्री न० रा० देवघरे :**
**श्री वेंगलराया नायडू :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा के विदेशों में प्रेषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) विदेशी मुद्रा के निर्गमन को रोकने के लिए लगाये गए प्रतिबन्धों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त कम्पनियों में कितनी पूंजी लगाई है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). भारत में काम कर रही विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभों, लाभांशों, रायल्टी तथा तकनीकी जानकारी संबंधी शुल्कों के संबंध में विदेशी मुद्रा के रुप में, विदेश भेजी जाने वाली रकमों को सीमित करने के लिए कई उपाय किये गये हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) उन विदेशी फर्मों और कम्पनियों को जो भारत में अपनी नयी शाखायें खोलना चाहती है, ऐसा करने से पहले रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होती है।

(2) विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों में अधिक भारतीय पूंजी लगाये जाने पर बल दिया जाता है।

(3) पहली अप्रैल 1965 से लागू किये गये विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 की धारा 18-क के अन्तर्गत विदेशियों द्वारा नियन्त्रित कम्पनियों को केन्द्रीय सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना भारत में किसी व्यक्ति, कम्पनी या फर्म के व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक लेन-देनों के सम्बन्ध में उसके तकनीकी या प्रबन्ध सलाहकार के रूप में अथवा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की मनाही है। इस सम्बन्ध में मांगी जाने वाली अनुमति, प्रत्येक मामले की पूरी तरह छानबीन करने के बाद की जाती है।

(4) नयी भारतीय संयुक्त पूंजी कम्पनियों में नये विदेशी पूंजी निवेश के मामलों पर विचार करते समय, सरकार की सामान्य नीति यह रहती है कि उस उपक्रम में अधिकांश शेयर और प्रभावी नियन्त्रण भारतीयों के हाथ में हो। नये उपक्रमों में 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी के निवेश के प्रस्तावों पर कुछ आपवादिक परिस्थितियों और सीमित क्षेत्रों में ही विचार किया जाता है।

(5) भारत में काम कर रही उन कम्पनियों द्वारा, जिनका सम्पूर्ण स्वामित्व विदेशियों के हाथ में होता है, विदेशों में अपनी मूल कम्पनियों को रायल्टी की और तकनी जानकारी सम्बन्धी शुल्क की रकमें भेजने की आमतौर पर अनुमति नहीं दी जाती। यदि विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों के मामलों में ऐसी अदायगियों की अनुमति दी भी जाती है, तो ऐसी प्रेषणाओं की दरें जिन पर उन कम्पनियों को, जिस में भारतीय पूंजी आधी से अधिक होती है। ऐसी ही परिस्थितियों में रायल्टी भेजने की अनुमति दी जाती है।

(6) रायल्टी की अदायगी के कारण बाहर भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा में कमी करने के लिए जो अन्य महत्वपूर्ण उपाय किये गए हैं, वे यह हैं :—

(क) देश के अन्दर अनुसन्धान और विकास करने पर पहले की अपेक्षा अधिक जोर दिया जाता है और भारतीय परामर्शदात्री सेवाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ख) सहयोग-करारों के लिए यदि उचित समझा जाय, तो सामान्यतः केवल 5

वर्षों की अवधि के लिए अनुमति दी जाती है और इस अवधि की सीमा बढ़ाने की अनुमति आपवादिक परिस्थितियों में ही दी जाती है ।

(ग) देश में लगी विदेशी पूंजी बकाया रकमों के सम्बन्ध में, बिलकुल हाल की सूचना जो मार्च 1967 के अन्त तक की ही है, भारतीय रिजर्व बैंक के अगस्त 1969 के बुलेटिन में प्रकाशित "1965-66 और 1966-67 में भारत की अन्तर्राष्ट्रीय निवेश सम्बन्धी स्थिति" नामक लेख में दी गयी है। विदेशी कम्पनियों की शाखाओं तथा विदेशियों द्वारा नियन्त्रित रुपया कम्पनियों में प्रत्यक्ष रुप से लगायी गयी पूंजी की कुल बकाया रकमें अवमूल्यन की बाद के दरों के अनुसार मार्च 967 के अन्त तक क्रमशः 290.6 करोड़ रुपये और 409.9 करोड़ रुपये थीं।

### कच्चे तेल तथा गन्धक की खोज के क्षेत्र में भारत और ईरान के बीच संयुक्त उपक्रम

1073. श्री सामिनाथन् : श्री नारायणन :
श्री मयावन : श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री नि० रं० लास्कर : श्री दण्डपाणि :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान सरकार ने भारत सरकार से वस्तुविनिमय के आधार पर भारत को बड़ी मात्रा में अशोधित पैट्रोलियम और गन्धक सप्लाई करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या दोनों सरकारें खोज कार्य के क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए राजी हो गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) सभी पहलुओं से, इसका अध्ययन किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

### दिसम्बर, 1969 में आवास सम्मेलन

1074. श्री सामिनाथन : श्री नारायणन :
श्री मयावन : श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू : श्री नि० रं० लास्कर :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 दिसम्बर, 1969 को नेशनल बिल्डिंग आर्गनाईजेशन और इण्डिया इन्स्टीच्यूट आफ आर्कीटेक्ट्स ने चार दिनों का एक आवास सम्मेलन अयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की थी कि नगरी क्षेत्रों में बड़ी तेजी से भूमि समाप्त हो रही है ; और

(ग) यदि हाँ, तो किन विषयों पर चर्चा की गई थी और क्या निर्णय किये गये थे ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) तथा (ख). जी हां ।

(ग) चार तकनीकी अधिवेशनों में निम्नलिखित विषयों पर विचार विनिमय किया गया :

(i) तेजी से बढ़ रहे शहरी केन्द्रों में आवास की संकल्पना।

(ii) साधनों और विकासशील अर्थ-व्यवस्था की तुलना में आवास ।

(iii) टैकनोलोजी और आवास उत्पादन (प्रोडक्शन) ।

(iv) अनुसंधान तथा प्रलेखन ।

इन चारों अधिवेशनों में की गई सिफारिशें संलग्न हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2669/70]

## राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि की दर

1075. **श्री सामिनाथन :**
**श्री मयावन :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री चेंगलराया नायडू:**
**श्री दण्डपाणि :**
**श्री नारायणन :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री भगवान दास :**
**श्री अ० कु० गोपालन :**
**श्री उमानाथ :**
**श्री पी० गोपालन :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक इस सिद्धांत पर हुई थी कि विदेशी व्यापार के बिना राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में 10 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रशासन सेवा के सदस्य डा० सिंह ने, जो इस समय विश्व बैंक में प्रतिनियुक्ति पर हैं, इस बारे में कोई दर निर्धारित की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या क्या निर्णय लिये गये ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) चर्चा मुख्य रूप से आर्थिक विकास की गति में अधिक तेजी लाने के उपायों पर ही केन्द्रित रही। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं था जिस पर सरकार विचार करती और इसलिए इस विषय में कोई निर्णय लिए जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

**मनीपुर में बिना डाक्टरों के काम कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र**

1076. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के अनुसूचित जाति क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या औषधालय बिना डाक्टरों के काम कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्रों या औषधालयों में डाक्टरों की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) अनुसूचित जाति क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमें एक डाक्टर कार्य कर रहा है। तथापि तीन औषधालय बिना डाक्टरों के चल रहे हैं।

(ख) डाक्टरों की भरती के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

**दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों की पदोन्नति**

1077. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में नर्सों की पदोन्नति की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो सभी श्रेणियों की नर्सों के लिए इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्था का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या मनीपुर सरकार के अधीन अस्पतालों में सहायक नर्सों के लिए इस प्रकार की पदोन्नति की व्यवस्था उपलब्ध है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी हां।

(ख) 150 280 रुपये के ग्रेड में काम कर रही स्टाफ नर्सें 210-320 रुपये के ग्रेड में नर्सिंग सिस्टर/होम सिस्टर/थियेटर सिस्टरों के रूप में पदोन्नति की पात्र हैं और ये दूसरी श्रेणियों के कर्मचारी 250-380 रुपये के ग्रेड में सहायक मेट्रन/सिस्टर ट्यूटर/मिडवाइफ़ी ट्यूटर/डिपार्टमेंट सिस्टरों के रूप में पदोन्नति का पात्र हैं। नर्सिंग स्टाफ की ये अन्त में उल्लिखित श्रेणियां 590-900 रुपये के ग्रेड में मैट्रन/नर्सिंग अधीक्षकों के रूप में पदोन्नति की पात्र हैं।

(ग) मणिपुर सरकार के अधीन अस्पतालों में सहायक नर्सों के लिए पदोन्नति की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि उनके पास शैक्षिक अर्हता हो तो वे नर्सों का प्रशिक्षण ले सकती हैं।

**परिवार नियोजन के लिये प्रयोग की जाने वाली गोलियों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध**

1079. **श्री मयावन : श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री वेंगलराया नायडू :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका के जोन्स हापकिन्स मैडिकल इंस्टीट्यूट के एक विख्यात विशेषज्ञ डा० हाई डेविस द्वारा व्यक्त इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि परिवार नियोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली गोलियों के प्रयोग से कुछ वास्तविक और कुछ सम्भाव्य खतरा उत्पन्न हो सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस गोली के आम प्रयोग के कारण अमरीकी महिलाओं को गम्भीर क्षति पहुंची है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या भारत में भी इस गोली का आम प्रयोग किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त विशेषज्ञ के विचारों को ध्यान में रखते हुये सरकार परिवार नियोजन के लिये उक्त गोली की सप्लाई बन्द करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्र शेखर)** : (क) जी हाँ।

(ख) जोन्स हापकिन्स के डा० हाई डेविस, राष्ट्रीय वाल स्वास्थ्य संस्थान के डा० ली० हर्ट्स और खाद्य एवं औषध प्रशासन के डा० मारविंग लीगेटर के विचार हैं कि इनके प्रयोग से थ्रोम्बोलिज्म (रक्त जमना), फ्नोवाईटिस, धमनी-काठिन्य, स्तन कैंसर और गर्भाशय कैंसर तथा भ्रूण की अवस्था में जनन सम्बन्धी परिवर्तन के खतरे हैं। इससे निश्चय ही अमरीका की उन महिलाओं के मस्तिष्क में, जो इन गोलियों का प्रयोग कर रही है, कुछ संदेह उत्पन्न हुए हैं। फिर भी, हार्वर्ड मैडिकल स्कूल के डा० रावर्ट किस्तनर जैसे कुछ डाक्टर है जिन्होंने कहा है कि इन खतरों के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है और यह गोली ठीक है। इस गोली के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले खतरे की अपेक्षा स्त्री के गर्भधारण से होने वाले खतरे कई गुणा अधिक हैं। इन अनुसंधान कर्त्ताओं द्वारा प्रकट किये गये विचार कोई नये नहीं हैं और अन्य अन्वेषकों ने भी कुछ खतरे होने की सम्भावना हमेशा ही प्रकट की है।

(ग) भारत में इस गोली का प्रयोग अभी मार्गदर्शी परियोजना के रूप में चल रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**सर्वोच्च निर्धारितियों की ओर आय-कर की बकाया राशि**

1080. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या वित्त मंत्री 8 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2005 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) और (ग) में प्रमुख आय-कर दाताओं की ओर आय-कर की बकाया राशि के बारे में सरकार ने इस बीच जानकारी एकत्र कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) तथा (ख). 3 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3005 के भाग (क) तथा (ख) से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी कर ली गई है, जब कि उस प्रश्न के भाग (ग) से सम्बन्धित सूचना अभी भी पूरी नहीं है।मांगी गई सूचना पूरी होते ही, उपलब्ध करा दी जायेगी।

(ग) आयकर-आयुक्तों से उल्लिखित प्रश्न के भाग (ग) से सम्बन्धित प्राप्त सूचना को दोषपूर्ण पाया गया तथा उनसे पूरी सूचना देने के लिये कहा गया है। उसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

**फिल्म उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा आय-कर का अपवचन**

1081. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर का अपवंचन करने वाले फिल्म उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों से करों की पूरी राशि वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) गत तीन वर्षों में एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले फिल्म उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन्होंने उपर्युक्त अवधि में आय कर की कितनी राशि का भुगतान किया है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) फिल्म उद्योग से सम्बन्धित लोगों द्वारा किये जाने वाले कर-अपवंचन को रोकने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :—

(i) फिल्म उद्योग से सम्बद्ध व्यक्तियों के मामलों को, व्यापक जांच पड़ताल के लिये बम्बई और कलकत्ता में समूह-बद्ध कर दिया गया है। जिन मामलों में बड़ी मात्रा में कर-अपवंचन का सन्देह होता है, उनको सर्वांगीण जांच के लिये सेन्ट्रल सर्किल को सौंप दिया जाता है।

(ii) यदि ऐसा विश्वास करने का कारण होता है कि तलाशियां लेने से कर-अपवंचन सिद्ध करने के प्रमाण मिल सकेंगे तो समय समय पर तलाशियां भी ली जाती हैं।

(iii) जब कर-अपवंचन सिद्ध हो जाता है तो दण्ड लगाये जाते हैं और यदि उपयुक्त होता है तो इस्तगासे की कार्यवाही भी की जाती है।

(iv) कर-अपवंचन के प्रमाण पाने के निमित्त, आय-कर विभाग की गुप्त आसूचना पक्ष, सूचना इकट्ठी करने में लगे रहते हैं।

(v) कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि व्यापार और व्यवसाय के प्रयोजन के लिये किये गये 2500 रुपये से अधिक रकम के खर्च को, यदि

उसका भुगतान रेखांकित चैक द्वारा नहीं किया गया हो तो, हिसाब में गिनने की अनुमति नहीं दी जाय ।

(vi) कर-दाता के सम्बन्धियों को किये गये भुगतान यदि ज्यादा अथवा गैर मुनासिब समझे जाते हैं तो उनको हिसाब में गिनने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

(vii) जिन व्यक्तियों ने निर्धारित करों की अदायगी नहीं की है उनसे कर वसूल करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है :

(क) कर की अदायगी नहीं करने अथवा विलम्ब से करने पर दण्ड लगाये जाते हैं ।

(ख) कर-निर्धारितियों के बैंक खातों का और दूसरों से प्राप्य लेनदारियों का अभिग्रहण कर लिया जाता है ।

(ग) वसूली की कार्यवाही चालू की जाती है और उसके बाद, कर वसूली अधिकारी संपत्तियों और अन्य संपत्तियों के अभिग्रहण के निमित्त सभी आवश्यक कार्यवाही करता है ।

(ख) और (ग). वित्तीय वर्ष 1968-69 में जिन फिल्म अभिनेताओं/अभिनेत्रियों का एक लाख रुपये से अधिक की आमदनी के लिये कर निर्धारण किया गया था, उसकी सूचना का तथा उक्त अवधि में उनके द्वारा अदा किये गये कर की रकमों की सूचना का विवरण-पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया है । फिल्म उद्योग से संबद्ध जिन व्यक्तियों की पिछले तीन वर्षों के लिये वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक थी उनके नामों के संबंध में और उपर्युक्त अवधि में उनके द्वारा अदा की गयी आयकर की रकम के संबन्ध में सूचना इकट्ठी करने में बड़ा श्रम और समय लगेगा क्योंकि फिल्म उद्योग भारत के कई राज्यों में स्थित है । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–2660/70**]

**चल-चित्र कलाकारों की ओर आय-कर की बकाया राशि**

1082. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या वित्त मंत्री 15 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3844 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय चल-चित्र कलाकारों, सर्वश्री दिलीप कुमार, बलराज साहनी, श्रीमती नन्दा करनाटकी, श्री शशिराज कपूर, श्रीमती साधना नैयर, श्री देवानन्द श्री राज कपूर, श्रीमती आशा पारिख, श्री शम्मी कपूर, श्री जितेन्द्र, श्रीमती माला सिन्हा की ओर आय-कर की बहुत बड़ी राशि बकाया है और यदि हां, तो यह राशि कितनी है तथा कब से देय है ;

(ख) उपर्युक्त राशि को वसूल करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार को आय छिपाने के किसी मामले का पता चला है और यदि हां, तो कितनी आय छिपाई गई है और इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या उपरोक्त चल-चित्र अभिनेताओं के निवास स्थान पर कोई छापा मारा गया और यदि हां तो क्या कुछ चल-चित्र कलाकारों पर मुकदमे चलाये गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन पर किस प्रकार के मुकदमे चलाये गए हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ङ). मांगी हुई सूचना सदन की मेज पर रखे गए संलग्न विवरण पत्र में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 2661/70]

**भारतीय तेल निगम कर्मचारी संघ, कलकत्ता के पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप**

1083. **श्री वि० कु० मोडक :**　　　　**श्री मुहम्मद इस्माइल :**
**श्री विश्वनाथ मेनन :**　　　　**श्री भगवान दास :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने भारतीय तेल निगम के प्रबन्धकों को सलाह दी थी कि वे भारतीय तेल कर्मचारी संघ, कलकत्ता के प्रमुख पदाधिकारियों के आरोप पत्र वापिस ले लें ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय तेल निगम के प्रबन्धकों ने उनकी सलाह स्वीकार कर ली है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त सलाह के बाद भी भारतीय तेल निगम ने कोई कार्यवाही नहीं की है तो इस संबन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

**कर अपवंचन समिति का प्रतिवेदन**

1084. **श्री वि० कु० मोडक :**　　　　**श्री क० अनिरुद्धन :**
**श्री पी० पी० एस्थोस :**　　　　**श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर अपवंचन के कारणों तथा सामान्य तरीकों का अध्ययन करने के लिए 1968 में नियुक्त की गई सरकारी समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के मुख्य सुझाव तथा शिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) जी, हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें ये हैं :—

1. प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ बनाना।
2. नकद लेन-देन और नकद पूंजी पर प्रतिबन्ध।
3. तलाशी और अभिग्रहण संबन्धी शक्तियों में वृद्धि।
4. दूसरों के नाम पर दिखाई गई परिसम्पत्तियों की, आय-कर अधिकारियों के समक्ष, अनिवार्य घोषणा।

(ग) समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

## भारत में चोरी-छिपे लाया गया सोना और चांदी

1085. **श्री वि० कु० मोडक :**
**श्री भगवान दास :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में सोने और चांदी का तस्कर व्यापार करने वाले कितने लोग पकड़े गए हैं ;

(ख) वे किस किस स्थान पर पकड़े गए और कुल कितने मूल्य का सोना और चांदी पकड़ा गया ;

(ग) क्या यह सच है कि एक 31 वर्षीय तस्कर व्यापारी का पता लगा था जिसका दुबाई में बैंक खाता खुला हुआ था और उसमें 71 करोड़ रुपये जमा थे ;

(घ) तस्कर व्यापार करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों ने कितनी बार हैलीकाप्टरों का प्रयोग किया है ; और

(ङ) क्या सीमा-शुल्क अधिकारियों ने तस्कर व्यापार करने वालों का पता लगाने के लिए हैलीकाप्टरों का अधिक प्रयोग करने की कोई योजना बनाई है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) सोने और चांदी के तस्कर आयात-निर्यात के मामलों में वर्ष 1969 में गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार थी :

| | |
|---|---|
| सोना | 294 |
| चांदी | 83 |

(ख) बड़े बड़े मामलों में, गिरफ्तारियाँ इन स्थानों में की गई। बम्बई सिटी तथा उसके आस पास के क्षेत्र, मद्रास, त्रिची मदुरै, होसर चुंगी चौकी, पूना, चेतुवाई (केरल समुद्रीतट), पालम (दिल्ली), कानपुर, नागपुर बंगलोर-जयपुर, वापी, भड़ौच तथा राजामुन्दरी।

1969 में पकड़े गए सोने और चांदी का मूल्य इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| सोना | 530 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर) |
| चाँदी | 94 लाख रुपये |

(ग) तस्कर आयात-निर्यात से सम्बन्धित अपराधियों के सिलसिले में सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन अप्रैल 1969 में गिरफ्तार किये गए लगभग 34 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति का दुबाई में एक बैंक खाता था जिसमें, उसके स्थान से पकड़े गए विदेशी खातों के विवरण पत्र के अनुसार उसने जनवरी 969 में 9,02,36,944 की रकम जमा कराई थी। यदि वह रकम अमरीकी डालरों में है तो भारतीय मुद्रा में यह करीब 68 करोड़ रुपये के बराबर होगी और यदि यह रकम दुबाई में प्रचलित मुद्रा रियाल्स में हैं तो यह करीब 14 करोड़ रुपये के बराबर होगी।

(घ) तस्कर आयात-निर्यात का पता लगाने के लिए हैलीकाप्टरों का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

(ङ) गस्त लगाने वाले जलयानों की सहायता के रूप में हैलीकाप्टरों की उपयोगिता के प्रश्न की जांच की जा रही है।

**खनिज सलाहकार बोर्ड तथा कोयला सलाहकार परिषद् के कृत्य**

1086. श्री रवि राय : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के अधीन एक खनिज सलाहकार बोर्ड तथा एक कोयला सलाहकार परिषद् कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कृत्य क्या है और इन संस्थाओं के सदस्य कौन-कौन है ; और

(ग) उनके बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2662/70]

**रूरकेला में जीवन बीमा निगम कर्मचारियों को परेशान किया जाना**

1087. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें रूरकेला में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को उनके अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने के बारे में एक संसद सदस्य से ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

**पूर्ति मन्त्री और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर)** : (क) जी, हाँ।

(ख) शिकायत यह है कि रूरकेला में अपने कर्मचारियों के लिए बनाये गए क्वार्टरों के निगम द्वारा तय किए गए किराए बहुत अधिक हैं और इस कारण कर्मचारी उनमें रहने में असमर्थ रहे हैं।

(ग) निगम ने यह किराया अपने सामान्य फार्मूले अर्थात $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत शुद्ध लाभ के, आधार पर तय किया है। इस मामले में सरकार दखल देने का विचार नहीं रखती है।

**Achievement of Family Planning Programmes**

1088. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Developement** be pleased to state :

(a) whether women can also be sterilized in the same way as men; if so, the number of experiments made in this connection and the extent to which they have proved successful ;

(b) the number of women in different States who got the loop inserted and the percentage of such cases which proved successful ; and

(c) the percentage of success achieved so far through various programmes of family planning to check the increasing population ?

**The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrashekhar)** : (a) Female sterilization (tubectomy) is a well established, recognised and fully effective method. In our country 6.9 million sterilisation operations have been performed on both the sexes of which women are about 16%.

(b) and (c). Two statements containing the consolidated information are attached. [*Placed in Library See* No. LT—2663/70]

**नई दिल्ली में सरकारी इमारतों को सजाना**

1090. **श्री मीठा लाल मीना** :
**श्री दे० अमात** :
**श्री अ० दीपा** :
**श्री सी० मुतुस्वामी** :
**श्री रा० की० अमीन** :

**क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 5-6 वर्षों में नई दिल्ली में शास्त्री भवन, निर्माण भवन जैसी केन्द्रीय सरकार

की बहुमंजिली इमारतों में अन्दर और बाहर भित्ति चित्र, चित्र चौखटें, चित्रकारी आदि बना कर की गई सजावट का ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि हाँ, तो भवन-वार इन कलात्मक सजावटों पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है ;

(ग) जिन कलाकारों को उपर्युक्त कार्य सौंपे गए थे उनका ब्यौरा क्या है और इन कार्यों को रोकने के लिए उनका अनुभव तथा अर्हताएं क्या हैं ; और

(घ) क्या यह कार्य टेंडरों या प्रतियोगिता बोली अथवा किसी अन्य तरीके से सौंपे गए थे ?

**राज्य मंत्री, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय** विकास **मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री व० सू० मूर्ति)** : (क) से (घ). नई दिल्ली में बहुमंजिले कार्यालय भवनों का एक विवरण संलग्न है ।

भवनों की सजावट का काम जिसमें भित्ति-चित्रों का निष्पादन सम्मिलित है, इस उद्देश्य से सरकार द्वारा विशेष रूप से बनाई गई एक समिति द्वारा दिया जाता है । इन कलात्मक कार्यों के लिए सामान्यत: कोई टेंडर आमंत्रित नहीं किये जाते । कलाकारों का चयन समिति द्वारा उनके अनुभव और सामर्थता का पूरा ध्यान रखते हुए किया जाता है ।

तथापि, दिल्ली प्रशासन ने जिन के अधिकार में भवन का निर्माण था, मद संख्या 8 के मामले में कार्य के दिए जाने के पूर्व दरों (कुटेशनों) को आमंत्रित किया था । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी० 2664/70]

**Expansion of Nangal Fertilizer Factory**

1091. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** by pleased to state :

(a) the time bo which the project for the expansion of Nangal Fertilizer Factory would be started ; and

(b) the result of the study made by the World Bank and the extent of assistance promised by the Bank ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R Chavan)** : (a) and (b). Expansion of Nangal Fertilizer Factory was one of the scheme studied by the Pre-appraisal Team of the World Bank for assistance. The Team in such cases submits its reports to the World Bank and not to the Government of India. It is not possible at this stage to indiacate the time by which the project for expansion of Nangal Fertilizer Factory would be started.

**Ayurvedic, Homoeopathic Dispensaries and Allopathic Hospitals in Rural Areas During the Fourth Plan**

1092. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of Ayurvedic and Homoeopathic Dispensaries and Allopathic hospitals proposed to be established in the rural areas of the country during the Fourth Five Year Plan · and

(b) the number of such dispensaries/hospitals to be established in each State, separately ?

**The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy)** : (a) and (b). The information which is avai'able is given in the enclosed statement. The remaining information will be collected and laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT—2665/70]

### पंडारा रोड़ के 'ई' टाइप फ्लैटों के अलाटियों को विशेष सुविधाएं

1093. **श्री राम चरण :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्हें पंडारा रोड के 'ई' टाईप फ्लैट उस श्रेणी से निम्न श्रेणी के अलाट किये गये हैं जिसके वे हकदार हैं ;

(ख) उन में से कितने अलाटियों के लिये बरामदों में शीशे आदि लगाने की विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या इन सुविधाओं के लिये किन्हीं नियमों की व्यवस्था है विशेषकर जबकि वे हकदार श्रेणी से भिन्न श्रेणी में रह रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो सामान्य अलाटियों से भेदभाव कर ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री** (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 175 व्यक्तियों को पंडारा रोड पर अपनी पात्रता से नीचे की श्रेणी के टाइप IV के क्वार्टर आवंटित किये गये हैं।

(ख) 24 फ्लैटों के बरामदों में शीशे लगाने का कार्य पूरा हो चुका है तथा अन्य 9 फ्लैटों में कार्य चल रहा है ।

(ग) सामान्यत: शीशे केवल उन बरामदों में लगाये जाते हैं जहां आंवंटी अपनी पात्रता के फ्लैटों से नीचे की श्रेणी के दखलकार हैं तथा उनसे इस वचन के साथ अनुरोध प्राप्त हो कि वे अतिरिक्त किराया अदा करेंगे । वास के पात्र टाइप के दखलकार आवंटियों के मामले में इस सुविधा की अनुमति सामान्यता नहीं दी जाती है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### पंडारा रोड पर स्थित 'ई' टाइप क्वार्टरों के बरांडों में शीशे लगाने की मंजूरी

1094. **श्री राम चरण :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आवंटियों के नाम क्या हैं जिन्होंने पंडारा रोड पर 'ई' टाइप के क्वार्टरों में अपने बरांडों में शीशे लगाने के लिये अब तक आवेदन पत्र भेजे हैं ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन के आवेदन पत्र मंजूर कर लिए गए हैं तथा

जिनके बरांडों में शीशे लगा दिये गये हैं तथा प्रत्येक मामले में किस आधार पर शीशे लगाये गये हैं ; और

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन के आवेदन पत्र नामंज़ूर कर दिए गए हैं तथा प्रत्येक मामले में मंज़ूरी देने के क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) से (ग). पंडारा रोड, नई दिल्ली के 'ई' टाइप क्वार्टरों के आवंटियों के बरामदों में शीशे लगाने के लिये आवेदनों का एक विवरण संलग्न है, इसमें वे क्वार्टर जिनमें शीशे लगाने के लिए दी गई स्वीकृति/अस्वीकृति आदि तथा उसके लिये कारण बताए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 2666/70].

**पंडारा रोड के 'ई' टाईप क्वार्टरों के बरांडों में शीशे लगाने का आधार**

1095. **श्री राम चरण** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंडारा रोड के 'ई' टाइप के क्वार्टरों में शीशे किस आधार पर लगाये जाते हैं ;

(ख) क्या इस के लिये सभी अधिकारियों की प्रमाणिकता, उनके वेतन तथा ओहदे को ध्यान में रखते हुए, समान नहीं है विशेषकर जब कि वे एक ही श्रेणी के क्वार्टर में समान परिस्थितियों में रह रहे हैं तथा सुरक्षा के आधार पर इस सुविधा के लिए उन का एकसा औचित्य है ;

(ग) यदि हां, तो इन क्वार्टरों में रहने वाले कुछ आवेदकों के लिये शीशे लगाने की व्यवस्था किये जाने के क्या कारण हैं जब कि समान स्थितियों में रहने वाले अन्य आवेदकों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है ;

(घ) क्या सरकार की भेदभावपूर्ण नीति से एक ही श्रेणी के क्वार्टरों में एक और श्रेणी पैदा हो गई है ; और

(ङ) इस स्थिति में कैसे सुधार करने का सरकार का विचार है।

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) से (ग). बरामदे में शीशे लगाने की स्वीकृति प्रत्येक अनुरोध के गुण अवगुण के आधार पर दी जाती है तथा इस उद्देश्य के लिए आवेदक को ऊंचे टाइप के वास के लिए पात्रता तथा अन्य सम्बन्धित मामलों को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता।

**पंडारा रोड, नई दिल्ली, स्थित 'ई' टाइप फ्लैटों के बरामदों में शीशे लगाने में भेदभाव**

1096. **श्री राम चरण :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी बस्तियों के फ्लैटों के बरामदों में शीशे लगाने की अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है ;

(ख) पंडारा रोड स्थित 'ई' टाइप फ्लेटों के बरामदों में शीशे लगाने की मंजूरी देने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) विभिन्न आवेदनों की विभिन्न अधिकारियों द्वारा मंजूरीं देने के क्या कारण हैं और क्या इस सम्बन्ध में भेदभाव किया गया है जिस के कारण बस्ती के उन निवासियों में बहुत असन्तोष है जिन के आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिए गए हैं ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० मू० मूर्ति) :** (क) सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में फ्लैटों के बरामदे में शीशे लगाने की स्वीकृति कार्य के वित्तीय लागत के आधार पर, निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा दी जाती है :

| | |
|---|---|
| अधीक्षक इंजीनियर | 500 रुपये तक के प्रत्येक मामले में। |
| मुख्य इंजीनियर | 500 रुपये से ऊपर किन्तु 1000 रुपये तक के प्रत्येक मामले में। |
| निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग | 1000 रुपये से अधिक के प्रत्येक मामले में। |

(ख) पंडारा रोड 'ई' टाइप के फ्लैटों के बरामदों में शीशे लगाने की स्वीकृति निम्न अधिकारियों ने दी है :

| | |
|---|---|
| अधीक्षक इंजीनियर | 29 मामलों में। |
| मुख्य इंजीनियर | 4 मामलों में। |

(ग) विभिन्न अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्वीकृति दिये जाने के कारण ऊपर (क) में बताए गए हैं। बरामदों में शीशे लगाने की स्वीकृति प्रत्येक अनुरोध के गुण दोष के आधार पर दी जाती है तथा इस उद्देश्य के लिए आवेदक के उच्च टाइप के वास की पात्रता तथा अन्य संबंधित मामलों का ध्यान रखा जाता है।

### आसाम के लिए दूसरा तेल शोधक कारखाना

1097. श्री स० मो० बनर्जी : श्री हेम बरुआ :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उस के पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). सरकार के फैसले के अनुसार, एक विशेषज्ञ दल (भारतीय तेल निगम के प्रधान के ईजिस के अधीन) शोधनशाला तथा पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के विभिन्न पहलुओं पर एक रिपोर्ट लिख रहा है। सरकार को दो महीनों के अन्दर इस रिपोर्ट के प्राप्त होने की आशा है। इसके बाद आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

### पेंशन भोगियों के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना

1098. श्री स० मो० बनर्जी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकारी पेंशन भोगियों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करने के लिये अन्तिम आदेश जारी कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अत्यधिक विलम्ब के होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). दिल्ली में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशनर पहले ही केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाये जा चुके हैं। इलाहाबाद तथा बम्बई में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों को इस योजना में सम्मिलित करने पर विचार किया जा रहा है।

### नगर प्रतिकर भत्ते के लिये नगरों का दर्जा बढ़ाना

1099. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर भत्ते के लिये कुछ नगरों का दर्जा बढ़ाने में असाधारण देरी होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या अमृतसर, जयपुर तथा अन्य स्थानों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की ओर से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है।

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ग). जनसंख्या में हुई वृद्धि का नमूने के तौर पर सर्वेक्षण उन 38 बड़े तथा छोटे नगरों के सम्बन्ध में किया गया जिनकी जनसंख्या 1961 की जनगणना के अनुसार, बड़े नगरों तथा छोटे नगरों की अगली उच्चतर श्रेणी में रखे जाने की सीमा के 10 प्रतिशत के अन्दर थी। किन्तु भारत के महा पंजीयक द्वारा नमूने के तौर पर दिये गये सर्वेक्षण से विभिन्न बड़े नगरों/छोटे नगरों के बीच जनसंख्या की वृद्धि की न्यूनाधिक दर प्रकट हुई है। इस बीच, सरकार को नमूने के तौर पर किये गये सर्वेक्षण में नहीं शामिल किये गये कुछ अन्य छोटे नगरों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से दरख्वास्तें भी मिली हैं। अब मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

**हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा अन्य तेल कम्पनियों तथा ग्राहकों को ढोलों की सप्लाई**

1100. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** 21 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 103 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संबन्धित मंत्रालय तथा विभागों से यह पता लगायेगी कि मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ने उस तिथि से जब उसने भारतीय तेल निगम को ढोल देने शुरू किये, टैंडर संख्या ओ पी/टैन-7/65 के आर्डर की पूरी सप्लाई करने तक अन्य तेल कम्पनियों तथा अन्य ग्राहकों को कितने ढोल सप्लाई किये और क्या सरकार उसका ब्योरा सभा-पटल पर रखेगी ; और

(ख) भारतीय तेल निगम को ढोल देना शुरू करने की तिथि से लेकर उक्त टैंडर के आर्डर की पूरी सप्लाई करने तक इस फर्म को रूरकेला कारखाने से अपने कोटे से प्रति मास कितनी मात्रा में शीत बिली चादरें (कोल्ड रोल्ड शीट) प्राप्त हुई ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) और (ख). प्राक्कलन समिति मामले पर ध्यान दे रही है।

**खनन बस्तियों में क्षय रोग से मृत्यु**

1101. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की खनन बस्तियों में क्षय रोग से काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है ; और

(ख) क्या सरकार ने खनन क्षेत्रों में इस रोग के उन्मूलन के लिये कोई कार्यवाही की है ?

**स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिससे यह पता चले

कि खनन बस्तियों में क्षय रोग के कारण मरने वालों की संख्या देश में सामान्य जनता में इस रोग से मरने वालों की अपेक्षा अधिक है।

(ख) क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गृह उपचार पर बल दिया जाता है तथा देश के प्रत्येक जिले में एक जिला क्षय रोग केन्द्र स्थापित करने का विचार है जहां क्षय रोग निरोधी औषधियां और अन्य नैदानिक तथा उपचार सुविधाएँ सभी को मुफ्त दी जायेंगी तथा इन सुविधाओं का लाभ वे लोग उठा सकते हैं जो कि खनन बस्तियों में रह रहे हैं। इस समय देश के 387 जिलों में से 170 जिलों में सब साज सामान से युक्त 'जिला क्षय-रोग उपचार केन्द्र' मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में खनिज कल्याण संगठनों के कर्मचारियों के यथा आवश्यक अंतरंग उपचार को सुलभ बनाने के हेतु, अन्य क्षय रोग संस्थाओं में सुरक्षित किये गये पलंगों के साथ-साथ इन संगठनों के अपने क्षय रोग क्लीनिक तथा अस्पताल भी हैं।

**आर० ओ० सी० फार्मास्यूटिकल की ओर से अपने उत्पादों के बिक्री मूल्यों की स्वीकृति प्राप्त करने में देरी होने के बारे मे शिकायत**

1103. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 जनवरी, 1970 के फिनैन्शियल एक्सप्रेस में आर० ओ० सी० फार्मास्युटिकल के एक लघु निर्माता श्री एफ० के० शोलापुरवाला द्वारा प्रकाशित एक पत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें यह शिकायत की गई है कि उक्त दिन तक वह अपने उत्पाद को बेच नहीं सका यद्यपि वह उत्पाद अप्रैल, 1968 में बिक्री के लिये तैयार हो गया था क्योंकि उत्पादों के लिये उसके द्वारा उल्लिखित मुल्यों की स्वीकृति प्राप्त करने में अत्यधिक देरी हो गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कार्यवाही के दौरान उन्होंने तीन वर्ष तक अनेक आंकड़ों तथा दस्तावेजों समेत 45 अभ्यावेदन तथा स्मरण-पत्र भेजे थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय ने इस आधार पर उनके मामले को मनमाने ढंग से समाप्त कर दिया था कि वह अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिये स्वयं दिल्ली नहीं आया ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में इतनी अधिक देरी होने के क्या कारण हैं तथा छोटे निर्माताओं को प्रोत्साहन देने की सरकार की स्वीकृति नीति की पृष्ठभूमि में विशेषकर इस मामले को मनमाने ढंग से बन्द करने के क्या कारण हैं ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री, (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) से (घ). मैसर्ज आर० ओ० सी० फार्मास्युटिकल्स ने औषधियों की 16 मदों के मूल्यों के अनुमोदन के लिये आवेदन किया था और उन्होंने 14 मदों का निर्धारित मूल्य स्वीकार कर लिया। किन्तु वे शेष 2 मदों के बारे में अभिवेदन करते रहे। विभिन्न प्रतिवेदनों पर

औषधि मूल्य समिति द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया गया जिसने सरकार द्वारा निर्धारित किये मूल्यों को उचित पाया और संशोधन के लिये कोई गुंजाइश नहीं समझी। पार्टी को अपना पक्ष समिति के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश करने का मौका भी दिया गया लेकिन उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। प्रतिवेदन के सभी मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जाता है और इसी प्रकार का मौका इस पार्टी को भी दिया गया था। परन्तु क्योंकि उन्होंने कोई व्यक्तिगत अभिवेदन नहीं किया, मामले का फैसला उपलब्ध सामग्री के आधार पर कर दिया गया। सरकार द्वारा मामला स्वेच्छा से बन्द नहीं किया गया।

## गुजरात राज्य वित्त निगम द्वारा छोटे कारखानों को सहायता

1104. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेषकर छोटे कारखानों की सहायता करने में गुजरात राज्य वित्त निगम की उल्लेखनीय सफलता के बारे में जानकारी है, क्योंकि इस निगम ने 1960-61 में 37.0 लाख रुपये की तुलना में 1969-70 के पहले नौ मास में कुल 3.81 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।

(ख) क्या सरकार को गुजरात के वित्त मन्त्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के बारे में भी जानकारी है (12 जनवरी 1970 का इकानामिक टाइम्स) कि यदि छोटे कारखानों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा मंजूर कर दी जाये तो और अधिक प्रगति हो सकती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विशेष रूप से देश में छोटे कारखानों की आवश्यकता पूरी करने के लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा नियत करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की है और यदि हाँ, तो गुजरात राज्य में छोटे कारखानों के लिये कितनी राशि नियत की गई है?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी, हां। सम्बद्ध आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

लाख रुपयों में

| | 1960-61 (अप्रैल-मार्च) | 1968-69 (अप्रैल-मार्च) | मार्च, 1969 से दिसम्बर 1969 तक (नौ महीने) |
|---|---|---|---|
| | में दिये गये ऋणों की राशि | | |
| छोटे पैमाने के एकक | 3 | 147 | 228 |
| सभी एकक (छोटे पैमाने के एककों सहित) | 37 | 228 | 330+ |
| छोटे पैमाने के एककों को दिये गये ऋणों का, सभी एककों को दिये गये ऋणों से प्रतिशत-अनुपात | 8.1 | 64.5 | 69.1 |

प्रश्न में उल्लिखित 381.00 लाख रुपया नहीं,, जो 12-1-1970 से इकनामिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार पर आधारित है)

(ख) गुजरात राज्य के वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में, जैसा कि वह समाचार-पत्रों में और इकनामिक टाइम्स के 12 जनवरी, 1970 के अंक में प्रकाशित हुआ है, यह कहा प्रतीत

होता है कि गुजरात सरकार केन्द्रीय सरकार से देश के छोटे पैमाने के उद्योगों की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा निर्धारित करने का अनुरोध करेगी।

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (नैशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन) छोटे पैमाने के एककों को बाहर से संयंत्रों और मशीनों के आयात के लिए वित्तीय सहायता पहले से ही प्रदान करती है। इस प्रयोजन के लिए, सरकार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के लिए विभिन्न विदेशी ऋणों में से रकमें निर्धारित करती है। इसका ब्योरा इस प्रकार है :

| विदेशी ऋण | अवधि | राशि |
|---|---|---|
| येन | अप्रैल-मार्च | |
| | 1968-69 | 37.50 |
| | 1969-1970 | 37.50 |
| | | 75.00 |
| ब्रिटेन | अप्रैल-मार्च | |
| | 1968-1969 | 90.00 |
| | 1969-1970 | 90.00 |
| | | 180.00 |
| डेनमार्क | अप्रैल-मार्च | |
| | 1968-1969 | 20.00 |
| | 1969-1970 | 20.00 |
| | | 40.00 |
| ड्यूशमार्क | दिसम्बर 1962 से | |
| | दिसम्बर 1969 तक | 808.69 |

जो औद्योगिक एकक कम्पनियां अथवा सहकारी समितियां हैं, वे भारतीय औद्योगिक ऋण और निदेश निगम (इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया या औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक गैर-निगम क्षेत्र के छोटे एककों का संबंध है, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने राज्यों के वित्तीय नियमों के सहयोग से इस प्रकार के एककों को सहायता देने की एक योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत, मालिकाना हक वाले, भागीदारी वाले अथवा कम्पनियों के रूप वाले नये और पुराने स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पूंजीगत उपकरणों के आयात के लिए सामान्यतः 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की विदेशी मुद्रा के ऋण दिए जायेंगे। विदेशी मुद्रा के ऋणों के प्रस्ताव स्थानीय वित्तीत संस्थाओं अथवा बैंकों द्वारा समर्थित होने चाहिएं। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, इन प्रस्तावों का समर्थन करने वाली वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से आशा करेगा कि वे प्रायोजनाओं का मूल्यांकन, उनके सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई और ऋण की वसूली

करने का काम करेंगे। इस प्रकार ऋणों पर, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जायगा।

इसके अलावा, सरकार लघु उद्योगों के विकास आयुक्त द्वारा प्रायोजित छोटे पैमाने के एककों को तदर्थ लाइसेंस भी देती है।

लेकिन छोटे पैमाने के उद्योगों को आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, किसी राज्य विशेष के लिए अलग से कोई रकम निधारित नहीं की जाती।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण नीति**

1105. **श्री सेझियान :**

**श्री जे० एच० पटेल :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण नीति में कोई परिवर्तन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, ऐसी कोई नई ऋण नीति तैयार नहीं की है। फिर भी, उन्होंने राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद पिछले छ: महीनों में छोटे किसानों और छोटे व्यापारियों आदि जैसे उपेक्षित वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के कार्य में अच्छी प्रगति की है। इन बैंकों द्वारा इस अवधि में विभिन्न वर्गों को दिये गये ऋणों का ब्योरा इस प्रकार है :

**उपेक्षित वर्गों का राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण**

| | जून 1969 के अन्त तक | | दिसम्बर, 1969 के अन्त तक | | वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | खातों की संख्या | बकाया रकम (करोड़ रुपयों में) | खातों की संख्या | बकाया रकम (करोड़ रुपयों में) | खातों की संख्या | बकाया रकम (करोड़ रुपयों में) |
| 1. किसानों को सीधे ऋण | 134,849 | 26.96 | 249,799 | 57.94 | 114,950 | 30.98 |
| 2. छोटे उद्योग | 36 301 | 148.45 | 46,512 | 169.05 | 10,211 | 20,60 |
| 3. छोटे व्यापारी (जिनमें खुदरा व्यापारी, अपना काम स्वयं करने वाले वर्ग और सड़क परिवहन चालक शामिल हैं) | 30,986 | 26.74 | 49,169 | 39.52 | 18,183 | 13.28 |
| 4. शिक्षा | 549 | 0.46 | 1,193 | 1.29 | 589 | 0.83 |
| जोड़ | 204,730 | 202.11 | 346,673 | 267.80 | 143,933 | 65.69 |

टिप्पणी : आँकड़े अन्तिम हैं।

**विदेशी मुद्रा का रक्षित भंडार**

1106. **श्री सेझियान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष विदेशी मुद्रा का रक्षित भण्डार बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). विदेशी मुद्रा का रक्षित भण्डार बनाने के बारे में यह उल्लेख संभवतः भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा सहयुक्त वाणिज्य मण्डल (एसोसिएटेड चैम्बर आफ कामर्स) की बैठक में दिसम्बर, 1969 को दिये गये भाषण में प्रस्तुत एक सुझाव के संदर्भ में किया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि एक सीमा से परे खाद्यान्न और अन्य आवश्यकता से अधिक जिन्सों का रक्षित भण्डार बनाना महंगा पड़ेगा इसलिए अच्छा यह रहेगा कि उनका निर्यात किया जाये और उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त करके उसे अपने विदेशी मुद्रा के रक्षित भण्डार में जमा किया जाय। विभिन्न जिन्सों की आवश्यकता से अधिक पैदावार का इष्टतम सीमा तक रक्षित भण्डार बनाना और फालतू वस्तुओं का निर्यात करना आदि ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार सामान्यतः समय-समय पर विचार करती रहती है।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, रिक्शा खींचने वालों तथा अन्य व्यक्तियों को ऋण**

1108. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् देश में छोटे व्यापारियों दुकानदारों तथा रिक्शा खींचने वालों को ऋण दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, विशेषतः उन ऋणों का जो बिहार में दरभंगा जिले में मधुबनी स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा से छोटे व्यापारियों, चाय दुकान मालिकों, तथा किसानों को दिये गये हैं ;

(ग) स्टेट बैंक आफ इण्डिया की मधुबनी शाखा से दिये गये ऋणों के मामले में, अब, तक तारीख-वार कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर कितनी राशि के ऋण, तारीख-वार, दिये गये हैं ; और

(घ) यदि छोटे व्यापारियों को कोई ऋण नहीं दिये गये हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, सड़क परिवहन चालकों (रिक्शा चालकों के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं है) को जुलाई 1969 से दिसम्बर, 1969 तक की अवधि में दिये गये ऋणों की रकमों का ब्यौरा दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2667/70**]

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक का मधुबनी शाखा द्वारा छोटे व्यापारियों, चाय की दुकानों/स्टालों के मालिकों और किसानों के लिए मंजूर किये गये ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :

**स्टेट बैंक की मधुबनी शाखा द्वारा मंजूर किये गये ऋण**

| श्रेणी | स्वीकृत ऋणों की संख्या | स्वीकृत सीमा (रुपयों में) | कुल बकाया रमक (रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| 1. छोटे व्यापारी | 17 | 1,30,000.00 | 94,274.34 |
| 2. चाय की दुकानें/स्टाल/ रेस्टोरेंटों के मालिक | 7 | 1,090.00 | 877.93 |
| 3. किसान | 23 | 99,738.00 | 36,099,00 |

(ग) अभी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

**अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से ऋण प्राप्त करना**

1109. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन (आई०डी० ए०) ने भारतीय परियोजनाओं में धन लगाने के लिये अभी हाल ही में नये ऋण प्रदान किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन ने अब तक भारत को ऋण के रूप में कुल कितनी धन राशि दी, और किस उद्देश्य के लिये दी है तथा किन शर्तों पर दी है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) से (ग). चालू वर्ष में, अब तक, विश्व बैंक और इस से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने कुल मिलाकर 15.80 करोड़ अमरीकी डालरों (118.50 करोड़ रुपये के बराबर) की रकमें ऋण/उधार दी हैं । ब्योरे अनुबन्ध में दिये गये हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 2668/70]

**अभरक का उत्पादन तथा निर्यात**

1110. **श्री शिवचन्द्र झा :**
**श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पिछले तीन वर्षों से अभरक उत्पादन कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या विशेष कारण है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों में, वर्ष वार अभरक का कितना उत्पादन हुआ और कितना उसका विदेशों को निर्यात किया गया और उससे इस अवधि में प्रति वर्ष, कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव)** (क) : जी, हां। 1967 वर्ष की तुलना में प्राकृत अभ्रक का उत्पादन 1969 में केवल 4.7 प्रतिशत कम हुआ है।

(ख) खान मालिकों द्वारा अभ्रक के उत्पादन में गिरावट के संबंध में बताये गये विशिष्ट कारण निम्नलिखित हैं :

(1) निर्यात के लिये मांग में गिरावट।

(2) कार्यकारी पाशर्वों के अभ्रक का मंद संकेन्द्रण तथा लाभकारी शिराओं के न्यून हो जाने के कारण।

(3) कुछ खानों के संबंध में ऊसर कार्यकरण आदि।

इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने हाल ही में अभ्रक कोटी संख्या 5½ तथा 6 पर निर्यात शुल्क 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक घटा दिया था। पहले सरकार ने अभ्रक पाउडर के निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिये अभ्रक पाउडर पर 19 जुलाई 1968 से निर्यात शुल्क 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक घटा दिया था।

इस के अतिरिक्त भारत सरकार ने अभ्रक उद्योग के रास्ते में आ रही विभिन्न समस्याओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिये हाल ही में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है।

(ग) हालांकि अभ्रक का उत्पादन देश में नीचे गिरा है, अभ्रक के पिछले तीन वर्षों के उत्पादन एवं निर्यात तथा अर्जित विदेशी मुद्रा के वास्तविक आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

| वर्ष | उत्पादन(प्राकृत अभ्रक) | निर्यात | |
|---|---|---|---|
| | (मैट्रिक टन) | मात्रा (मैट्रिक टन) | मूल्य (लाख रुपयों में) |
| 1967 | 18,152 | 28,216 | 1760.40 |
| 1968 | 17.667 | 22,357 | 1613.50 |
| 1969 (अ) | 17,294 | 19,150 (जनवरी—नवम्बर) | 1559.00 |

(अ)-अन्तिम

**साउथ एवेन्यू पूछ-ताछ कार्यालय, नई दिल्ली, के विरुद्ध शिकायतें**

1111. **शिवचन्द्र झा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को साउथ एवेन्यू पूछ-ताछ कार्यालय, नई दिल्ली के कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या शिकायतें मिली हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो साउथ एवेन्यू पूछ-ताछ कार्यालय का पूरा प्रबन्ध किस के हाथ में है और कार्यालय में उसकी दैनिक काम के घंटे क्या हैं ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** (क) जी हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) शिकायतें बुझे हुए (फ्यूज्ड) बल्बों तथा परदों आदि के बदलने में देर होने के संबंध में हैं।

संसद सदस्यों की शिकायतों पर तुरन्त ध्यान देने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अनुदेश जारी कर दिये हैं।

(ग) पूछ-ताछ कार्यालय सीधे ही एक सेक्शनल आफीसर के चार्ज में है जिसके ड्यूटी का समय (घंटे) सुबह 9.00 से 5.00 बजे शाम हैं।

**विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों का मजूरी ढांचा**

1112. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीकृत बैंकों के कर्मचारियों ने अपने मजूरी ढांचे के मानकीकरण और उसे स्टेट बैंक आफ इण्डिया के बराबर करने की मांग की है ;

(ख) क्या सरकार इस समय अपने नियन्त्रणाधीन विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न वेतनमान दे रही हैं, यदि हां, तो सरकार इस अन्तर को कब दूर करने का विचार रखती है ; और

(ग) असमता को दूर करने में सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० च० सेठी)** : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वेतन के ढांचे के मानकीकरण के लिए, राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के कुछ संघों से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). बैंक कर्मचारियों के वेतनमानों का निश्चय सरकार द्वारा नहीं किया जाता बल्कि पंचाट-कर्मचारियों (अवार्डस्टाफ) के बारे में सम्बद्ध कर्मचारी संघों के साथ हुए समझौतों के परिणाम-स्वरूप, बैंकों के प्रबन्धों द्वारा किया जाता है।

14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और कर्मचारियों की ओर से अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के बीच इन बैंकों में पंचाट कर्मचारियों की सेवा की वर्तमान शर्तों के संशोधन के लिए, द्विपक्षीय बातचीत चल रही है। सरकार इस द्विपक्षीय बातचीत के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है।

## राष्ट्रीयकृत बैंकों की निर्णय लेने की शक्तियां

1113. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के सभी अभिरक्षकों को सभी बड़े निर्णय लेने की शक्तियों से वंचित कर दिया है और इन बैंकों के कार्यों का सामान्य अधीक्षण तथा निदेश अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो रिजर्व बैंक को इस कार्यवाही से सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण के समय दिये गये इस आश्वासन का उल्लंघन नहीं होता कि उनके दिन प्रतिदिन के काम में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो बैंकों की कार्यकारिणी को सामान्य बैंकिंग क्रियाओं तथा नियमिक प्रबन्धकीय कृत्यों के सम्बन्ध में शक्तियों से वंचित करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के काम पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) 14 बड़े भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, बैंकों के सामान्य अधीक्षण और इन के कार बार संबंधी मामलों के प्रबन्ध का काम अभिरक्षकों के हाथ चला गया है। बैंककार्य विनियमन अधिनियम की धारा 36 के अधीन जुलाई, 1969 में जारी किये गये एक निर्देश के अनुसार अभिरक्षकों के लिए यह आवश्यक हो गया कि ऐसे मामलों के संबंध में स्वीकृतियां देने से पहले, जिन के संबंध में मंजूरी देने के लिए, भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनियों के केवल निदेशक-मण्डल ही सक्षम होते, वे, रिजर्व बैंक से परामर्श करें। ये प्रतिबन्ध अस्थायी थे, जिन्हे राष्ट्रीयकरण से तुरन्त बाद की प्रारम्भिक और संक्रमण-कालीन समस्याओं से निपटने के लिये लगाया गया था। अतः स्थिति पर सितम्बर, 1969 में फिर से विचार किया गया और अभिरक्षकों को रिजर्व बैंक द्वारा परामर्श दिया गया कि वे आंतरिक प्रबन्ध समितियां बनायें जिन के सामने, वे सभी मामले लाये जायं जो सामान्यतः निदेशक-मण्डलों के सामने लाये जाते ; परन्तु अभिरक्षकों को स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया कि इस के द्वारा उन के निर्णय करने के अधिकारों को, किसी प्रकार से भी, क्षीण करने या घटाये जाने का इरादा नहीं है फिर भी, अभिरक्षकों के उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए, जो उन्हें परामर्श देने वाले निदेशक-मण्डलों के बिना ही, उठाने पड़ते थे, रिज़र्व बैंक ने, सार्वजनिक हित की दृष्टि से, यह आवश्यक समझा कि अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण लेन-देन, उस की पूर्व-स्वीकृति से किया जाये। यद्यपि अधिकांश महत्वपूर्ण मामलों में अभिरक्षकों ने रिजर्व बैंक से औपचारिक या अनौपचारिक अनुमति ले ली थी परन्तु यह आवश्यक समझा गया कि इस प्रकार के परामर्श के लिये एक औपचारिक प्रणाली अपनायी जाय। इस लिये, बैंककारी विनियमन की धारा 35-क के अधीन रिजर्व बैंक ने 22 जनवरी, 1970 को एक निदेश जारी किया जिस के अन्तर्गत अभिरक्षकों के लिये, विभिन्न प्रकार के लेन-देनों के लिए रिजर्व बैंक की पूर्व-स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया गया।

14 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण करने वाले अध्यादेश (1970 के तीसरे अध्यादेश) के जारी होने के बाद से अध्यादेश की धारा 7(3) के अधीन सरकार द्वारा पहले निदेशकमण्डलों

की नियुक्ति तक की अवधि के लिए अभिरक्षकों के पास अबाध अधिकार रहेंगे। अभिरक्षकों को उनके कार्यों के निष्पादन के लिये मार्गदर्शन देने की दृष्टि से, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 35-क के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा 16 फरवरी, 1970 को एक निदेश जारी किया गया जिस के अधीन अभिरक्षकों के लिए यह आवश्यक बना दिया गया कि कुछ प्रकार के लेन-देन करने से पहले, वे, रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त कर लें। यह निदेश, 22 जनवरी, 1970 को जारी किये गये निदेश की तरह का ही है। इन लेन-देनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये बातें शामिल हैं: 25 लाख रुपये से अधिक रकम के विभिन्न प्रकार के अग्रिम, ज्वायंट स्टाक कम्पनियों के शेयरों और ऋण-पत्रों में 1 लाख रुपये से अधिक का निवेश या इन कम्पनियों के शेयरों और ऋण-पत्रों के बदले 5 लाख रुपये से अधिक रकम के अग्रिम, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा-काल में वृद्धि, भूमि/इमारतों पर निर्दिष्ट रकम से अधिक व्यय और लाभ में से व्यवस्थाएं और विनियोजन।

(ख) और (ग). जी, नहीं। निदेशक-मण्डलों की अनुपस्थिति में, रिजर्व बैंक ने, अभिरक्षकों को, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, मार्ग-दर्शन और सहायता प्रदान करने का प्रयत्न किया है।

(घ) रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये मार्गदर्शन से अभिरक्षों को अपने कार्य के निष्पादन में सहायता मिली है।

### केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दिल्ली नगर पालिका के आयुक्त, को पत्र

1114. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1970 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिल्ली नगर पालिका के आयुक्त को लिखे गये पत्र, जिसमें निगम तथा बाल्मीकि मजदूर संघ द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार का मसौदा दिया गया है, को निगम को स्थायी समिति के अध्यक्ष द्वारा 'ब्लैकमेलिंग' की संज्ञा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या करार के मसौदे के मूल पाठ को सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उपरोक्त (क) भाग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :** (क) से (ग). केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं वरन् केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दिल्ली नगर निगम के म्यूनिसिपल कमिश्नर को 31 जनवरी, 1970 को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि वे संलग्न प्रस्तावित करार के अन्तरिम मसौदे को दिल्ली के महापौर को दिखादे। यह कदम मुख्य कार्यकारी पार्षद और अन्यों के उस अनुरोध के आधार पर उठाया गया था जो उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण,

आवास एवं नगर विकास मंत्री से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त कराने में उनके सौजन्य चाहने के लिये किया था। करार के अन्तरिम मसौदे के भेजे जाने से पूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य, परिवार-नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री ने मुख्य कार्यकारी पार्षद से टेलीफोन पर बातचीत करली थी जिसमें मुख्य कार्यकारी पार्षद ने बतलाया कि वह इस बारे में महापौर से बातचीत कर लेगे। 'ब्लैक मेलिंग' का आरोप गलत है। प्रस्तावित करार के अन्तरिम मसौदे की एव प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2669/70**]

**ब्रिटेन के सहयोग से नेफथा फोड़ने के कारखाने की स्थापना**

1115. **क० प्र० सिंह देव** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ब्रिटेन के सहयोग से भारतीय पैट्रो-रसायन निगम, कोयाली का एक नेफथा फोड़ने का कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में ब्रिटेन की फर्म के साथ कोई करार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक करार मसौदा तैयार किया गया है, जो सरकार के विचाराधीन है।

**केन्द्रीय आवास बोर्ड आवास निगम की स्थापना**

1116. **श्री नन्द कुमार सोमानी** :　　**श्री रघुबीर सिंह शास्त्री** :
**श्री रा० रा० सिंह देव** :　　**श्री रामचन्द्र वीरप्पा** :
**श्री य० अ० प्रसाद** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय आवास बोर्ड आवास निगम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) देश में ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में इस समय मकानों की कितनी आवश्यकता है ; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यक्रम है।

**स्वास्थ्य तथ परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) और (ख). आवास और नगरीय विकास कार्यक्रमों हेतु स्थापित की जानेवाली आवर्तन निधि के संचालन के लिए आवास और नगरीय विकास वित्त निगम बनाने के एक प्रस्ताव को सिद्धान्त अनुमोदित कर दिया गया हैं। निधि की वास्तविक राशि तथा अन्य ब्यौरे का हिसाब लगाया जा रहा है। प्रस्ताव को अगले वित्तीय वर्ष (1970-71) से लागू किया जायेगा।

(ग) और (घ). हाल ही के एक अनुमान के अनुसार देश में आवासों की कमी लगभग 837 लाख एकक है। इसमें से लगभग 119 लाख एककों की नगरीय क्षेत्र में तथा लगभग 718 लाख एककों की ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकता है। परवर्ती संख्या में लगभग 527 लाख 'कच्चे' मकान भी सम्मिलित हैं जिनका पुनः निर्माण अथवा पर्याप्त सुधार वांछनीय है।

देश में मकानों की कमी इतनी अधिक है कि उसमें तुरन्त आश्चर्यजनक सुधार की संभावना नहीं की जा सकती। ऐसा विश्वास है कि प्रास्तावित आवर्तन निधि से, नगरीर, विकास, आवास निर्माण, मकान के स्वामित्व तथा बचतों के जुटाने को प्रोत्साहन देने से स्थिति के उत्तरोतर सुधार में सहायता मिलेगी।

**विदेशों में सम्मेलनों/बैठकों में शामिल होने के लिये 'पी' फार्म**

1117. **श्री सीताराम केसरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में होने वाले सम्मेलनों/बैठकों में शामिल होने वालों के लिये 'पी' फार्म जारी करने का अधिकार अब केवल रिजर्व बैंक के बम्बई स्थित मुख्य कार्यालय को ही दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि ऐसी स्वीकृतियों से संबंधित अनेक संगठनों को इसके परिणाम स्वरूप बड़ी असुविधा होती है ;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे अधिकार कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली शाखा के अधिकारियों को भी देने का है ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ङ). पहली मार्च 1970 से लागू होने वाले संशोधित विनियमों के अनुसार विदेशों में होने वाले सम्मेलनों में पूर्ण आतिथ्य या स्थानीय संस्थागत आतिथ्य के आधार पर, भाग लेने से सम्बधित सभी मामले भारतीय रिजर्व बैंक के प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा निपटाये जाएंगे। ऐसे मामलों में केन्द्रीय कार्यालय से लिखापढ़ी करने की जरूरत नहीं होगी। केन्द्रीय कार्यालय केवल उन्हीं मामलों पर विचार करेगा जिसमें, विदेशी सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति को आतिथ्य सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध न हो और वह बैंक से विदेशी मुद्रा प्राप्त करके विदेशी सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति चाहते हो।

**भारतीय खान विशेषज्ञों की इथोपिया की यात्रा**

1118. **श्री सीताराम केसरी** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के कुछ खान विशेशज्ञों, जनवरी 1970 में इथोपिया और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त उद्योगों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये इथोपिया गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों सरकारों के बीच करार हुआ है।

(ग) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रो में दोनो सरकारे सहयोग करने के लिये सहमत हो गई है ; और

(घ) संयुक्त उद्योगो के परिणामस्वरूप सरकार को क्या लाभ होने की संभावना है ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) से (घ). भारतीय भूमिज्ञान सर्वेक्षण संस्था के दो अधिकारियों के दल ने 5 नवम्बर से 8 दिसम्बर, 1969 तक इथोपिया की यात्रा की। उस देश में पोटैश तथा गन्धक के निक्षेपों तथा वहां उपलब्ध अन्य अत: संरचना सुविधाओं का प्रारम्भिक मूल्यांकन तथा उन के उपयोग के विचार से संयुक्त उपक्रमों की सम्भावनाओं की जांच करना इस यात्रा का उद्देश्य था। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

**आय कर अधिकारियों द्वारा अहमदाबाद में छापे**

1120. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** :
**श्री मुहम्मद शरीफ** :
**श्री शारदा मुकर्जी** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1969 में आयकर अधिकारियों ने अहमदाबाद में व्यापार तथा रिहायशी गृहों पर अचानक कई छापे मारे थे, और काले धन के सौदे बताने वाले प्रमाण बरामद किये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अन्तग्रस्त व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या ऐसे छापे सभी राज्यों में मारे गये थे और यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी, हाँ।

(ख) तलाशियों के दौरान पकड़े गये दस्तावेजों की जांच की जा रही है। तलाशी के दौरान पायी गयी सामग्री को ध्यान में रखकर कर-निर्धारण पूरे किये जायेगें और कानून के अनुसार दण्ड लगाने की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(ग) यदि परिस्थितियों के अनुसार तलाशी लेना न्याय-संगत हो तो जिस आय पर कर-अपवंचन किया गया है उसका पता लगाने के लिये सारे देश में कहीं भी तलाशी ली जा सकती है। 1969 में 145 तलाशियाँ ली गई थी। इन तलाशियों का राज्यवार ब्योरा निम्न प्रकार है :

| | |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 7 |
| बम्बई | 29 |
| दिल्ली | 10 |
| मैसूर | 15 |
| गुजरात | 54 |
| पश्चिम बंगाल | 7 |
| उत्तर प्रदेश | 9 |
| पंजाब | 4 |
| राजस्थान | 1 |
| असम | 1 |
| मध्य प्रदेश | 1 |
| मद्रास | 6 |
| केरल | 1 |
| | 145 |

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

## डुबाई के मार्ग से तस्करी

1124. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री अदिचन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़े गये तस्करी के मामलों, जिनमें डुबाई को तस्करों की गतिविधियों का अड्डा पाया गया है, इसका ब्योरा क्या है और उसके परिणाम स्वरूप कितना माल पकड़ा गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : यद्यपि इकट्ठी की गई गुप्त सूचना से यह समुचित रूप से स्पष्ट है कि डुबाई तस्कर आयात-निर्यात सम्बन्धी गतिविधियों का मुख्य स्थल है तथापि अलग अलग मामलों में से अधिकांश मामलों में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि पकड़ा गया माल डुबाई से अथवा मध्य पूर्व के किन्हीं अन्य क्षेत्रों से आया है। अतः ऐसे मामलों का ब्यौरे देना व्यवहार्य नहीं है।

## इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा कच्चे तेल का आयात

1125. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपारेशन का विचार कच्चे तेल का आयात का काम करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा वर्ष 1970-71 में कितने कच्चे तेल का आयात किया जायेगा और तेल वाले किन-किन देशों से उसका आयात किया जायेगा और प्रत्येक देश से कितनी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया जायेगा?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :** (क) जी हाँ ।

(ख) विचाराधीन प्रस्तावों के ब्यौरे बताना जनहित में नहीं है ।

## भारतीय चलचित्रों की तस्करी

1126. **श्री हिम्मत सिंहका :**
**श्री अविचन :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कथा-चित्र "साथी" के इसके कानून अधिकारी मेसर्स स्ट्रोम्बोली फिल्म्स लिमिटेड के पास से चोरी होने सम्बन्धी जांच के दौरान, ब्रिटेन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, फारस की खाड़ी तथा इन्डोनेशिया में फिल्मों की तस्करी करने वाले एक सुगठित गिरोह का पता लगा है ; यदि हां, तो तस्करी की उन गतिविधियों के बारे में सरकार के पास क्या ब्योरा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी हाल ही में केन्द्रीय सीमा-शुल्क कलक्टरी के समुद्री तथा निरोधक प्रभाग ने, बम्बई में, आठ रंगीन कथा-चित्रों को, जो कि प्रदर्शन के लिए तैयार स्थिति में थे, चोरी हो जाने से पूर्व ही पकड़ लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो उन चित्रों के क्या नाम हैं तथा भारत में इस तस्कर गिरोह को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) यह मामला सीमा-शुल्क अधिकारियों के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय, बम्बई के समुद्री तथा निवारक प्रभाग के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, 28 दिसम्बर 1969 को, बम्बई में कोचीवाडा, बसई में एक कमरे से, केवल पांच रंगीन कथा-चित्र पकड़े गये थे ।

(ग) फिल्मों के नाम ये हैं (1) दो कलियां, (2) पत्थर के सनम, (3) मेहरबान (4) मिलन (5) दस लाख। अभी तक कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है। पकड़ी गई फिल्मों का मूल्य लगभग 1,25,000 रुपये होने का अनुमान है। फिल्मों के तस्कर आयात-निर्यात के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी करने तथा तस्करी-विरोधी आम उपायों में तेजी लाने का कार्य आरम्भ किया गया है।

### Income Tax due from M/s United India Publications and Raisina Publications

1127. **Shri Ram Singh Ayarwal : Shri Bansh Narayan Singh : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Kanwarlal Gupta :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of income shown to the Income Tax Department by the United India Publications and the Raisina Publications which publish news-papers 'Patriot' and 'Link' during the last three years ;

(b) whether it is a fact that the Income Tax Officer had increased the amounts of income shown by the aforesaid two Companies in the assessments made by him during the last two years and if so, the extent of increase made and the heads under which the increase was made, company-wise ;

(c) the names and addresses of the persons whose deposits with these companies were not accepted and taken into account by the Income Tax Department in the said assessments ; and

(d) the names and addresses of those persons who deposited more than Rs. 10,000 with the aforesaid companies or purchased shares of the like amount from these companies ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :** (a) The income returned by these two companies for the three latest years are as under :—

**M/s United India Periodicals Pvt. Ltd.**

| Assessment year | Income |
|---|---|
| 1967-68 | Rs. 27,043 |
| 1968-69 | Rs, 87,182 |
| 1969-70 | loss — Rs. 1,39,399 |

**M/s Raisina Publications Pvt. Ltd.**

| | |
|---|---|
| 1966-67 | loss — Rs. 12,00,767 |
| 1967-68 | loss — Rs. 12,47,465 |
| 1968-69 | loss — Rs. 13,36,599 |

(b) During the last two years, the only assessment completed in the case of Raisina Publications (P) Ltd. is that for the assessment year 1964-65. No specific addition was made in the assessment of the company for the said assessment year.

In the case of United India Periodicals, during the last two years assessments for the assessment years 1963-64 and 1964-65 were completed. In both the years additions of Rs. 1,20,000/- were made on account of notional annual letting value under the head 'Property'.

(c) Does not arise in view of the reply to part (b) above.

(d) Since the year for which this information is required is not mentioned it is not possible to furnish the information. It would involve enormous time and labour to compile a list of depositors and share-holders of the two companies in respect of every year from the incorporation of the companies to the present day.

## लेखा वाह्य धन का पता लगाना

1128. **श्री ग्रदिचन :**

**श्री विश्वनाथ पान्डेय :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा वाह्य धन का पता लगाने के लिए ग्राय कर ग्रधिकारियों तथा ग्रन्य ग्रधिकारियों ने पिछले तीन महीनों में नए छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो यह छापे किन क्षेत्रों में मारे गये थे ग्रौर कितना लेखा-बाह्य धन पकड़ा गया था ; ग्रौर

(ग) वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 में देश में कुल कितना लेखा बाह्य धन बरामद किया गया था ग्रौर देश में लेखावाह्य धन बाहर निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ग्रौर की जा रही है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं सेठी)** : (क) तथा (ख). ग्रायकर विभाग द्वारा नवम्बर, दिसम्बर 1969 तथा जनवरी 1970 के तीन महीनों में, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में 62 तलाशियां ली गई ग्रौर इन तलाशियों में, ग्रपराध ग्ररोपणीय दस्तावेजों के ग्रतिरिक्त, 18.34 लाख रुपए मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गई ।

(ग) ग्रायकर विभाग द्वारा, 1966-67 से 1968-69 तक के वर्षों में ली गई तलाशियों में निम्नलिखित परसम्पत्तियां पकड़ी गई :

| | परसम्पत्तियों का मूल्य |
|---|---|
| 1966-67 | 58 लाख रुपये |
| 1967-68 | 90 लाख रुपये |
| 1968-69 | 34 लाख रुपये |

इसके ग्रतिरिक्त ग्रायकर विभाग ने इसी ग्रवधि में, ग्रपनी सामान्य जांच पड़ताल के दौरान, निम्नलिखित छिपाई हुई ग्राय पकड़ी :

| | |
|---|---|
| 1966-67 | 32.92 करोड़ रुपये |
| 1967-68 | 37.72 करोड़ रुपये |
| 1968-69 | 50.12 करोड़ रुपए |

साथ ही, कर निर्धारितियों ने अपने आप ही अपनी निम्नलिखित छिपाई आय प्रकट की :

| | |
|---|---|
| 1966-67 | 16.60 करोड़ रुपए |
| 1967-68 | 13.71 करोड़ रुपए |
| 1968-99 | 11.98 करोड़ रुपये |

इस सम्बन्ध में किये गए उपाय संलग्न विवरण में दिये गए हैं । कर अपवंचन तथा कर से बच निकलने की समस्या की निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है और समय समय पर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2670/70]

**जी० डी० ओ० की पदोन्नति**

1130. **श्री कु० मा० कौशिक** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री 18 अगस्त 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3902 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वक्तव्य की क्रम संख्या 1, 2 और 25 के समक्ष दिखाये गए व्यक्ति 1967 की वरिष्ठता सूची संख्या एफ 1-5/67-सी० एच० एस० II—के क्रमशः क्रम संख्या 20,159 और 82 से चुने गए थे ;

(ख) यदि हाँ, तो रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्तता का निर्णय करने के मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ;

(ग) जी० डी० ओ० ग्रेड दो के अधिकारियों की जी० डी० ओ० ग्रेड एक में पदोन्नति की सूची तैयार करने में संघ लोक सेवा आयोग और विभागीय पदोन्नति समिति (डी० पी० सी०) को कितना समय लगेगा ; और

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने जी० डी० ओ० ग्रेड एक और सुपर टाइम ग्रेड दो में विशेषज्ञ संवर्गों के अधिकारियों और सुपर टाइम ग्रेड-2 के अधिकारियों की सुपर टाइम ग्रेड एक में पदोन्नति सूची हाल में तैयार कर ली है ?

**स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नागरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी हां ।

(ख) (i) जी० डी० ओ० ग्रेड-II में 5 वर्ष की सेवा का पूरा होना ।

(ii) वरिष्ठता ; और

(iii) भरे जाने वाले रिक्त स्थान के लिए उपयुक्तता ।

(ग) इस प्रश्न पर विधि मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय एवं संघ लोक आयोग से परामर्श लेते हुए विचार किया जा रहा है ।

(घ) जी नहीं ।

### डाक्टरों के सेवानिवृत्ति होने की आयु

1131. **श्री पाशाभाई पटेल :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को अभी हाल ही में हुए अखिल भारतीय शल्य चिकित्सक सम्मेलन द्वारा दिए गए वे सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें विशेष रूप से गांवों में अनुभवी डाक्टरों की कमी को देखते हुए, डाक्टरों को सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है ; और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** अभी तक इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय शल्यचिकित्सक सम्मेलन से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए है।

### तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

**1132. श्री जे० एच० पटेल :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्तिरिम सहायता देने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि इस तरह की अन्तिरिम सहायता देने का विचार नहीं है तो इसके क्या कारण है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्र० चं० सेठी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) बढ़े हुए जीवन-निर्वाह व्यय के कारण किसी अन्तरिम राहत की आवश्यकता का प्रश्न तथा उसको लागू करने की तारीख सम्बन्धी प्रश्न को भी शीघ्र ही नियुक्त किए जाने वाले वेतन आयोग के निर्देश पदों में शामिल किया जायेगा।

### राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न समवायों के शेयरों तथा ऋण-पत्रों पर अग्रिम धन दिया जाना

1133. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा (1) बी० पी० पैट्रोल (2) किल्लिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (3) कोहिनूर लिमिटेड तथा (4) स्टैंडर्ड, ड्रम्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के शेयरों तथा ऋण-पत्रो पर कितनी अग्रिम धनराशि दी गई है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि कपाड़िया बन्धुओं ने बी० पी० पैट्रोल तथा स्टैंडर्ड ड्रम्स की आय तथा जमा-खाते की रकम की सहायता से किल्लिक समवाय-समूह को अपने अधिकार में ले लिया है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि अब किल्लक समवाय-समूह तथा, इसके संसाधनों और

इस समूह की जमा राशि के आधार पर बैंक से प्राप्त राशियों की सहायता से नेशनल रेयन को अपने अधिकार में लेने का प्रयत्न किया जा रहा है ; और

(घ) अधिकार में लेने के इन प्रयत्नों के बारे में सरकार की क्या नीति है और ऐसे प्रयत्नों को रोकने के लिए सरकार का क्या वित्तीय तथा ऋण देने सम्बन्धी कार्यवाहियां करने पर विचार कर रही है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी** : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उपर्युक्त कम्पनियों के शेयरों के एवेज में किसी सीमा तक रकमें लेने की अनुमति दी गई है, इसके बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(घ) इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

**अखिल भारतीय कांग्रेस के 10-सूत्रीय कार्यक्रम की सरकार द्वारा क्रियान्विति**

1134. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के वर्ष 1967 के 10-सूत्रीय कार्यक्रम के समर्थन की घोषणा नहीं की है ;

(ख) क्या इस कार्यक्रम में नगरीय आय तथा नगरीय सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित करना शामिल नहीं है ;

(ग) क्या सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के बम्बई अधिवेशन में नगरीय आय की उच्चतम सीमा निर्धारित करने की मद को उच्चतम प्राथमिकता वाले कार्यक्रम से निकाल दिया गया था तथा उसमें केवल नगरीय सम्पत्ति की उच्चतम सीमा के निर्धारण संबंधी मद को ही रखा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में औपचारिक रूप से सरकार की स्थिति क्या है, क्या सरकार का विचार अपने वैधानिक कार्यक्रम में केवल नगरीय सम्पत्ति को शामिल करने का है अथवा नगरी आय तथा नगरीय सम्पत्ति दोनों को ही शामिल करने का है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अपनाये गये 10-सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाये हैं।

(ख) इस कार्यक्रम में, शहरी आमदनी और सम्पत्ति की सीमा निधारित करने की आवश्यकता का उल्लेख है।

(ग) बम्बई अधिवेशन में स्वीकार किये गये, आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में 10-सूत्री कार्यक्रम को शब्दशः और उनकी भावना के अनुरूप अमल में लाने की पुनः प्रतिज्ञा करते हुए, शहरी सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने पर बल दिया गया है।

(घ) हमारी नीति का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि आमदनियों और सम्पत्ति के विवरण में अपेक्षाकृत अधिक समानता लाई जाय। 1970-71 के बजट में, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई उपाय किये गये हैं। सरकार शहरी सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के व्यवहारिक तरीकों की जांच कर रही है और हमने राज्यों के विचार जानने के लिए, उन्हें पत्र लिखे हैं। एक ओर, इस विषय के कानूनी और दूसरे पहलुओं की जाँच की जा रही है और दूसरी ओर बजट में शहरी जमीनों और इमारतों पर लगे अतिरिक्त सम्पत्ति कर में वृद्धि की गई है ताकि इस समय केन्द्र को जो अधिकार प्राप्त हैं उनके अन्दर रहते हुए, शहरी सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य को, कम से कम आँशिक रूप से, पूरा किया जाय।

**Central Government Offices Housed in Rented Buildings in Big Cities**

1136. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the Central Government Offices in big cities like Calcutta, Bombay, Madras, Trivendrum, Mysore, Bangalore, Nagpur, Chandigarh, Simla, Lucknow, Kanpur, Allahabad, Patna, Cuttack, Shillong, etc, are housed in rented buildings ;

(b) if so, the monthly expenditure incurred on this account and the details of expenditure incurred on this item during the last three years ?

(c) whether Government have formulated any scheme to construct their own buildings for these offices ;

(d) if so, the details thereof and the expenditure estimated to be incurred thereon ; and

(e) the time by which Government propose to complete the said scheme ?

**The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** (Shri B. S. Murthy) : (a) and (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Payment of one Month's Pay in Advance to Central Government Servants Affected by Flood**

1137. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had decided to pay one month's pay in advance to the Central Government servants affected by flood after the last flood in Bihar ;

(b) if so, the names of the department whose employees were paid the said advances and their numbers department-wise ;

(c) the reasons for not paying such advances to some of them ;

(d) whether Government still propose to grant such advances ; and

(e) if so, when and if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi)** : (a) Yes, Sir. In regard to parts (b) to (e), non-gazetted Central Government employees of all

Departments of Government are eligible for the advance, subject to the prescribed terms and conditions. While the P. and T. Department had issued the necessary sanction in this regard under their delegated powers on 25.9.1969, the Railways seem to have sanctioned this later and for the other Departments, the sanction was issued centrally on 1.12.1969. In view of the differing dates of sanction and the fact that a time-limit of three months is allowed to the employees for applying for the advance, complete information will become available only after some more time However, information which has readily become available from the Department of Posts and Telegraphs is given below :—

(b) 3626.

(c) 455 applicants were not sanctioned the advance for reasons such as their not belonging to the affected areas, or non-submission of applications in time or claims not being found genuine.

(d) and (e). Since the last date for submission of applications in the P. &. T. Department has already expired, further applications for advances cannot be entertained by that Department.

**दिल्ली में राजनैतिक दलों से बकाया किराया**

1138. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 27 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 133 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राजनैतिक दलों का किये गये उन आबंटनों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए प्रश्न के उत्तर में किराया बकाया बताया गया है ;

(ख) क्या इमारतें अब भी इन दलों के अधिकार में हैं ;

(ग) किराया किस अवधि के लिये बकाया बताया गया है ; और

(घ) बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) से (घ). वांछित सूचना का एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2671/70]

**दिल्ली में स्कूटर तथा टैक्सियां खरीदने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राप्त किये गये आवेदनपत्र**

1139. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चलाने के लिए स्कूटरों तथा टैक्सियों को खरीदने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उनमें से कितनों को ऋण दिया गया है ; और

(ग) शेष व्यक्तियों को ऋण न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) और (ख). स्कूटर और टैक्सियां खरीदने के उद्देश्य से ऋण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को 154 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 147 के लिए ऋण मंजूर किये जा चुके हैं।

(ग) बाकी सात आवेदन-पत्र विचाराधीन है।

**स्टेट बैंक आफ इंडिया की कलकत्ता शाखा पर एक सशस्त्र गिरोह द्वारा हमला**

1140. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 दिसम्बर, 1969 को एक सशस्त्र गिरोह ने सेंट्रल कलकत्ता में पार्क-स्ट्रीट के निकट स्टेट बैंक आफ इंडिया की एक शाखा पर हमला किया था और ये लगभग 4.6 लाख रुपये की राशि लूट कर भाग गये थे ;

(ख) यदि हां, तो अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस मामले की पश्चिम बंगाल सरकार के पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है और वहां की सरकार ने सूचित किया है कि डाके के सम्बन्ध में इन व्यक्तियों को गिरफतार किया गया है :

1. कल्याण बोस उर्फ गोरा उर्फ मानष।
2. बिमल कुमार राय चौधरी उर्फ बच्चू उर्फ बादल।
3. मदन मोहन पाल।
4. राजाराम चौधरी उर्फ धूर उर्फ ज्योति।
5. अनन्त सिंह उर्फ अविनाश उर्फ ओल्ड गार्ड।

**आन्तरिक व्यापार तथा वाणिज्य में विदेशी कम्पनियों के प्रवेश को रोकने के लिए उपाय**

1141. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्तरिक व्यापार तथा देश की अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों में विदेशी कम्पनियों के प्रवेश को अधिक प्रभावी रूप में रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विधान बनाने का भी प्रस्ताव है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) पहली अप्रेल 1965 से लागू हुए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 18-क के अन्तर्गत, विदेशियों द्वारा नियन्त्रित कम्पनियों को केन्द्रीय सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना, भारत में किसी व्यक्ति, कम्पनी या फर्म के व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक लेन देनो के सम्बन्ध में उसके तकनीकी अथवा प्रबन्ध सलाहकार या अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की मनाही है। विदेशियों द्वारा नियन्त्रित कम्पनियां जब उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में अनुमति मांगती है तब उन्हें सीमित अवधि के लिए अनुमति देने तथा समय की सीमा बढ़ाने से पहले उनके मामलों की विस्तारपूर्वक जांच-पड़ताल की जाती है। जो विदेशी फर्में और कम्पनियाँ इस देश में

नया व्यवसाय खोलना चाहती थी उन्हें मार्च 1969 में, यह बात कही गई थी कि भारत में कोई नयी शाखा खोलने से पहले वे रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करें।

(ख) वर्तमान उपायों को और सख्त बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में विधायी अथवा अन्य जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी, की जाएगी।

**Inadequate Medical Education and Services in the Country**

1142. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to his statement published that present Medical Education and Services are not adequate for the needs of the country ;

(b) if so, whether Government propose to declare Ayurvedic System of medicine as 'State Medical System' like Ceylon and not to give protection to Allopathic system of medicine ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S Murthy)** : (a) Yes.

(b) No.

(c) The Central and State Governments use Allopathy, Ayurveda and other systems of Indian medicine, and Homeopathy since each system has a contribution to make in giving relief to the people.

**Capital invested by L. I. C. in Various Companies**

1143. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of various private companies and concerns in which the Life Insurance Corporation had invested capital till the 31st December, 1969 and the amount of capital invested in each of them ;

(b) the amount of capital written off in respect of each company ;

(c) the names of the Officers who are authorised to write off the money and the details of movable and immovable property possessed by those officers and their wives ; and

(d) whether Government propose to make an enquiry to ensure that the said officers do not connive with the concerned parties and the hard earned money of the public is not written off ?

**The Minister of Supply and the Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri R. K. Khadilkar)** : (a) and (b). It is not in public interest to disclose the names of individual companies in which the Corporation holds investments.

(c) No officer of the Corporation is authorised to write off any of its investments. The power to write off the investments is vested in the Executive Committee of the Corporation. The Executive Committee consists only of members of the Corporation as provided in section 19(1) of the L. I. C. Act.

(d) Does not arise.

## High Denomination Currency Notes

1144. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7031 on the 21st April, 1969 and state :

(a) whether it is a fact 1000,5000 and 10,000 rupee cusrency notes, in circulation at present, are in the possession of the capatalists, senior officers, Ministers and foreigners only instead of their being in the possession of general public ;

(b) whether it is also a fact that most of the said currency notes of higher value are in the form of black money ;

(c) whether Government propose to stop the circulation of these notes in pursuance of its policy of socialism ; and

(d) if so. the time which Government propose to do this ; and if not, whether Government propose to allow this huge amount to remain in possession of a few persons ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi)** : (a) and (b). It is not possible to indicate denomination-wise holdings of currency notes by different categories of persons. It is also difficult to relate the holdings of high denomination currency notes to the tax evasion by different persons.

(c) and (d). Government does not regard demonetization of the notes of high denomination as providing the right answer to the unearthing of black money. Government, however, is constantly engaged in detecting tax evasion which is the principal source of unaccounted money. Recently, a Committee of Experts has been appointed to examine and suggest legal and administrative measures for countering evasion and avoidance of direct taxes.

## Corruption Among Income Tax Practitioners

1145. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Income-tax Practitioners are available all over the country for pleading income-tax cases, filling in income-tax returns and for the other work connected therewith ;

(b) if so, whether it is proposed to constitute an inquiry to see that the said practitioners in connivance with the Income-tax Officers and after taking heavy fee from the public do not have the tax evaded ;

(c) if not, whether it is proposed to dispense with the Income-tax Practitioners system and to allow the public to fill the returns in regional languages and Hindi and to plead their cases themselves in their own languages ; and

(d) if so, the time by which it would be done and if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi)** : (a) Yes Sir.

(b) The provisions in law and the officers administering the law are expected to deal with attempts at tax evasion and there is no proposal, therefore, to institute an enquiry into the Income-tax Practitioners' role in the matter.

(c) and (d). The assessees are at liberty even now to fill in their returns of income and to plead their cases themselves in the regional languages or in Hindi. There is on proposal, therefore, to dispense with the system of Income-tax Practitioners for the assessees who want to utilise it.

**Remission of Money by Foreign Oil Companies in India to Their Respective Countries**

1146. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state ;

(a) whether his attention has been drawn towards the statement of the Shah of Iran published in column 3 at page 8 of the 'Hindustan' dated the 5th January, 1969 to the effect that the income of Foreign Oil Companies in Iran is being utilsied in the country and it does not go to the foreign banks and thus Iran has been carrying over reforms and development works on a large scale ; and

(b) if so, whether it is proposed to impose restrictions on foreign oil Companies in India to remit money to foreign countries as a royalty and to open accounts with foreign banks operating in India ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) :** (a) and (b). Detailed information is being obtained on receipt of which reply will be placed on the Table of the House.

**बैंको के राष्ट्रीयकरण की नई व्यवस्था में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण**

1147. **श्री० जी० वाई० कृष्णन् :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण की नई व्यवस्था में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों के आरक्षण हेतु कोई कार्यकारी आदेश जारी किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवारों की सेवा में रखा गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) 31 दिसम्बर, 1969 में इन बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क), (ख) और (ग). आशा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए, रिक्त पदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को, जिन पर स्टेट बैंक में लिपिकों और अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के बारे में पहले से ही अमल किया जा रहा है, राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जायगा ।

(घ) इस समय 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में उपलब्ध अपेक्षित सूचना 31 जुलाई, 1970 को विद्यमान स्थिति के बारे में है जो इस प्रकार है :

कर्मचारियों की संख्या

| | अनुसूचित जातियां | अनुसूचित आदिम जातियां |
|---|---|---|
| लिपिक संवर्ग | 150 | 16 |
| अधीनस्थ संवर्ग | 1560 | 143 |
| जोड़ : | 1710 | 159 |

**दिल्ली निगम के अस्पतालों में प्रयोगावधि समाप्त हुई औषधियों का प्रयोग**

1148. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के कुछ अस्पतालों में रोगियों के लिए प्रयोगावधि समाप्त हुई औषधियाँ प्रयोग की जा रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक इंजेक्शन और अन्य औषधियां मेडिकल स्टोर से प्रयोगावधि समाप्त होने के बाद दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

**छुट्टी के बदले में वेतन**

1149. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

**श्री राजदेव सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को छुट्टी के बदले में वेतन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) जी, हां । इस सम्बन्ध में श्री डी० एन० पाटोदिया द्वारा 1-12-69 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 305 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

(ख) संक्षेप में सुझाव यह है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी, दो वर्षों के अवधि-दण्ड में दो महीने की छुट्टी के लिए आवेदन करता है तथा उसे छुट्टी मंजूर की जाती है तो उसे एक महीने की छुट्टी का सरकार के हक में परित्याग करने तथा उसके बदले छुट्टी वेतन पाने की सुविधा दी जाय ।

(ग) यह सवाल नहीं उठता ।

**Replying of Letters in Hindi by Various Autonomous Bodies Under Ministry of Finance**

1150. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whethe Government propose to make some arrangements for replying the letters in Hindi received from the public in Hindi by Life Insurance Corporation, Reserve Bank of India, Unit Trust and all other autonomous bodies under the Ministry of Finance and also propose to conduct complete work in Hindi in all such offices located in Hindi speaking States ;

(b) if so, the time by which it is proposed to do so ; and if not, the reasons therefor ;

(c) whether Governme t are aware of the fact that the autonomous bodies under the Ministry of Finance do not at all give replies to the letters received in Hindi ; and

(d) whether Government propose to appoint some Hindi Translators and Hindi Typists for conducting the work of all the offices mentioned in part (a) above in Hindi.

**The Minister of State in the Ministry of Finace (Shri P. C. Sethi) :** (a), (b), (c) and (d). The Reserve Bank has given instructions to its various offices to reply in Hindi all communications received in Hindi. Similar position exists for the Unit Trust of India. Life Insurance Corporation offices in Hindi speaking States endeavour to give replies in Hindi to communications received in Hindi. Life Insurance Corporation has also introduced several Hindi forms in Hindi speaking areas for the convenience policy holders, agents and public. The Industrial Development Bank of India has made arrangements at the Head Office to reply to Hindi letters in Hindi. The Industrial Finance Corporation is making arrangements for replies to letters to letters in Hindi to be accompanied, as far as possible, by a translation in Hindi. The State Bank of India has reported that much of the banking work is oral and is conducted in the language of the customer and that no customer sufferes any disadvantage merely because the correspondence is initiated in Hindi. A start has been made in the State Bank for sending replies to some communications in Hindi. As far as the nationalised banks are concerned, arrangements which exist in the State Bank will, with suitable modifications, be extended to them. Since all these autonomous organisations are all-India in character, their offices in Hindi areas will not be able to discontinue the use of English in conducting their work. It is not possible to fix any time limit for the complete switch over by them to Hindi.

**Additional Hindi Translators, Hindi Typists and Hindi Typewriters Asked for by Different Ministries**

1151. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of the Ministries of Government of India which asked for additional posts of Hindi Translarors, Hindi Typists and Hindi typewriters in the later half of 1968 and during the year 1969 and the amount of funds asked for by each Ministry ;

(b) the posts and the amount of funds sanctioned to each Ministry ;

(c) whether Governmenr are aware that Deputy Financial Advisers or Assistant Financial Advisers posted in various Ministries because of their anti-Hindi attitude either turn down or drastically curtail any demands regarding the Hindi work ; and

(d) whether it is proposed to compel those persons who were less than 45 years of age as on the 1st January, 1961, to learn Hindi compulsorily at an early date under the Hindi Teaching Scheme ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :** (a) and (b). Information in regard to certain Ministries/Departments, as could be readily collected, is given in the statement (Annexure). Information relating to the remaining Ministries/ Departments is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible. [*Placed in Library. See* No, LT—2672/70].

(c) No, Sir. Proposals of the Ministries for Hindi staff etc. are examined on merits of each case.

(d) In accordance with the instructions issued by the Ministry of Home Affairs, persons of the age group mentioned are being encouraged to undergo training under the Hindi Teaching Scheme in batches to the maximum possible extent.

**Financial Advisers in Various Ministries**

1152. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Financial Advisers. Deputy Financial Advisers and Assistant Financial Advisers separately in various Ministries and the total amount incurred on them per year ;

(b) the number of those who are doing Government work in Hindi and the number of those wao possess working knowledge of Hindi ;

(c) whether it is a fact that in view of the hurdles put by the Financial Advisers, the former Education Minister, Shri M. C. Chagla, had got a decision taken that decisions taken by concerned Ministers in regard to financial matters would be considered final ; and

(d) whether Government propose to limit the influence and rights of the Financial Advisers so that these people may not exercise absolute authority in the Ministries concerned in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :** (a) The information in respect of officers of the Ministry of Finance, who are attached to various Ministries for financial advice, is as follows :—

| | | | Rs. |
|---|---|---|---|
| (i) | Financial Advisers (including Additional) Financial Advisers | ... | 14 |
| | Deputy Financial Advisers | ... | 30 |
| | Assistant Financial Advisers | ... | 50 |
| (ii) | Pay and allowances of the above officers during 1969-70 | ... | 19.00 lakhs (approximately) |

(b) A large number of them, *viz.*, :7 have a working knowledge of Hindi and the extent of actual use of Hindi in Government work is related to the discussions/references in Hindi of the Ministries concerned.

(c) Shri M. C. Chagla, former Education Minister, had issued instructions in 1965 for the guidance of the officers of his Ministry for limiting the scope of consultation with Finance Ministry. Subsequently, Government considered the whole matter of delegation of powers to Ministries and orders were issued by the Ministry of Finance, which were and are being followed by all.

(d) The powers delegated to individual Ministries are laid down in Government orders issued from time to time and within the delegated field, the Ministries are fully competent to take decisions. Beyond the delegated field, F. As' concurrence is necessary. There can be no question of their exercising absolute authority nor that of limiting their influence and rights,

**कर अपवंचन की सजा को माफ करना**

1153. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर-अपवंचन की सजा को माफ करने सम्बन्धी आय-कर आयुक्त की ऐच्छिक शक्तियों के बारे में कुछ विरोध हुआ है ;

(ख) क्या सरकार के विचार में ऐसी शक्ति कानूनन उचित नहीं है और यदि न्यायालय में चुनौती दी गयी तो इसे शक्ति परस्तात् घोषित कर दिया जायेगा और क्या इसके जारी रहने से कर एकत्रीकरण में कठिनाई आने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी ) :** (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271 (4ए) के अन्तर्गत आयकर आयुक्त को अधिकार है कि उक्त धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हों तो वह आय छिपाने अथवा आय की विवरणी विलम्ब से दाखिल करने के कारण लगने योग्य दण्ड को माफ कर सकता है अथवा कम कर सकता है। जो दण्ड पहले ही लगाया जा चुका है उसको माफ करने अथवा कम करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। कर दाताओं की ओर से आयुक्त के इस अधिकार का कोई विरोध नहीं हुआ है, हालांकि इस अधिकार के बारे में इस सदन में कुछ आलोचना हुई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

**हल्दिया तेल शोधक कारखानों के कार्य में प्रगति**

1154. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेल शोधक कारखाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) इस तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ग) इसके कब चालू होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) चौथी पंच वर्षीय योजना में 55 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई है।

(ग) 1972 के उत्तरार्ध तक।

**पश्चिम बंगाल में बैंकों के पास अतिरिक्त धन**

1155. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कई बैंकों की पश्चिम बंगाल शाखाओं में ऐसा अतिरिक्त धन पड़ा हुआ है जिसका निवेश नहीं किया जा सका है ;

(ख) यदि हां, तो उनके पास ऐसा कुल कितना धन है और 31 सिदम्बर, 1969 को समाप्त होने वाले 6 महीनें में कितना धन लगाया गया तथा गत उन्हीं अवधियों में कितने धन का निवेश किया गया ; और

(ग) इस क्षेत्र में धन (फण्ड) की मांग में कमी के क्या कारण हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं सेठी)** : (क) से (ग). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

**Refund of Money in Lieu of the Land of Delhi Kotwali to the Gurudwara Prabandhak Committee**

1156. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) wbether it is a fact that Government have decided that the money received from the Gurudwara Prabandhak Committee in lieu of the land of Delhi Kotwali be refunded ;

(b) whether it is also a fact that the Union Government have asked the Delhi Administration that they should include a provision on this account in their budget and refund the said money to the said Committee ;

(c) if so, whether Government have refundad the said money ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah)** : (a) and (b). So far as Works and Housing Ministry are concerned, they are agreeable to the Delhi Administration not charging the cost of construction of the new building for Kotwali and refunding the amount that they have received from the Gurudwara Prabandhak Committee and including it in the budget.

(c) and (d). Do not arise.

**Hand Books of Information on Public Enterprises**

1157. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the replies given to parts (c) and (d) of the Unstarred Question No. 3884 on the 15th Decembert 1969 and state :

(a) the justification for publishing a book entitled "Hand Book of information on

Public Enterprises" by the Public Enterprises Bureau whereas most of the information has been given in the annual report on the working of industrial and commercial undertakings ; and

(b) the language in which the said Hand Book has been printed and which has been or will be supplied to the Parliament Library ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :** (a) The "Hand Book of Information on Public Enterpris.s" brought out by the Bureau of Public Enterprises gives some additional information than what is given in the Annual Report and also some data with a historical perspective. While the Annual Report is not a priced publication, the Hand Book has been published for sale to the general public.

(b) The Handbook was published in English and copies of it have been placed in the Parliament Library. It is proposed to continue this practice in future also.

### भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में विश्व बैंक के पूर्व मूल्यांकन दल का अध्ययन प्रतिवेदन

1158. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 15 दिसम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 580 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के पूर्व-मूल्यांकन दल ने देश में उर्वरक उद्योग के बारे में भारत सरकार और विश्व बैंक के मिशन को अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका पूरा ब्योरा क्या है तथा इसके लिये सहायता देने के लिये विश्व बैंक द्वारा क्या प्रस्ताव किये गये हैं ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री** (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). विश्व बैंक के दल भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन नहीं भेजते हैं। दल अपने प्रतिवेदन विश्व बैंक को प्रस्तुत करते हैं। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के विभिन्न पहलुओं पर भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच विचार विमर्श हो रहा है।

### Officers in Ministry of Finance Working Against Their Posts Continuously for Three Years

1159. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the category-wise number of officers who have been working on their posts continuously for 3 years in the various Departments and attached offices under his Ministry ; and

(b) the reasons for which they have not been transferred to other places in accordance with the provisions contained in Home Ministry's D. O. letter No. 11/3/57—O & M, dated the 6th September, 1957 ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :** (a) The information of the Departments of the Ministry of Finance is concerned is given in the statement (Annexure). Similar informntion for the attached offices of the Ministry of Finance is being collected and will be laid on the Table of the House as early ae possible. [*Placed in Library. See* No. LT—2673/70].

(b) The Home Ministry's D. O. letter of 6th September. 1957 refers to the rotation of assistants and is, therefore. not directly relevant to the cases mentioned in the Annexure. However, the cases of officers who have remained in the same post continuously for long periods are considered for rotation having regard to such factors as the needs of specialised jobs, the tenure system, etc.

**Transfer of Officers**

1160. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the category-wise number of officers who have been working on the posts carrying extra gains continuously for three years in the various departments and attached offices under the Department of Works, Housing and Urban Development ; and

(b) the reasons for which they have not been transferred to other places in accordance with the provisions contained in Home Ministry's D. O. letter No. 11/3/57-O & M dated the 6th September, 1957 ?

**The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :** (a) and (b). The information is not readily available. It is being collected and will be laid on the Table of the House.

**उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री द्वारा आयकर का भुगतान**

1161. **डा० रानेन सेन :**
**श्री देवेन सेन :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री चन्द्रभानु गुप्त ने 65 लाख रुपये पर जो उन्हें अपनी 60वीं वर्षगाँठ पर मिले थे, आयकर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) श्री चन्द्रभानु गुप्त की ओर आयकर की कितनी राशि बकाया है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कुछ नहीं ।

**रूस के तेल विशेषज्ञ दल द्वारा भारत यात्रा**

1162. **श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की उसकी दीर्घ कालीन तेल नीति के विकास में सहायता देने के लिये भारत के संसाधनों की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए रूस का एक तेल विशेषज्ञ दल शीघ्र ही भारत आ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) और (ख). रूसी विशेषज्ञों के अगले तीन महीनों में आने की आशा है।

**सरकारी औषधालयों में दवाइयों की खरीद के लिये धन की कमी**

1163. **श्री ईश्वर रेड्डी :**

**श्री निहाल सिंह :**

**क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना निदेशालय ने हाल में औषधालयों को एक परिपत्र भेजा है जिसमें कहा गया है दवाइयां खरीदने के लिये नियत धन राशि समाप्त हो गई है ;

(ख) क्या औषधालयों को एक बार में तीन दिन की दवाइयां देने का निदेश दिया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इससे रोगियों को असुविधा हुई है क्योंकि उन्हें हर तीसरे दिन औषधालय में आना पड़ता है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) (ख) और (ग). स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय ने केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के सभी औषधालयों के कार्यभारी चिकित्सा अधिकारियों को अनुदेश जारी किये हैं कि वे साधारण रोगों में, जिनमें रोग के लक्षण 2—3 दिन में बदलने की संभावना हो, एक बार में रोगियों को 3 दिन की ही औषधियां दें। कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी जीर्ण रोगों, हृदय रोगों, मानसिक तथा वायु रोगों आदि में एक बार में 7 दिन तक की औषधि दे सकते हैं। तथापि मृगी तथा क्षय रोग के रोगियों को विशेषज्ञों द्वारा विहित औषधियां एक बार में 14 दिन तक के लिए दी जा सकती हैं ऐसा देखा गया कि अनेक मामलों में रोगियों को 7 दिन की औषधि एक बार में दी गई थी। जबकि रोगी एक दो दिन में ही ठीक हो गये तथा उन्हें उसके बाद उस औषधि के सेवन की आवश्यकता नहीं रही। कतिपय अन्य मामलों में, आरम्भिक नुस्खा 2-3 दिन बाद बदलना पड़ा और रोगी द्वारा पहिले दी गई औषधियों का सेवन नहीं किया गया। इसके साथ साथ कतिपय मामलों में रोग के लक्षण उसके उपचार के दौरान बदल जाते हैं और विशेषज्ञ द्वारा पहले से विहित की गई औषधियों का सेवन करना अनावश्यक हो जाता है। अतः औषधियों को बर्बादी को बचाने तथा व्यर्थ खर्च को कम करने के हेतु अनुदेश दिये गये थे। साथ ही चिकित्सा अधिकारियों को यह भी आदेश दे दिये गये थे कि रोगियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने दें।

**Printing Capacity of Government Presses for Hindi Publications**

1164. **Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether arrangements for creating extra printing capacity for Hindi publications in Government Presses have been completed ;

(b) whether it is a fact that a large number of Government Publications in Hindi ready for printing are lying unprinted due to shortage of prinrting capacity ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) whether arrangements are heing made to have certain secret Government publications printed in private presses ?

**The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy)** : (a) The scheme for augmenting the Hindi printing capacity of the Government of India presses is under implementation and is likely to materialise fully in about two years' time.

(b) and (c) No. Only two reports of the Public Accounts Committee (Hindi version), recently received from the Lok Sabha Secretariat, are pending.

(d) No.

**Public Sector Undertakings**

1166. **Shri Prakash Vir Shastri : Shri S. M. Banerjee : Shrimati Sharda Mukerji : Shri S. K. Daschowdhury :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether my fresh decisions have been taken to make Government undertakings to yield expected profits ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether Government also propose to make some changes in the management of those undertakings which are suffering losses constantly even after persistent efforts ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi)** : (a) to (c). Improving managerial efficiency and operational performance of the Public Enterprises is a continuous process and is kept under constant review. The decisions already taken by Government on the recommendations of the Administrative Reforms Commission in their Report on Public Sector Undertakings are being implemented. While implementation of these decisions is expected to yield results, the other directions in which efforts are being made to effect improvements are : fuller utilisation of installed capacity, higher standard of operational efficiency, organisational planning and controls, both at the Board as well as below Board levels, managerial development and training, etc.

**रासायनिक उत्पादों के मूल्य में कमी**

1167. **श्री जे० के० चौधरी :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रासायनिक उत्पादों के मूल्यों को कम करने का विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क), (ख) और (ग). रासायनिक उत्पादों सहित सभी पदार्थों के मूल्यों को उचित

स्तर पर रखने का सरकार सतत प्रयास करती है और जब कभी मूल्यों में वृद्धियां अनुचित समझी जाती है तब मूल्यों को संतोषजनक स्तर पर बनाये रखने के लिये (i) सांविधिक या अनौपचारिक कंट्रोल लगाकर (ii) कच्चे माल आदि के उदार आयात से उत्पादन लागत में कमी करने में निर्माताओं की सहायता करना आदि, उपयुक्त कदम उठाती है । इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं :—

(1) 1966 में जब कास्टिक सोडा, क्लोरीन आदि के निर्माताओं ने अपने उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की, तब सरकार ने टैरिफ आयोग से कास्टिक सोडा उद्योग के लागत ढाचें की जाँच करने और कास्टिक सोडा, क्लोरिन आदि के उचित विक्रय मूल्यों का सुझाव देने की प्रार्थना की । आयोग ने अपना प्रतिवेदन अगस्त 1967 में प्रस्तुत किया ।

क्योंकि वर्तमान बाजार मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गये उचित विक्रय मूल्यों के लगभग अनुरूप थे इसलिये सरकार ने उस अवस्था में मूल्यों पर नियंत्रण करना अवश्यक नहीं समझा ।

(2) जब संगठित क्षेत्र के साबुन निर्माताओं ने आयातित चरबी के स्थान पर कीमती कठोर मूंगफली के तेल के इस्तेमाल के कारण साबुनों के मूल्य में वृद्धि की, 4-11-66 को साबुन निर्माताओं के प्रतिनिधियों की बुलाई गई बैठक में मूल्यों का स्थिर रखने पर विचार किया गया । इस बैठक में, साबुन निर्माताओं ने एक अनौपचारिक आश्वासन दिया कि जब कभी वे अपने उत्पादों में मूल्य वृद्धि करेंगे, वे सरकार का विश्वास प्राप्त करेंगे और सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे । साबुन उद्योग को चरबी के उदार आयात द्वारा सहायता देने के फलस्वरूप, साबुन के मूल्यों में कमी लाना संम्भव हो सका ।

(3) संश्लिष्ट रबर की कीमतें नियन्त्रित हैं और 16 अक्तूबर 1969 से निम्न प्रकार विक्रय मूल्यों में कमी की गई :—

| | 16-12-69 से पहले की कीमतें | 16-12-69 लागू की गई कीमतें |
|---|---|---|
| ग्रेड एस० 1500 और एस० 1502 की संश्लिष्ट रबर | 5.15 रु०/प्रति कि०ग्र० | 4.40 रु०/प्रति कि०ग्र० |
| ग्रेड एस० 1712 की तेल युक्त संश्लिष्ट रबड़ | 4.65 रु०/प्रति कि०ग्र० | 3.90 रु०/प्रति कि०ग्र० |
| ग्रेड एस० 1958 की संश्लिष्ट रबड़ | 6.80 रु०/प्रति कि०ग्र० | 6.30 रु०/प्रति कि०ग्र० |

(4) औषधियों के विक्रय मूल्यों पर पहले से ही नियंत्रण है ।

टैरिफ आयोग ने जिससे औषधियों की ऊंची लागत के बारे में जांच करने के लिये कहा था, महत्व की 18 आधरभूत औषधियों और उनके फार्मूलेशन से सम्बन्धित मूल्यों के बारे में

अपना प्रतिवेदन दे दिया है। जैसा कि 22-2-1970 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 116 के उत्तर में बताया जा चुका है, आयोग की मालूमात और सिफारिशें विचाराधीन हैं।

**रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिजिक बैंकों को दिये गये निदेश**

1168. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 23 जनवरी, 1969 को भारत के रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को दिये गये निदेश, जिसमें वर्ष 1970 के पूर्वार्द्ध में उन कस्बों में जहां बैंक नहीं हैं, 400 कार्यालय खोलने तथा कम से कम 200 कार्यालय अन्यत्र खोलने तथा बैंकों की शाखाओं को बढ़ाकर बैंक व्यवसाय के विकास की संभाव्यता का सर्वेक्षण करने और ऋण व्यवस्था का विस्तार करने को कहा गया था, के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : रिजर्व बैंक के 23 दिसम्बर, 1969 के उस परिपत्र के अनुसार, जिसमें वर्ष 1970 के पूर्वार्द्ध में प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की नई शाखाएं खोलने के सम्बन्ध में कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, बैंकों ने फरवरी, 1970 के मध्य तक 193 नये कार्यालय खोल दिए हैं जिनमें से 158 कार्यालय उन स्थानों पर खोले गये हैं जहां पहले बैंक की सुविधा नहीं थी। उपर्युक्त 193 नये कार्यालयों में से 173 कार्यालय सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने खोले हैं जिनमें से 139 कार्यालय उन स्थानों पर खोले गये हैं जहां पहले बैंक की सुविधा नहीं थी।

जहाँ तक "बैंक नेतृत्व" योजना के अन्तर्गत, बैंकों द्वारा की गयी प्रगति का प्रश्न है, जिस (योजना) में भारत संघ के 335 जिलों में से (जिनमें बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के महानगर और चण्डीगढ़, दिल्ली और गोआ के संघीय राज्य क्षेत्र शामिल नहीं हैं) प्रत्येक जिला, एक या एक से अधिक प्रमुख बैंकों को बैंक-व्यवसाय के विकास की संभाव्यता का सर्वेक्षण करने और शाखाएं खोल कर बैंक की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सौंपा गया है, बैंकों को रिजर्व बैंक के पास तिमाही रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है और इस प्रकार की पहली रिपोर्ट मार्च 1970 को पेश की जानी है।

**गांधी सिक्कों को विदेश में ले जाने की अनुमति**

1170. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वित्त मन्त्री हाल ही में जारी की गयी इस आशय की राजपत्र अधिसूचना के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

रिजर्व बैंक से पाँच से अधिक गांधी सिक्के विदेश न ले जाने अथवा भारत से बाहर न भेजने की हिदायत दी है और अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को निर्धारित ढंग से सूचित करना होगा ;

(क) उल्लिखित अधिसूचना जारी होने के पश्चात् कितने गांधी सिक्के, मूल्यवार भारत से बाहर ले जाये गये अथवा भेजे गये और वे किन-किन देशों को भेजे गये अथवा ले जाये गये ; और

(ख) कुल कितने सिक्के भारत से बाहर भेजने अथवा ले जाने की अनुमति देने का विचार है तथा कितने समय तक यह अनुमति जारी रहेगी ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित सामान्य अनुमति के अन्तर्गत निर्धारित सीमाओं में रहते हुए भारत से बाहर ले जाये गये या भेजे गये महात्मा गांधी के सिक्कों की संख्या या उनके गन्तव्य स्थान के सम्बन्ध में कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(ख) उपर्युक्त सामान्य अनुमति के अन्तर्गत निर्धारित सीमाओं में रहते हुए महात्मा गांधी के सिक्कों को बाहर लेजाने या भेजने की संख्या के बारे में अधिकतम सीमा निर्धारित करने का, इस समय, कोई प्रस्ताव नहीं है। इस सम्बन्ध में समय की कोई सीमा निश्चित करने का भी इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

**चर्म कैंसर के इलाज के लिये भारतीय जड़ी-बूटी से मरहम तैयार करना**

1171. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 29 जनवरी, 1970 को मद्रास में हुए चर्मरोग के प्रथम एशियाई कांग्रेस के सम्मेलन में इंग्लैण्ड के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर रे बटले द्वारा पढ़े गये उस लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने यह दावा किया है कि हिमालय क्षेत्र में बहुतायत से पाई जाने वाली "पोडोफिलुम" नाम की एक भारतीय जड़ी-बूटी जिससे उन्होंने मरहम तैयार किया है और गत पांच वर्षों में सफलतापूर्वक परीक्षण किये हैं, चर्म रोग के इलाज में लाभदायक है ;

(ख) क्या सरकार ने इंग्लैण्ड के उपरोक्त वैज्ञानिक से सम्पर्क स्थापित करके उनसे सम्बन्धित जड़ी-बूटी के बारे में अधिक विस्तृत सूचना प्राप्त की है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने किसी भारतीय वैज्ञानिक को उस जड़ी-बूटी की कारगरता की जिसका कि प्रोफेसर बटले ने दावा किया है, जांच करने को कहा है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) मिडिल सेक्स हास्पिटल लंदन के चर्मरोग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रे बटले ने जनवरी 1970 को मद्रास में हुए चर्मरोग के प्रथम एशियायी कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया और चर्म-कैंसर पर पोडोफिलुम मरहम की क्रिया के संबंध में व्याख्यान दिया और यह दावा किया कि उन्होंने पिछले पांच वर्षों में सफलता पूर्वक प्रयोग किये और चर्म-कैंसर के बहुत से रोगियों का प्रमाणित क्रियाओं से उपचार किया। उन्होंने चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र कलकत्ता में भी एक व्याख्यान दिया।

(ख) (ग) और (घ). पोडोफिलुम संघटक तत्वों का कैंसर के उपचार में पहले से ही उपयोग किया जा रहा है। पोडोफिलुम से निकाले गये दो औषध-योजनों की देश के बिक्री करने के लिए सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। देश में इन दोनों औषधियों की नैदानिक परीक्षा कर ली गई है तथा कतिपय प्रकार के कैंसर के उपचार में कारगर पाई गई हैं तथा कतिपय प्रकार के कैंसर के उपचार में कारगर पाई गई हैं। वास्तव में, पोडोफिलुम के सक्रिय तत्व सुप्रसिद्ध हैं और एण्टिमिटोटिक एजेण्टों के रूप में उपयोग में लाये गये हैं। भारत में फोडोफिलुम से निकाले गये तत्व रतिरोग-चर्मकोल के उपचार में लाये जाते हैं।

**जड़ी-बूटी से गर्भ-निरोधक गोली तैयार करना**

1172. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** 2 जनवरी, 1970 को भोपाल में संवाददाताओं को दिये गये अपने कथित इंटरव्यू के सम्बन्ध में यह बताने कृपा की करेंगे, जिसमें उन्होंने उसमें एक महिला आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा मध्य प्रदेश के वस्तर जिले में मिलने वाली एक जड़ी-बूटी से तैयार की गई गर्भ-निरोधक गोली का उल्लेख करते हुए इसे इस समय प्रयोग में लाई जाने वाली अन्य प्रकार की गर्भ-निरोधक गोलियों से उत्तम बताया था और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर)** : मध्य प्रदेश के वस्तर जिले में उपलब्ध औषधि या जड़ी-बूटी का नमूना अभी तक इस मन्त्रालय में जाँच के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इसका ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

**कोयले पर स्वामिस्व**

1173. **ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की इस समय स्वामिस्व की कितनी राशि राज्य की खानों की ओर बकाया है ;

(ख) खान मालिकों द्वारा देय स्वामिस्व की राशि का भुगतान कराने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो क्या ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में सुझाव दिया है कि खान मालिक टन भार के आधार पर नियत की जाने वाली स्वामिस्व दर के अतिरिक्त कोयले पर प्रति टन 50 पैसे भी दें ; और

(घ) यदि हां, तो इस सुझाव पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि उच्यतम न्यायालय के 1967 के निर्णय को विचार में लिये बिना अवस्थित पट्टी के संबंध में। जनवरी, 1970 तक उन्हें लगभग 10.30 करोड़ रुपये स्वामिस्व के रूप में प्राप्त होने हैं, जिन में से उन्होंने अक्तूबर

1969 के अन्त तक लगभग 10.26 करोड़ रुपये उगाह लिये थे। राज्य सरकार कोयला खानों को स्वामित्व का बकाया मैत्रीपूर्ण ढंग से अदा करने के लिये राजी कर रही है और या बंगाल सार्वजनिक मांग बसूमी अधिनियम के अनुसार प्रमाण-पत्र मामले दायर कर रही है।

(ग) और (घ). उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर कोयला खानों से स्वामित्व के बकाया के परिसमापन के प्रश्न पर राज्य सरकार तथा कोयला उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जानी प्रस्तावित है।

**उर्वरकों और तेल-शोधनशालाओं के लिये मशीनों और उपकरणों के लिये चैकोस्लोवाकिया की पेशकश**

1174. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चैकोस्लोवाकिया ने भारत की उर्वरकों और तेल शोधनशालाओं के लिये अपेक्षित मशीनों और उपकरणों की अवश्यकताओं को पूरा करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पेशकश की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) सरकार द्वारा कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा है ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बा० रा० चव्हाण) :** (क) चैकोस्लोवाकिया ने मशीनों और उपकरणों की कुछ मदों के लिये पेशकश की है।

(ख), (ग) और (घ). पेशकश इस समय ब्यौरों और बातचीत की प्रारंभिक अवस्था में है तथा इस पर और गहराई से विचार किया जायेगा।

**स्थानीय बैंकों के प्रमुखों को नीति निर्णय लेने की शक्ति से वंचित करना**

*1175. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान तमिलनाडु के राज्यपाल के उस कथित अभिभाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि बैंक राष्ट्रीयकरण के कारण नीति निर्णय करने का कार्य बैंकों के स्थानीय प्रमुखों से हटा कर दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के वित्त सचिवालय के हाथ में नहीं दिया जाना चाहिये, और

(ख) इस आशंका को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) माननीय सदस्य सम्भवतः, तमिलनाडु की विधान सभा के संयुक्त अधिवेशन में 19 जनवरी, 1970 को तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण का उल्लेख कर रहे हैं। सरकार ने अभिभाषण को देखा है।

(ख) बैंककारी समवाय (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अध्यादेश, 1970 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के सामान्य अधीक्षण, निदेशन और उनके कार-बार के प्रबन्ध का कार्य निदेशक मण्डलों द्वारा किया जायेगा। रिजर्व बैंक के परामर्श से, प्रथम निदेशक मण्डल की नियुक्ति करते समय, सरकार इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखेगी कि निदेशक मण्डलों में वही व्यक्ति लिए जाँय जो अपना काम अच्छी तरह और बिना किसी भय या पक्षपात के कर सकें। बैंक के दिन-प्रति-दिन के प्रशासनिक मामलों से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णयों (जो निदेशक मण्डलों के अधिकार क्षेत्र में आएंगे) और सार्वजनिक हित के मामलों मे सम्बन्धित नीति विषयक निर्णयों में अन्तर करना पड़ेगा। सरकार को, रिजर्व बैंक के गवर्नर के परामर्श से, सार्वजनिक हित से सम्बद्ध नीति विषयक मामलों के बारे में व्यापक मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाने पड़ सकते हैं परन्तु सरकार का इरादा बैंकों के दिन-प्रति-दिन के कार्य में दखल देने का नहीं है। इस लिए नौकरशाही के पनपने का कोई भय नहीं है।

## राज्यों को अतिरिक्त राशियां स्थानांतरित करना

*1176. श्री ए० श्रीधरन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वार्षिक योजना अवधि में केन्द्र द्वारा राज्यों को अधिक राशियां स्थानांतरित करने के प्रश्न पर पांचवे वित्त आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग की प्रतिक्रिया क्या है ?

**पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) :** (क) और (ख). सरकार ने, चौथी आयोजना की अवधि में, केन्द्रीय करों और शुल्कों में से राज्यों को, उनके हिस्से के रूप में देय रकमों और सहायक अनुदानों के सम्बन्ध में पाँचवे वित्त आयोग की सिफारशें पहले ही मान ली हैं।

## केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाना

1177. **श्री म० ला० सोंधी :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री वे० कृ० दासचौधरी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने सम्पादकों को इस आशय के अभ्यावेदन तथा पत्र भेजे हैं कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाये जाने के कारण निम्न आय वाले अनेक कर्मचारियों को मकान भत्ते में हानि अथवा कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों को राहत देने के लिए क्या निर्णय किये गये हैं जिन की आय इस विलय के कारण कम हुई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिना रसीद दिखाये मकान किराया भत्ते लेने की अधिकतम सीमा बढ़ाने का है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). यद्यपि किराये की वास्तविक अदायगी की रसीद पेश किये बिना, मकान किराया भत्ता मिलने की हकदारी के संबंध में, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में मंहगाई भत्ते के विलय के कारण बेतन की उच्चतम सीमा 500/- रु० से घटकर 390/- रु० हो गई है, तथापि इस वेतन श्रेणी में कर्मचारियों की मकान किराया भत्ते संबंधी हकदारी में कोई काट-छांट नहीं हुई है, जो अब भी उनको किराये की रसीदें पेश करने पर पहले की ही दरों पर मिलता है, यही स्थिति उच्चतर वेतन श्रेणियों के मामले में वर्तमान है। मकान किराया भत्ता आर्थिक सहायता रूप में दिया जाता है इसलिए उसको कर्मचारी द्वारा वास्तविक तौर से दिये जाने वाले किराये से सम्बद्ध रखने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

### डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में समाज जीवन

1178. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली के निवासियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में एक अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो डिफेंस कालोनी में समाज जीवन को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी हां। सम्वत: सदस्य महोदय का संकेत डिफेंस कालोनी वेलफेयर ऐसोसिएशन (रजिस्टर्ड) के एक क्लब और एक सामुदायिक केन्द्र हेतु भूमि के आवंटन के अनुरोध की ओर है।

(ग) अनुरोध पर गौर किया जा रहा है।

### केन्द्रीय सरकार की राजधानी की विकास

1179. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगंज गांव, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली के निवासी वही लोग हैं जिन की भूमि भारत सरकार ने वर्ष 1912 में राजधानी में हवाई-अड्डा तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण करने के लिए अर्जित की थी ;

(ख) क्या यह सच है कि उनकी भूमि को उस समय बहुत ही कम मूल्य पर अर्जित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ये लोग गरीब हो गए ;

(ग) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र के पीड़ित व्यक्तियों को सरकारी तंत्र से कोई सहायता नहीं मिली जिस के परिणामस्वरूप उनके रहने का क्षेत्र एक "छोड़ो" क्षेत्र बन गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार की राजधानी के विकास के परिणामस्वरूप लोगों को सामाजिक-आर्थिक रूप से जो हानि हुई है उसकी वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में जाँच करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री** (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) से (घ). तक सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**Blood Donations**

1180. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) total quantity of blood required annually for infusing the same in the patients in various Hospitals in the country ;

(b) the quantity of blood collected every year and the various sources of collection ; and

(c) the measures being adopted by Government to make the blood available adequately ?

**The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :** (a) No reliable estimates of the annual requirement of blood in the civil hospitals in the country are available. According to one estimate, the requirement is 5 lakh litres annually.

(b) The quantity of blood collected annually is about 62,500 litres. The two main sources of blood collection are (1) voluntary donors (2) professional donors.

(c) The measures adopted by Government include promotion of voluntary blood donation programmes, giving financial grants to the voluntary blood donation organisations and other organisations which take up this work such as the Indian Red Cross Society, persuading the relatives and friends of every patient in the hospitals to donate blood as replacement of the blood given to such patients from the hospital, and procurement of blood from professional donors.

**Upgrading of Primary Health Centres**

1181. **Shri Raghuvir Singh Sbastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a special Committee of Central Council of Health and Primary Health Centres have recommended upgradation of 400 Primary Health Centres ;

(b) the details of other recommendations made by the Committee ; and

(c) the steps taken by Government to improve the medical facilities in the villages ?

**The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :** (a) Yes.

(b) The recommendation is that 25 bed hospitals should be set up at 400 Primary Health Centres. The details have yet to be worked out.

(c) The following steps have been taken or are being taken to improve the medical facilities in the villages :

(i) Opening of a net-work of Primary Health Centres and Sub-centres. It is proposed to complete the establishment of Primary Health Centres in all the Community Development Blocks during the Fourth Plan period, priority being given to Blocks which have entered into malaria maintenance phase. Central assistance will be provided for strengthening of basic health services staff at the Primary Health Centres which have entered the malaria maintenance phase.

(ii) Measures for controlling communicable diseases through national programmes like malaria eradication, small-pox eradication, T. B. control, V. D. control etc.

(iii) Provision of safe drinking water and improved environment sanitation.

(iv) Training of personnel-physicians, Obstetricians, Lady Health Visitors, Public Health Nurse, Auxiliary Nurse Mid-wives and Mid-wives for extending medical and public health services in the rural areas.

(v) Training of the traditional birth attendant (dais) who practise midwifery in the villages.

**Amendments of Delhi Master Plans**

1182. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make certain further amendments in the Delhi Master Plan ; and

(b) if so, the details of the proposed amendments ?

**The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) :** (a) No.

(b) Does not arise.

**राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिकों के पदों के लिये चयन**

1183. **श्री राय सिंह अग्रवाल :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है वे लिपिकों के पदों के लिए चयन से आयु के सम्बन्ध में एक स्थान पद्धति का पालन नहीं करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) और (ख). लिपिकों की भर्ती के लिए न्यूनतम और अधिकतम आय के सम्बन्ध में राष्ट्रीकृत बैंक प्रायः सामान पद्धति

का पालन करते हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद से इस में कोई परिवर्तन नहीं किया है। बैंकों द्वारा निर्धारित आयु-सीमा का ब्योरा इस प्रकार है :

| | न्यूनतम आय | अधिकतम आय |
|---|---|---|
| इलाहाबाद बैंक | 18 | 25 |
| बैंक आफ बड़ौदा | 18 | 25 |
| बैंक आफ इण्डिया | 18 | 24 |
| बैंक आफ महाराष्ट्र | 20 | 25 |
| सैंटल बैंक आफ इण्डिया | 18 | 25* |
| कनारा बैंक | 18 | 25 |
| देना बैंक | 21 | 30 |
| इण्डियन बैंक | 18 | 25 |
| इण्डियन ओवरसीज बैंक | 18 | 25** |
| पंजाब नेशनल बैंक | 18 | 25 |
| सिंडीकेट बैंक | 18 | 25 |
| युनाटड बैंक आफ इण्डिया | 19 | 25 |
| यूनाइटेड कमर्शल बैंक | 18 | 35 |
| यूनियन बैंक आफ इण्डिया | 18 | 25 |

## देश में जन्म-दर में वृद्धि

1184. **श्री राम सिंह अग्रवाल :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब तक परिवार नियोजन उपाय किये जाने के बावजूद भी देश भर में जन्म-दर की वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को तेज करने तथा परिवार नियोजन योजनाओं का नवीकरण करने के लिए सरकार का क्या नयी कार्यवाही करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) :** (क) जी नहीं। ऐसे कोई संकेत नहीं है कि जन्म-दर बढ़ रही है। इसकी अपेक्षा देश के विभिन्न स्थानों में किये गए अध्ययनों से जन्म-दर में कमी होने की प्रवृत्ति का पता चला है।

*केवल खास खास मामलों में रियायत दी जाती है

**बैंक कर्मचारियों के पुत्रों और पुत्रियों के लिए आयु सीमा 30 वर्ष है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । परिवार नियोजन योजनाओं के नवीकरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है किन्तु परिवार नियोजन आन्दोलन को और तेज करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :--

(1) उत्तर प्रदेश (वाराणसी मंडल) के घनी आबादी वाले 17 जिलों और एक चुने हुए क्षेत्र में कार्यक्रम को तेज करना ।

(2) देश के खास-खास 58 मेडिकल संस्थानों के जरिये प्रसवोत्तर सेवाएं प्रदान करना ।

(3) देश भर में व्यावसायिक स्रोतों के जरिये और चुने गये ग्रामीण क्षेत्रों में डिपो होल्डरों (डाकघरों के जरिये) के जरिये निरोध की सप्लाई बढ़ाना ।

(4) लगभग 2000 चुने गये अस्पतालों को नसबन्दी उपकरण सप्लाई करना । इसमें स्वयंसेवी और गैर सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं जहां चिकित्सा नसबन्दी करने लूप पहनाने के इच्छुक हैं किन्तु उपकरणों के अभाव में ऐसा नहीं कर सकते हैं ।

(5) निजी चिकित्सा व्यवसायियों, होम्योपैथी और स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों को आरिएन्टेशन प्रशिक्षण देकर कार्यक्रम में अधिकतम संख्या में शामिल करना ।

(6) उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थापना करना जहां ये अभी स्थापित नहीं किये गए हैं और उप केन्द्रों को खोलना । सेवाओं को शीघ्र प्रदान करने के उद्देश्य से चुने गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो को वाहन प्रदान करना ।

(7) शिशुओं और स्कूल जाने से पूर्व अवस्था वाले बच्चों के पूर्ण बचाव के लिए ट्रिपल एन्टीजेन का प्रयोग करना, माताओं को टिटनस रोग और पोषणिक रक्त क्षीणता से पूर्ण बचाव और विटामिन 'ए' की कमी के कारण अन्धता को रोकने के लिए पोषण कार्यक्रम । परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ये योजनाएं शुरू की जा रही है जिससे समाज को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जा सके कि परिवार नियोजन कार्यक्रम माताओं और बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण में दिलचस्पी रखता है ।

## धार्मिक भावना और परिवार नियोजन कार्यक्रम

1186. **श्री राम सिंह अयरवाल :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समुदायों ने धार्मिक भावना के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम को नहीं अपनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर)** : (क) जी नहीं। विभिन्न स्थानों पर परिवार नियोजन सेवाओं को स्वीकार्य करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में किये गए विश्लेषणात्मक अध्ययनों से पता चला है कि परिवार नियोजन की सेवाएं सभी समुदायों के लोगों द्वारा प्राप्त की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## विदेश जाने वाले डाक्टर

1186. **श्री राम सिंह अग्रवाल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भारतीय चिकित्सा कालेजों से उत्तीर्ण होने वाले डाक्टर बड़ी संख्या में अमरीका तथा यूरोप के अन्य देशों में रोजगार के आकर्षक अवसर मिलने के कारण विदेशों में चले जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो डाक्टरों के बड़ी संख्या में विदेश जाने को रोकने के और उनकी सेवाओं का देश विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ उठाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवही की है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) कुछ भारतीय डाक्टर अच्छे रोजगार के लिए विदेशों में चले जाते हैं। अनेक डाक्टर उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण पाने के लिए विदेश जाते हैं और उनके वापस आने की आशा की जाती है।

(ख) वैज्ञानिकों और तकनीकी वैज्ञानिकों के जिनमें डाक्टर भी सम्मिलित हैं, बड़ी संख्या में विदेश जाने को रोकने और उनकी सेवाओं का देश में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) विदेश से लौटने वाले सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीकी वैज्ञानिकों को अस्थायी रोजगार देने के लिए एक वैज्ञानिक पूल बनाना।

(ii) अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थाओं में अधिसंख्यक पदों में विदेशों में काम कर रहे तथा अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों में से अस्थायी नियुक्तियां शीघ्रता से की जा सकें, का सृजन करना।

(iii) संघ लोक सेवा आयोग तथा अधिकांश राज्य सेवा आयोगों ने उन भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीकी वैज्ञानिकों को जिनके नाम राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज हों, उनके द्वारा विज्ञापित किये गये सभी पदों के लिए पर्सनल कन्टेक्ट उम्मीदवार के रूप में मानने की सहमति दे दी है। संघ लोक सेवा आयोग ने भारत में नियुक्ति के लिए भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीकी वैज्ञानिकों का साक्षात्कार विदेश में ही करने की व्यवस्था भी की है।

(iv) विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीकी वैज्ञानिकों के नाम दर्ज करने और उनके नामों को भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों । विभागों, राज्य सरकारों, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों और प्राइवेट क्षेत्रों के बड़े संस्थानों, में परिपत्रित करने के हेतु, राष्ट्रीय रजिस्टर के स्पेशल-सेक्शन का रख रखाव । ऐसे व्यक्तियों के नाम मासिक टैक्नीकल मैन पावर बुलेटिन (सी०एस०आई०आर०) में प्रकाशित किया जाता है जिसे सारे देश में लगभग 3000 संगठनों को मुफ्त वितरित किया जाता है ।

(v) उन वैज्ञामिकों को, जो भारत में अनुसंधान संस्थानों में भरती के लिए चुन लिए जाते हैं और उन संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष तक काम करने का बचन देते हैं, यात्रा भत्ते के भुगतान की व्यवस्था करना ।

(vi) ई०सी०एफ०एम०जी० (विदेशी चिकित्सा स्नातकों की शैक्षिक परिषद्) परीक्षा बन्द करना ।

(vii) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, केन्द्रीय संस्थानों और राज्य काडरों के चिकित्सा अधिकारियों की परिलब्धियों में बढ़ोतरी करना ।

(viii) ग्रमीण क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरों को विशेष रियायतें और आर्थिक प्रलोभनों का मंजूर करना ।

(ix) डाक्टरों तथा विशेषज्ञों की सेवा निवृति की आयु सीमा बढ़ाना तथा सेवा निवृत डाक्टरों को फिर से रोजगार देना ।

### एक ही स्थान पर बिक्री कर का लगाना

1187. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने एक ही स्थान पर बिक्री कर लगाने संबंधी विधेयक का, उन पर दिल्ली महानगर परिषद् द्वारा फरवरी, 1910 के प्रथम सप्ताह में विचार किये गये सभा में, अनुमोदन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन दोनों को बिक्री कर की वसूली से प्रति वर्ष आय में कितनी वृद्धि तथा हानि होने की सम्भवना है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार को कोई विधेयक अभी तक दिल्ली प्रशासन से नहीं मिला है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

### Allocation of Foreign Exchange to M/s. Synthetic and Chemicals Ltd., Bareilly

1189. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total value of foreign exchange received by M/s. Synthetic and Chemical Private Ltd., Bareilly, Uttar Pradesh under the Cooley Fund of PL-480 during the last 3 years ;

(b) the value of foreign exchange paid as interest ;

(c) whether it is a fact that the payment of foreign exchange has been delayed ;

(d) if so, the reasons thereof ; and

(e) whether the aforesaid firm has received any grant from foreign institutions and if so, the number and details thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :** (a) to (d). Cooley loans are given from rupee funds arising out of PL-480 imports and do not provide any foreign exchange. Their repayment and interest payments are also made in rupees.

The Company has not received any Cooley loans during the last 3 years.

(e) No, Sir.

## बम्बई की कुछ फर्मों की ओर बकाया आय कर की राशि

1190. **श्री देवेन सेन :** क्या वित्त मंत्री बम्बई की कुछ फर्मों की ओर बकाया आय-कर की राशि के बारे में 8 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3094 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) जी, हां ।

(ख) ब्योरे, संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं ।

(ग) यह सवाल नहीं उठता ।

### विवरण

| क्रम सं० | फर्म का नाम | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 |
|---|---|---|---|---|
| | | वर्षों के अन्त में बकाया | | |
| | | रु० | रु० | रु० |
| 1. | किलाचन्द (तुलसीदास) समूह, बम्बई । | | | |
| | (i) बड़ौदा कमर्शियल, कारपोरेशन लिमिटेड । | कुछ नहीं | 24,929 | कुछ नहीं |
| | (ii) दिग्विजय स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड । | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | (iii) डिस्टिलर्स ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड । | कुछ नहीं | 94,153 | 2,53,214 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (iv) जिनर्स एण्ड प्रेसर्स (प्राइवेट) लिमिटेड। | 32,076 | 34,700 | 1,348 |
| (v) इंडियन कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। | 7,372 | 26,741 | 26,741 |
| (vi) केसर कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड। | 10,58,714 | 8,09,516 | 8,43,047 |
| (vii) केसर शुगर वर्क्स लिमिटेड। | कुछ नहीं | 4,553 | 2,03,558 |
| (viii) किलाचन्द देवचन्द कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड। | 9,60,676 | 12,400 | 6,436 |
| (ix) पोलीकेम लिमिटेड। | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| (x) प्रीमियम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड। | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| (xi) सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड। | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| (xii) ट्रैक (प्राइवेट) लिमिटेड। | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 2. सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्यु-फैक्चरिंग कंपनी, बम्बई। | 30,69,131 | 30,69,131 | 29,34,130 |
| 3. नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड। | कुछ नहीं | कुछ नहीं | 3,59,536 |
| 4. इंडियन डाइस्टफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड। | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 5. अहमदाबाद इलेक्ट्रीसिटी कम्पनी लिमिटेड। | कुछ नहीं | 1,40,727 | कुछ नहीं |

## थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

1191. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 जनवरी, 1970 का थोक मूल्य सूचकांक (एक) एक वर्ष पूर्व, और (दो) दो वर्ष पूर्व के आंकड़ों से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) मूल्य स्तर में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) थोक मूल्यों का सामान्य सूचकांक 31 जनवरी, 1970 को 173.1 था और यह सूचकांक एक वर्ष पहले के सूचकांक से 7.6 प्रतिशत अधिक तथा दो वर्ष पहले के सूचकांक से 4.7 प्रतिशत अधिक है ।

(ख) 1969-70 के मूल्यों पर दबाव पड़ने के मुख्य कारण हैं, 1968-69 में, कुछ कृषि जन्य वस्तुओं (जैसे, मोटे अनाज, चना, कच्चा जूट, कपास और तेलहनों) के उत्पादन में कमी होना, 1969-70 में फसल के सम्बन्ध में, खासकर कपास और तेलहनों की उपज के संबंध में नीचा अनुमान लगाया जाना तथा देश के कुछ भागों में सर्दी के मौसम में देर से वर्षा होना । औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने से निर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है ।

(ग) मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये मूल्यों पर लगातार नजर रखी जाती है तथा कई सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं । इन उपायों में, ये शामिल हैं :—जिन जिन्सों (जैसे, तेलहन तेल, कपास आदि) के कारण मूल्यों पर दबाव पड़ता है उनके संबंध में दिये जाने वाले बैंक—अग्रिम पर ऋण संबंधी प्रतिबन्ध को सख्त करना, उपलब्धि बढ़ाने के लिये बाहर से जिन्सें (जैसे कपास और सोयाबीन का तेल) मंगाने का प्रबन्ध करना और मिलों के पास रखे जाने वाले स्टाक की मात्रा पर रोक लगाना । अभी हाल ही में, रिजर्व बैंक ने, अपनी ऋण-संबंधी नीति को सख्त करने के लिये कई उपाय किये हैं । सरकार ने अन्न का एक बड़ा भंडार बनाया है और अत्यावश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिये सरकारी वितरण व्यवस्था कराने के लिये सरकारी वितरण व्यवस्था बनाये रखी है । 1969 में, सरकारी स्टाक से कुल 96 लाख मेट्रिक टन अन्न का वितरण किया गया । वर्ष के अन्त में, देश में उचित मूल्यों की 1,38,250 दुकानें थीं । जहां भी जरूरत पड़ती है मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों पर भी फिर से विचार किया जाता है और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग किया जाता है ।

### जीवन बीमा निगम द्वारा खरीदे गये अंशों का बाजार मूल्य

1192. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है जीवन बीमा निगम द्वारा खरीदे गये अंशों का कुल बाजार मूल्य 31 दिसम्बर, 1969 को उन अंशों के बही मूल्य से कम था ; और

(ख) यदि हां, तो उस मूल्य में कितनी कमी आई है ?

**पूर्ति मन्त्री और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) :** (क) और (ख). सूचना, जैसी कि वह 31 दिसम्बर, 1969 को थी, उपलब्ध नहीं है क्योंकि जीवन बीमा निगम की परिपाटी यह है कि वह अपने वार्षिक खाते बन्द करते समय ही, अर्थात् 31 मार्च को अपने शेयरों का मूल्यांकन करता है । जीवन बीमा निगम द्वारा खरीदे गये शेयरों का 31 मार्च 1969 को बाजार मूल्य 167.53 करोड़ रुपये और खाता मूल्य 156.82 करोड़ रुपये था ; इस प्रकार खाता मूल्य से बाजार मूल्य 10.71 करोड़ रुपये अधिक था ।

### पंजाब नेशनल बैंक के निदेशकों के विरुद्ध आरोप

1193. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब नेशनल बैंक निदेशकों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए एक तीन-सदस्यीय समिति नियुक्त की गयी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस समिति ने अपनी रिपोर्ट परीक्षण के लिये और उनकी सिफारिशें करने के लिये रिजर्व बैंक को भेजी थी ;

(ग) यदि हां, तो तीन-सदस्यीय समिति की कार्यवाही वृतान्त के आधार पर परीक्षण करने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनकी जांच का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने सम्बन्धित फाइलों को अग्रेतर जांच तथा दोषियों के विरुद्ध अदालत में मुकद्दमा चलाने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजने का निर्णय किया है ; और

(ङ) क्या तीन सदस्यों की समिति के कार्यवाही वृतान्त का पूरा ब्यौरा और रिजर्व बैंक के अधिकारियों की सिफारिशें सभा-पटल पर रखी जायगी ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने, बैंक के प्रबन्धकों के विरुद्ध लगाये गये कतिपय आरोपों की जांच करने के लिये तीन निदेशकों की एक उप-समिति गठित की थी ।

(ख) इस समिति ने अपनी रिपोर्ट बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत कर दी थी जिसकी एक प्रति रिजर्व बैंक को सूचनार्थ भेज दी गयी थी ।

(ग) और (घ). बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत निरीक्षण रिपोर्ट के साथ इस विषय पर बैंक की टिप्पणी सरकार को पेश की जा रही है ।

(ङ) तीन सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व्यक्तिगत खातेदारों के ऋण सम्बन्धी लेने देने के बारे में है इसलिये उसमें दी गयी जानकारी प्रकट नहीं की जा सकती ।

### आसाम उर्वरक कम्पनी

1194. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम की आसाम स्थिति उर्वरक कम्पनी को आसामी और गैर-आसामी लोगों में फूट तथा उनके बीच हुई दंगों के कारण हानि हुई थी और बिहारियों को विशेष रूप से हानि हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के क्षेत्रीय भावना वाले दंगों को, जिन से खाद की कमी के कारण खाद्य उत्पादन को हानि होती है ; रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** (क) भारतीय उर्वरक निगम के एक यूनिट, नामरूप उर्वरक कारखाने का साधारण कामकाज, अक्तूबर, 1969 में, आसामी और गैर-आसामी लोगों के बीच हुए दंगों के कारण कुछ दिनों के लिए ठप्प हो गया था।

(ख) जिस जगह कारखाना स्थापित है उस जगह पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने का जिम्मा राज्य सरकार का है। केन्द्रीय सरकार ने आसाम राज्य सरकार को समाज विरोधी तथा गैर कानूनी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाने तथा ऐसी घटनाओं को सख्ती तथा तेजी से दबाये जाने का ऐलान करने की सलाह दी है। राज्य सरकार ने कारखानों के प्रबन्धकों की प्रार्थना पर हालत को सामान्य बनाने के लिए कुछ अधिक पुलिस तैनात कर दी तथा दूसरी प्रकार से भी मदद की।

## संसद् सदस्यों की कोठियों को जाने का मार्ग

1195. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों को, विशेष कर वर्षा के दिनों में, अपनी कोठियों तक पहुंचाने का मार्ग कच्चा होने के कारण परेशानी उठानी पड़ती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भूमिगत टेलीफोन के तार बिछाने की योजना के कारण साइकलों के लिए सड़क और पैदल चलने के मार्ग बुरी तरह खराब हो गए हैं और अब तक इसकी कोई मरम्मत नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार संसद् सदस्यों की कठिनाइयों को दूर करने में कितना समय लगायेगी ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) संसद सदस्यों के बंगलों के बर्तमान सम्पर्क मार्ग (एप्रोच रोड) ईंटों की रोड़ी और लाल बजरी से बनाये जाते हैं। भारी वर्षा में संसद सदस्यों को कुछ असुविधा होती है क्योंकि सड़कों पर कीचड़ हो जाता है।

(ख) और (ग). नई दिल्ली नगरपालिका, जो इन फुट-पाथों और साईकलों के लिए सड़कों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है, इन सड़कों के पुनः बनाने का काम, जिन्हें टेलीफोन की भूमिगत तारों के लिए खोदा गया था, आरम्भ कर दिया है और इसमें पर्याप्त प्रगति हुई है।

जहां तक संसद सदस्यों के बंगलों के लिए सम्यर्क मार्गों का सम्बन्ध है इन सड़कों को पक्का बनाने के लिए आवश्यक अनुमान पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है और इस कार्य के शीघ्र ही आरम्भ किए जाने की सम्भावना है।

## राष्ट्रीयकृत बैंकों की भारत नेपाल सीमा पर नई शाखायें खोलना

1196. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नेपाल सीमा पर उत्तर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोलने की आवश्यकता पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और उत्तर बिहार में कितनी नई शाखायें खोली जायेंगी और उनके नाम क्या हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सठी) :** (क) दिसम्बर 1969 के अन्तिम दिनों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई "बैंक नेतृत्व" योजना के अधीन, बैंक-व्यवसाय की सम्भाव्यताओं और ऋण संबन्धी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करने और शाखाओं के विस्तार के लिए उपयुक्त स्थानों का पता लगाने के लिए, भारत संघ के 335 जिलों में से प्रत्येक जिले (बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के महानगरों और चण्डीगढ़, दिल्ली और गोआ के संघीय राज्य क्षेत्रों को छोड़ कर) के लिए एक या अधिक मुख्य बैंक नियत कर दिये गये हैं। इस योजना के अधीन, भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में स्थित जिलों सहित उत्तर बिहार के प्रत्येक जिले के लिये, सरकारी क्षेत्र के एक बैंक को "नेता बैंक" के रूप में नामित किया गया है। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों से कहा है कि वे जिलों में बैंक खोलने की सम्भाव्यताओं का सर्वेक्षण करने और वहां नई शाखाएं खोलने के सम्बन्ध में की गई प्रगति की तिमाही रिपोर्ट भेजें। इस प्रकार की पहली रिपोर्ट मार्च, 1970 के अन्त तक प्राप्त होनी चाहिये।

(ख) इन जिलों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 11 कार्यालय खोले जा चुके हैं और रिजर्व बैंक ने 14 और शाखाएं खोलने की मंजूरी दी है। प्रश्न के उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित सर्वेक्षण के परिणामों को ध्यान में रखते हुए बैंकों द्वारा और शाखाएं खोली जायेंगी।

## उत्तर भारत में नये तेल शोधक कारखाने की स्थापना

1197. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री उत्तर भारत में एक नये तेल शोधक कारखाने की स्थापना करने के बारे में 18 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3788 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल अतिरिक्त क्षमता कब, कहां और कैसे निर्धारित की जा सकती है इस प्रश्न के बारे में की जा रही जांच क्या अब पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसे पूरा करने की क्या समय-सीमा है ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :** (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह आशा है कि इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व निर्णय हो जायेगा।

**कोहाट रिफ्यूजी कोग्रापरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली**

1198. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोहाट रिफ्यूजी कोग्रापरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली को भूमि के नियतन की स्थिति क्या है ; इस समिति को अब तक भूमि न मिलने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस समिति के अधिकांश पदाधिकारियों के पास अपने मकान हैं और उन्हें इस समिति के कार्यों में कोई रुचि नहीं है ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि इस समिति के सभी सदस्य इसके सदस्य बनने के पात्र हैं ;

(घ) इस समिति की अन्तिम सामान्य बैठक कब हुई थी ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में समिति द्वारा नियतों का पालन न किये जाने पर यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ; और क्या उत्तर में इस समिति के सभी सदस्यों के पतों सहित नामों की सूची दी जायेगी ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) कोहाट रिफ्यूजी कोग्रापरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को प्रीतमपुरा क्षेत्र (जोन एच–5) में 50 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। भूमि का सीमांकन दिसम्बर, 1968 में किया गया था, किन्तु सोसाइटी ने उसका कब्जा नहीं लिया, बल्कि स्थान के बदलने के लिये अभ्यावेदन दिया। सोसाइटी को एक दूसरे स्थान की प्रस्ताव किया गया और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। सोसाइटी को भूमि का वास्तविक दखल स्थान के सीमांकन करने के तुरन्त बाद कर दिये जाने की आशा है।

(ख) सोसाइटी के अनुसार 15 पद-धारियों में से केवल दो के अपने मकान हैं तथा सभी सोसाइटी के कार्यों में रुचि ले रहे हैं।

(ग) आवंटन के उद्देश्य के लिये आवश्यक शपथ-पत्र (एफीडेविट) सोसाइटी के सभी सदस्यों से लिया जा रहा है।

(घ) 21-4-1968।

(ङ) दिल्ली के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने सोसाइटी की आम सभा बुलाने के लिये सोसाइटी को लिखा है। सदस्यों के नाम और पतों को प्रस्तुत करने में जो श्रम और समय लगेगा, उसके अनुरूप परिणाम निकलने की सम्भावना नहीं है।

### जन-संख्या में वृद्धि होने के कारण देश में आवास समस्या

1199. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
**श्री म० ला० सोंधी :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आवास सुविधाओं की अनुमानित कमी कितनी है और जन संख्या में वृद्धि के संदर्भ में पिछले 15 वर्षों में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) केन्द्र तथा राज्यों द्वारा आवास पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है और विभिन्न पंच-वर्षीय योजनाओं में कितने नये मकान बनाये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार भारत की आवास समस्या हल कर सकती है, यदि हां, तो क्या ठोस कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और यह समस्या कब तक अंतिम रूप में हल की जाएगी ; और

(घ) जन संख्या में वृद्धि के कारण मकानों की नई मांग की तुलना में चौथी पंच-वर्षीय योजना में नये मकान बनाने का क्या कार्यक्रम है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) से (घ). सूचना का एक विवरण संलग्न है :

### विवरण

1. चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के आरम्भ में देश में आवास की कुल कमी 837 लाख एकक अनुमानित की गई थी । निम्न और मध्यम आय वर्ग व्यक्तियों (विशेषकर पहले वर्ग) की आवास स्थिति को सुधारने के लिए, मन्त्रालय द्वारा बनाई गई सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत मार्च, 1969 के अन्त तक भारत सरकार ने प्लान निधियों में से राज्यों और संघीय क्षेत्रों की वित्तीय सहायता के रूप में 279 52 करोड़ रुपये का नियतन किया था इसमें से राज्यों और संघीय क्षेत्रों ने 214.04 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया । इसके अतिरिक्त राज्यों को जीवन बीमा निगम निधि से 113.14 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई । अब तक प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार, 1968-69 के अन्त तक सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत 4,97,968 मकानों की स्वीकृति दी गई, जिसमें से 3,83,271 बन कर पूरे हुए । इसके अतिरिक्त 22,197 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया और आवास उद्देश्य के लिये 14,371 एकड़ भूमि का विकास किया गया ।

2. उपरिलिखित के अतिरिक्त, भारत सरकार के कई विभाग, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अपनी आवास योजनाएं हैं, जिसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

3. देश में आवास की अत्यधिक कमी का समाधान निधियों और विकसित भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस बीच में इस मंत्रालय द्वारा बनाई गई सभी सामाजिक आवास योजनाओं के जारी रखने का भारत सरकार का प्रस्ताव है। चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के मसौदे में राज क्षेत्र की सामाजिक आवास योजनाओं और नगरीय विकास कार्यक्रमों के लिए लगभग 97.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

4. समस्या के उत्तरोत्तर और यथार्थरूप में सुलझाने के उद्देश्य से आवास और नगर विकास के लिए प्रस्तावित आवास और नगरीय विकास वित्त निगम द्वारा प्रशासित होने के लिये एक प्रवर्तन निधि स्थापित करने का निर्णय किया गया है। ऐसी प्रत्याशा है कि 4-5 वर्षों की अवधि में 200.00 करोड़ रुपये की राशि निगम को उपलब्ध की जा सकेगी जो राज्यों और संघीय क्षेत्र की अनुमोदित आवास योजनाओं, भूमि अर्जन और नगरीय विकास के लिए इस प्रकार से प्रयोग में लाई जायेगी कि निधियों का तीव्र गति से प्रत्यावर्तन हो सके। 1970-71 के वर्ष से इन निर्देशों के अनुसार कार्य करना आयोजित है।

**अंशों में वायदे के सौदों को फिर से चालू करना**

1200. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**          **श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सट्टे बाज़ारों में अंशों में वायदे के सौदे को पुनः चालू करने की अनुमति देने का सरकार ने अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस विषय पर कोई अंतिम निर्णय लिया है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (ग). शेयरों के वायदे के सौदे फिर से चालू करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। 7 फरवरी, 1970 के एक संकल्प के अनुसार, जो 7 फरवरी, 1970 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, चार सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई थी, ताकि वह समिति इस मामले में निर्णय करने की दिशा में सरकार की सहायता कर सके। समिति को अधिक से अधिक दो महीने के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिये कहा गया है।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर ध्यान दिलाने के बारे में

### RE : CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**(प्रश्न)**

**श्री नाथ पाई (राजपुर) :** अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आपने इस विषय पर ध्यान दिलाने वाली सूचना गृहीत की है। लेकिन मैंने भी इस प्रश्न पर अल्प-सूचना प्रश्न का नोटिस

दिया था और मुझे अभी आधे घन्टे पहले सूचित किया गया कि मंत्री जी इसका उत्तर देने में असमर्थ हैं। मुझे यह सूचना दस दिन बाद दी गई है, जो बहुत आपत्तिजनक है। ऐसे प्रश्नों को आपको केवल मंत्री की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए। खैर मैं इस मामले में मंत्री जी के विशेषाधिकार को चुनौती नहीं देता, लेकिन ऐसे मामलों में, जहां आप सन्तुष्ट हो जायें कि मामला लोक महत्व का है, आप सम्बन्धित मंत्री को निदेश दे सकते हैं कि प्रश्न को उस दिन की प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में ले लिया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि जब आपने इस प्रश्न को अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचना के रूप में गृहीत किया है, तो मेरे इसी प्रश्न को प्रश्न सूची में पहले प्रश्न का स्थान क्यों नहीं दिया गया। इस पर मैं आपका विनिर्णय चाहता हूँ।

**श्री मी० रु० मसानी** (राजकोट) : इस सम्बन्ध में मन्त्रियों को स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग जिम्मेदारी तथा विवेक से करना चाहिए। यदि सभा की सूचनार्थ जानकारी अपेक्षित है, तो केवल यह कह देना कि "मैं अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा" सही बात नहीं है और संसदीय प्रजातंत्र में इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं की जाती।

**Shri Atal Behari Vajpayee** (Balrampur) : Sir, a matter which can be raised through a Calling Attention Motion, can very well be admitted in the form of a Short Notice Question also. But everytime we hear the same routine reply that the Minister is not prepared to accept it. That is not the way to deal with such matters. In such cases we request you, Sir, to do something in order to provide an opportunity to the House to discuss important matters of this nature.

**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : इस बारे में मैं आपका ध्यान नियम 54 की ओर दिलाता हूं ताकि आप सही विनिर्णय दे सकें।

मेरा प्रश्न सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत भी आज की प्रश्न सूची में आ जाना चाहिए था। हमारे अधिकार मंत्री की दया पर नहीं छोड़े जाने चाहिए और आपको उनकी रक्षा नहीं करनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है। जहां तक अल्प सूचना प्रश्नों का सम्बन्ध है। हम ऐसे प्रश्नों को, जिन्हें हम महत्वपूर्ण तथा मन्त्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने योग्य समझते हैं, सम्बन्धित मंत्रियों के पास भेज देते हैं। लेकिन मैं उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जहां तक माननीय सदस्य श्री नाथ पाई द्वारा सुझाई गई अन्य प्रक्रिया का सम्बन्ध है कि ऐसी सूचनाओं को प्रश्न सूची के प्रथम प्रश्न के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए, मैं इस पर विचार करूंगा।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : यदि 15 दिन पश्चात, यह सूचित किया जाता है कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं तो इस का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : My suggestion is that you may call the meeting of the Rules Committee to consider this question.

**डा० राम सुभग सिंह** (बक्सर) : यदि कोई मंत्री मामले को 15 दिन तक लम्बित रखता है तो उसका असर सदस्य पर नहीं पड़ना चाहिए।

**Shri Prakashvir Shastri** (Hapur) : Sir, I endorse the plea made by Shri Nath Pai that our rights should not be left to the kind mercies of the Ministers. My suggestion is that if you in your wisdom are satisfied that the matter sought to be raised through a Short Notice Question is of public importance and the Minister is not prepared to accept it, you can direct him that the question may be taken up as the first question of the day and he should come prepared to answer it. Sir, a change of rule is desirable in this regard.

**श्री राजशेखरन** (कनकपुरा) : गृह कार्य मंत्री ने जानबूझ कर इस प्रश्न को स्वीकार नहीं किया है। इस बात से कि प्रधान मंत्री बहुत से अधिकारियों को बंगलोर तथा बम्बई भेज रही हैं, यह सिद्ध होता है कि यह एक गंभीर प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न पर वाद-विवाद आरम्भ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं नियम समिति की बैठक बुलाऊंगा और वहां हम इस बारे में विस्तार से विचार विमर्श करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे।

अब ध्यान दिलाने वाली सूचना ली जायेगी। श्री जोशी।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद

**Shri S. M. Joshi** (Poona) : Sir, I call the atrention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :

> "The reported proposals made by the Prime Minister to Mysore and Maharashtra Governments for the solution of the border dispute and their reported rejection by both the Governments."

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : मैसूर महाराष्ट्र सीमा विवाद का हल निकालने के लिए जो आयोग नियुक्त किया गया था उसकी रिपोर्ट पर विचार करने पर हम इस अस्थाई निष्कर्ष पर पहुँचे कि एक राज्य से दूसरे राज्य को राज्य क्षेत्रों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में आयोग की ठोस सिफारिशों को क्रियान्वित करने के अलावा, कुछ समायोजन करना आवश्यक होगा ताकि सारी समस्या हल की जा सके।

तथापि, इस मामले पर और आगे विचार करने से पूर्व सरकार ने सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श करना वांछनीय समझा। उनकी तुरन्त प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक नहीं है। ऐसे मामलों में रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, और सरकार का इरादा है कि इस समस्या का सन्तोषजनक हल ढूंढने के लिए अपना प्रयत्न जारी रखा जाये।

**Shri S. M. Joshi** : Sir, it is deplorable that inordinate delay is caused by Government in settling such disputes which results in untoward incidents, police firing etc. as happened in Bombay last year on this issue. We have raised this matter here with a view to finding a satifactory solution to the problem in a democratic way.

The Government could not find any solution to the problem during the last 14 years. Police firings were resorted to a number of times. So many people lost their lives on this

issue. The candidates of the Maharashtra Integration Committee won all the three general elections held in 1967, 1962 and 1967 on this issue.

In this connection, we had voluntarily suggested to transfer about 400 Kannada speaking villages now in Mahasashtra to Mysore which proves that we have no aspirations for enlargement of our borders Similarly the question of linguistic states was first raised by Andhra, followed by Kannada speaking people and then by us. The formula propounded by Shri D. R. Gadgil, which is known as Pataskar Formula suggested to solve the border disputes on the basis of linguistic majority, geographical centiguity and by taking village as a primary unit.

Finally, I want to know from the hon. Minister whether some proposals were passed unanimously in the Sub-Committee of the National Integration Conference held in Srinagar, presided over by my hon. friend Shri N. G. Goray, and if so, whether one of the proposals was to devide Telingana also; and whether it is a fact that the Government have gone on these proposals because of the strong objection raised by the Chief Minister of Mysore in regard thereto? I want to know the viracity of the matter for the enlightenment of the House,

**Shri Vidya Charan Shukla** : It is true that this dispute has been with us for a very long time. This question was first raised in the Zonal Council in 195 and was again raised in 1956 when reorganisation of States was effected. The hon Member are aware of the various efforts made at various political levels to settle this dispute. The Congress Working Committee also made some proposals. Judicial Commissions were also appointed to go into this question. I admit that these has been inordinate delay in the matter. At the same time the various complications of the issue are uot unknown to the hon. Members, which is evident from the question raised by the hon. Member himself. It has been our efforts to minimise the differences between the parties and reach a point of maximum agreement. We know that it is not possible either to find an amicable solution satisfying fully to both the parties or to iron out their existing differences. Keeping in view the discussions we had in Srinagar with the Chief Ministers, we hope that we will find a satisfactory solution to the problem.

As regards the proposals made in the conference, it would not be in the public interest to disclose them at this State when these are under study at present.

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : प्रश्न है प्रस्तावों के बारे में, वह ऐसा शुरू में भी कह सकते थे कि उन्हें बताना जनहित में नहीं है। अब वह ऐसा नहीं कह सकते।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : The proposals made to the Chief Ministers were discussed by them with their colleagues and their gist has appeared in the Press also. This House is in the dark whereas so many people have come to know about the proposals. The hon'ble Minister may be asked to place a copy of the proposals on the Table.

**Shri Madhu Limaye** : The leaders of Lagislative Assembly, Bombay have been told about the proposals. Can he ignore the Parliament in this manner ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्तावों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाये।

**Shri Rabi Ray** : I second it.

**अध्यक्ष महोदय** : हम ध्यान दिलाने वाले एक प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। अभी चार अन्य सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने हैं। यह कैसे सम्भव है ?

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : यह सिद्धान्त की बात है। आप अपने विवेक से फैसला कर सकते हैं कि इसकी अनुमति दी जाय या न दी जाय।

**Shri Atal Behari Vajpayee** : Sir, you may take up our motion after the speech of these four hon'ble Members. We want division on this issue.

**Shri Madhu Limaye** : I want your ruling.

**अध्यक्ष महोदय** : जब तक विचाराधीन विषय पर चर्चा पूरी नहीं हो जाती तब तक इस प्रस्ताव पर कैसे विचार किया जा सकता है ?

**डा० राम सुभग सिंह** : इसका उचित उत्तर नहीं दिया गया है, अतः यह प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रस्ताव पर कुछ ऐसी बातें उठाई गई हैं कि उन्हें लोक हित में नहीं बताया जा सकता। क्या आप मुझे इस बारे में संतुष्ट कर सकते हैं ?

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : जी, हां।

**श्री बलराज मधोक** (दक्षिण दिल्ली) : जिस ध्यान दिलाने वाली सूचना को आपने गृहीत किया है उसके शब्द क्या हैं ? क्या सुझाव बताये बिना ध्यान दिलाये जाने वाले प्रस्ताव का उत्तर दिया जा सकता है।

**श्री न० कु० सांघी** : (जोधपुर) : आज बम्बई में स्थिति तनावपूर्ण है। भाषा के आधार पर सीमा विवादों को हल करने से देश की एकता के लिए खतरा पैदा हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या महाजन आयोग को कुछ बातों का हवाला दिया गया था ?

दूसरी बात यह है कि गोआ के मुख्य मन्त्री प्रधान मन्त्री से मिले थे और उनसे अनुरोध किया था कि रामघाट और लोंधा क्षेत्र गोआ में मिला दिये जायें।

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का सम्बन्ध मैसूर और महाराष्ट्र के सीमा विवाद से है, गोआ से नहीं।

**श्री न० कु० सांघी** : गोआ का मामला भी इस मामले के साथ सम्बन्धित है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार भाषा के आधार पर सीमा विवाद सुलझाने की नीति छोड़ देगी और इनका समाधान सामीप्य, सांस्कृतिक सम्बन्धों और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर करेगी ?

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : जहां तक महाजन आयोग के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है। गोआ के मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्ताव रखे जाने के बारे में मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य ने जिन अन्य बातों का उल्लेख किया है, भाषा के साथ साथ उन सब बातों पर विचार किया जा रहा है।

**Shri S. M. Joshi** : I want to know the suggestions made by the sub-committee of National Integration council which were accepted in the first instance and rejected later on and the reason for rejecting them ?

**Shri Vidya Charan Shukla** : I have stated that National Integration council has also examined this issue and laid down certain guidelines. We have not rejected them, they are still under consideration.

**श्री नाथपाई** : देश की एकता के लिए खतरा होने के कारण राष्ट्रीय एकता परिषद का सम्मेलन बुलाया गया था। इसका एक कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार अन्तर्राज्यीय विवाद सुलझाने में असफल रही है। अतः परिषद ने कुछ विशेष सिद्धान्तों का सुझाव दिया था। हमें आशा है कि उनको स्वीकार कर लेने से इन समस्याओं का समाधान हो जायेगा। सरकार उनको क्रियान्वित क्यों नहीं कर रही है ?

**अध्यक्ष महोदय** : मन्त्री महोदय ने बताया है कि वे सिद्धान्त सरकार के विचाराधीन हैं।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : जहां तक महाराष्ट्र-मैसूर सीमा के समायोजन के सम्बन्ध है उपर्युक्त परिषद द्वारा बताये गए सिद्धान्तों को भी ध्यान में रखा जायेगा। यही बात मैंने कही थी।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : May I know whether Government will negotiate with Governments of both the States and place their concrete proposals before this House and call a meeting of all the political parties in this House for this purpose ?

**Shri Vidya Charan Shukla** : We are having consultation with the Chief Ministers on some provisional proposals. These proposals have not yet been given final shape. So nothing can be said about them at this stage. We will have consultation and we will also seek cooperation of the opposition parties before arriving at any final decision.

**Shri Mahdu Limaye** : I had requested whether these proposals were based on some concrete principles ?

**Shri Vidya Charan Shukla** : After giving due consideration to the proposal we will enquire from them.

**श्री नाथपाई** (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री मधु लिमये का प्रश्न था कि क्या सरकार कुछ मूल सिद्धान्तों के बारे में निर्णय करेगी और उन पर चर्चा के लिए विरोधी दलों के नेताओं को बुलायेगी ? सिद्धान्तों का निर्णय करने के बारे में एक बार 19 दिसम्बर, 1967 को एक बैठक बुलाई गई थी। परन्तु सरकार ने उनका अनुसरण कभी नहीं किया। क्या सरकार देश में अन्तर्राज्यीय विवादों के हल के लिए सिद्धान्त बनाने हेतु ऐसी कोई बैठक बुलायेगी ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : उन्होंने सभी सीमा विवादों के बारे में नहीं पूछा था। उन्होंने केवल इसी विवाद का उल्लेख किया था।

**Shri Madhu Limaye** : I had asked about principles. I had mentioned Mysore and Maharashtra in the broader sence.

**Shri Vidya Charan Shukla** : So far as the principles are concerned we will first take decisions about them and then have consultations about them with the opposition leaders. Nothing can be said at this stage about the principles to be followed in regard to this dispute.

**Shpi Balraj Madhok** (South Delhi) : I want to know the nature of adjustments which Government want to make as has been indicated by the hon. Minister in his reply. I also want to know whether Government want to provide a corridor as has been done in the case of Punjab so that Goa could be merged into Maharashtra afterwards ?

Secondly I would like to know whether Government have accepted the report of the Mahajan Committee on it has been rejected by it ? If Government have accepted that report then what is the necessity to have these further talks ?

I would further like to know whether Government will not appoint any more Commission for border disputes as they have not accepted the recommendations of Shah and and Mahajan Commission ? Atleast they will spare the Punjab in this respect because I know that the recommendations of any new Commission will meet the same fact.

I also want to know whether Government will appoint any tribunal on permanent basis for solving border disputes and terms of reference of this tribunal will be decided on some principles ? Moreover I want to have an assurance from the Government that they will not do any injustice with any side ?

**Shri Vjdya Charan Shukla** : Question of doing injustice or formation to anyside does not arise. We are trying to solve this problem in a most appropriate and reasonable manner. That is why we are having discussion with Chief Ministers.

So far as the recommendations of the Mahajan Commission are concerned I have stated that the positive recommendations have been accepted by Government. In this connection I may state that recommendations of any Commission can not be binding on the Government. We have to use our wisdom in accepting the recommendations because we are answerable to Parliament.

We cannot tell anything about the adjustments at this stage because discussions are already going on about them.

No decision has yet been taken on the appointment of a permanent tribunal for solving border disputes.

**Shri Balraj Madhok** : If they are not to accept the recommendation of the Commission then why they are going to appoint another Commission in Punjab ?

**Shri Prem Chand Verma** (Hamirpur) : I rise on a point of order he cannot raisc the question of Punjab as this matter relate to Mysore and Maharashtra.

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री ई० के० नायनार** : मैं जानना चाहता हूँ कि महाजन आयोग के प्रतिवेदन के कौन से भाग को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है और कौन सा भाग सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हैं क्योंकि गत दिसम्बर में हुई आधे घन्टे की चर्चा का उत्तर देते हुए श्री शुक्ला ने कहा था कि सरकार ने इस प्रतिवेदन के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है ?

**अध्यक्ष महोदय** : इसमें बकाया का कोई प्रश्न नहीं है ।

**Shri Randhir Singh** (Rohtak) : There is no use of appointing these commissions because Government do not accept their recommendations. This job should be referred to a bench of supreme court.

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (बलरामपुर) : मैंने एक विशिष्ट प्रस्ताव का नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों को देखने के पश्चात ही इस बारे में कुछ निर्णय कर सकता हूँ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मुझे आशा है कि 28 फरवरी को अल्पावधि सूचना पर सभा की बैठक बुलाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी भविष्य में उसको पूर्वोदाहरण का रूप नहीं दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में चर्चा हो चुकी है और मैं इस पर अपने विचार पहले ही से प्रकट कर चुका हूँ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मेरे विचार में इस पर 28 तारीख को चर्चा हो चुकी है। अब इसको उठाना उचित नहीं है।

## हरियाणा विधान सभा के स्थगन के बारे में

## RE : ADJOURNMENT OF HARYANA ASSEMBLY

**Shri Randhir Singh** (Rohtak) : There was no necessity to raise this matter again as it was taken up on that very day and you had given your verdict on it.

**Mr. Speaker** : Yes, this matter was taken and decided upon on that very day.

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Balrampur) : I agree that the matter was raised earlier but the situation has changed since then. The Assembly has now been adjourned *sine-die* and this action of the Governer is not in accordance with the privisions of the Constitution. The Governer is reeponsible to Home Ministry for all his action and henee we can have discussion about them here.

**Shri Randhir Singh** : Everything has been done according to Constitution. There was nothing wrong.

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : The Speaker of the Haryana Assembly admitted the 'No Confidence Motion' himself and 3rd day of the month was fixed for discussion. The Chief Minister assured the Members of the House the there wolud be a sitting on that day and that it would not be adjourned *sine-die.*

**Shri Randhir Singh** : They have themselves witthdrawn the 'No Confidence motion' We have majority there.

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : If they were in majority then they should have the courage to face the 'No Confidence Motion' : In no other democratic country such a thing has ever happened.

**Shri Randhir Singh** : One lakhs rupees are being offered to members. These people have brought Haryana into disrepute.

These people have put a blot on the name of Haryana. They have offered rupees one lakh for ministership.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : महोदय, क्या आप अपना विनिर्णय देने से पहले अन्य सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देंगे ?

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : I beg to submit that the House may be given an opportunity to have a discussion on the issue of Haryana. This can be done either by

admitting an Adjournment Motion or by allowing a specific Motion on the subject and some time may be allotted for the same.

**श्री बलराज मधोक** : माननीय सदस्यों को इस प्रकार सभा की कार्यवाही में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । क्या आप उन्हें शान्त रहने के लिए नहीं कह सकते है ?

**Shri Randhir Singh** : This glorious State is being defamed. The practice of 'Aya Ram' and 'Gaya Ram' has again cropped up there.

**Mr. Speaker** : Hon. Members are creating difficulty for me by shouting like this. It becomes impossible for me to take any decision in such a tense atmosphere.

**श्री नाथपाई** : अध्यक्ष महोदय, यदि आवश्यक हो तो हमें तब तक बैठना चाहिए जब तक कि हरियाणा का मामला पूरी तरह न निबट जाये ।

मैं केवल इस मामले की ग्राह्यता के बारे में बात कहूँगा । हमें सूचित किया गया है कि आपने इस मामले की अनुमति नहीं दी है । मेरे प्रस्ताव में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने में असफल रही है कि हरियाणा सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे । केन्द्रीय सरकार संविधान के उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक आदेश देने में भी असफल रही है । राज्य विधान सभा का सत्रावसान असंवैधानिक ढंग से किया गया है ।

अब हमें इसमें दो बातें देखनी है । पहली बात यह है कि भारत सरकार का क्या उत्तरदायित्व था ? दूसरी बात, भारत सरकार कहां तक असफल रही है ? मैं संविधान के अनुच्छेद 174 का उल्लेख करूंगा क्योंकि यह सभा के सत्रावसान के सम्बन्ध में है । इसमें कहा गया है कि "राज्य पाल समय-समय पर सदन या सदनों का सत्रावसान कर सकेगा ।" किन्तु संविधान में यह स्पष्ट कहीं पर नहीं किया गया है कि इस असाधारण अधिकार का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाएगा । शनिवार को श्री बाजपेयी जी ने जब यह मामला उठाया तो आपने कहा कि यदि विधान सभा स्थगित हो गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ । विधान सभा के अध्यक्ष ने एक प्रस्ताव चर्चा के लिए ग्राह्य कर लिया था और उस पर चर्चा के लिए समय भी नियत कर दिया गया था किन्तु इस प्रस्ताव पर चर्चा न होने देने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है । यह इसके मूल तथ्य हैं । राज्य पाल एक ऐसे मुख्य मन्त्री की जिसने जान बूझकर संविधान का उल्लंघन किया है, सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है । किसी अविश्वास प्रस्ताव को विचार के लिए ग्राह्य किये जाने पर यदि कोई मुख्य मन्त्री सभा के स्थगन के लिए प्रस्ताव रखता है तो इसका तात्पर्य स्पष्टतः यह है कि सभा को उसके इस सर्वोच्च अधिकार से वंचित करना है कि विधान सभा में किसी सरकार विशेष का बहुमत है या नहीं ।

**श्री रणधीर सिंह** : यह गलत है । उन्होंने यह प्रस्ताव पहले प्रस्तुत किया था ।

**श्री नाथपाई** : मैं अनुच्छेद 174 पढ़ चुका हूँ और मैंने यह कहा था कि राज्य पाल द्वारा मनमाने ढंग से सत्रावसान नहीं किया जा सकता है । राज्यपाल संविधान की रक्षा करने के लिए अपने पद की शपथ लेता है । संविधान के अन्तर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकार राज्य विधान सभा के पूरे विश्वास के साथ कार्य करे । जब उसे चुनौती दी जाती है तो यह

देखना राज्य पाल का कर्तव्य हो जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की चर्चा नहीं होने देता है, तो वह स्पष्टतः संविधान के उपबन्धों तथा भावना का, यहाँ तक कि सम्पूर्ण संविधान का, उल्लंघन करता है। यह अत्यन्त चिन्ता का मामला है। यदि विधान सभाओं के अधिकारों का इस प्रकार हनन किया गया तो दर्शक चुप नहीं रह सकते हैं। यह पहला अवसर नहीं है जबकि ऐसा किया गया है। हमारी ओर न केवल हरियाणा की अपितु सारे राष्ट्र तथा भावी पीढ़ी की दृष्टि है। यदि हम इस समय उनकी शिकायतों को दूर नहीं कर सकते तो कोई भी दूसरा व्यक्ति उनकी शिकायतें दूर नहीं कर सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 156 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त राज्य पाल अपना पद धारण करता है। यदि राज्य पाल अपने उत्तरदायित्व ठीक ढंग से नहीं निभा सकता है तो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पदमुक्त कर दिया जाना चाहिए। श्री चक्रवर्ती एक बहुत अच्छे असैनिक पदाधिकारी तथा प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ हैं। क्या सत्रावसान करने के लिए सहमत होने से पहले उन्होंने अपने विवेक से काम लिया था और क्या उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि मुख्य मन्त्री कानून और व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया है ?

अब मैं अनुच्छेद 160 का उल्लेख करूंगा।

**श्री रणधीर सिंह :** यह सब सफेद झूठ है।

**श्री नाथपाई :** मैं केन्द्रीय सरकार को इसके लिए उत्तरदायी मानता हूँ। माननीय सदस्य इसे सफेद झूठ कह रहे हैं। क्या भारत का संविधान सफेद झूठ है ?

**अध्यक्ष महोदय :** यदि आप मेरी बात सुनें तो आपको यह सब कहने की आवश्यकता नहीं होगी।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या आप अपना विनिर्णय दे रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं अपना विनिर्णय नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाये।

**श्री रणधीर सिंह :** मुझे भी थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। एक पक्षीय निर्णय नहीं किया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं कोई विनिर्णय नहीं दे रहा हूँ। यदि माननीय सदस्य इस प्रकार उत्तेजित होते रहेंगे, तो मैं अपने विचार किस प्रकार व्यक्त कर सकता हूं।

**श्री नाथपाई :** मेरा निवेदन है कि आपके विचार कभी कभी विनिर्णय से लगते हैं। इसलिए आप हमारी बात सुन लीजिये।

**अध्यक्ष महोदय :** मेरा स्पष्टीकरण सुन लेने के बाद आप मुझ से पूरी तरह सहमत हो जायेंगे।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : माननीय सदस्य ऐसा चित्र उपस्थित कर रहे हैं जैसे कि हम संविधान का उल्लंघन करने के दोषी हैं।

**श्री नाथपाई** : आप हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं निर्णय करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को अवसर दूंगा।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : इस स्थगन प्रस्ताव को चर्चा के लिए ले लीजिये।

**डा० कर्णी सिंह** : मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय सदस्य को रणधीर सिंह ने एक आरोप लगाया है। उनका कहना है कि "आया राम" और 'गया राम' के लिए विरोधी पक्ष के सदस्य उत्तरदायी हैं। 'आया राम' और 'गया राम' की परम्परा सर्वप्रथम राजस्थान से आरम्भ हुई और उसके लिए श्री चव्हाण उत्तरदायी हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह पता लगाना चाहता था कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या तारीख नियत की गई थी तथा विधान सभा अनिश्चित काल के लिए कब स्थगित की गई थी। हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष मुझे क्रमबद्ध सूचना दी है। यह सूचना मैंने निजी तौर पर प्राप्त की है क्योंकि संविधान के अन्तर्गत मैं उन्हें इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूँ कि वे राज्य विधान सभा में अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण दें। मैं नहीं जानता कि किसी अन्य विधान मण्डल तथा उसके पीठासीन अधिकारी के आचरण तथा निर्णय के बारे में इस सभा में विचार करना कहां तक एक स्वस्थ परम्परा होगी। सबसे पहले तो मुझे यह पता लगाना था कि वास्तव में वहां क्या हुआ है। विधान सभा के अध्यक्ष ने मुझे क्रम-वार जानकारी भेजी है। 13 फरवरी को विरोधी पक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और उस पर चर्चा के लिए 16 फरवरी का दिन निर्धारित किया गया 16 तारीख को जब अध्यक्ष ने सम्बन्धित सदस्य को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा तो उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति के लिए अनुरोध किया मुख्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि विधान सभा का सत्र 3 या 4 मार्च तक जारी रहेगा।

लगभग 20 या 22 सदस्यों ने पुनः एक अधियाचन भेजा। अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 3 या 4 तरीख निश्चित की थी परन्तु 27 तरीख को यह निर्णय किया गया कि एक बैठक की बजाय दो बैठकें की जायेंगी। सुबह प्रश्न काल के बाद कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया। इसकी समाप्ति के बाद मुख्य मंत्री ने 12.30 या 1 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगन के प्रस्ताव की सूचना दी, अविश्वास प्रस्ताव के काफी पहले। हरियाणा विधान सभा के नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता। उन्हें उसे मतदान के लिए रखना होता है और विधान सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगन के प्रस्ताव पर निर्णय देना होता है। इस प्रस्ताव के 1½ या दो घण्टे के बाद, दूसरी बैठक शुरू होने से कुछ पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इसके लाये जाने पर आपत्ति की गई क्योंकि यह प्रश्न काल के बाद नहीं लाया गया था अध्यक्ष ने इस आपत्ति को केवल एक तकनीकी आपत्ति बता

कर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । परन्तु इसके पहले उन्होंने स्थगन प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया था ।

**श्री राम कृष्ण गुप्त** (हिसार) : मैं विधान सभा के अध्यक्ष के वक्तव्य को चुनौती देता हूँ । यह प्रस्ताव उससे 26 मिनट पहले प्रस्तुत किया गया था ।

**अध्यक्ष महोदय** : जब स्थगन प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तो वह पास हो गया । परन्तु विरोधी पक्ष ने आग्रह किया कि उनका अविश्वास प्रस्ताव भी लिया जाना चाहिये क्योंकि उसके लिए तिथि पहले ही निर्धारित की जा चुकी थी । अध्यक्ष ने कहा "आप अपना प्रस्ताव लाएं और उस पर इसी समय चर्चा की जाये ।" उन्होंने उसके लिए दो घण्टे निश्चित किये । विरोधी पक्ष ने कहा कि वे उसपर उसी दिन बहस करना चाहेंगे जो उसके लिए नियत किया गया है । उसके बाद की स्थिति का सब को पता ही है । विधान सभा का अधिवेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया ।

हरियाणा विधान सभा और उसके अध्यक्ष कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र है और उनके निर्णयों पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती । जब अविश्वास प्रस्ताव के लिए दिन निश्चित कर दिया गया था, तो मेरी राय में सभा का स्थगन किया जाना उचित नहीं था । परन्तु हम अध्यक्ष या विधान सभा के आचरण पर यहां कोई टिप्पणी नहीं कर सकते । मामला यहाँ समाप्त हो जाता है ; विधान सभा के सत्रावसान के बारे में हम पृथक से चर्चा कर सकते हैं ।

**डा राम सुभग सिंह** : अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिये 3 मार्च का दिन नियत किया था । बाद में यह निर्णय किया गया कि उस पर उस दिन चर्चा होनी चाहिये । इसमें बड़ा विरोधाभास है । राज्य पाल बीच में इसलिए आते हैं कि वह स्थगन प्रस्ताव से सहमत हो गये और सभा का सत्रावसान कर दिया ।

**अध्यक्ष महोदय** : अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन के प्रस्ताव के बाद वह अविश्वास प्रस्ताव पर उसी दिन चर्चा की अनुमति देने के अलावा और कर ही क्या सकते थे । मेरी राय में हम विधान सभा के अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते । विधान सभा या उसके अध्यक्ष ने जो कुछ किया, हम उसपर चर्चा करने के लिए सक्षम नहीं हैं । हम इसके साँविधानिक पहलू को ले सकते हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है । मैंने उनके स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है । यहां पर इतनी सारी बातें उठाई गई हैं कि इस पर चर्चा करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है । परन्तु मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य अध्यक्ष या विधान सभा के आचरण पर टीका-टिप्पणी करने की कोशिश न करें

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : श्री नाथपाई इस बात पर जोर दे रहे थे कि स्थगन प्रस्ताव तात्कालिक है और नियमानुसार है । आप को इस बात का अधिकार है कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या न करें । आप उन्हें अपनी बात तो पूरी करने दीजिए ।

**Shri Dalbir Singh** (Sirsa) ; On a point of order, Sir. You have placed all the facts before the House. Now the position is clear. May I know on what point Shri Nathpai wants to speak. I want your ruling on matter.

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में आपने अपना विनिर्णय दे दिया है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उपर्युक्त मामले को फिर से उठाया जा सकता है ?

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने सुबह कहा था कि मैं स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। यदि श्री नाथपाई मुझ से मेरे कक्ष में मिल लेते तो अच्छा होता (व्यवधान)

**श्री नाथपाई :** मैं वह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हरियाणा की विधान सभा में भी 'हाऊस आफ कामन्स' की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। अब अविश्वास प्रस्ताव की ग्राह्यता की प्रक्रिया क्या है ? जब अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और उस पर चर्चा का समय निश्चित कर दिया जाता है तो उसके बाद कोई प्रक्रिया नहीं रह जाती और सभा को अनिश्चित काल तक स्थगित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करके उसे रोका नहीं जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि अनुच्छेद 194 का पालन किया जाये। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 194 और 355 को अनुच्छेद 256 के साथ पढ़ना चाहिए। यदि तीनों अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ा जाये तो मेरा अर्थ स्पष्ट हो जायेगा। इनके साथ हमारा प्रक्रिया का नियम 198(2) भी पढ़ा जाना चाहिये। श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने इस मामले को 28 फरवरी को उठाया था और आपने कहा था कि यह मामला उस सदन का आन्तरिक मामला है। इस बीच केन्द्रीय सरकार को काफी समय मिल गया था और उन्हें सारी स्थिति का अध्ययन कर लेना चाहिये था।

अनुच्छेद 156 के अन्तर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण कर सकता है। यदि राज्यपाल संविधान का हनन कर राष्ट्रपति को अप्रसन्न करता है तो केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह राज्यपाल को त्यागपत्र देने को कहे। भारत सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि देश के किसी भाग में भी संविधान का हनन न हो। राज्य विधान सभा का सत्रावसन करते समय केन्द्रीय सरकार को राज्यपालों को निदेश देने चाहियें।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : I fully agree with Shri Nath Pai in this matter, I read out the Rules regarding adjourment of the Haryana Assembly. It is Stated in those Rulest that.

> "Subject to provisions of the Constitution and theses rules, the Assembly may be adjourned from time to time by its own order" Provided that a motion for adjournment of the Assembly to a day or *Sine die* shall not be made except in constitution with the Speaker".

I want to know why the Condition of Consultation has been imposed? (*Interruptions*)

It is not correct to say that the President has no right to discuss what transpired in the Haryana Assembly. It is also not correct to say that the Government have no power to issue directions to the Governor of the Haryana. There is a provision in Article 205 of the Constitution that.

> "A House of legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of the Constitution, its procedure and the Conduct of its business".

It is thus clear that there has been violation of the Constitution.

No-Confidence Motion is not an ordinary motion. It is a mandatory motion. It is upto you to accept or reject an Adjournment Motion. But you cannot do so in case of a No-Confidence Motion. Under the present circumstanoes it was unproper to bring an

**Adjournment Motion,** It should have been brought after the disposal of No-Confidence **Motion.**

Similar thing also happened in Madhya Pradesh. There the Speaker adjourned the House before voting on the Demands. The House was unlawfully prorogued by the Governer. Similar calling Attention Motions were admitted in the case of Madhya Pradesh and Punjab. I will, therefore, request you to kindly reconsider your decision. This adjournment motion fully satisfies the Rules.

**अध्यक्ष महोदय** : में इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ ।

**श्री नाथ पाई** : मैं अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ ।

**Mr Speaker : You cannot move your adjournment motion unless I accept it.** ***(Interruption***

**श्री नाथ पाई** : क्या मुझे सुनने के बाद आपके विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ है? आप अपना विनिर्णय क्यों नहीं रोक लेते ?

**अध्यक्ष महोदय** : श्री नाथ पाई और श्री मधु लिमये द्वारा उल्लिखित संवैधानिक पर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैं इस मामले पर गम्भीरता से पुनर्विचार करूंगा ।

मेरी सर्वप्रथम प्रतिक्रिया यह थी कि सभा को अनिश्चित समय के लिए स्थगित किये जाते समय अध्यक्ष की सलाह क्यों नहीं ली गई ? मैं उनसे मिला था और उनसे अनिश्चित काल के लिए सभा को स्थगित करने का कारण पूछा था । उन्होंने इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण दिया है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उसे पढ़ सकता हूँ ।

**श्री मधु लिमये** : आप इस बारे में अपना विनिर्णय दें । हम उसे स्वीकार करेंगे ।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने अपने स्वराष्ट्रीकरण में उल्लेख किया है कि परामर्श करने का अभिप्राय सहमत नहीं है ।

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : यदि आप इस विषय पर पुन: विचार करना चाहते हैं, तो आप इस पक्ष की बात भी अवश्य सुनें ।

**गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : मेरी यह धारणा थी कि आपने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार न करने का निर्णय पहले ही दे दिया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उन्हें स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के अपने निर्णय से अवगत करा दिया था लेकिन अब उन्होंने कुछ नये प्रश्न उठाये हैं अतः मुझे इन प्रश्नों पर भी विचार करने दीजिए ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : इससे पहले कि आप उनकी दलील पर पुनः विचार करें, यह हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपने विचार आपके सामने रखें । माननीय सदस्य अपनी इच्छानुसार संविधान की व्याख्या कर सकते हैं ।

यह सच है कि राज्यपाल राष्ट्रपति प्रसाद पर्यन्त पद धारण कर सकता है । राष्ट्रपति ऐसा संवैधानिक कारणों से ही कर सकता है । मुझे अध्यक्ष महोदय के समान ही जानकारी

प्राप्त हुई है। प्रक्रिया यह है कि अविश्वास प्रस्ताव प्रश्न काल के बाद उठाया जा सकता था। मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय को लगभग 12.15 या 12.10 के बीच प्राप्त हुआ था और अविश्वास प्रस्ताव की सूचना 1 बजे के बाद प्राप्त हुई थी। अध्यक्ष महोदय का कहना है कि उन्होंने इस बारे में उचित निर्णय किया है। परामर्श करने का मतलब सहमति नहीं है। सभा की सहमति से इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।

जहाँ तक सभा के सत्रावसान का प्रश्न है, संवैधानिक विशेषज्ञों की राय है कि राज्यपाल मुख्य मन्त्री की सलाह स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं।

**श्री नाथ पाई :** यह संविधान का उल्लंघन है।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** जब मुख्य मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव विचाराधीन था तब राज्यपाल ऐसा कैसे कर सकते थे? उन्हें मुख्य मन्त्री की सलाह स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी।

**श्री यशवंतराव चव्हाण :** तथ्य इसके विपरीत है। सभा नें बहुमत से सभा को स्थगित करने का निर्णय किया था। अतः इस सम्बन्ध में उनके पास और कोई विकल्प नहीं था।

**श्री शिवनारायण** (बस्ती) : वह सभा को गुमराह कर रहे हैं......(**अन्तरबाधाएं**)

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** सभा ने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया था। सभा द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य मन्त्री ने अपनी सलाह दी थी और इस बारे में राज्यपाल के सामने उक्त निर्णय को स्वीकार करने के अतिरिक्त और विकल्प नहीं था। माननीय सदस्य अब सत्रावसान के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश जारी करना चाहते हैं...(**अन्तरबाधाएं**) मैं संविधान का हनन करने के जिम्मेदारी नहीं ले सकता ...(**अन्तरबाधाएं**)

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :** मैं अधिनियम, 1957, की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 200 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो 7 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में एक संशोधन किया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी० 2647/70]

### सीमा शुल्क अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

**पूर्ति मन्त्री और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी०

एस० आर० 184 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2648/70]

(2) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944, की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 24 जनवरी, 1970, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 155 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 7 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 215 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2649/70]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944, की धारा 38 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) पांचवां संशोधन नियम, 1970 जो दिनांक 24 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 149 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) सातवां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 7 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 212 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) छठा संशोधन नियम, 1970 जो दिनांक 7 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 213 में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2650/70]

(4) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944, के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 180 जो दिनांक 31 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 214, जो दिनांक 7 फरवरी 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2651/70]

(5) आय पर करों के सम्बंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत सरकार

और फ्रांस गणतन्त्र की सरकार के बीच हुये करार को प्रभावित रूप देने के बारे में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 की धारा 241 के अन्तर्गत जारी की गई, अधिसूचना जी० एस० आर० 260 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक, 18 फरवरी 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2652/70]

## सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई
## ARREST AND RELEASE OF MEMBERS

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे तार की सूचना सभा को जिला मजिस्ट्रेट, करनाल से प्राप्त दिनांक 1 मार्च 1970 के निम्न देनी है :

"लोक-सभा के सदस्य श्री रामकृष्ण गुप्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेध आदेश का उल्लंघन करने के कारण पानीपत में 1 मार्च, 1970 को 1.25 बजे म० प० पर गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट, पानीपत द्वारा 3.45 बजे म० प० जमानत पर रिहा कर दिया गया।"

---

## याचिका का प्रस्तुत किया जाना
## PRESENTATION OF PETITION

**Shri Narayan Swaroop Sharma (Domariaganj) :** Sir, I present a petition signed By Shri M. Pandey, President, All India Secondary Teachers Federation, Iucknow, regarding demands of teachers.

---

## तारांकित प्रश्न संख्या 573 के उत्तर में शुद्धि
## CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 573

**पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) :** मैं तारांकित प्रश्न संख्या 573 के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

**विवरण**

आप की अनुमति से मैं उस उत्तर में भूलसुधार करना चाहता हूँ जो मैंने सदन में 15 दिसम्बर 1969 को तारांकित प्रश्न संख्या 573 का उत्तर देते समय दिया था। श्रीमती सावित्री श्याम द्वारा पूछे गये एक पूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि :

"पूर्व तैयारी बिना मैं आंकड़े नहीं दे सकता। परन्तु वह ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है और उसे चालू कर दिया गया है। मैं माननीय सदस्य को आंकड़े अवश्य दूंगा।"

तथापि चर्चा के अन्त में मैंने कहा था कि :

"जहां तक' अपनी मालिकी का घर बनाओ योजना' का सम्बन्ध है, फिलहाल उसको एक लाख तक की आबादी वालों नगरों में लागू किया गया है । उसको ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है ।"

2. सही स्थिति यह है कि जीवन बीमा निगम की "अपनी मालिकी का घर बनाओ योजना" केवल नगर क्षेत्र में लागू है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं । यह योजना इस समय देश भर में 158 नगरों में लागू है । अमूमन यह योजना, 1961 की जनगणना के आधार पर एक लाख अथवा अधिक जनसंख्या वाले नगरों में लागू की गई है । इसके अलावा एक लाख से कम आबादी वाले कुछ विकासशील नगरों में भी यह योजना लागू की गई है । किसी नगर विशेष में इस योजना को लागू करने के लिये, जीवन बीमा निगम द्वारा एक नियत समय पर उस नगर की आबादी को ध्यान में रखने के अलावा, उसकी आबादी की वृद्धि की दर का वहां औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रगति की सम्भावनाओं का, मकानों की मांग का, मकानों के आसानी से बिकने की संभावनाओं का, वहाँ कानूनी सलाहकार और मूल्य निर्धारक उपलब्ध होने का विचार किया जाता है तथा उस नगर में निगम का कोई शाखा कार्यालय होने, नहीं होने का भी विचार किया जाता है ।

3. यहां अभी मैं कह ही चुका हूँ कि जीवन बीमा निगम की ' अपनी मालिकी का घर बनाओ' योजना ग्रामीण क्षेत्र में लागू नहीं की गई है और फिलहाल, निगम का बिचार भी नहीं है कि इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाय क्योंकि इन क्षेत्रों में निगम के निश्चित मानदण्डों की पूर्ति नहीं हो सकती ।

## केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT REG. CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYES' STRIKE

**गृह-कार्य मन्त्राल में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : जैसा की सभी जानते हैं 19 सितम्बर, 1968 की गैर-सरकारी हड़ताल में, भाग लेने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकार ने समय-समय पर अपने मूल आदेशों का पुनर्विलोकन किया है और विभिन्न रियायतों की घोषणा की है । जिन कर्मचारियों पर हिंसा का आरोप नहीं था उन्हें बहाल किया गया है और स्थायी कर्मचारियों को, जिन्हें रिहा कर दिया गया था पुनः सेवा में लिया गया है । जिन कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया था और जो काम पर नहीं गये उनकी सेवा में सामान्य नियमों के अनुसार विघ्न आ गया है । अब उनके इस सेवा विघ्न को समाप्त करने का निश्चय किया गया है और उनकी सेवा पर इसका बिपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

**श्री नाथपाई (राजापुर)** : क्या सेवा विच्छेद को भविष्य के लिए पूर्ण रूप से निष्प्रभावी नहीं बनाया जा सकता ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : यह स्पष्ट है कि भविष्य में इस सेवा विघ्न को अयोग्यता नहीं समझा जायेगा ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 3 बजकर 5 मिनट तकके लिये स्थगित हुई ।

**The Lok Sabha then adjourved for lunch till Five minutes past Fifteen of the clock**

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3 बजकर 7 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

**The Lok Sabha reassembled after lunch at seven minutes past Fifteen of the clock**

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

**Mr. Deputy Speaker** *in the chair*

# राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–जारी

MOTION OF THANKS ON PRESIDENTS ADDRESS—*Contd.*

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अग्रेतर चर्चा करेगी। श्री शिव कुमार शास्त्री अपना भाषण जारी रखें ।

**Shri Shiv Kumar Shastri** (Aligarh) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the Constant refrain of our Government pronouncements is the welfare of the peasents and the labour, but the atrocities perpetrated on the peaceful demonstrators in Ganganagar in Rajasthan betray the very negation of Governments Commitments. For the firing in Madra the Rajasthan Government takes the plea that the demonstrators had attacked the Tehsil. But the fact that the Tehsil is situated at a distance of half a mile from the scene of firing proves the wrong basis of the alibi of the State Government. The two things are incongruous and that explains why Shri Sukhadia is morfully afraid of holding a judicial probe into the firing incident.

Then these tension and fumelts are not confined to Rajasthan. they are spread over every nooke and corner of the country. It is therefore imperative that a high-level standing Committee of Supreme Court and High Court judges be set up to enquire into and settle all such cases. There is a disquieting gap between the Governments' Commitments and their inplementation. Let it dawn on the Government that sweet promises not translated into action are but poor substitutes for the net benefits resulting after their full and final execution.

The Address says that the Communal riots of Ahmedabad have roused the Government from its morphefic visions of achieving Communal harmony through the medium of the National Integration Council. Unless drastic measures are taken in this regard I have reasons to be sceptical that thus rustrun of National Integration Council will not avail the Government to purge off the Communal violence from the Indian Society. Unless the educational institutions are Completely overhauled and geared to widening over outlook and horizons, the malady of Communalism cannot be washed away easily.

In the month of January a match was played between a Chandigarh team and the Aligarh University team. When the play was in progress the visiting team got better of the home team and this was cnough to ignite the flame of Communal trouble. But for the timely action of the authorities there would have been another Ahmedabad there.

The set up of Aligarh University is Completely antequated. During the pre-Independence period this University used to supply engineers to Pakistan and now it continues to supply doctors to Pakistan. Another anamolous thing about this University is that the Colleges of Aligarh are affiliated to Agra University and not to this University. Government

should bring a Bill for effecting improvement in this University as has been done in the case of Banaras University.

The most paramount factor in gauging the strength and viablity of a nation is its people pulsufing with life and vigour and infrued with Canovical ideals and not the materialistic splanndour of gorgously decorated multi storeyed buildings, girundiose plans and projects and all the power and pelf which our mundane Government desiderates. All is not well with our students. They are following the ways which cannot be viewed with equanimity. The future of our country is surely not safe in the hands of the present young generation which seems to be irresistibly attracted towards sabotage and vendalism. The best way of burnessing and cleanalising the human resources to the countrys needs is to impart them the correct type of education, but unfortunately our Government is blessfull unaware of it.

In the pristine days of India when the educational institutions were considered to be the sanctum saucfora, the students had profound respect and regard for their preceptors. But it is lamentable that now the invigilators have to equip themselves with pistols and revolvers to guard themselves from the threats of the students. The teachers, therefore, should be given more powers. Efforts should be made to percolate the knowledge of 3 Rs. to the meanest man living in far flung areas.

The fact that one is a graduate does not make him a gentleman in the real sense of the term. It is a strange paradox of modern times that the more well-read a man the more consummate he is in his out of defrauding others. The defulcation of an illiterate man is on the lowest scale, but that of an educated man knows no bounds. The present system of our education is noxiously polluted. Our former two Presidents reiterated in vain that our system of education is antequated and needs radical changes, but unfortunately precious little has so far been done in this regard.

Our public sector undertokings are incurring losses by the lakhs and the money therein is going down the drain. The paradox of it is that while the private sector undetakings are earning profits the public sector undertakings are suffering losses.

**श्री जे० के० चौधरी** : (त्रिपुरा-पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने अपने भाषण में त्रिपुरा को छोड़कर मनीपुर और हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा देने की सिफारिश की है। त्रिपुरा की जनसंख्या मनीपुर से दुगनी है यद्यपि आकार में वह इससे आधा है। वहां पर जल विद्युत योजना को चालू करके वहां के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है।

[ **श्रीमती सुशीला रोहतगी पीठासीन हुई**
**Shrimati Sushila Rohatgi** *In the Chair* ]

मनीपुर के साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस समय त्रिपुरा की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। इस समय हमारी जनसंख्या 55 करोड़ है और 1977-78 तक हमारे देश में लगभग 10 करोड़ स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे। उद्योगों का विकास होता जा रहा है और प्रौद्योगिकी में और सुधार होने से उद्योगों में अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता होगी।

कृषि में भी यही हो रहा है। कृषि का जितना अधिक यन्त्रीकरण होगा उतनी ही बेरोजगारी बढ़ेगी। इस प्रकार हमारा देश संकट की ओर जा रहा है।

हमारी योजनाओं के लिए धन कुछ ऐसे तरीके से जुटाया जा रहा है कि जिससे मूल्यों में वृद्धि होती है। एक ओर तो बेरोजगारी है और दूसरी ओर मंहगाई है। इस वर्ष के बजट से भी एक सामान्य व्यक्ति के इस्तेमाल की चीजों के मूल्य बढ़ेंगे।

हमारा दोष यह है कि हम दूसरों की नकल करते हैं। हमने रूस और अमरीका की नकल की है और ऐसी चीजों को अपनाया है जो हमारी परिस्थितियों से मेल नहीं खातीं। देश में कुटीर उद्योगों, ग्रामीण हस्तशिल्प, लघु उद्योगों, कृषि पर आधारित उद्योगों के होते हुए भी बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो पाई है।

गत वर्ष संसद सदस्यों की एक बैठक में मैंने श्री ढेवर से पूछा था कि यदि राज सहायता बन्द कर दी जाये तो खादी आयोग की क्या स्थिति होगी। क्या यह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा? उन्होंने मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। यही स्थिति ग्राम उद्योगों की भी है। ये तो खाली नाम मात्र दिखावे के लिए हैं। किन्तु जनहित के लिए बड़े पैमाने पर कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि आज हमारे देश में सब धन के पीछे भागते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि धनी लोग अधिक धनी और निर्धन लोग अधिक निर्धन होते जा रहे हैं।

हमें आज अपने लोगों को नई किस्म की शिक्षा देने तथा उनके चरित्र निर्माण के बारे में सोचना चाहिए। आज हमारे युवक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अपना भविष्य अन्धकारमय पाते हैं। इसलिए वे विनाशक कार्यों की ओर जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें इसी में आनन्द आने लगता है। वे सोचने लगते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। आज देश में चारों ओर असंतोष व्याप्त है। इसका मुख्य कारण बेरोजगारी है। यदि उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कर दी जाये तो यह समस्या हल हो जायेगी। ऐसी स्थिति में सरकार को हमारी शिक्षा पद्धति का पुनर्विलकन करना चाहिए। गांधी जी एक नई किस्म की शिक्षा पद्धति लागू करना चाहते थे। किन्तु अच्छे अध्यापकों की कमी के कारण यह पद्धति लोकप्रिय नहीं हो सकी। छात्र ऐसी शिक्षा से असन्तुष्ट है जिससे उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। कम वेतन पाने सरकारी कर्मचारी भी असन्तुष्ट हैं क्योंकि उससे उनके परिवार का महीने भर का निर्वाह नहीं हो पाता है। आज देश में चारों ओर समस्यायें ही समस्यायें हैं और जनता में असन्तोष व्याप्त है।

हमें सर्वप्रथम पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान देना चाहिए जिसमें कलकत्ता भी सम्मिलित है। यद्यपि ब्रिटिश शासन काल में कलकत्ता बड़े नगरों में दूसरे क्रम पर था किन्तु आज स्थिति यह है कि यातयात की कठिनाइयों, बेरोजगारी कानून और व्यवस्था अत्यधिक भीड़भाड़ तथा अन्य सुविधाओं के कारण वहां रहना कठिन है।

अत: सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकार इस समूचे प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक नये दृष्टिकोणों से विचार करके उसे हल कहने का प्रयत्न करे।

**श्री गुरचरण सिंह** (फिरोजपुर) : कल मुझे बोलने का अवसर दिया जा रहा था किन्तु मुझे बैठे रहना पड़ा क्योंकि एक अन्य माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि मुझे आज बोलने का अवसर दिया जाये।

**श्री रा० कृ० बिड़ला (झुन्झनू) :** यह उनका पहला भाषण है। अत: उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए।

**सभापति महोदय :** यदि यह आपका पहला भाषण है तो आपको अवसर दिया जायेगा।

**Shri Gurcharan Singh :** I was dismayed to hear the Presidential Address in which the President has astutely eschewed making any reference to the depth of degradation to

which our country has been sunk during the Congress regime after the advent of independence. The high lights of this regime vault over political bankcrupcy, sagging morales political horse trading and moneouring of the minority intenaciously clinging to power etc, etc.

Now I come to party discipline. The conference of the Chief Whips held in 1968, at Simla, had recommended that all possible steps should be taken to tackle the problem of defections. But nothing has come out of it. The members of various parties are frequently changing their parties. It only shows that there has been a tremendous fall in our political morality. The present Government is responsible for most of the political evils like defection, etc. prevailing in the country.

The Central Government has taken a very long time in taking a decision regarding Chandigarh. The award given on this issue is against the wishes of both the parties. The Prime Minister in her award on Chandigarh issue, has given 107 villages of Fazilka to Haryana. It is really surprising that the area which is a Punjabi speaking area, should have been given to Haryana arbitrarily. If at all there was any doubt in this regard, the question should have been referred to the proposed commission.

Eighty per cent of our population live in villages and they directly or Indirectly depend on agriculture. Therefore, I submit that Government should not neglect villages. Government should not impose exorbitant taxes on agricultural production otherwise the agriculturists will not be able to increase the production.

While concluding I may again submit that the Presidential Address is misleading Therefore I am unable to support the Motion of thanks.

**श्री जयपाल सिंह (खुन्टी)** : मैं एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। यह खेद की बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय केवल एक मंत्री सभा में उपस्थित हैं। यह सभा का अपमान है।

**सभापति महोदय** : एक से अधिक मंत्री सभा में उपस्थित रहें तो बहुत अच्छा है किन्तु यदि एक ही मंत्री हैं तो भी कोई बात नहीं है।

**श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य)** : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझ से पूर्व के वक्ताओं ने इस अभिभाषण को भिन्न भिन्न रूपों में वर्णित किया है। किन्तु मैं समझता हूँ कि यह अभिभाषण वास्तविकता पर आधारित है और इसमें देश की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया गया है। इसमें भावी कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं तथा प्रजातांत्रिक ढंग से समाजवाद लाने की बात कही गई है। कुछ माननीय सदस्यों ने पिछले दशक में हुई बातों का अभिभाषण में उल्लेख किये जाने पर आपत्ति की है। मैं समझता हूं कि पिछली बातों को ध्यान में रखते हुए ही आगे की बात सोची जा सकती है। पिछले दशक में हमें दो युद्धों तथा अभूतपूर्व दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ा है, फिर भी हम आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़े हैं। कृषि सम्बन्धी नई नीति के कारण हम देश मे कृषि क्राँति लाने में सफल हुए हैं और हमने मन्दी का सामना भी सफलतापूर्वक किया है।

अब मैं सभा का ध्यान अभिभाषण की कंडिका 6 की ओर दिलाना चाहता हूँ। इसमें प्रजातांत्रिक ढंग से राजनीतिक परिवर्तन का उल्लेख है। अभिभाषण में सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों का भी उल्लेख किया गया है। सरकार कमजोर वर्गों का उत्थान करके देश में सामाजिक समानता लाने के लिए दृढ़ संकल्प है। बैंक राष्ट्रीयकरण समाजवादी समाज की दिशा में एक

उचित कदम है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भारतीय जनता में एक नया उत्साह और नई आशा पैदा की है। किन्तु उच्चतम न्यायालय द्वारा बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम को अवैध किये जाने के कारण अनेक समस्यायें पैदा हो गई हैं। उच्चतम न्यायालय कानून की व्याख्या करते समय संसद द्वारा पारित किये गये कानून तथा सरकार की नीति को चुनौती दे सकता है। दूसरी समस्या यह पैदा हो गई है कि देश में आर्थिक गतिरोध और पिछड़ेपन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तीसरी समस्या यह है कि जबकि देश की सम्पत्ति चन्द लोगों के हाथ में है और अधिकतर लोग निर्धन हैं तब उच्चतम न्यायालय को क्या यह रवैया अपनाना चाहिए कि सम्पत्ति का अधिकार रहे? जबकि धनी और निर्धनों की खाई बढ़ती जा रही है तब क्या उच्चतम न्यायालय को जनता की भावना का इस प्रकार अनादर करना चाहिये।

मेरा सर्वप्रथम सुझाव यह है कि सम्पत्ति का अधिकार समाप्त करने से पूर्व संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। संविधान के संशोधन में मूल अधिकारों में संशोधन भी शामिल है।

दूसरे 1955 में पारित पर्याप्त मुआवजा देने संबंधी चौथे संशोधन को बनाये रखा जाना चाहिए।

विपक्षी दलों का यह विचार है कि यदि संविधान में संशोधन करना स्वीकार कर लिया जाता है तो मूल अधिकारों में भी संशोधन किये जा सकते हैं और संसद इस बारे में किसी सीमा तक कानून बना सकती है। मेरा विचार है कि संसद इस बारे में यथोचित कार्यवाही करेगी। हमें सब लोगों और संस्थाओं को समयानुसार कार्यवाही करने के लिए कहना चाहिए।

भूमि सुधार नीति अपनाकर काश्तकारों, भूमिहीन किसानों और छोटे किसानों के साथ धोखा किया गया है, क्योंकि भूमि की सीमा को बहुत बढ़ा दिया गया है और उसका वितरण अपने सम्बन्धियों को किया गया है। इसके परिणामस्वरूप भूमिहीन किसानों को पुनः वितरीत करने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः भूमि सुधार नीति में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें भूमि की सीमा में कमी करनी चाहिए तथा वितरण के लिये और भूमि प्राप्त करनी चाहिए।

राष्ट्रीय कृषि सर्वेक्षण आयोग के साथ-साथ कृषि श्रमिक जांच आयोग की भी स्थापना की जानी चाहिए। सर्वप्रथम कृषि श्रमिक जांच आयोग की स्थापना 1951-52 में की गई थी और इसके बाद इसकी स्थापना 195[illegible]-56 में की गई। इस बात को 14 वर्ष हो गये हैं लेकिन किसी ने श्रमिकों की स्थिति के बारे में जांच नहीं की। उनकी प्रति व्यक्ति आय घटकर 151 रुपये प्रतिवर्ष रह गई है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं देने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैसूर और महाराष्ट्र सीमा विवाद का हल निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिए।

**श्री उमानाथ** (पुदुकोटै) : राष्ट्रपति का अभिभाषण नई बोतल में पुरानी शराब के समान है। सरकार की वही पुरानी पूंजीवाद को बनाये रखने की नीति रही है। उसी नीति की

राष्ट्रपति के अभिभाषण में दुहाई दी गई है। सरकार साम्राज्यवादियों और जमींदारों पर निर्भर कर रही है। इसके परिणामस्वरूप कृषि क्रान्ति नहीं आ सकती। सरकार ने गत 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र में 3805 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई। लेकिन इतनी पूंजी लगाने के बाद भी अनाज के उत्पादन में स्थिरता नहीं आई है। वाणिज्यिक खेती के मामले में भी स्थिरता नहीं आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1966-67 में तिलहन का उत्पादन 80.4 लाख टन या 1968-69 में इसका उत्पादन 100.4 लाख टन था और 1969-70 में इसका उत्पादन घट कर 90 लाख टन रह गया।

उर्वरकों के प्रयोग और उसकी वृद्धि दर में कमी हुई है।

विदेशों में पूंजीपतियों और एकाधिकारियों द्वारा इसकी प्रशंसा करना स्वाभाविक ही है, क्योंकि ऐसी नीति के कारण उन्हें लाभ होगा और वे अपने न बिकने वाले उर्वरकों को बहुत अधिक मूल्य पर बेचने में सफल होंगे।

इस नीति का वास्तविक परीक्षण गरीब किसानों पर पड़े इसके प्रभाव के बाद ही होगा। इस नीति के परिणामस्वरूप गरीब किसानों की स्थिति खराब हुई है। अतः अब विस्फोट उचित दिशा में होगा, जिससे गरीब किसानों को लाभ होगा।

कृषि नीति, जिसकी प्रशंसा की गई है, से लाखों गरीब किसानों को कठिनाई होगी। सरकार ने किसानों के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है अतः कृषि क्रान्ति रक्त क्रांति हो जायेगी।

सरकार भूमि सुधार की केवल बातें करती है लेकिन व्यवहार में देश में भूमि सुधार करने के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। सरकार को इस बारे में व्यवहारिक कार्यवाही करनी चाहिए।

राजस्थान में सरकार ने भूमिहीन किसानों को नहर के दोनों ओर भूमि का वितरण करने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। जब वहां पानी उपलब्ध नहीं होता तो किसान अपना खून बहाते हैं लेकिन जब पानी उपलब्ध होने लगता है तो भूमि का नीलाम कर दिया जाता है। नीलामी में भूमि को केवल अमीर व्यक्ति ही खरीद सकते हैं। सरकार को उस भूमि का वितरण भूमिहीन किसानों में करना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में 48 एकड़ भूमि की सीमा को घटाकर 30 एकड़ कर दिया गया है लेकिन ऐसा करने के बाद भी भूमि जमींदारों के पास है। इस सम्बन्ध में श्रीमती इंदिरा गांधी के दल में तीव्र मतभेद हो गया था। सरकार को बचाने के लिए किसानों का हित छोड़कर आपस में समझौता किया गया।

संयुक्त मोर्चा सरकार जोतदारों द्वारा गैर-कानूनी तरीके से किसानों से ली गई भूमि को किसानों को वापिस दे रही है। यदि सरकार वास्तव में भूमि सुधार करना चाहती है तो उसे भूमिहीन किसानों को भूमि का वितरण करना चाहिए।

केरल में भूमि सुधार करने सम्बन्धी कानून बनाया गया है। उक्त कानून बनने के बाद वहां किसान इस बात का प्रयास करेंगे कि उक्त कानून क्रियान्वित किया जाये।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की ज्यादतियों की सूचना प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति को दी गई थी। उनको बताया गया था कि भूमि सुधार लागू करने के सम्बन्ध में संघर्ष कर रहे किसान वर्ग का दमन किया जा रहा है। फिर भी वहां पर रिजर्व पुलिस के और दस्ते भेजे गये।

जहां तक औद्योगिक लाइसेंस नीति का सम्बन्ध है, सरकार ने नई लाइसेंस नीति की घोषणा की है। अब देखना यह है कि क्या इस नीति से एकाधिकार रुकता है या बढ़ती हो जाती है और क्या इससे लघु उद्योगों को कोई राहत मिलती है ? यह स्पष्ट है कि इससे एकाधिकार में वृद्धि होगी। नई नीति के बावजूद सरकार ने गोआ में उर्वरक कारखाना लगाने के लिए बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस दिया है। सरकार ने कहा था कि वह टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को अपनी क्षमता नहीं बढ़ाने देगी परन्तु सरकार ने अब टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी के आधुनिकीकरण की स्वीकृति दे दी है और यह आधुनिकीकरण क्षमता बढ़ाने की तैयारी है। इस प्रकार एक ओर सरकार कहती है कि वह बड़े उद्योगों को विस्तार नहीं करने देगी परन्तु दूसरी ओर उन्होंने टाटा बन्धुओं के उद्योगों का विस्तार करने के लिए बुनियाद रख दी है।

यही स्थिति बैंकों के राष्ट्रीयकरण की है। राष्ट्रीयकरण के बाद किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जहां तक ऋण की बात है, वह केवल कागजी कार्यवाही है। बड़े व्यापारियों को ऋण की वही सुविधाएं अब भी उपलब्ध हैं। रिक्शा चलाने वालों आदि को ऋण देने की सुविधा केवल ढकोसला है। मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरकार के दृढ़ इरादे का उल्लेख किया गया है। तीसरी योजना के अन्त में 96 लाख लोग बेरोजगार थे और अब 126 लाख लोग बेरोजगार हैं। परन्तु चौथी योजना में सरकार ने पहले से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का हिसाब रखना छोड़ दिया है। वे सोचते हैं कि शायद इससे बेरोजगारी की समस्या अपने आप हल हो जायेगी। यदि स्वचालित यंत्रों तथा मशीनों का उपयोग किया गया तो खेती में लगे हुए श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे। यही नीति चल रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस नीति में परिवर्तन करने का कोई उल्लेख नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन में कहा गया है कि भावी जन्म दर को ध्यान में रखते हुए भविष्य में बेरोजगारी की समस्या अधिक गंभीर रूप धारण कर लेगी। सरकार को इस बात का पता होते हुए भी स्वचालित यंत्रों तथा मशीनों के उपयोग के बारे में नीति में परिवर्तन करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि श्रम नीति के सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार सामूहिक रूप से समझौते की बातचीत की व्यवस्था की जायेगी। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था कायम करने की सिफारिश की है। इसमें न्यायिक अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे जिनका रवैया कर्मचारी वर्ग के विरुद्ध होगा। राष्ट्रीय श्रम आयोग का कहना है कि चाहे हड़ताल वैध हो फिर भी 30वें दिन हड़ताल पर अपने आप प्रतिबन्ध लग जायेगा। नियोजक 30 दिन तक चुपचाप बैठे रहेंगे और 30 दिन के बाद श्रमिकों को काम पर लौटाना ही होगा। इस प्रकार श्रमिक हार जायेंगे। अतः सामूहिक रूप से समझौते की बातचीत की जो गुंजाइश थी, अब वह भी समाप्त हो गई है। फिर अब तक केन्द्रीय

सरकार के अनेक कर्मचारी नौकरी में वापस नहीं लिये गये हैं। वे न्यायालयों में परेशान हो रहे हैं। हजारों कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान पड़ गया है।

वर्ष 1964 में योजना आयोग ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश की थी कि पिछड़े हुए क्षेत्रों का शीघ्र विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अपने पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार ने सभा पटल पर एक प्रतिवेदन रखा है कि वे सभी सिफारिशों को स्वीकार करते हैं। परन्तु जब मैंने पूट्टकोटै का मामला उठाया तो प्रधान मंत्री ने मुझे पत्र लिखा कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है। इनकी कथनी और करनी में यही अन्तर है। जब तक सरकार इन नीतियों का अनुसरण करती रहेगी तब तक वह गरीब किसानों तथा कर्मचारी वर्ग की सहायता नहीं कर सकती। यदि सरकार किसानों, मध्यम वर्ग तथा कर्मचारी वर्ग को संरक्षण देना चाहती है तो उन्हें नई नीतियां अपनानी होंगी जो एकाधिकार और भूस्वामियों के विरूद्ध होंगी। परन्तु ऐसी नीतियों को अपनाने से ही वे सिंडीकेट का मुकाबला कर सकेंगे।

**Shri Sadhu Ram** (Phillaur) : Sant Ravi Dass is the greatest saint of more than 10 crores of scheduled castes population and his birthday should be declared as a public holiday throughout the country. A memorial stamp should also be issued in his memory as has been done in the case of other great saints. I oppose the increase in the third class railway fares as it will affect the poor classes.

Whatever Sardar Gurcharan Singh, representing the Akali Party, has said regarding the decision of Chandigarh is entirely wrong and he has also not given a good chit to Shri Iqbal Singh who belongs to our party. What is the role of Akali-Jan Sangh led government in Punjab at present ? And what they are doing in Punjab as well as in Haryana ? The Jana Sangh people in both Punjab and Haryana are pressing their demands for their respective states and the central leadership of the Jan Sangh, having patted both the sides, is trying to make it a bone of contention. The credit of retaining Akalis in the Government of Punjab goes to Jana Sangh. They raise the slogan of Hindu-Sikh unity but they had already played the role of disrupting the Hindu-Sikh-unity. The Jana Sanghies were afraid of the formation of the Punjabi-Suba if Hindi was not imposed as regional language and if the Punjabi Suba was created they might have been pushed away therefrom. At that time the Akalis started to beat the Hindus and I can quote such examples here. But we forget that after the announcements of the decision regarding Chandigarh they call the Congressites bad names. It has not been understood so far why these people do not come into the open. When their Chief Minister had signed the decision on Fazilka and Chandigarh, what right they have to criticise this decision outside and to say that the Central Government had done unjustice towards the Sikhs and the Sikhs have not been given this or that.

Mr. Gurcharan Singh says that the Congress initiates defection but a Congress-member Mr. Gurcharan Singh, on defection to their party, had been made a minister in the Punjab Government. I want to ask whether it is the Akalis who initiate defection or the Congress ? Why do they blame the Congress for initiating the process of defection in the legislatures. The attitude which has been adopted by the Akalis is completely intolerable. The land, which had been allotted for auction to the scheduled castes and Harijans by the Congress Government, is not being auctioned now. The Post-Matric Scholarships awarded to Harijans by the centre have now been stopped to them.

A new law has been enacted regarding the auction of the land by a decision taken by the Punjab cabinet that not only the Harijans, but the Raya and Mavana-Sikhs would also be entiled to get that land. I went to Kapurthala on 9th and noticed that the Akalis were spreading anti : Hindu and anti-congress propaganda. They

were forcibly occuping the temples and putting up their banners. There I found a man named Sindhu raising openly slogan—"*Dhoti Topi Jamuna par*". Law and order is at stake there and the police is addicted to bribery and the 'Granthis' of the Gurudwaras dominate there.

Central Decision on Chandigarh was signed by Shri Gurnam Singh in consultation with Shri Gurcharan Singh, M. P., and now how can they say the decision had been imposed on them.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Dy.-Speaker *in the Chair*]

My hon. friends of the Jana Sangh, they should not mind my words, started anti-Akali movement in Punjab first. Now they regard the Sikhs as the incarnation of Shiva. When we call them communalists, they deny it and claim themselves to be patriots. It is the sacrifices of the congress leaders that brought freedom to our nation.

Undoubtedly Chandigarh was given to Punjab but with what result. Punjab will have to defray the annual expenditure of Rs. 4 crores and Haryana will be getting Rs. 12 crores from Abohar in the shape of land revenne per annum. In order to save the life of Sant Fateh Singh the Akalis and the Jana Sangh forced the people to sacrifice their lives. The demand for Sikh-Home land was in reality an injustice to the people of Punjab. The Government thereof is responsible for all this. The Scheduled Castes people are being suppressed there. We shall fight tooth and nail to get the grievance removed. We are not prepared to accept the present award of the central Government on the issue of Chandigarh.

**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में कृषि उद्योग उर्वरक और रोजगार के क्षेत्रों में काल्पनिक सफलताओं के आधार पर संतोष की भावना व्यक्त की गई है, सामान्य व्यक्ति की जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आजकल की विकट समस्याओं का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। यह अभिभाषण अल्प-संख्यक सरकार ने तैयार किया है। इस दृष्टि से तो श्री अजय मुकर्जी और श्रीमती इन्दिरा गांधी में कोई अन्तर नहीं है क्योंकि दोनों ही का अस्तित्व साम्यवादियों के समर्थन पर आश्रित है। सरकार के दो मुख्य घटक साम्यवादी हैं जो समाज विरोधी तथा राष्ट्रविरोधी हैं। वे संविधान को भंग करने की बात करते हैं और उनकी निष्ठा किसी अन्य राज्य के प्रति है। वे देश में जनतन्त्र की हत्या करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि दल बदलुओं ने इस देश में सार्वजनिक जीवन को बहुत ही सस्ता और निम्नस्तर का बना दिया है। हमारे देश में विश्व में सबसे बड़ी जनतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे लिए यह शर्म की बात है कि यहां दल बदलुओं को अन्य साधारण वस्तुओं की भांति खरीदा जा रहा है। अत: मैं यही कह सकता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में थोथे नारों और अवास्तविक असफलताओं पर ही संतोष कर लिया गया है।

कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में बार-बार यह दोहराया जाता है कि सभी आर्थिक गति-विधियों का ध्येय सामाजिक और आर्थिक प्रगति है। किन्तु मार्क्सवादी कांग्रेस के अन्तरिम अध्यक्ष श्री सुब्रह्मण्यम ने 12 दिसम्बर 1969 को यह स्वीकार किया था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने भले ही आर्थिक प्रगति की हो किन्तु सामाजिक प्रगति बहुत ही नगण्य हुई है। मेरा विचार है कि यदि ठीक नीतियां अपनाई गई होती तो सामाजिक प्रगति स्वयं ही हो जाती है। दूसरे शब्दों में लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ जाता, रोजगार के अवसर बढ़ जाते, आय

विषमताओं में कमी हो जाती और पूंजी निर्माण में वृद्धि हो जाती। राष्ट्रपति के अभिभाषण में रोजगार की स्थिति की बड़ी भद्दी तस्वीर खींची गई है। इन वर्षों में ऐसी नीतियां अपनाई गई जिनसे गैर सरकारी क्षमता को प्रोत्साहन नहीं मिला और उत्पादन नहीं बढ़ा। सरकार की गलत नीतियों के कारण मुद्रा स्फीति बढ़ती गई राज्यों और केन्द्र का औद्योगिक क्षेत्र में एकाधिकार बढ़ता गया तथा लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिला।

आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान के प्रतिवेदन के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में लगभग 1.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। इस गति से भारत को प्रगति के उस स्तर पर पहुँचने में 218 वर्ष लगेंगे जिस पर अमरीका 1963 में था। जापान में भी 1968 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में राष्ट्रीय आय दुगुनी हो गई। आज जापान में बचत की दर सबसे अधिक है जो देश की कुल आय का 34 प्रतिशत है। राष्ट्रपति ने मूल्य स्थिरता की जो आशा बंधाई थी, वह नये बजट से धराशायी हो गई है। यह बजट समाज-विरोधी है और उससे प्रगति का मार्ग अवरुद्ध होगा। उसके द्वारा 170 करोड़ रुपये के नये कर लगाये गए हैं और फिर भी 2 5 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है।

भारत में विनियोजित राशि पहली पंचवर्षीय योजना में 3360 करोड़ रुपये थी जो चौथी पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 22000 करोड़ हो गई। किन्तु इसके भी अधिकांश भाग विदेशों से प्राप्त सहायता का है। पहले ऋणों का ब्याज चुकाने के लिए नये ऋण लिये जा रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्पादन में वृद्धि बहुत कम हुई है और सामाजिक प्रगति की गति भी धीमी रही है। वर्ष 1968 में अनाज की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता 166.6 किलो ग्राम रही जबकि 1965 में यह 173 किलोग्राम थी। जनसाधारण की स्थिति का इस बात से संकेत मिल जाता है कि सूती कपड़े खाद्य तेल और चीनी की खपत घटती जा रही है उत्पादन बढ़ भी कैसे सकता है जब सभ्य कहे जाने वाले कलकत्ते जैसे शहर में प्रतिदिन हड़ताल होती है, घेराव होते हैं, राजनीतिक हत्याएं की जाती हैं और लोगों की भू सम्पत्ति पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है। पश्चिमी बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल भंग हो गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसकी कोई चर्चा ही नहीं की गई। ऐसी स्थिति में मैं राजाजी की इस बात से सहमत हूँ कि देश में सभी जनतन्त्रवादी देशभक्त शक्तियों को एक साथ मिलकर देश को एक नया नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, जिससे देश को निरंकुश शासन पद्धति तथा विभाजन से बचाया जा सके।

वियतनाम के सम्बन्ध में भी किसी निश्चित और उपयुक्त नीति की घोसणा नहीं की गई है। केवल यह कहना कि वियतनाम से सभी विदेशी सेनाएं वापस जायें, पर्याप्त नहीं है। श्री फखरुद्दीन अली अहमद की रबात-यात्रा एक तमाशा बन कर रह गई। चीन हमारे क्षेत्र को अवैध रूप से दबाये बैठा है। चीन में नागा-विद्रोहियों और मिजो लोगों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नक्सलवादी लोग भी लाल चीन की प्रेरणा से ही उत्पात मचाते हैं। वे वहां से धन शस्त्र और साहित्य प्राप्त करते हैं। सरकार की दक्षिण-पूर्व एशिया सम्बन्धी नीति भी असंतुलित है। हमारी सरकार की विदेश नीति खोखली सिद्ध हो चुकी है। भारत धीरे-धीरे रूस का पिट्ठू बनता जा रहा है।

मैं डा० कर्णीसिह को बधाई देता हूँ कि उन्होंने यह घोषणा की कि भूतपूर्व शासकों की नयी पीढ़ी इस सरकार का समर्थन नहीं करेगी। जहां तक भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों का सम्बन्ध है, मेरे विचार से इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा इकतरफा निर्णय लिया जाना ठीक नहीं है। यह विश्वासघात होगा, राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान होगा। सभी भूतपूर्व शासकों ने देश की एकता के हित में अपना सर्वस्व भारत माँ के चरणों में अर्पित किया था, ताकि सम्पूर्ण भारत में संविधान के अनुसार जनतंत्र की स्थापना हो सके। भूतपूर्व शासकों ने अपनी कालाहांडी में हुई एक सभा में यह संकल्प पास किया था कि किसी भी स्थिति में निजी थैली के लिए लोगों के हितों की बली नहीं दी जा सकती . यह प्रश्न सिद्धांतों का है और सिद्धांतों पर समझौता नहीं हो सकता। जहां तक राष्ट्र-भक्ति और राष्ट्र सेवा का सम्बन्ध है, चीनी आक्रमण के समय भूतपूर्व नरेशों ने स्वेच्छा से अपनी निजी थैली का 10 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा कोष में दिया। राष्ट्रीय स्तर पर किये गये समझौतों को एक पक्षीय आधार पर समाप्त करने से तो निश्चय ही जटिलताएं और असहनीय स्थिति उत्पन्न होगी। साथ ही में यह भी बताना चाहता हूँ कि निजी थैलियों के रूप में हमें जो राशि दी जाती है, वह सरकारी उपक्रमों को हुए घाटे के दसवें भाग, विना टिकट यात्रा से होने वाली हानि या बकाया कर राशि के एक अंश के बराबर भी नहीं है। यदि निजी थैलियों के समाप्त करने से देश के सामने खड़ी बेरोजगारी बढ़ते हुए मूल्यों जैसी बड़ी समस्याएं हल हो जायें, तो मैं सबसे पहले तैयार हूँ कि मेरी निजी थैली समाप्त कर दी जाये। किन्तु मैं यह नहीं चाहता कि इस बात से कोई भी राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ उठाये और लोगों की आंखों में धूल झोंके। एक भूतपूर्व शासक को केवल 192 रुपये वार्षिक निजी थैली के रूप में मिलता है, उस राशि के बन्द कर देने से भारत सरकार को कितना लाभ होगा। इससे देश की कोई भी समस्या हल नहीं की जा सकेगी। जहां तक उनके विशेषाधिकारों की बात है, मेरे विचार से तो उन्हें उतने अधिकार भी प्राप्त नहीं है जो एक साधारण नागरिक को प्राप्त हैं।

राज्यपालों के कर्त्तव्यों के बारे में भी प्रायः चर्चा होती है। चूंकि राज्यपाल के पद को केन्द्र अपने लाभ के प्रयोग में लाता है इसलिए राज्यपाल पद की स्थिति बड़ी ही दयनीय और शर्मनाक हो गई। बिहार और उत्तर प्रदेश में अल्पमत सरकारें बनने का यही कारण है। मध्य प्रदेश में जो अशोभनीय कार्य हुआ वैसा ही हरियाणा में भी किया गया। विधान सभा को शक्ति परीक्षण से पहले ही स्थगित कर दिया गया। अन्त में, मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण से बहुत निराशा हुई है।

**Shri Shashi Ranjan (Pupri) : Mr. Deputy Speaker.** I gave notice of three amendments to the President's Address. One of them relates to the deteriorating law and order situation in West Bengal where the life and property of the people are not secure. Though the Chief Minister of that state has on several occasions pleaded his helplessness in restoring law and order there, yet the central Government has done nothing in respect of West Bengal. My second amendment says that no proper and progressive steps have been taken by the central Government to settle the harijans, tribals and homeless pour men in India My third amendment refers to the central Governments in different attitude towards the removal of disparity in the *per capita* income available in developed and the backward states.

We almost daily read reports in newspapers about the state of affairs in West Bengal. Every body is well aware of the happenings there and our Home Minister knows them the

best. From 7th February to 20th February about four hundred people were murdered. There were about two hundred political murders. About one crore man days were lost there as a result of strikes etc. and it resulted in a loss of Rs 9 crores in terms of foreign exchange. Standing crops are being looted. Innocent people are being victimised. Their shops and houses are being looted and burnt on a large scale. On 29th February the Chief Minister said in a statement. "First they looted the paddy and then the fish. Now there is nothing else left and so they have started looting women". Inspite of all this our Home Minister is silent and doing nothing in respect of West Bengal. These days our Government is hanging in between the two poles—the capitalism and the communism. We know this also that the leader of capitalists is Birla & Company and the leader of communists Jyoti Basu and company. So I request the Government not to be influenced by any one of them and act keeping in view the interests of the people and the nation.

It is a farce on the part of Government that despite the Ministry of Home Affairs having admitted the fact in its report regarding deterioration of social and economic condition of the tribal people the Government still claim to have improved the lot of these people.

Bihar is one of the poorest states in the country. The *per capita* income of the people there is not more than Rs. 300/ which is not even one-fifth or that in the other areas of the country. Even today there is no industry in Bihar, and no efforts have been made by the Government for setting up industries in the state even during the President's rule. A separate Development Board should be set up so that steps could be taken for improving the economic condition of the people in the state.

It has been claimed that the budget has not hurt the poor man, it has hit only the rich. The president, in his address had mentioned of improving the lot of the people but there is no such thing in the Budget. Budget is on instruments to improve the economic condition of the people and Government must bear this aspect in mind while proving the budget.

**उपाध्यक्ष महोदय :** वाद-विवाद कल जारी रहेगा । अब हम आधे घण्टे की चर्चा लेंगे ।

---

## **कर वसूली सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के बारे में

## **Re. Expert Committee on tax Collection

**श्री मयावन** (चिदम्बरम) : न्यायधीश श्री के० एन० वांचू की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की करों की वसूली के बारे में जांच सम्बन्धी मामले का संकेत करते हुए माननीय वित्त मंत्री ने करों की वसूली में सुधार करने हेतु सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों को बिल्कुल नहीं बताया ।

यह बात सर्व विदित है कि सरकार के अधिकारियों के गठबन्धन के बिना कर बकाया नहीं रह सकते । इस मामले में थोड़ा बहुत सुधार तो हुआ है परन्तु यह अपर्याप्त है । मंत्री महोदय इन बातों का उत्तर दें कि अभी तक कर वसूल न करने के क्या कारण हैं, और कभी करों की पूरी राशि वसूल की जा सकेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं । करों की बकाया राशि की वसूली करने में विशेषज्ञ समिति के निर्णयों की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि सरकार यदि ईमानदारी से कार्य करे, तो बहुत शीघ्र ही करों की सारी बकाया राशि वसूल की जा सकती है ।

---

** आधे घण्टे की चर्चा
**Half on Hour Dicusssion

जहाँ तक करों की चोरी का संबन्ध है, खेद की बात है कि सरकार ने गत अनुभव से कुछ भी नहीं सीखा और कर वसूली की व्यवस्था को अभी तक सुव्यवस्थित नहीं किया है। करों की अनवरत चोरी का कारण कर-विधान में कमियां नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ग के अधिकारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त होना है। इसी भ्रष्टाचार के कारण ईमानदार करदाताओं को तंग किया जाता है और बेईमान बच कर निकल जाते हैं। यदि सरकार चाहे तो इसमें पूर्ण सुधार हो सकता है। अतः विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना अनिवार्य बनाया जाए।

यह भी देखने में आता है कि आय-कर विभाग के अधिकारी सेवानिवृत्ति प्राप्त करने के तुरन्त उपरान्त बड़ी बड़ी फर्मों और धनवानों के सलाहकार पद पर नियुक्त हो जाते हैं। अतः विशेषज्ञ समिति को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और कोई ऐसा सुझाव देना चाहिये ताकि इस प्रकार की नियुक्तियों को समाप्त किया जा सके। कर वसूली में सुधार करने के हेतु इस बजट में कुछ उपायों का संकेत दिया गया है परन्तु सरकार को कर में छूट की सीमा को बढ़ाना चाहिये ताकि भ्रष्टाचार कुछ कम हो सके। इस सन्दर्भ में यह बात ध्यान देने योग्य है कि श्री भूत लिंगम के प्रतिवेदन पर सरकार ने गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया है।

बड़े बड़े धनी व्यापारियों में आयकर को बचाने के लिए अनेक लिमिटिड कम्पनियां खोलने की प्रवृत्ति चल पड़ी है परन्तु उन कम्पनियों का अस्तित्व ही नहीं होता। फिलम उद्योग में यह प्रवृत्ति बहुत जोरों पर हैं। और यहां तक कि कारचालक भी हिस्सेदार बना लिए जाते हैं। अतः इस प्रकार की कम्पनियां खोलने पर भी रोक अथवा नियंत्रण होना चाहिए।

सरकार बार बार यह आश्वासन देती रही है कि चोर बाजारी के धन को निकालने के लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे। कुछ कदम उठाये भी गए परन्तु सुधार नहीं हो पाया। प्रत्येक वर्ष बजट में आयकर की बकाया राशि के आकड़े दिखाए जाते हैं। करों की चोरी के बारे में सरकार को पता है। देश में करों की वसूली के मामले की जांच करने के लिए बुलाये गए प्रोफेसर काल्डर ने बताया है कि देश में प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये की करों की चोरी होती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने घोषणा की थी कि करों की चोरी करने वालों को बिजली के खम्बे से लटका कर फांसी दी जायेगी : परन्तु इन चोरों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और किसी एक को भी फाँसी नहीं लगी। करों की चोरी करने वालों को कठोरतम दण्ड देने के बजाए सरकार उन्हें अनेक प्रकार की छूट देती है और उनके सामने घुटने टेक कर कहती है कि वे चोर बाजारी के धन को निकाले। परन्तु इसका भी उन लोगों पर कोई असर नहीं होता।

आशा की जाती है सरकार कर-वसूली की व्यवस्था में सुधार करने हेतु गम्भीर कार्य-वाही करेगी और वर्तमान समिति को लोगों को झूठा सन्तोष देने के लिए केवल दिखावा मात्र नहीं बना रहने दिया जायेगा।

**Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) :** According to an assessment of Mr. Koldor there is an annual evasion of taxes worth Rs. 200 to Rs. 300 Crores throughout the

country. I want to know whether Government has also made any assessment in this regard ?

Secondly, what is the amount of arrears of income-tax against Tatas and Birlas ; and has Government taken any steps to realise the same ?

Thirdly, what steps have been taken to demonetise the black money ?

A branch of the Income-tax department should be set up here so that M. Ps. may Conveniently file their income returns here.

**श्री ई० के० नायनार** (पालघाट) : इससे पूर्व भी दो तीन बार करों की चोरी का प्रश्न उठाया जा चुका है। एक ओर तो सरकार और योजना आयोग संसाधनों की कमी के बारे में कहती है पर दूसरी ओर करों की चोरी की राशि में प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है (अन्तरबाधाएं)। करों की चोरी के सरकारी आकड़े नहीं हैं परन्तु गैर सरकारी आकड़ों के अनुसार पता चला है कि 2000 करोड़ रुपये की आय पर कर की चोरी हुई है। यदि सरकार आय पर कर का दस प्रतिशत भी वसूल किया जाये तो पांच वर्ष में 1000 करोड़ रुपये वसूल किए जा सकते हैं। यदि करों की चोरी को रोका जाये तो चीनी, चाय, तम्बाकू और शरबत आदि पर नए कर लगाए बिना ही योजना के लिए केन्द्र को 1500 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हो सकते हैं। सरकार धनवानों से करों की वसूली करने में बहुत नरमी बरत रही है। वर्ष 1969 के मध्य तक करों की बकाया राशि 544 करोड़ रुपये हो गई थी। 1969-70 के बजट प्राक्कलनों में आयकर तथा धन कर की वसूली 525 करोड़ रुपये हो गई है।

यह मामला कई बार सदन में उठाया गया है। सरकार ने केवल यही कहा कि करारोपण की व्यवस्था में सरकार सुधार कर रही है। पी० टी० आई ने 2000 करोड़ रुपये के आकड़े दिये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या करों की चोरी के बारे में सरकार के पास भी कोई आंकड़े हैं। मैं समझता हूं कि यदि हम करों की वसूली करने में सफल हो जायें तो चीनी, चाय और तम्बाकू आदि पर कर बढ़ाने की आवश्कता नहीं होगी। मैं जानना चाहता हूं कि करों की चोरी को रोकने के लिये सरकार क्या नये उपाय कर रही है।

**श्री रणधीर सिंह** (रोहतक) : महोदय ! करों की चोरी के अभीयोग में केवल छोटे-छोटे व्यक्ति ही पकड़े जाते हैं। यदि छोटे और बड़े सभी स्तरों पर की गई करों की चोरी का हिसाब लगाया जाय संख्या कई हजार करोड़ रुपयों की होगी। करों की चोरी को रोकने के सम्बन्ध में कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिये तथा इस सम्बन्ध में कठोर दण्ड की भी व्यवस्था होनी चाहिए ! यदि कोई व्यक्ति 1( रुपयों की कर की चोरी करता है तो उसे दण्ड स्वरूप 600 रुपये वसूल करने चाहिये था उसे 5 वर्ष का कारावास देना चाहिये। यदि कर की सम्पूर्ण बकाया राशि वसूल कर ली जाय तो हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के 50 प्रतिशत कच्चे मकान पक्के हो सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबन्ध में सरकार का प्रस्ताव है। क्या सरकार कर वसूली के लिए कोई विशेष व्यवस्था करना चाहती है और क्या ऐसी किसी योजना पर विचार किया जा रहा है। क्या आप कोई अवधि निश्चित करेंगे कि 2,3 या 5 वर्ष में ऐसे आय कर दिये जायेगें ? चाहे बिड़ला हो, चाहे टाटा हो अथवा मफत लाल हो, यदि कोई भी करों की चोरी करता है तो उसे जेल भिजवाना चाहिये। ऐसे व्यक्तियों

को केवल दण्डे के बल पर ही सीधा किया जा सकता है। देखा यह गया है कि यदि कोई छोटा किसान कर की चोरी करता है तो उसे जेल में ठूंस दिया जाता है अथवा उसके बैल आदि की नीलामी कर दी जाती है। करों की भारी धन राशि अभी तक वसूल नहीं की गई है। वास्तव में यह जनता का धन है और यदि इसे राष्ट्रीय निर्माण में प्रयोग किया जाये, तो देश का बहुत वि'ास हो सकता है।

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi-Sadar) : I do not find that there are inadequate provisions for penality in the Income-tax Act. The recommendations of the Committee have been received by you but it is quite strange that the arrears of income-tax have been increasing day by day. At present an amount of Rs. 5 lakhs is yet to be realised from 1,100 assessees.

A sum of Rupees one crore or more than this has not been recovered from 17 assessees including Shri Biju Patnaik, Shri Mundhra and other such big persons. Why are the Government not taking stringent steps against these persons ? I charge the Government that due to the political pressure the income-tax dues are not being realised from these big persons. Apart from this the officials are also in league with these persons, who often grease these officials.

It has been observed that only small ones are punished and no serious action is taken against these big persons. May I know the number of the persons who have been sent behind the bars in connection with the evasion of tax amounting to Rs. One lakh and more ?

According to the newspaper reports the huge arreares amounting to Rs. 8-10 lakhs income-tax have not been recovered from the owner of the 'Park view' hotel in Calcutta. No efforts are being made by Government to realise such heavy amount.

Government have not applied their mind as to how to check the evasion of tax by people by transfer of their assests in favour of their wives and children. I may add that more than 50 per cent of the arreares are due from 1117 assessees. I want to know the number of those assessees who have evaded tax amounting to Rs. 5 lakhs and above and who have been prosecuted. I request that the hon. Minister should furnish a list showing the names, addresses and the amount of the arrears of persons who have evaded the tax amounting to Rs. 5 lakhs and above.

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : महोदय ! वर्तमान वाद विवाद 23 फरवरी 1970 के प्रश्न संख्या 14 के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में किया जा रहा है। वास्तव में माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न में केवल कर की चोरी के सम्बन्ध में पूछा था किन्तु इस वाद विवाद में बकाया कर की राशि के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाये गये हैं। फिर भी मैं इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

यह सच है कि कर अपवंचन तथा कर को समय पर न देने की समस्या एक ही है। मैं समझता हूं कि प्रोफेसर काल्डर ने इन दोनों प्रकार के अपवंचन का हिसाब लगाया था। करों की चोरी किसी भी प्रकार से की जाय यह कार्य नैतिक रूप से उचित नहीं है। इस कार्य को रोकने के लिये हमें करों सम्बन्धी कानूनों में उचित संशोधन करना पड़ेगा। सरकार समय समय पर इन सभी बातों पर विचार करती है तथा करों सम्बन्धी कानूनों में संशोधन करने के लिये एत संशोधन प्रवर समिति के विचाराधीन भी है।

जहां तक कर अपवंचन का प्रश्न है प्रो० काल्डर ने इस बारे में एक वर्ष में लगभग 200 करोड़ रुपयों के आंकड़े दिये थे किन्तु सरकार ने इन आंकडों को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि

इस मामले की एक बार तो वर्ष 1961 में जांच की गई थी तथा दूसरी बार श्री त्यागी की अध्यक्षता में नियुक्त एक समिति द्वारा जांच की गई थी। इस समिति ने अंत में यह निर्णय किया था कि कर अपवंचन की राशि लगभग 50 करोड़ रुपये से 60 करोड़ रुपयों तक हो सकती है।

वर्ष 1947 में जांच आयोग ने 48 करोड़ रुपयों के लेखावाह्यी। धन का पता लगाया। वर्ष 1961 की स्वैच्छिक प्रगटीकरण योजना के अन्तर्गत 70 करोड़ रुपयों की राशि प्रकट की गई थी। इसी प्रकार दूसरी प्रगटीकरण योजना में 1,14,226 करदाताओं ने 148 करोड़ रुपयों का धन राशि प्रकट की थी। इन सभी आंकड़ों से कुछ अनुमान लगाया जा सकता है।

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 1964-65 से 1968-69 तक 161.67 करोड़ रुपयों की छुपाई गई धन राशि का पता लगाया था तथा उसने 39.94 करोड़ रुपयों का जुर्माना किया था क्योंकि यह प्रकटीकरण स्वैच्छिक नहीं था। यद्यपि कर अपवंचन के सही आकड़ों का पता लगाना कठिन है तथापि इन सब बातों से यह अनुमान लगाया जासकता है कि प्रति वर्ष लगभग 70 करोड़ रुपयों से 80 करोड़ रुपयों तक के कर अपवंचन किया जाता है। साथ ही इस धन का पता लगाने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो स्थिति वर्ष 1947 में थी अब वह बहुत बदल चुकी है। चौधरी रणधीर सिंह ने कहा कि कर उचित रूप से एकत्र नहीं किया जा रहा है। इस विषय में मेरा निवेदन है कि वर्ष 1960-61 में 278.43 करोड़ रुपये एकत्र किये गये थे तथा वर्ष 1967-68 में यह राशि 635.95 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 1968-69 में 673.23 करोड़ रुपये एकत्रित किये गये तथा चालू वर्ष में 720 करोड़ रुपयों की वसूली किये जाने का अनुमान है।

**श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै)** : निगम क्षेत्र का विस्तार भी तो हुआ है।

**श्री प्र० चं० सेठी** : जी हां। मैं कर दाताओं की संख्या भी उद्धृत करूंगा। वर्ष 1959-60 में सरकार के लेखों के अनुसार कर दाताओं की संख्या 10,45,988 थी। वर्ष 1969-70 में सरकारी रिकार्ड के अनुसार कर दाताओं की संख्या 28,40,970 है। यह सच है कि व्यक्तिगत कर तथा निगम कर देने वाले कर दाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। सरकार प्रति वर्ष 60 करोड़ से 70 करोड़ रुपयों के करों के अपवंचन का पता लगाती है। अतः यह तो नहीं कहा जासकता कि कर अपवंचन है ही नहीं। इस सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूं कि कर अपवंचन को रोकने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं तथा जुर्माने की राशि भी बढ़ाई जारही है। यह कहना भी कठिन है कि वास्तव में कुल कितने रुपयों का कर अपवंचन होता है। माननीय सदस्य श्री रणधीर सिंह तथा श्री कंवरलाल गुप्त ने कहा है कि कानूनी में कर पवंचन के सम्बन्ध में दण्ड की व्यवस्था तो विद्यमान है। वास्तव में आपका कानूनों में कठोर दण्ड की व्यवस्था विद्यमान है। 31.3.68 तक न्यूनतम जुर्माना 20 प्रतिशत था तथा अधिकतम जुर्माना 150 प्रतिशत था। किन्तु इस तिथि के पश्चात् इस जुर्माने में परिवर्तन कर दिया गया है। अब 1.4.68 से छुपाई गई आय पर न्यूनतम जुर्माना 100 प्रतिशत है तथा अधिकतम जुर्माना 200 प्रतिशत है। अतः जुर्माने की राशि में वृद्धि करदी गई है।

आयकर की धारा 277 के अन्तर्गत जुर्माने के अतिरिक्त दो वर्ष कठोर कारावास की भी व्यवस्था कर दी गई है। दो वर्ष के कठोर कारावास के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है कि यह दण्ड अधिक है या कम है किन्तु मैं इस समय इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

**श्री कंवर लाल गुप्त :** प्रश्न यह है कि जब कानून में व्यवस्था विद्यमान है, तो इन बड़े बड़े कर अपवंचकों को जेल क्यों नहीं भेजा गया।

**श्री प्र० चं० सेठी :** एक कहावत है कि छोटी मछली जाल से निकल जाती है तथा बड़ी मछली जाल तोड़ कर बाहर निकल जाती है। कर के सम्बन्ध में भी कभी कभी ऐसा ही होता है...(व्यवधान) हमारे देश में केवल 28 लाख करदाता हैं। अतः करदाताओं की सूची में अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाने का प्रयास करना आवश्यक है। यह नहीं कहा जा सकता कि केवल बड़े लोग ही करों का अपवंचन करते हैं। बहुत से छोटे व्यक्ति भी हैं जो कर दे सकते हैं किन्तु देना नहीं चाहते। इसके अतिरिक्त निम्न आय वर्ग की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये प्रधान मंत्री ने कर मुक्त आय की राशि 4000 रुपयों से बढ़ाकर 5000 रुपये करने की घोषणा करदी है।

**श्री मयावन (चिदाम्बरम) :** 7500 रुपयों तक की आय कर मुक्त होनी चाहिए।

**श्री कंवर लाल गुप्त :** हमारी इस बात में कोई रुची नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि इन 1117 व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनकी ओर 5 लाख रुपयों से अधिक राशि बकाया है, क्या कार्यवाही की गई है।

**श्री प्र० चं० सेठी :** माननीय सदस्य के इस प्रश्न का उत्तर में कर की बकाया राशि को वसूल करने के संदर्भ में दूंगा और अब मैं उसी बात पर आरहा हूँ। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि लगभग 550 करोड़ रुपयों के कर वकाया हैं। किन्तु इनमें से कुछ मामले अभी न्यायालयों में हैं या किन्हीं मामलों में अपील की गई है। श्री कंवर लाल गुप्त ने श्री बीजू पटनायक के मामले का उल्लेख किया है किन्तु इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के कारण मांग स्थगित करदी गई है। जब न्यायालय किन्हीं मामलों में रोक लगा देता है तो आयकर विभाग ऐसे मामलों में आयकर वसूल नहीं कर सकता।

कर की वकाया धन राशि वसूल करने के लिये सरकार ने प्रशासनिक उपाय भी किये हैं। इसी उद्देश्य से क्रियाशील वितरण योजना प्रारम्भ की गई है और जहाँ तक मैं समझता हूँ यह योजना सुचारू रूप से चल रही है। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में आयकर वसूल नहीं हो पाता उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व निम्न अधिकारियों पर सौंप दिया गया है:—

| | |
|---|---|
| उप निरीक्षण आयुक्त | एक लाख रुपयों की वकाया राशि से कम के मामले |
| आयकर आयुक्त | एक लाख से पांच लाख रुपयों तक की वकाया राशि के मामले |

| | |
|---|---|
| डी०ग्राई०ग्रार० | पांच लाख रुपयों से 25 लाख रुपयों तक की बकाया राशि के मामले |
| बोर्ड | सभी ऐसे मामले जिनमें बकाया राशि 25 लाख रुपयों से अधिक है। |

इन प्रशासनिक उपायों के अतिरिक्त सरकार ने कुछ कानूनी उपाय भी किये हैं। उदाहरण के लिये विदेश जाने वाले व्यक्ति को आयकर अधिनियम की धारा 230 के अन्तर्गत कर निपटान प्रमाण-पत्र देना होगा। इसी प्रकार धारा 230-क के अन्तर्गत कृषि भूमि को छोड़कर 50,000 रुपयों से अधिक की सम्पत्ति को बेचने के लिये कर निपटान का प्रमाण-पत्र देना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 221 के अन्तर्गत आयकर अदा न करने वाले व्यक्ति पर 100 प्रतिशत जुर्माने की व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त कुछ कार्यकारी उपाय भी किये गये हैं। आयात लाइसेंस तथा कोटे के लिये प्रार्थना-पत्र देने वाले व्यक्तियों के आयकर सत्यापन प्रमाण-पत्र तथा आयकर निपटान प्रमाण-पत्र देना होगा। आयकर विभाग को कर वसूली में सहायता देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देने की भी व्यवस्था की गई है।

आयकर विभाग को आदेश दे दिये गये हैं कि जिन मामलों में आयकर वसूल करना नितांत असम्भव हो जायें, तो उस राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाय जिससे कि संसद् तथा जनता को सही स्थिति का बोध हो जाय तथा वे मामले हमारे खातों में व्यर्थ न बने रहें। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 1962 से अब तक 69 व्यक्तियों के मामलों में मुकदमे चलाये गये हैं तथा इनमें से 14 व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है। न्यायालयों में भी अभी 43 मामले अनिर्णीत पड़े हैं तथा 28 मामलों में शिकायत दर्ज की गई हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विभाग द्वारा मुकदमे नहीं चलाये जा रहे अथवा किसी को दण्ड नहीं दिया जा रहा है।

जिन मामलों में आयकर वसूली में देर हुई है हमने विभाग को आदेश दिये हैं कि वह यथा शीघ्र कर वसूल करने का उपाय करे। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों की मांग को ध्यान में रखकर एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई है। माननीय सदस्य जो भी मूल्यवान सुझाव देना चाहें वे कृपया इस समिति को दें जिससे कि उक्त समिति इस समस्या का विस्तृत अध्ययन कर सके तथा अपना निर्णय दे सके।

**इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 3 मार्च, 1970/12 फाल्गुन, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 3rd March, 1970/Phalguna 12, 1891 (Saka)**

---



Printed at Akashdeep Printers 20, Darya Ganj Delhi-6.